


बुक पोस्ट
Book Post



सुपुर्दगी नहीं होने पर, कृपया इस पते पर लौटा दें
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(इकाई : यूको बैंक)
प्लॉट नं. 17 से 24, विट्टलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081

If undelivered, please return to :
M/s. Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittal Rao Nagar
Madhapur, Hyderabad - 500 081

Design and Printed by : Swapna Printing Works Pvt. Ltd. email : office@swapnaprinting.com



वार्षिक प्रतिवेदन ANNUAL REPORT 2 0 1 1 - 1 2

यूको बैंक  **UCO BANK**
सम्मान आपके विश्वास का Honours Your Trust

हमसे संपर्क करें Visit us at - www.ucobank.com

यूको बैंक

UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

विषय-सूची / CONTENTS

मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.	मद / Item	पृष्ठ सं. / Page No.
• सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक Statutory Central Auditors	02	• कारपोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र Auditor's Certificate on Corporate Governance	66-68
• निदेशक मंडल Board of Directors	03	• तुलन-पत्र 2010-11 / Balance Sheet 2010-11	69-70
• वार्षिक आम बैठक हेतु सूचना एवं कार्यसूची Notice for AGM and Agenda	04-08	• लाभ-हानि लेखा / Profit & Loss A/c	71-72
• वित्तीय विशिष्टताएं Financial Highlights	09	• लेखों से संबंधित अनुसूची/Schedule to Accounts	73-116
• शाखा नेटवर्क /प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण एवं क्षे.ग्रा.बैंक (तालिका I, II एवं III) Branch Network/Priority Sector Credit & RRBs (Table I, II & III)	10	• भारत के राष्ट्रपति को लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report to the President of India	117-118
• निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	11-35	• नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	119-120
• कारपोरेट अभिशासन संबंधी रिपोर्ट Report on Corporate Governance	36-65	• बासेल-II प्रकटीकरण / Basel-II Disclosures	121-135
		• परोक्षी फार्म / Proxy Form	136
		• ईसीएस अधिदेश / ECS Mandate	137
		• उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	140

महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं तारीखें / IMPORTANT PROGRAMME & DATES

कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date	कार्यक्रम / Programme	तारीख / Date
• वार्षिक आम बैठक 2011-12 हेतु बही-खाता बंद रहने की अवधि Period of Book closure for AGM 2011-12	19.06.2012 से to 26.06.2012	वार्षिक आम बैठक 2011-12 की तारीख, समय एवं बैठक-स्थल Date, time & Venue of Annual General Meeting 2011-12	26.06.2012 प्रातः 11.00 A.M.
• परोक्षी फार्म की प्राप्ति की अंतिम तारीख Last date for receipt of proxy form	21.06.2012	भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road Alipore, Kolkata 700 027	

सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक / STATUTORY CENTRAL AUDITORS

मे. कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
M/s Kothari & Co.
Chartered Accountants

मे. बावेजा एंड कौल
सनदी लेखाकार
M/s Baweja And Kaul
Chartered Accountants

मे. एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/s SBA Associates
Chartered Accountants

मे. वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
M/s Ved And Company
Chartered Accountants

मे. दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/s Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants

मे. गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
M/s Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट/REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
(इकाई : यूको बैंक)
प्लॉट नं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081
टेलीफोन सं. (040) 44655000
फैक्स सं. (040) 23420814
ई.मेल आईडी einword.ris@karvy.com
वेबसाइट www.karvycomputershare.com

M/s Karvy Computershare Private Limited
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittalrao Nagar
Madhapur, Hyderabad – 500 081
Telephone No. (040) 44655000
FAX No. (040)23420814
E.Mail ID einword.ris@karvy.com
Website www.karvycomputershare.com

शेयरधारक आवश्यकतानुसार रजिस्ट्रार के निम्नलिखित कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं
The Shareholders may also contact the following offices of the Registrar in case of need.

मुंबई	:	महाराष्ट्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स लेन, फोर्ट, मुंबई - 400 023 फोन : 022-2286-2425/2427
At Mumbai	:	Maharashtra Chamber of Commerce Lane, Fort, Mumbai - 400 023 Phone 022-2286-2425 / 2427
चेन्नै	:	22, विजय राघवन रोड, टी. नगर, चेन्नै - 600 017 फोन : 044-2815-1034/3445
At Chennai	:	22, Vijaya Raghavan Rd. T. Nagar, Chennai - 600 017 Phone : 044-2815-1034 / 3445
नई दिल्ली	:	105-108 अरुणाचल भवन, कनाउट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 फोन : 011-4350-9200
At New Delhi	:	105-108 Arunachal Building, Connaught Place, New Delhi -110 001 Phone : 011-4350-9200
कोलकाता	:	49, जतीन दास रोड (देशोप्रिय पार्क के पास), कोलकाता - 700 029 फोन : 033-2464-7231/ 32
At Kolkata	:	49, Jatin Das Road (Opp. Deshapriya Park), Kolkata - 700 029 Phone : 033-2464-7231 / 32

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS (AS ON 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार)



श्री अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Shri Arun Kaul
Chairman & Managing Director



श्री एन. आर. बद्रीनारायणन
कार्यपालक निदेशक
Shri N. R. Badrinarayanan
Executive Director



श्री एस. चन्द्रशेखरन्
कार्यपालक निदेशक
Shri S. Chandrasekharan
Executive Director



श्री प्रवीण रावल
निदेशक
Shri Pravin Rawal
Director



श्रीमती उमा शंकर
निदेशक
Smt. Uma Shankar
Director



प्रो. सेबास्टियन लुकोस मॉरिस
निदेशक
Prof. Sebastian Luckose Morris
Director



श्री राम अवतार शर्मा
निदेशक
Shri Ram Avtar Sharma
Director



सीए मनोज कुमार गुप्ता
निदेशक
CA Manoj Kumar Gupta
Director

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700 001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

सूचना

NOTICE

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि यूको बैंक के शेयरधारकों की नवीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, दिनांक 26 जून, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700 027 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्यवाही की जाएगी:-

1. दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखे, लेखे की अवधि के लिए बैंक के क्रियाकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन-पत्र एवं लेखे के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करने एवं उन्हें अंगीकृत करने हेतु।
2. दिनांक 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए ईक्विटी एवं अधिमानी शेयरों पर लाभांश अनुमोदित एवं घोषित करने हेतु।

NOTICE is hereby given that the Ninth Annual General Meeting of the Shareholders of UCO Bank will be held on Tuesday, the 26th June, 2012 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027 to transact the following business:-

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet as at 31st March 2012, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To approve and declare Dividend on Preference and Equity Shares for the year ended 31st March 2012.

निदेशक मंडल के
आदेश से

By order of the Board
of Directors

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18 मई, 2012

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक

Place: Kolkata
Date: 18th May, 2012

(Arun Kaul)
Chairman & Managing
Director

नोट

1. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार कोई शेयरधारक अपने बदले बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु किसी परोक्षी को नियुक्ति करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म को प्रभावी करने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक को उसके शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी गुरुवार, दिनांक 21 जून, 2012 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो जाए। बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कोई भी व्यक्ति बैंक के किसी शेयरधारक निगमित निकाय के सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का तबतक हकदार नहीं होगा जबतक प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे सम्यक् रूप से नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति हो, जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय के शेयर अनुभाग, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, 3रा तल, कोलकाता-700001 में उक्त बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी गुरुवार, दिनांक 21 जून, 2012 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व प्राप्त न हो जाए। ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित प्रोक्सी फार्म तभी प्रभावी होगा, जब यह उपर्युक्त दस्तावेज के साथ उक्त पते पर 21 जून, 2012 के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व बैंक को जमा कर दिया जाए। बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को यूको बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

3. उपस्थिति पर्ची -सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा बैठक-स्थल पर उसे अभ्यर्पित करें। शेयरधारकों के परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास में यथास्थिति “परोक्षी” या “प्राधिकृत प्रतिनिधि” उल्लिखित करना चाहिए। शेयरधारकों/परोक्षीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि कृपया अपने साथ पैन कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, पासपोर्ट आदि लाएं और सही पहचान के बाद ही उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

4. शेयरधारकों के रजिस्टर की बंदी

वार्षिक खाताबंदी एवं बैठक में घोषित लाभांश के भुगतान के प्रयोजनार्थ मंगलवार, दिनांक 19 जून, 2012 से मंगलवार दिनांक 26 जून, 2012 (दोनों दिन सहित) तक शेयरधारकों का रजिस्टर एवं बैंक की अंतरण बही बंद रहेगी।

NOTES

1. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received at the Head Office of the Bank at its Share Section, Finance Department, at No. 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Thursday, 21st June, 2012. An employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulation 2003.

2. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with Share Section, Finance Department, at No. 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on Thursday, 21st June, 2012. The proxy form if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is also deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on Thursday, 21st June, 2012 at the above mentioned address.

An employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

3. ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as ‘Proxy or Authorised Representative’ as the case may be. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives must carry a valid Photo identity card like PAN Card, Election ID, Passport etc with them and will be allowed entry only after proper identification.

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Registrar of Shareholders and the Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday, the 19th June, 2012 to Tuesday, the 26th June, 2012 (both days inclusive) for the purpose of Annual Book Closure and payment of dividend declared at the Meeting.

5. लाभांश का भुगतान

बोर्ड ने (i) निम्नलिखित को ₹10/- के सांकेतिक मूल्य के प्रत्येक शेयर हेतु वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 3/- के ईक्विटी लाभांश (ii) निर्गम की शर्तों के अनुसार पीएनसीपीएस पर अधिमानी लाभांश की संस्तुति की है- यदि वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश के भुगतान की घोषणा की जाती है तो उन शेयरधारकों को इसका भुगतान किया जाएगा:-

क) जो सोमवार, दिनांक 18 जून, 2012 को कार्य-समय की समाप्ति पर निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करते हैं, या

ख) जो 26 जून, 2012 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व शेयरधारकों से प्राप्त वैध अंतरण के अनुरोध को प्रभावी करने के बाद सोमवार, दिनांक 18 जून, 2012 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों के रजिस्टर में मूर्त रूप में शेयर धारित करते हैं।

बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा की तारीख के 30 दिन के भीतर ऐसे शेयरधारकों को लाभांश वारंट उनके रजिस्ट्रीकृत पते पर रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मे. कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए भेजा जाएगा।

6. अदत्त / अदावाकृत लाभांश

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 ख के अनुसार यदि कोई राशि अदत्त लाभांश खाते में अंतरित की जाती है और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष की अवधि तक अदत्त /अदावाकृत रहती है तो उसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 ग(1) के अधीन स्थापित “निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि” में अंतरित किया जाएगा।

तदनुसार वर्ष 2003-04 और उसके आगे का लाभांश अदत्त लाभांश खाते में इसके अंतरण की संबंधित तारीख से सात वर्ष के बाद “निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि” में अंतरित किया जाएगा।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2010-11 तक लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट मे. कार्बी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड के पास वैध दावा(वे) प्रस्तुत करें।

7. डाक पता / बैंक अधिदेश में परिवर्तन एवं एनईसीएस के माध्यम से लाभांश का भुगतान

क) मूर्त रूप में धारित शेयर

मूर्त रूप से शेयर धारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि डाक पता, बैंक खाता विवरण यथा बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश आदि में परिवर्तन होने की सूचना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट यानी मेसर्स कार्बी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि., 17 से 24, विड्डल राव नगर, माधपुर, हैदराबाद - 500 081, को दें ताकि वे अपना लाभांश सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकें और इसकी सूचना समय रहते ही दी जा सके। ईसीएस अधिदेश फार्म का प्ररूप वार्षिक प्रतिवेदन में संलग्न है।

ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का धारण

इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरधारण करनेवाले हिताधिकारी मालिकों से यह अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अपने निक्षेपागार भागीदार के पास पता, बैंक का विवरण यानी बैंक का नाम, शाखा का

5. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board has recommended (i) Equity Dividend of ₹ 3/- for the year 2011-12 for each share for nominal value of ₹10/- (ii) Preference Dividend on PNCPS as per terms of issue.

Payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be paid to those shareholders:-

- who hold in electronic form, as per the list furnished by the depositories, i.e., NSDL/CDSL as at the close of business hours on Monday, 18th June, 2012 or
- who hold in physical form in the Register of Shareholders as on Monday, 18th June, 2012 after giving effect to the valid transfer requests from the shareholders received before close of business hours of the Bank on 26th June, 2012.

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through Registrar and Share Transfer Agents viz, M/s Karvy Computershare Private Limited within 30 days from the date of declaration of dividend on their registered addresses.

6. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

As per section 10B of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 1970 any money which is transferred to unpaid dividend account and remains unpaid/unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer shall be transferred to “Investor Education and Protection Fund” established under section 205C(1) of the Companies Act 1956.

Accordingly the dividend for the year 2003-04 and onward will be transferred to “Investor Education and Protection Fund” after seven years from the date on which it has been transferred to unpaid dividend account.

Shareholders who have not claimed their dividend upto the financial year 2010-11 are requested to lodge valid claim(s) with Registrar and Transfer Agent M/s Karvy Computershare Private Limited.

7. CHANGE IN ADDRESS/BANK MANDATE AND PAYMENT OF DIVIDEND THROUGH NECS:

a) Holding of shares in Physical Form

Shareholders holding shares in physical form are requested to inform the Registrar and Share Transfer Agent i.e. M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., 17 to 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081, in respect of change of address, Bank Account details, viz, Name of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate so that they receive dividend directly in their account & communication etc. in time, if not already done. The format for ECS Mandate form is enclosed in Annual Report.

b) Holding of shares in Electronic Form

Beneficial owners holding shares in electronic form, are requested to ensure that the address, Bank details i.e. Name

नाम, खाता संख्या, ईसीएस अधिदेश आदि अद्यतित हैं ताकि वे अपना लाभांश सीधे अपने खाते में प्राप्त कर सकें और अन्यथा इसकी सूचना समय रहते दी जा सके।

शेयरधारक कृपया यह नोट करें कि अपने खाते में लाभांश साधे प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (एनईसीएस) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिपादित एक पद्धति है। यह सुविधा उन शेयरधारकों को उपलब्ध है जिनका खाता बैंक में है जिसकी सभी शाखाएं सीबीएस से जुड़ी हैं एवं हिताधिकारी मालिकों के एनईसीएस अधिदेश निक्षेपागार सहभागी (डीपी) के पास दर्ज है। मूर्त रूप से शेयरधारण करनेवाले शेयरधारक रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास ईसीएस अधिदेश प्रस्तुत कर इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्धति से लाभांश वारंट के मार्ग में खोने या अन्य किसी प्रकार की हानि से बचा जा सकता है।

8. अदावाकृत शेयर

बैंक के आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद जारी कुछ शेयर प्रमाणपत्र शेयरधारकों के आवेदन पत्र में उल्लिखित पत्र अधूरे डाक पते एवं तदनुसार परिवर्तित पते की वजह से हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के पास वापस लौट आए। बैंक को ऐसे शेयरों के असली शेयरधारकों / मालिकों से दावा / अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। सूचीबद्ध करार के अनुसार बैंक ऐसे शेयरों को अमूर्तकृत घोषित करेगा जिनका दावा असली शेयरधारकों / मालिकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दिनांक 31.03.2012 तक अदावाकृत शेयरों के विवरण निम्नप्रकार हैं :

क्रम सं. Sl. No.	विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of shareholders	शामिल शेयरों की संख्या No. of shares involved
i.	दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 01.04.2011	356	55408
ii.	वर्ष 2011-12 के दौरान दावाकृत / हिताधिकारी के खाते में अंतरित शेयर Shares claimed / transferred to Beneficiary account during the year 2011-12	58	9158
iii.	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार अदावाकृत शेयर Shares unclaimed as on 31.03.2012	298	46250

अदावाकृत शेयरों के के मामले में सही मालिक द्वारा दावा नहीं किए जाने तक मताधिकार अवरुद्ध रखे जाएंगे।

9. बैंक के शेयरों का अनिवार्य रूप से अमूर्तकृत (डिमाट) रूप में क्रय - विक्रय

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दिए गए दिशानिर्देश के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय अमूर्तकृत रूप में किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक की आईएसआईएन कूट संख्या आईएनई 691ए01018 है।

बैंक के शेयरों के अमूर्तकरण हेतु निर्गमनकर्ता कंपनी के रूप में राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. (एनएसडीएल) और केंद्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लि. (सीडीएसएल) के साथ बैंक ने करार किया है।

of Bank, Name of Branch, Account Number, ECS Mandate etc. are duly updated with their Depository Participant so that they may receive dividend directly in their account & the communications, well in time, if not already done.

Shareholders please note that National Electronic Clearing System (NECS) is a procedure stipulated by Reserve Bank of India for receiving dividend directly in their account. This facility is available to the shareholder provided his account is with a branch of a Bank having all of its branches under Core Banking Solution (CBS) and NECS Mandate of the Beneficial owners recorded with their Depository Participant (DP). The shareholders holding shares in physical form can also avail this facility by submitting ECS mandate to Registrar & Share Transfer Agent. This procedure avoids loss of dividend warrant (s) in transit or otherwise.

8. UNCLAIMED SHARES

Few of the share certificates issued after the Bank's Initial Public Offer returned undelivered to our Registrar & Share Transfer Agents on account of improper address mentioned in the application forms and subsequent change in addresses of the shareholders. Bank is yet to receive claim/request from the bonafide shareholders/owners of such shares. As per the Listing Agreement, the Bank is required to dematerialize the shares which remained unclaimed by the bonafide shareholders/owners of such shares.

Following are details of the shares unclaimed as on 31.03.2012 :

The voting rights in respect of the unclaimed shares will remain frozen till the claim by the rightful owner.

9. COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM

Pursuant to the directive of SEBI, trading of our Bank Shares in dematerialised form has been made compulsory for all investors. ISIN Code Number of the Bank is INE691AO1018

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd (CDSL) as an issuer Company for dematerialisation of Bank's Shares.

संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के माध्यम से अमूर्तीकरण का अनुरोध हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के पास भेजा जा सकता है।

10. तुलन-पत्र/ वार्षिक प्रतिवेदन की प्रतियां

शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक आम बैठक के स्थल पर वार्षिक प्रविवेदन की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी।

11. शेयरधारकों द्वारा पूछताछ

हमें प्रसन्नता होगी यदि शेयरधारक विचारार्थ कार्यसूची की मदों से संबंधित पूछताछ, यदि कोई हो, बैंक में पर्याप्त समय रहते प्रस्तुत करें, ताकि बैंक को प्रभावी रूप से प्रत्युत्तर देने में सहूलियत हो।

12. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते या किसी अन्य प्रकार के विवरण में परिवर्तन, यदि कोई हो, संबंधी सूचना अमूर्तीकृत शेयरों के मामले में अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से एवं मूर्त शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को इस पते पर दें :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : यूको बैंक

प्लॉट सं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर, माधपुर, हैदराबाद -500 081

दूरभाष : (040) 44655000; फैक्स (040)23420814

ऑनलाइन पूछताछ/शिकायत दर्ज करने हेतु बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.karvycomputershare.com पर लॉग ऑन करें और अपनी पूछताछ/शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज करने हेतु निवेशक सेवा पृष्ठ पर क्लिक करें।

13. शेयर सेक्शन एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को त्वरित एवं बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता के लिए इस कक्ष से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

श्री एन.पूर्णचंद्र राव, कंपनी सचिव, शेयर अनुभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, 2 - इंडिया एक्सचेंज प्लेस (3रा तल), कोलकाता- 700001

दूरभाष : 033-44557227, फैक्स : (033) 22485625

निदेशक मंडल के
आदेश से

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 18.05.2012

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध
निदेशक

Request for dematerialisation may be sent through respective depository participants to our Registrars and Share Transfer Agent.

10. COPIES OF BALANCE SHEET/ANNUAL REPORT

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting.

11. SHAREHOLDERS QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, on the agenda items to be considered at the Meeting sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank.

12. COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/S Karvy Computershare Private Limited

Unit : UCO BANK,

Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar, Madhapur,

Hyderabad – 500 081

Tel : (040) 44655000; Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited i.e., www.karvycomputershare.com and click on Investor Services page to register their queries/grievances, if any.

13. SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata. Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

Shri N Purna Chandra Rao, Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank, Head Office : 2, India Exchange Place (3rd Floor), Kolkata – 700 001

Telephone : 033-44557227, Fax : (033) - 22485625

By Order of the
Board of Directors

Place: Kolkata
Date: 18.05.2012

(Arun Kaul)
Chairman & Managing
Director

दिनांक 31.03.2012 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि की वित्तीय विशिष्टताएं
FINANCIAL HIGHLIGHTS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2012

(करोड़ ₹. में/ ₹. in Crore)

कारबार मानदंड Business Parameters	मार्च 2012 March 2012	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008	मार्च 2007 March 2007	मार्च 2006 March 2006
कुल जमा / Total Deposits	154004	145278	122416	100222	79909	64860	54544
कुल अग्रिम / Total Advances	117504	100561	83371	69669	55627	47471	37817
कुल कारबार / Total Business	271508	245839	205787	169891	135536	112331	92361
विनिधान / Investment	46185	43124	43700	29512	24629	19789	19803
ब्याज आय / Interest income	14632	11371	9526	8121	6509	5318	4355
ब्याज व्यय / Interest Expenditure	10730	7526	7202	6477	5021	3623	2789
निवल ब्याज आय / Net Interest Income	3902	3845	2324	1644	1488	1695	1566
परिचालन लाभ / Operating Profit	2811	2695	1706	1202	954	945	763
निवल लाभ / Net Profit	1109	907	1012	558	412	316	197
ऋण जमा अनुपात / Credit Deposit Ratio	76.30	69.22	68.10	69.51	69.61	73.19	69.33
शाखाओं की संख्या / No. of Branches	2390	2206	2152	2068	1961	1853	1744

दिनांक 31.03.2012 को समाप्त 7 वर्ष की अवधि के महत्वपूर्ण कार्यनिष्पादन निर्देशक
KEY PERFORMANCE INDICATORS FOR 7 YEARS PERIOD ENDED ON 31.03.2012

विवरण Particulars	मार्च 2012 March 2012	मार्च 2011 March 2011	मार्च 2010 March 2010	मार्च 2009 March 2009	मार्च 2008 March 2008	मार्च 2007 March 2007	मार्च 2006 March 2006
कुल आय के % के रूप में शुद्ध ब्याज आय Net Interest Income as % to Total Income	25.02	31.27	22.15	17.98	20.44	29.43	33.11
जमा की औसत लागत (%) Average Cost of Deposits (%)	7.30	5.74	6.44	7.25	6.74	5.66	5.19
अग्रिमों से औसत आय (%) Average Yield on Advances (%)	11.28	10.00	10.13	10.67	9.96	8.65	8.26
निवल ब्याज मार्जिन (%) / Net Interest Margin (%)	2.77	3.07	2.19	1.97	1.87	2.51	2.72
पूंजी पर्याप्तता (%) / Capital Adequacy (%)							
बासेल-I / BASEL-I	11.03	11.87	11.35	9.75	10.09	11.56	11.12
बासेल-II / BASEL-II	12.35	13.71	13.21	11.93	11.02	NA	NA
प्रति शाखा कारबार (करोड़ ₹) Business per Branch (₹ Crore)	113.60	111.44	95.63	82.15	69.12	60.62	52.96
प्रति कर्मचारी कारबार (करोड़ ₹) Business per Employee (₹ Crore)	12.47	11.36	9.01	7.32	5.80	4.64	3.87
सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) / Gross NPA Ratio (%)	3.48	3.13	1.99	2.21	2.97	3.17	3.27
निवल अनर्जक आस्ति अनुपात (%) / Net NPA Ratio (%)	1.96	1.84	1.17	1.18	1.98	2.14	2.10
आस्तियों पर प्रतिफल (%) / Return on Assets (%)	0.69	0.66	0.87	0.59	0.52	0.47	0.34
प्रति शेयर बही मूल्य/ Book Value per Share (in ₹)	94.72	82.00	65.74	50.88	31.08	27.66	24.86
प्रति शेयर अर्जन (₹ में) Earning Per Share (in ₹)*	*15.02	*14.29	17.47	*7.63	5.16	3.95	2.46

* शेयरों की संख्या का भारित औसत/* Weighted average number of Share

तालिका/TABLE — I

शाखा नेटवर्क \ Branch Network

क्रम		18.07.1969	31 दिसम्बर, 1985	31 मार्च की स्थिति के अनुसार			
संख्या	स्थान/देश	की स्थिति के अनुसार	की स्थिति के अनुसार				
Sl. No.	Places/Countries	As on 18.07.1969	As on 31st December 1985	2009	2010	2011	2012
1	भारत में (देशी) \ In India (Domestic)	351	1712	2065	2148	2202	2390
2	भारत के बाहर \ Overseas	6	9	4	4	4	4
3	यूनाइटेड किंगडम \ United Kingdom	1	2	-	-	-	-
4	सिंगापुर \ Singapore	3	3	2	2	2	2
5	हांग कांग \ Hong Kong	2	4	2	2	2	2
6	शाखाओं की कुल संख्या (वैश्विक) Total Number of Branches (Global)	357	1721	2069	2152	2206	*2394
7	विस्तार काउंटरों की संख्या No. of Extension Counters	-	80	11	7	4	3

*दिनांक 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार सभी शाखाएं सीबीएस समर्थित हैं।

*As on 31.3.2012, All the Branches are CBS enabled.

तालिका/TABLE — II

वर्ष 2008-09 से 2011-12 तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दिए गए अग्रिमों की क्षेत्रवार स्थिति

Sector-wise Position of Priority Sector Advances of the Bank for the Years 2008-09 to 2011-12

(राशि करोड़ ₹ में) (₹ in Crore)

क्रम	संख्या	निम्नलिखित को वित्तपोषण	निम्नलिखित के अनुसार बकाया शेष			
			Balance Outstanding as on			
Sl. No.	Financing of		मार्च	मार्च	मार्च	मार्च
			March	March	March	March
			2009	2010	2011	2012
1	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम / Priority Sector Advances		25232	27600	28253	28301
2	प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिम/एएनबीसी / Priority Sector Advances/ANBC (%)*		50.69	43.91	39.16	33.56
3	कृषि क्षेत्र को अग्रिम / Agriculture Advances		11239	14309	11643	9653
4	कृषि क्षेत्र को अग्रिम / एएनबीसी / Agriculture Advances/ANBC (%)*		22.58	22.76	16.14	11.45
5	कमजोर वर्गों को अग्रिम / Advances to Weaker Sections		5973	6733	7496	7861
6	कमजोर वर्गों को अग्रिम/एएनबीसी / Adv. To Weaker Sections/ANBC (%)*		12.00	10.71	10.39	9.32
7	एमएसएमई अग्रिम / MSME Advances		8963	12316	14790	17860
8	जिनमें से एमएसई अग्रिम / Of Which MSE Advances		6694	9077	11973	13437

* समायोजित निवल बैंक ऋण / *Adjusted Net Bank Credit

तालिका / TABLE — III

हमारे द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा तथा अग्रिमों की 31.03.2012 के अनुसार स्थिति

Position of Deposits & Advances of our sponsored RRBs as on 31.03.2012

(राशि करोड़ ₹ में) (₹ in Crore)

क्रम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या	कुल जमा	कुल अग्रिम
Sl. No.	Name of RRB	No. of Branches	Total Deposits	Total Advances
1	जयपुर थार ग्रामीण बैंक \ Jaipur Thar Gramin Bank	218	2065	1083
2	कलिंग ग्राम्य बैंक \ Kalinga Gramya Bank	184	1815	1144
3	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक \ Bihar Kshetriya Gramin Bank	171	1566	597
4	पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक \ Paschim Banga Gramin Bank	216	2851	928
5	महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक \ Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank	43	289	100
	योग \ Total	832	8586	3852

निदेशक मंडल की रिपोर्ट : 2011-12


REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS : 2011-12

1. प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण :

1. आर्थिक समीक्षा 2011-12 :

वर्ष 2011-12 के दौरान पूरे विश्व में आर्थिक संवृद्धि में गिरावट आई। भारतीय अर्थव्यवस्था इसका अपवाद नहीं है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में खलबली और यूरोजोन के वित्तीय संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ा। वास्तविक सकल देशी उत्पाद में पिछले राजकोषीय वर्ष के 6.9 प्रतिशत की तुलना में राजकोषीय वर्ष 2011-12 की तीसरी तिमाही में मात्र 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2011-12 में 6.9 प्रतिशत संवृद्धि दर होने का अनुमान है जो अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार भा.रि.बैंक के 7 प्रतिशत पूर्वानुमान से थोड़ी कम है। अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार पूर्वानुमानित संवृद्धि को विशेषकर कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र में हुई संवृद्धि के कारण बनाए रखा गया।

भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि वर्ष 2011-12 के दौरान निवेश क्रियाकलाप में कमी आई और इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के लिए सकल स्थायी पूँजी निर्माण घटकर 29.3 प्रतिशत रह गया जो पिछले चार वर्ष के औसत की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत प्वाइंट की कमी दर्शाता है।



क्षेत्रीय विकास :

वर्ष 2011-12 में मूलतः चावल एवं गेहूँ के रिकार्ड उत्पादन का अनुमान होने और बागवानी एवं पशुपालन में संवृद्धि की काफी संभावना होने के कारण समग्र कृषि क्षेत्र सकल देशी उत्पाद में औसतन 3 प्रतिशत संवृद्धि होने का अनुमान है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार उत्पादन संवृद्धि में अक्टूबर में 5.7 प्रतिशत की कमी आई, जबकि नवंबर में (6.6 प्रतिशत की) अच्छी वसूली हुई, तथापि प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर में 1.8 प्रतिशत की कमी हुई। जनवरी, 2012 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संबंधी आंकड़ों के अनुसार उत्पादन में 1.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई (चीनी उत्पादन में 6.8 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज किए जाने में होनेवाली भूल के कारण संशोधित)। तथापि फरवरी, 2012 में फैक्टरी द्वारा उत्पादन में संवृद्धि के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ और उसमें 4.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2011-12 में पूँजीगत माल को छोड़कर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में वर्ष-दर वर्ष लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि दर होने का अनुमान है।

वर्ष 2011-12 में कोयला उत्पादन में कम संवृद्धि होने, लौह अयस्क उत्पादन पर प्रतिबंध लगाए जाने, प्राकृतिक गैस के उत्पादन में ह्रास होने और कच्चे तेल के उत्पादन में नकारात्मक संवृद्धि होने के कारण **खनन और उत्खनन** क्षेत्र में नकारात्मक संवृद्धि (अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार -2.2 प्रतिशत) होने की संभावना है।

I. MANAGEMENT DISCUSSIONS & ANALYSIS:

1. Economic Review 2011-12:

Economic growth throughout the world had seen a sagging phase during the year 2011-12. Indian economy is not an exception. Turmoil in global economy, Eurozone's financial crisis had made a direct impact on Indian economic growth. Real GDP grew just 6.1 per cent in the third quarter of the fiscal year 2011-12 against 6.9 per cent in the previous fiscal. The rate of growth in 2011-12 is estimated at 6.9 per cent, which is marginally lower than the RBI's projection of 7 per cent as per the Advance Estimates (AE).

The projection of growth as per Advance Estimates was maintained predominantly due to agriculture and construction.

An important feature in the Indian economy has been that the investment activity during the year 2011-12 has slowed down and as a result the Gross Fixed Capital Formation (GFCF) for 2011-12 has slipped to 29.3 per cent, a decline of almost 4 percentage points over the last four years' average.

Sectoral Developments:

Overall agriculture sector GDP growth for 2011-12 is expected to be 3 per cent on an average, riding high on record outputs for rice, wheat and a strong trend in growth in horticulture and animal husbandry.

IIP output growth showed a massive decline of 5.7 per cent in October, a sizeable recovery in November (6.6 per cent), with however a low reported growth in December of 1.8 per cent. In the month of January, 2012 IIP figures had registered output growth of 1.1 per cent (revised from 6.8 per cent due to error in recording sugar production). However, in the month of February, 2012 factory output growth had shown a significant improvement by recording 4.1 per cent growth. Leaving capital goods, the IIP Y-O-Y growth rate is estimated to be around 5 per cent in the year 2011-12.

Mining and quarrying sectors are likely to report negative growth (-2.2 per cent as per AE) for 2011-12 on account of weak coal output growth, restrictions imposed on iron ore production, decline in natural gas production and negative growth in crude oil output.

विद्युत क्षेत्र का निष्पादन बढ़िया रहा है। वर्ष 2011-12 में इसमें 8.3 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।

वर्ष 2011-12 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान **विनिर्माण एवं सन्निर्माण** क्षेत्र में मंदी रही है। इन दोनों क्षेत्रों में क्रमशः 3.9 प्रतिशत एवं 6.2 प्रतिशत की समग्र संवृद्धि दर होने की संभावना है। विनिर्माण उत्पाद में, जो औद्योगिक उत्पादन का लगभग 76 प्रतिशत है, पिछले महीने की 1.4 प्रतिशत वार्षिक संवृद्धि की तुलना में फरवरी में 4 प्रतिशत संवृद्धि हुई। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में फरवरी में 6.7 प्रतिशत की कमी हुई। उसी अवधि में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में 0.2 प्रतिशत की कमी हुई। पूँजीगत माल के उत्पादन में, जो निवेश का प्रतिनिधि है, छह महीने में पहली संवृद्धि दर्ज की गई और उसमें पिछले वर्ष की तुलना में 10.6 प्रतिशत की संवृद्धि हुई।

सेवा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 की प्रथम छमाही में 9.6 प्रतिशत की तेज संवृद्धि हुई और वर्ष 2011-12 में पूरे वर्ष 9.4 प्रतिशत की संवृद्धि होने की संभावना है।

Electricity sector has performed well. It is expected to grow at 8.3 per cent during 2011-12.

Manufacturing and construction have been sluggish during the first three quarters of 2011-12. The overall growth rate is expected to be 3.9 per cent and 6.2 per cent respectively. Manufacturing output, which constitutes about 76 per cent of industrial output, grew 4.0 per cent in February compared with an annual 1.4 per cent growth in the previous month. Production of consumer durable goods shrank 6.7 per cent in February from a year earlier. Consumer goods contracted 0.2 per cent during the same period. Capital goods production, a proxy for investment, recorded its first growth in six months expanding 10.6 per cent from a year earlier.

Services sector had experienced a strong growth of 9.6 per cent in the first half of the 2011-12 and is expected to grow at 9.4 per cent for the full year 2011-12.

विदेशी भुगतान :

वर्ष 2011-12 की पहली छमाही, चालू खाता घाटा (सीएडी) के लिए संकटकालीन दौर रहा और वह सकल देशी उत्पाद का औसतन 3.6 प्रतिशत (वार्षिक) रहा। वर्ष 2011-12 में 3.6 प्रतिशत चालू खाता घाटा रहने का अनुमान है। वाणिज्य वस्तुओं और सेवा के निर्यात में तेजी से कमी होने के कारण देश का चालू खाता घाटा अक्टूबर-दिसंबर में लगभग दोगुना हो गया और वह पिछले वर्ष के 10.1 बिलियन डॉलर से बढ़कर 19.6 बिलियन डॉलर हो गया, जबकि आयात में तेज गति से वृद्धि हुई।




अप्रैल-दिसंबर 2011 के दौरान अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये में 19 प्रतिशत की गिरावट आई। तथापि, जनवरी एवं फरवरी 2012 के दौरान स्थिति में कुछ सुधार आया और रुपये के मूल्य में लगभग 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2011-12 में अमरीकी डॉलर की तुलना में रुपये का सांकेतिक मूल्यहास लगभग 13 प्रतिशत था।

The decline of the rupee vis-à-vis the US dollar was 19 per cent in the course of April–December 2011. However, there has been some recovery in the course of January and February 2012, with the rupee recovering by about 7.5 per cent. In the year 2011-12 the nominal depreciation of rupee against the US dollar was by about 13 per cent.

राजकोषीय घाटा एवं आरक्षिती

वर्ष 2011-12 में सकल देशी उत्पाद का 5.9 प्रतिशत राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है जबकि वर्ष 2010-11 में यह 4.9 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा और अल्पावधि ऋण में वृद्धि राजकोषीय नीति की प्रमुख चुनौतियां थीं। विदेशी मुद्रा आरक्षितियां मार्च 11 के 304.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से घटकर मार्च 12 में 294.4 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गईं। दिसंबर 11 की स्थिति के अनुसार सकल देशी उत्पाद अनुपात की तुलना में विदेशी ऋण और कुल ऋण अनुपात की तुलना में अल्पावधि ऋण में भी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई और वे क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 23.3 प्रतिशत हो गईं।



Fiscal Deficit & Reserves:

Fiscal deficit in the year 2011-12 is expected to be 5.9 per cent of GDP while that in 2010-11 was 4.9 per cent. Rising fiscal deficit and short-term debt levels were the major challenges for the fiscal policies. Forex reserves had reduced from USD 304.8 bn in March, 11 to 294.4 bn in March, 12. As on Dec, 2011 External debt to GDP ratio and Short Term debt to total debt ratio had also increased over the previous financial year and stood at 20 per cent and 23.3 per cent, respectively.

वर्ष 2011-12 की पहली छमाही के दौरान 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति से न्यूनतम आय निर्धारित सीमा के भीतर रही। 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति से न्यूनतम आय मार्च 2011 के अंत की स्थिति के 8.0 प्रतिशत की तुलना में 13 अप्रैल, 2012 की स्थिति के अनुसार 8.6 प्रतिशत रही।

आयात-निर्यात :


भारत का निर्यात वर्ष 2011-12 में 300 बिलियन अमरीकी डॉलर से भी अधिक हुआ। परंपरागत बाजार से निर्यात की कम माँग होने और यूरोजोन संकट के बावजूद लातीन अमरीका एवं अफ्रीका के नए बाजारों में पोत द्वारा बाहर जानेवाले माल में वृद्धि हुई। उसी अवधि में मुख्यतः कच्चे तेल के अधिक मूल्य और सोने एवं चाँदी की अधिक माँग के कारण पिछले राजकोषीय वर्ष की तुलना में आयात में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 485 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया। अधिकतम आयात 150 बिलियन अमरीकी डॉलर के कच्चे तेल एवं 60 बिलियन अमरीकी डॉलर के सोने एवं चाँदी का किया गया। भारत संसार का सबसे बड़ा सोने का आयातक देश है। परिणामस्वरूप व्यापार घाटा वर्ष 2010-11 के 104.4 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में बढ़कर 185 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) :

वाणिज्य क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों का कुल प्रवाह पिछले वर्ष के ₹ 12.4 ट्रिलियन की तुलना में थोड़ा बढ़कर वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 12.07 ट्रिलियन ₹ हो गया जो कठोर नकदी निधि स्थिति और बैंकों से उच्चतर ब्याज दर पर उधार लिया जाना दर्शाता है। कारपोरेट क्षेत्र ने बैंक से इतर स्रोत, विशेषकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं वाणिज्य पत्र का सहारा लेकर अपने वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की।

मुद्रास्फीति :

थोक मूल्य सूचकांक से संबंधित मुद्रास्फीति में, जो करीब दो वर्ष तक 9 प्रतिशत से अधिक रहा, उल्लेखनीय कमी आई और वह मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 7 प्रतिशत से भी कम हो गई। खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद से संबंधित मुद्रास्फीति नवंबर, 2011 के 8.4 प्रतिशत से घटकर मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार 4.7 प्रतिशत रह गई और वस्तुतः दो वर्षों में पहली बार वह 5 प्रतिशत से भी कम हो गई। अधिकांश स्फीतिकारक दबाव प्रारंभ के महीनों में अनाज सहित मूल खाद्य वस्तुओं की माँग में बहुत बड़े अंतर से आया। शीर्ष



मुद्रास्फीति नवंबर, 2011 से कम होने लगी और इसमें सबसे अधिक कमी जनवरी, 2012 में आई। थोक मूल्य सूचकांक—आधारित मुद्रास्फीति जनवरी, 12 में दो-वर्ष में सबसे कम यानी 6.55 प्रतिशत होने के बाद फरवरी में 6.95 प्रतिशत हो गई। खाद्य वस्तुओं से संबंधित मुद्रास्फीति में, जो अप्रैल—दिसंबर 2011 के दौरान 8.1 प्रतिशत थी, जनवरी, 2012 में मौसमी खाद्य वस्तुओं, विशेषकर सब्जियों के मूल्य में कमी होने एवं उच्च आधार प्रभाव के कारण काफी कमी आई। तथापि, मुद्रास्फीति तेजी से बढ़कर फरवरी में 6.1 प्रतिशत और मार्च, 2012 में 9.9 प्रतिशत हो गई।

The 10-year benchmark government security yield remained range-bound during the first half of 2011-12. The 10-year benchmark yield was at 8.6 per cent on April 13, 2012 as compared with 8.0 per cent at end-March 2011.

Export – Import:

India's exports crossed USD 300 billion in 2011-12. Despite lower export demand from traditional markets and Eurozone crisis, outbound shipments grew in new markets of Latin America and Africa. During the same period imports had shot up by 38 per cent to USD 485 billion over the previous fiscal mainly due to high crude oil prices and huge demand for gold and silver. The maximum imports were of crude oil—USD 150 billion, while gold and silver contributed to USD 60 billion. India is world's largest gold importer. Consequently, the trade deficit is estimated to have widened to USD 185 billion from USD 104.4 billion in 2010-11.

Foreign Direct Investment (FDI):

Total flow of financial resources to the commercial sector was marginally higher at ₹ 12.7 trillion during 2011-12 as compared with ₹ 12.4 trillion during the previous year, mirroring tight liquidity conditions and higher cost of borrowings from banks, corporates increased their recourse to non-bank sources, especially foreign direct investment (FDI) and commercial paper.

Inflation:

WPI inflation which remained above 9 per cent for nearly two years has moderated significantly to below 7 per cent by March, 2012. Non-food manufactured products inflation has dropped from a high of 8.4 per cent in November, 2011 to 4.7 per cent in March, 2012, actually coming below 5 per cent for the first time in two years. Much of the inflationary pressure came from demand gap in primary foods, including cereals in the initial months. Headline inflation has shown decline since November,

2011 and more strongly in January, 2012. Wholesale price index-based inflation, was at 6.95 per cent in February after falling to a two-year low of 6.55 per cent in the month of January, 2012. Food articles inflation, which was 8.1 per cent during April-December, 2011, briefly turned negative in January, 2012 reflecting the seasonal decline in food prices, particularly of vegetables, combined with a high base effect. However, it increased sharply to 6.1 per cent in February and further to 9.9 per cent in March, 2012.

विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति सितंबर, 2010 के लगभग 5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर और अक्तूबर, 2011 में 8 प्रतिशत हो गई। वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत में मुद्रास्फीति में कुछ कमी आई और खाद्येतर विनिर्मित उत्पाद संबंधी वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति जनवरी एवं फरवरी, 2012 में क्रमशः 6.7 प्रतिशत एवं 5.7 प्रतिशत हो गई।

मौद्रिक नीति :

भा.रि.बैंक ने मार्च, 2010 से 13 बार प्रमुख नीति दरों में वृद्धि की है। मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन पुनर्खरीद दर, प्रति पुनर्खरीद दर एवं सीमांत स्थायी सुविधा दर क्रमशः 8.5 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत एवं 9.5 प्रतिशत थी। भा.रि.बैंक ने वर्ष 2011-12 में आरक्षित नकदी निधि अनुपात 50 आधार अंक (दिसंबर 2011) और 75 आधार अंक (जनवरी 2012) की दो किस्तों में 6 प्रतिशत से घटाकर

4.75 प्रतिशत कर दिया है। फरवरी, 2012 में बैंक दर को 6 प्रतिशत से परिवर्तित कर 9.5 प्रतिशत कर दिया है। वर्ष 2011-12 में सांविधिक चलनिधि अनुपात में भी 1 प्रतिशत की कमी (25 प्रतिशत से 24 प्रतिशत) की गई है।

बैंकिंग गतिविधियाँ :

जमाराशि में वृद्धि

भारतीय बैंकों की जमाराशि में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह बढ़कर वर्ष 2011-12 में 61.12 ट्रिलियन रुपये हो गया जो भा.रि.बैंक द्वारा अनुमानित 17 प्रतिशत से अधिक है जबकि वर्ष 2010-11 में जमाराशि में 16.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जमाराशि में वृद्धि का कारण पिछले दो वर्ष से अधिक समय तक रही उच्च मुद्रास्फीति दर में कमी होना था।

ऋण राशि में वृद्धि

अग्रिम में 19.3per cent की वृद्धि हुई और वह बढ़कर ₹ 47.05 ट्रिलियन रु हो गया जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए भा.रि.बैंक द्वारा अनुमानित 16 प्रतिशत से अधिक है और जिसे केन्द्रीय बैंक ने अप्रैल 2011 के अपने विवरण में घोषित जनवरी के लिए अपनी नीति की समीक्षा में अपने अग्रिम की वृद्धि के अनुमान को 18 प्रतिशत से कम करके किया था। खाद्येतर ऋण में वृद्धि वर्ष 2011-12 के प्रारंभ के 22.1 प्रतिशत से घटकर फरवरी, 2012 में 15.4 प्रतिशत रह गया जो आर्थिक क्रियाकलाप में कमी को दर्शाता है। तथापि यह बढ़कर मार्च में 16.8 प्रतिशत हो गया जो 16 प्रतिशत के निदर्शी अनुमान से अधिक है।

ऋण-जमा अनुपात

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का ऋण-जमा अनुपात मार्च, 2011 के 75.7 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 2012 में 76.97 प्रतिशत हो गया।


मुद्रा आपूर्ति (एम 3)

स्थूल मुद्रा आपूर्ति यानी एम 3 में मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार (वर्ष-दर-वर्ष) 13.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मार्च, 2011 के अंत की स्थिति के अनुसार 16.0 प्रतिशत की वृद्धि से काफी कम है। फिलहाल मुद्रा आपूर्ति में 250 आधार अंक की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित 15.5 प्रतिशत के पूर्वानुमान से कम है और जो वर्ष के अधिकांश भाग में प्राथमिक चलनिधि के मंहगे होने और ऋण की निम्नतर माँग को दर्शाता है।

Year-on-year inflation for manufactured goods rose from around 5 per cent in September, 2010 to 8 per cent during September and October, 2011. In the closing part of FY 2011-12 it had shown an indication of easing by recording non-food manufacturing products Y-O-Y inflation as 6.7per cent and 5.7per cent in Jan. and Feb., 2012, respectively.

Monetary Policy:

RBI has raised the key policy rates for 13 times since March, 2010. As on March, 2012 under the Liquidity Adjustment Facility the Repo, Reverse Repo and Marginal Standing Facility rates were 8.5per cent, 7.5per cent and 9.5per cent, respectively. RBI has reduced the CRR from 6per cent to 4.75per cent in the year 2011-12 in two instalments of 50 bps (Dec., 2011) and 75 bps (Jan., 2012). Bank Rate has been



changed from 6per cent to 9.5per cent in February, 2012. SLR also was slashed by 1 per cent (25per cent to 24per cent) during the year 2011-12.

Banking Developments :

Deposit Growth

Deposit growth at Indian banks stood at 17.4per cent to 61.12 trillion rupees in the year 2011-12, which is marginally higher than the RBI's projection of 17per cent, whereas, the deposit growth in the year 2010-11 was 16.58per cent. Reason behind the sign of improvement in growth of deposit was due to soothing of high inflation rate spread over the last two years.

Credit Growth

Advances grew by 19.3per cent to 47.05 trillion rupees, higher than the 16per cent projected by the RBI for the financial year 2011-12. The central bank had scaled down its advances growth projection in its January policy review from 18 per cent announced in its April, 2011 statement. Non-food credit growth decelerated from 22.1 per cent at the beginning of 2011-12 to 15.4 per cent by February, 2012 reflecting slower economic activity. However, it picked up to 16.8 per cent in March, higher than the indicative projection of 16 per cent.

Credit-Deposit Ratio

Credit deposit ratio (CD ratio) of Indian Banking sector has stood up to 76.97per cent in March., 2012 from 75.7per cent in March., 2011.

Money Supply (M3)


The Broad Money Supply, i.e., M3 grew by 13.0per cent (y-o-y) as on March, '12 – way below its growth of 16.0per cent at end-March, 2011. The money supply growth at present is 250 bps lower than its projected trajectory of 15.5per cent set for the year 2011-12, mirroring tightness in primary liquidity and lower credit demand during most part of the year.

चलनिधि की स्थिति

पूरे वर्ष 2011-12 में चलनिधि की स्थितियाँ घाटे के ढंग की रहीं। हालांकि नवंबर 2011 की शुरुआत में चलनिधि घाटा बैंकों की निवल मांग एवं मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के (+)/(-) एक प्रतिशत के पर्याप्त स्तर के परे हो गया। दैनिक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत बाहर से छोड़ी गई औसतन निवल चलनिधि की राशि अप्रैल-सितंबर, 2011 के दौरान लगभग 0.5 ट्रिलियन ₹ से बढ़कर फरवरी, 2012 के दौरान लगभग 1.4 ट्रिलियन ₹ हो गई और मार्च, 2012 के दौरान यह राशि आगे और बढ़कर 1.6 ट्रिलियन ₹ हो गई। यह अंशतः सरकारी नकदी शेष की सक्षम अवस्थिति को दर्शाता है। चलनिधि की कसावट को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने और अधिक स्थिर प्रकृति की प्राथमिक चलनिधि छोड़ने के लिए कदम उठाये। नवंबर, 2011 और मार्च, 2012 के मध्य उसने कुल लगभग 1.3 ट्रिलियन ₹ के खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) किये। इसके अलावा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 125 आधार अंक की कमी आई (50 आधार अंक 28 जनवरी, 2012 से प्रभावी एवं 75 आधार अंक 10 मार्च, 2012 से प्रभावी) जिसके फलस्वरूप छोड़ी गई प्राथमिक चलनिधि की राशि लगभग 0.8 ट्रिलियन ₹ हो गई। सरकारी नकदी शेष से युक्त होकर इन उपायों को लागू करने के फलस्वरूप एलएएफ के अंतर्गत छोड़ी गई निवल चलनिधि की राशि, जो 30 मार्च, 2012 को 2.0 ट्रिलियन ₹ तक पहुंच गई थी, 13 अप्रैल, 2012 को इसमें 0.7 ट्रिलियन ₹ की भारी कमी हुई।

2. आर्थिक दृष्टिकोण 2012-13:

वैश्विक सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) संवृद्धि का स्ख



स्रोत: आईएमएफ स्टाफ अनुमान
Source : IMF staff estimates.

विशेषज्ञ 2012-13 की आर्थिक परिस्थिति के बारे में सतर्क दृष्टिकोण अपनाते हुए भी आशावादी हैं। वैश्विक वसूली को यूरो क्षेत्र में बढ़ते तनावों और सर्वत्र फैली निःशक्तताओं से खतरा है। वित्तीय स्थितियाँ बिगड़ गई हैं, वृद्धि की संभावनाएं कम हो गई हैं, निम्नगामी जोखिम बढ़ गई हैं। वैश्विक उत्पादन भी धीमा हो गया है एवं वह 2012 में बढ़कर 3.25 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। उभरती और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि भी धीमी पड़ने की आशंका है क्योंकि बाहरी वातावरण बहुत खराब हो रहा है और आंतरिक मांग कम हो रही है। खासकर बैंकिंग क्षेत्र की हानियों और वित्तीय स्थिरता से जुड़ी चिंताओं ने अनेक यूरो क्षेत्रीय देशों के स्वायत्त स्प्रेड को विस्तृत कर दिया है, जिन्होंने वे ँझाड़ियाँ प्राप्त कीं जो आर्थिक एवं मौद्रिक यूनियन की स्थापना के समय से नहीं देखी गई। यूरो क्षेत्र में बैंक निधीयन हर तरह से गायब हो गया जिससे यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) को त्रिवर्षीय दीर्घकालीन पुनर्वित्त परिचालन (एलटीआरओ) का प्रस्ताव करने का अवसर मिला। मुद्रा बाजार अस्थिर रहे क्योंकि जापानी येन का मूल्य बढ़ा एवं अनेक उभरती हुई बाजार मुद्राओं में खासा अवमूल्यन हुआ।

Liquidity Condition

Liquidity conditions remained in a deficit mode throughout 2011-12. However, beginning November, 2011, the liquidity deficit went beyond the comfort level of (+)/(-) one per cent of net demand and time liabilities (NDTL) of banks. Average net injection of liquidity under the daily liquidity adjustment facility (LAF) increased from around ₹ 0.5 trillion during April-September, 2011 to around ₹ 1.4 trillion during February, 2012 and further to ₹ 1.6 trillion during March, 2012, partly reflecting a build-up in government cash balances. In order to mitigate the liquidity tightness, the Reserve Bank took steps to inject primary liquidity of a more durable nature. It conducted open market operations (OMOs) aggregating around ₹ 1.3 trillion between November 2011 and March 2012. Further, the cash reserve ratio (CRR) was reduced by 125 basis points (50 basis points effective January 28, 2012 and 75 basis points effective March 10, 2012), injecting primary liquidity of about ₹ 0.8 trillion. Reflecting these measures, combined with decline in government cash balances, the net injection of liquidity under the LAF, which peaked at ₹ 2.0 trillion on March 30, 2012, declined sharply to ₹ 0.7 trillion on April 13, 2012.

2. Economic Outlook 2012-13:

Trend of Global GDP Growth

Experts are cautiously optimistic regarding the economic outlook of 2012-13. The global recovery is threatened by intensifying strains in the euro area and fragilities elsewhere. Financial conditions have deteriorated, growth prospects have dimmed, and downside risks have escalated. Global output had also slowed down and is projected to expand by 3.25 per cent in 2012. Growth in emerging and developing economies is also apprehended to slow because of the worsening external environment and a weakening of internal demand. Specifically, concerns about banking sector losses and fiscal sustainability widened sovereign spreads for many euro area countries, which reached highs not seen since the launch of the Economic and Monetary Union. Bank funding all but dried up in the euro area, prompting the European Central Bank (ECB) to offer a three-year Long-Term Refinancing Operation (LTRO). Currency markets were volatile, as the Japanese yen appreciated and many emerging market currencies depreciated significantly. In FY 2012-13, growth in

वित्तीय वर्ष 2012-13 में उभरती और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं में औसतन 5.75 प्रतिशत की संवृद्धि की आशा है जो वर्ष 2010-11 के दौरान दर्ज 6.75 प्रतिशत की संवृद्धि एवं वर्ष 2011-12 हेतु अनुमानित 6.25 प्रतिशत की संवृद्धि से काफी धीमी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वर्ष 2012-13 में अर्थव्यवस्था लगभग 7.6 प्रतिशत संवृद्धि होने की संभावना है। वर्ष 2012-13 में सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) के 1.5 से 2.0 प्रतिशत अंक सुधार की उम्मीद की जा सकती है। कीमत स्थिरता भी उपभोग मांग को सामान्य करेगी। कमजोर मुद्रा के फलस्वरूप निर्यात मांग की संभाव्यता में सुधार आने की आशा है। तथापि निवेश एवं वित्तीय मोर्चा - दोनों ओर से एवं व्यापार क्षेत्र में काफी परिणाम उभर सकते हैं जिनकी तर्कसंगत उम्मीद भी की जा सकती है।

आधार-संरचना उपलब्धता की अपर्याप्तता देश भर में आर्थिक गतिविधि के विस्तार को अवरोध कर रही है। ऐसी संभावना है कि ऊर्जा व सड़क निर्माण में वर्ष 2011-12 हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकेंगे। यह आशा की जाती है कि सरकार प्रमुख बुनियादी क्षेत्रों तथा परिचालनात्मक कार्य-निष्पादन इन दोनों में क्षमता सृजन के लिए वर्ष 2012-13 में महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करेगी, विशेषतः कोयला क्षेत्र में – ताकि वर्ष 2012-13 में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सके।

मुद्रा स्फीतिक दबाव वर्ष 2012-13 में शिथिल बना रहेगा एवं यह वर्ष 2012-13 में 5-6 प्रतिशत के आसपास रहेगा। आशा है कि सरकार खाद्य पदार्थों की कीमतों पर कड़ी नजर रखेगी और न केवल उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए, बल्कि यदि अनिवार्य रूप में न होने पर भी, कम-से-कम समान रूप से, पर्याप्त खाद्य आवाजाही एवं रख-रखाव नेटवर्क का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु ऐसे सक्रिय कदम उठायेगी जो बढ़ती मांग और बागवानी एवं पशुपालन उत्पादों के उत्पादन के साथ न्याय कर सकें।

वर्ष 2012-13 हेतु चालू खाता घाटा (सीएडी) 3.0 प्रतिशत होगा। तथापि सरकार सीएडी को मध्यावधि की तुलना में सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) के 2.0 से 2.5 प्रतिशत के बीच रखने और वहीं तक सीमित रखने का प्रयास करेगी। पूँजीगत लेखे के पक्ष में यह आशा की जाती है कि पूँजी आगमन को, विशेषकर ईक्विटी के रूप में, प्रोत्साहित किया जाएगा और मूलभूत समष्टिगत आर्थिक स्थिरता, अर्थात् मूल्य, विनिमय दर एवं राजकोषीय शेष सहित निवेश एवं संवृद्धि के लिए देशी स्थितियों को सुधारा जाएगा।

II. 2011-12 बैंक का कार्य निष्पादन

3. यूको का नेटवर्क

पारंपरिक नेटवर्क

मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार हमारे 8 सर्कल कार्यालय, 36 अंचल एवं 2394 शाखाएं हैं जिनमें चार विदेशी शाखाएं, सिंगापुर एवं हॉंग-कॉंग में दो-दो, शामिल हैं। मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बैंक में तीन विस्तार पटल हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने मलेशिया एवं चीन स्थित अपने दो प्रतिनिधि कार्यालय बंद कर दिए हैं।

बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान 188 शाखाएं खोलकर अपने अखिल भारतीय नेटवर्क को मजबूत किया है, जिससे शाखाओं की कुल संख्या मार्च, 2011 की तुलना में 2202 से मार्च, 2012 में 2390 हो गई है। वर्ष 2011-12 के दौरान खोली गई शाखाओं में से 23 टियर-V एवं 20 टियर-VI केंद्रों में थे।

emerging and developing economies is expected to be 5.75 per cent on an average, a significant slowdown from the 6.75 per cent growth registered during 2010-11 and 6.25 per cent projected for the year 2011-12.

Indian Economy:

In the year 2012-13 the economy is likely to grow at around 7.6 per cent. An improvement of 1.5 to 2.0 percentage points of GDP can be envisioned in 2012-13. Price stability will also normalize consumption demand. The weaker currency is likely to improve the prospects for export demand. However, there is a fairly wide range of outcomes both on investment side, on the financial side and on the trade front that may be reasonably envisaged.

The inadequacy of infrastructure availability continues to act as a constraint for the expansion of economic activity across the country. It is likely that the targets set for 2011-12 in power and roads may be achieved. Government is expected to set ambitious targets for 2012-13 for both capacity creation in key infrastructure areas and operational performance, especially in the coal sector, so that a fillip is provided to the improvement of economic activity in 2012-13.

Inflationary pressure will continue to ease through 2012-13 and will remain around 5-6 per cent for the year 2012-13. It is expected that the Govt. will have a sharp vigil on food prices and take proactive measures not only to encourage output increase but equally, if not even more urgently, to ensure the rollout of an adequate food logistics network that can do justice to the rising demand for and output of horticulture and animal husbandry products.

The Current Account Deficit (CAD) for the year 2012-13 will be 3.0 per cent. Govt. will however, try and limit the CAD over the medium term to between 2.0 and 2.5 per cent of GDP. On the capital account side, capital inflows especially that in the form of equity is expected to be encouraged and improve domestic conditions for investment and growth, along with fundamental macroeconomic stability, i.e. prices, exchange rate and fiscal balances.

II. PERFORMANCE OF THE BANK 2011-12 :

3. UCO's NETWORK:

BRICK and MORTAR Network:

As of March, 2012 we have 8 Circle Offices, 36 Zones and 2394 branches, which include four overseas branches, two each in Singapore and Hong Kong. The Bank has three extension counters as of March, 2012. The Bank has closed its two Representative Offices, at Malaysia and China, during the year 2011-12.


The Bank has strengthened its pan-India network by opening 188 branches during the year 2011-12, which takes the total from 2202 in March, 2011 to 2390 in March, 2012. Out of the branches opened during the year 2011-12, 23 were in Tier-V and 20 in Tier-VI centres.

शाखाओं के कार्य-निष्पादन पर बेहतर एवं गहन निगरानी रखने के लिए बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान एक और अंचल, नामतः पुणे अंचल जोड़ा जिससे बैंक के अंचलों की कुल संख्या मार्च, 2011 की तुलना में 35 से मार्च, 2012 में 36 हो गई। इसके अलावा वर्ष 2011-12 के दौरान एक और महत्वपूर्ण गतिविधि यह थी कि गोआ स्थित आठ शाखाओं को बेंगलुरु अंचल से मुंबई अंचल में स्थानांतरित किया गया।

देशी शाखाओं का जनसंख्या श्रेणीवार वर्गीकरण नीचे दिया गया है:

विशेषीकृत शाखाएं :

विशेषीकृत दक्षता के साथ विशेषीकृत या विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक की विशेषीकृत शाखाओं का अच्छा नेटवर्क है। बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान 1 एफसी शाखाओं का सामान्य शाखाओं के साथ विलय करके या उन्हें सामान्य शाखाओं में परिवर्तित करके मार्च, 2011



Specialized Branches:

The Bank has a good network of specialized branches catering to the specialized or specific requirements with specialized skills. The Bank had consolidated Flagship Corporate branches from 9 in March, 2011 to 8 in March, 2012 through merger of 1 FC branch with general branch or conversion to general branch

में 9 फ्लैगशिप कॉर्पोरेट शाखाओं का समेकन कर मार्च, 2012 में उन्हें 8 पर ला दिया था। इसी प्रकार वर्ष 2011-12 के दौरान 10 एमसी शाखाओं के सामान्य शाखाओं के साथ विलय या उनके सामान्य शाखाओं में परिवर्तन से वे भी मार्च, 2011 में 26 से घटकर मार्च, 2012 में 16 हो गई थीं। वर्ष 2011-12 के दौरान भुवनेश्वर, भोपाल, चंडीगढ़, लखनऊ एवं पटना में पांच नई आपूर्ति प्रबंधन शाखाएं खोली गईं जिससे उनकी संख्या मार्च, 2011 में 5 से मार्च, 2012 में 10 हो गई। सेवा शाखाओं की संख्या मार्च, 2011 में 20 से बढ़कर मार्च, 2012 में 22 हो गई। बैंक ने कासा को बढ़ावा देने हेतु 287 वैयक्तिक बैंकिंग शाखाओं में से वर्ष 2011-12 के दौरान 70 वैयक्तिक बैंकिंग शाखाओं को नामित किया है। मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार एक एकीकृत ट्रेजरी प्रबंधन शाखा मुंबई में है।

बैंक ने अपने रिटेल व्यवसाय को सशक्त करने के लिए गंभीर प्रयत्न कर वर्ष 2011-12 के दौरान 13 नए रिटेल लोन हब (आरएलएच) खोले जिससे उनकी कुल संख्या मार्च, 2011 में 26 से बढ़कर मार्च, 2012 में 39 हो गई। इसके अलावा बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान 12 एसएमएच स्थापित किए हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान चार नए सिटी बैंक ऑफिस खोले गए जिससे सीबीओ की कुल संख्या 31.03.2012 में 76 हो गई और जो 867 शाखाओं को कवर करते हैं। इन्हें और अधिक सशक्त बनाने के प्रयास जारी हैं ताकि ये सभी शाखाओं को कवर कर सकें। बैंक रहित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को विस्तृत करने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान 62 अति-लघु शाखाएं प्रारंभ की गई हैं।

वैकल्पिक डिलिवरी चैनल

वैकल्पिक डिलिवरी चैनल अर्थात् एटीएम नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क के विस्तार के मामले में वर्ष 2011-12 के दौरान खोले गए एटीएम की संख्या 256 थी जिसके फलस्वरूप 31 मार्च, 2012 को इसकी कुल संख्या 864 हो गई जिसमें से 551 एटीएम ऑनसाइट एवं 313 ऑफसाइट हैं। बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान ओपेक्स मॉडल एटीएम की शुद्धता की है। एटीएम की कुल संख्या में से 773 केपेक्स मॉडल के एवं शेष 91 ओपेक्स मॉडल के हैं। 165 नए केपेक्स मॉडल एटीएम एवं सारे 91 ओपेक्स मॉडल एटीएम वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान खोले गए थे। बैंक ने निरक्षर एवं शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए दो बायोमेट्रिक एटीएम (मुर्शिदाबाद एवं मुजफ्फराबाद में) स्थापित किए हैं, जिससे सभी बायोमेट्रिक कार्डधारक एटीएम से लेन-देन कर सकेंगे।

To have a better and focussed monitoring over the performance of the branches the Bank had added one more zone, namely PUNE zone, in the year 2011-12 which takes the total number of Zones of the Bank from 35 in March, 2011 to 36 in March, 2012. Apart from this, another major development during the year 2011-12 was the transfer of eight branches in Goa, from Bangalore Zone to Mumbai Zone.

The Population category-wise classification of domestic branches is given below:

during the year 2011-12, Similarly Mid Corporate branches also got reduced from 26 in March, 2011 to 16 in March, 2012 by merger of 10 MC branches with general branches or conversion to general branches during the year 2011-12, Five new Asset Management Branches were opened, at Bhubaneswar, Bhopal, Chandigarh, Lucknow and Patna, during the year 2011-12 to take the number from 5 in March, 2011 to 10 in March, 2012. Number of Service Branches increased from 20 in March, 2011 to 22 in March, 2012. The Bank has designated 70 Personalised Banking Branches during the year 2011-12, which increases the total number of Personalised Banking Branches from 217 in March, 2011 to 287 in March, 2012, to boost CASA. As of March, 2012 there is one Integrated Treasury Management Branch at Mumbai.

The Bank had put serious efforts to strengthen its retail business by opening 13 new Retail Loan Hubs (RLHs) during the year 2011-12 to increase the total number of RLHs from 26 in March, 2011 to 39 in March, 2012. Further the Bank has launched 12 SME Hubs during the year 2011-12. Four new City Back Offices were opened during the year 2011-12, which takes the total number of CBOs to 76 as of 31.03.2012 and covers 867 branches. Efforts are on to strengthen them further to cover all the branches. There had been 62 ultra-small branches launched, to enhance financial inclusion in the unbanked regions, during the year 2011-12.

Alternative Delivery Channels:

In terms of expansion of network through alternative delivery channels i.e. through ATM network, the number of ATMs opened during the year 2011-12 was 256, thereby reaching a total of 864 as of 31st March, 2012, out of which 551 are on-site and 313 are off-site ATMs. The Bank has introduced OPEX model ATMs during the year 2011-12. Among the total number of ATMs, 773 are of CAPEX model and rest 91 are of OPEX model. 165 new CAPEX model ATMs and the entire 91 OPEX model ATMs were opened during the financial year 2011-12. The Bank has launched two Biometric ATMs (Murshidabad & Muzaffarabad), for illiterate and physically challenged persons, where all Biometric Card Holders will be able to perform ATM transactions.

उत्पाद PRODUCT	स्थिति/AS ON 31.03.2011	स्थिति/AS ON 31.03.2012	संवृद्धि/GROWTH (वित्तीय वर्ष में/In FY 11-12)
एटीएम की संख्या / No of ATMs	608	864	256
यूको वीज़ा डेबिट कार्ड / UCO VISA Debit Cards	13.31 लाख/lac	18.93 लाख/lac	5.62 लाख/lac
जारी कार्ड / माह / Cards issued / month	42148	50819	8671
ई-बैंकिंग प्रयोगकर्ता / e-Banking Users	76,561	1,30,497	53,936

बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान मोबाइल बैंकिंग की शुद्धता करके प्रौद्योगिकी उन्नयन की ओर कदम बढ़ाया था। यूको एम बैंकिंग अब डब्ल्यूएपी समर्थ है। मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार **मोबाइल बैंकिंग** उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या 15644 है। वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए **डेबिट कार्ड** की संख्या 5.62 लाख थी जिससे कुल कार्ड संख्या 13.31 लाख से 18.93 लाख हो गई है। ई-बैंकिंग उपयोगकर्ता पिछले वर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत से अधिक बढ़े हैं जिसके फलस्वरूप कुल **ई-बैंकिंग** उपयोगकर्ताओं की संख्या मार्च, 2011 की तुलना में 76,561 से मार्च, 2012 में 1,30,497 हो गई है।

4. कारोबार रूपरेखा:

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने सभी व्यावसायिक मानादंडों में सम्मानजनक वृद्धि प्रदर्शित की है। अग्रिम के आँकड़ों में एक स्थायी ऊर्ध्वमुखी वृद्धि देखी गई जिसमें वैश्विक अग्रिम वर्ष 2011-12 के दौरान 16.85 प्रतिशत से बढ़कर मार्च, 2012 में 117504 करोड़ ₹ के स्तर तक पहुंच गए जो मार्च, 2011 में 100561 करोड़ ₹ थे। वैश्विक जमाओं में भी 6.01 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि देखी गई जिससे वे मार्च, 2012 में 154003 करोड़ ₹ के स्तर तक पहुंच गई जो मार्च, 2011 में 145278 करोड़ ₹ की थीं। वैश्विक व्यवसाय 10.44 प्रतिशत की सम्मानजनक संवृद्धि हासिल करते हुए मार्च, 2011 को 245839 करोड़ ₹ की तुलना में मार्च, 2012 में 271507 करोड़ ₹ हो गया।

The Bank had taken a step forward towards technological upgradation by launching **Mobile banking** during the year 2011-12. UCO m-Banking is now WAP enabled. As of March, 12 the total number of mobile banking users is 15644. Number of **Debit Card** issued during the year 2011-12 was 5.62 lac which takes the total card number from 13.31 lac to 18.93 lac. **E-banking** users has increased by more than 70 per cent over the previous year that takes the total e-banking users from 76,561 in March, 2011 to 1,30,497 in March, 2012.

4. BUSINESS PROFILE:

During the year 2011-12, the Bank showed a respectable growth in all the business parameters. Advances figures had shown a steady upward growth with global advances growing by 16.85 per cent during the year 2011-12 to reach the level of ₹ 117504 crore as of March, 2012 from ₹ 100561 crore as of March, 2011. Global deposit had also shown a positive growth of 6.01 per cent to reach the level of ₹ 154003 crore as of March, 2012 from ₹ 145278 crore as of March, 2011. Global business had registered the volume of ₹ 271507 crore as of March, 2012 from ₹ 245839 crore as of March, 2011 by securing a respectable growth of 10.44 per cent.

क्र.सं. SL NO.	विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष/FY 11 (₹ करोड़ में)/(In ₹ Cr)	वित्तीय वर्ष/FY 12	वृद्धि/GROWTH समग्र/Absolute (PER CENT)	
III	वैश्विक/GLOBAL				
(i)	जमा राशि/Deposits	145278	154003	8725	6.01
(ii)	अग्रिम/Advances	100561	117504	16943	16.85
(iii)	कुल व्यवसाय/Total Business	245839	271507	25668	10.44

घरेलू अग्रिमों के मामले में भी बैंक ने 15.65 प्रतिशत की स्थायी वृद्धि दर्शाई जिससे वे मार्च, 2012 में 107840 करोड़ ₹ के स्तर तक पहुंच गए। घरेलू जमा राशि 4.11 प्रतिशत बढ़ी और वह मार्च, 2012 में 142017 करोड़ ₹ के स्तर तक पहुंच गई। घरेलू व्यवसाय में भी 8.79 प्रतिशत की सम्मानजनक वृद्धि दर्ज की गई और वे मार्च, 2012 में 249857 करोड़ ₹ के स्तर पर पहुंच गए।

In case of domestic advances also bank had shown a steady growth of 15.65 per cent to reach the level of ₹ 107840 crore by March, 2012. Domestic deposit grew by 4.11 per cent and reached the level of ₹ 142017 crore by March, 2012. Domestic business also registered a respectable growth of 8.79 per cent to reach the level of ₹ 249857 crore as of March, 2012.

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष/FY 11	वित्तीय वर्ष/FY 12	वृद्धि/GROWTH	
SL NO.	Particulars	(₹ करोड़ में)/(In ₹ Cr)		समग्र/Absolute(PER CENT)	
I	वैश्विक/DOMESTIC				
(i)	जमा राशि/Deposits	136415	142017	5602	4.11
(ii)	अग्रिम/Advances	93246	107840	14594	15.65
(iii)	कुल व्यवसाय/Total Business	229661	249857	20196	8.79

वर्ष 2011-2012 के दौरान बैंक के विदेश स्थित केन्द्रों का कार्य-निष्पादन काफी अच्छा रहा। इन केन्द्रों में जमा राशि और अग्रिम में क्रमशः 35.24 प्रतिशत और 32.11 प्रतिशत की संवृद्धि हुई और इनकी राशि क्रमशः ₹11986 करोड़ और ₹ 9664 करोड़ रु हो गई। विदेशी कारोबार में अधिक वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई और इसकी राशि ₹ 21650 करोड़ के स्तर तक पहुंच गई और वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान इसमें 33.82 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई।

During the year 2011-12, the overseas centres of the Bank performed exceedingly well, with growth in deposits and advances at 35.24 per cent and 32.11 per cent, respectively to reach the level of ₹ 11986 crore and ₹ 9664 crore, respectively. Overseas business had shown a sharp upward trend to reach the level of ₹ 21650 crore and recorded a 33.82 per cent growth during the financial year 2011-12.

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष/FY 11	वित्तीय वर्ष/FY 12	संवृद्धि/GROWTH	
SL NO.	Particulars	(₹ करोड़ में)/(In ₹ Cr)		समग्र/Absolute (PER CENT)	
II	विदेशी / OVERSEAS				
(i)	जमा राशि / Deposits	8863	11986	3123	35.24
(ii)	अग्रिम / Advances	7315	9664	2349	32.11
(iii)	कुल व्यवसाय / Total Business	16178	21650	5472	33.82

मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बैंक का प्रति शाखा देशी कारोबार ₹ 105 करोड़ हो गया है। वर्ष 2011-12 में प्रति शाखा देशी जमा राशि ₹ 59 करोड़ हो गई है। वर्ष 2011-12 के दौरान प्रति शाखा अग्रिमों की राशि ₹ 42 करोड़ से बढ़कर ₹ 45 करोड़ हो गई।

Per branch domestic business of the Bank has reached ₹ 105 crore as of March, 2012. Per branch domestic deposits has reached ₹ 59 crore in the year 2011-12. Per branch advances figure has improved from ₹ 42 crore to ₹ 45 crore during the year 2011-12.

5. लाभप्रदता:

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने निवल लाभ में अधिक संवृद्धि दर्शाई है जो मार्च, 11 के ₹ 907 करोड़ की तुलना में बढ़कर मार्च 2012 को ₹ 1109 करोड़ हो गया। इस प्रकार इसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 22.27 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई। बैंक के इतिहास में वर्ष 2011-12 का निवल लाभ सर्वाधिक रहा। यह सम्मानजनक कार्य-निष्पादन मूलतः मार्च, 11 के ₹ 11371 करोड़ की तुलना में मार्च, 12 के ₹ 14632 करोड़ की ब्याज आय में वृद्धि होने के कारण हुआ और इसके तहत 28.68 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि दर्ज की गई। बैंक का परिचालन लाभ मार्च, 11 के ₹ 2695 करोड़ की तुलना में बढ़कर मार्च, 12 में ₹ 2811 करोड़ गया और इस प्रकार इसमें वर्ष-दर-वर्ष 4.30 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई। परिचालन लाभ की घटती हुई वर्ष-दर-वर्ष संवृद्धि मूलतः वित्तीय वर्ष 11-12 के दौरान प्रदत्त ब्याज में 42.57 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।









5. PROFITABILITY:



During the year 2011-12, the Bank had shown a higher growth in net profit, which increased from ₹ 907 crore in March, 2011 to ₹ 1109 crore in March, 2012 by recording a growth of 22.27 per cent over the previous financial year. The net profit in the year 2011-12 was highest in the history of the Bank. The reason behind the respectable performance was basically the increase in interest income from ₹ 11371 crore in March, 2011 to ₹ 14632 crore in March, 2012 by recording a Y-O-Y growth of 28.68 per cent. Operating profit of the Bank had increased from ₹ 2695 crore in March, 2011 to ₹ 2811 crore in March, 2012, thereby registering a y-o-y growth of 4.30 per cent. The declining Y-O-Y growth figure of operating profit was predominantly due to 42.57 per cent increase in interest paid during FY 11-12.

महत्वपूर्ण अनुपात / Important Ratios:

क्रम. सं./Sr.	अनुपात / Ratios	मार्च/Mar'2011	मार्च/March, 2012
1	आस्तियों पर प्रतिलाभ / Return on Assets (per cent)	0.66	0.69
2	आय अनुपात की तुलना में लागत / Cost to Income Ratio (per cent)	43.51	42.24
3	प्रति शेयर बही-मूल्य / Book Value per Share (₹)	83.16	94.72
4	प्रति शेयर अर्जन / Earnings per Share (₹)	14.29	15.02
5	निवल ब्याज मार्जिन / Net Interest Margin (per cent)	3.07	2.77

कार्य-निष्पादक संकेतक / Performance Indicators:





6. परिचालनगत कार्य-निष्पादन

6.1 निवेश

बैंक के सकल निवेश में 7 प्रतिशत की संवृद्धि हुई और यह मार्च, 2011 के ₹ 43124 करोड़ से मार्च, 2012 में ₹ 46185 करोड़ हो गया। बैंक के देशी निवेश (सकल) में वर्ष 2011-12 के दौरान 8.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह दिनांक 31.03.2011 के ₹ 41388 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2012 को ₹ 45038 करोड़ हो गया। सांविधिक चल निधि अनुपात (एसएलआर) निवेश (देशी) में वर्ष 2011-12 के दौरान 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसमें मार्च, 11 के ₹ 34963 करोड़ की तुलना में मार्च, 12 को ₹ 40102 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई। गैर-सांविधिक चल निधि अनुपात (नॉन एस एल आर) निवेश (देशी) में कमी हुई और वह मार्च, 11 के ₹ 6425 करोड़ की तुलना में मार्च, 12 को घटकर ₹ 4936 करोड़ हो गया। कुल आय के क्षेत्र में भी पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 15.43 प्रतिशत की यथोचित संवृद्धि हुई और वह मार्च, 11 के ₹ 3009 करोड़ की तुलना में मार्च, 12 को ₹ 3474 करोड़ हो गई। निवेश की बिक्री से निवल लाभ में 115 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि (दुगने से भी ज्यादा) दिखाई पड़ी और वह मार्च, 11 के ₹ 89 करोड़ की तुलना में मार्च, 12 को ₹ 191 करोड़ हो गई।

6.2 रिटेल एवं कासा

बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान अपने रिटेल संविभाग को मजबूत करने पर काफी जोर दिया। बैंक के देयता संविभाग को सुधारने हेतु पूरे देश में कासा और टोटल फ्रीडम के कई अभियान, विभिन्न जमा योजनाओं की शुरुआत, “यूको सुविधा” वेतन खाता प्रवर्तित करने जैसी कई पहलें की गईं। जमा राशि की मात्रा को बढ़ाने के लिए आवर्ती योजना “यूको सौभाग्य”, मीयादी जमा योजना “यूको वसंत बोनैन्जा” जैसी आकर्षक जमा योजनाएं वर्ष 2011-12 के उत्तरवर्ती भाग में प्रारंभ की गईं।

बैंक के आस्ति संविभाग तथा रिटेल ऋण आवेदनों के प्रसंस्करण में विलंब की अवधि को कम कर रिटेल ग्राहकों को ऋण उपलब्ध करने की प्रक्रिया में सुधार लाने तथा इसके साथ-साथ ग्राहकों की सेवा बेहतर तरीके से करने के लिए भी बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान कई प्रकार की पहलें कीं। बैंक ने वर्ष 2011-12 में 13 नये रिटेल ऋण हब खोले जिससे रिटेल ऋण हब की कुल संख्या मार्च, 11 के 26 की तुलना में मार्च, 12 को 39 हो गई। रिटेल ग्राहकों के लिए कई विद्यमान योजनाओं, यथा यूको होम लोन, यूको ट्रेडर, यूको एडुकेशन, यूको पेंशन आदि में संशोधन किया गया है ताकि वे बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बनी रहें तथा वे हमारे विशिष्ट ग्राहकों के लिए उपयुक्त हो सकें। गोल्ड लोन योजना में थोड़ा परिवर्तन किया गया है तथा सभी शाखाओं में प्राथमिकताप्राप्त एवं गैर-प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत रिटेल आस्ति उत्पादों को वित्तपोषित करने हेतु एक नई यूको गोल्ड लोन योजना दिनांक 31 जनवरी, 2012 को शुरू की गई। यूको एडुकेशन ऋण के लिए विद्यमान सुविधा के अतिरिक्त यूको होम और कार ऋणों के लिए 11 अगस्त, 2011 से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारंभ की गई है।

6. OPERATIONAL PERFORMANCE:

6.1. Investment:

Gross investment of the Bank has increased from ₹ 43124 crore in March, 2011 to ₹ 46185 crore in March, 2012 by registering a growth of 7 per cent in the year 2011-12. The Domestic investments (gross) of the Bank during the year 2011-12 grew by 8.82 per cent from ₹ 41388 crore as of 31.03.2011 to ₹ 45038 crore as of 31.03.2012. SLR investment (domestic) increased by 15 per cent during the year 2011-12 by registering the level of ₹ 40102 crore in March, 2012 from ₹ 34963 crore in March, 2011. Non-SLR investment (domestic) declined by 23 per cent from ₹ 6425 crore in March, 2011 to ₹ 4936 crore in March, 2012. Total income has also registered a reasonably good growth of 15.43 per cent over the previous financial year to reach the level of ₹ 3474 crore in March, 2012 from ₹ 3009 crore in March, 2011. Net profit on sale of investment (domestic) had shown a significant increase of (more than doubled) 115 per cent by recording a level of ₹ 191 crore in March, 2012 from ₹ 89 crore in March, 2011.

6.2. Retail and CASA:

The Bank put considerable emphasis on strengthening its retail portfolio during the year 2011-12. There had been several initiatives to improve bank's liability portfolio like several CASA and Total Freedom campaigns throughout the country, launch of different deposit schemes, promoting salary account “UCO Suvridha”, etc. Attractive deposit schemes like RD scheme “UCO Sowbhagya”, TD scheme “UCO Vasanth Bonanza” were launched at the later part of 2011-12 to boost the deposit volumes.

In order to improve the asset portfolio of the Bank and improve credit delivery to the retail customers by cutting down delays in processing of Retail Loan Applications as also to serve customer in a better manner, the bank had taken several initiatives during the year 2011-12. The Bank had opened 13 new Retail Loan Hubs in the year 2011-12, which takes the total number of RLHs to 39 as of March, 2012 from 26 as of March, 2011. Several existing schemes meant for retail customers namely, UCO Home Loan, UCO Trader, UCO Education, UCO Pension, etc., had been modified to remain competitive in the market as well as to suit niche clientele. Gold Loan scheme had been modified and new UCO Gold Loan Scheme had been launched for financing Retail Asset Products on 31st January, 2012 under both Priority and Non-Priority Sectors at all branches. Online application facility launched since 11th August, 2011 for UCO Home and Car Loans in addition to existing facility for UCO Education Loan.

बैंकाश्युरेंस

प्रणालीबद्ध निवेश योजना (एसआईपी) प्रक्रिया के माध्यम से शाखाओं द्वारा म्यूचुअल फंड निवेश की मार्केटिंग की सुविधा देने के लिए 16 जनवरी, 2012 को हमारे एग्रीगेटर के स्म में बिल डेस्क के साथ गठजोड़ करके 16 जनवरी, 2012 को ऑटो डेट सुविधा शुरू की गई है।

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने शुल्क-आधारित आय को बढ़ाने के लिए एकल प्रीमियम उत्पादों के अलावा अधिकाधिक पारंपरिक उत्पादों के विपणन पर बल दिया।

6.3 मिड कारपोरेट :

बैंक ने एसएमई अग्रिमों पर विशेष ध्यान दिया है तथा तदनुसार एसएमई केंद्रित क्षेत्रों में पूरी तरह सक्रिय रूप से कार्यरत एक चैनल; एसएमई ऋण हब प्रारंभ किए गए। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने मिड कारपोरेट पर्यवेक्षण के अंतर्गत अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और रायपुर में 12 एसएमई ऋण हब खोले। ये ऋण प्रसंस्करण हब ₹ 25 लाख से ₹ 25 करोड़ के रेंज में आनेवाले प्रस्तावों पर कार्रवाई करते हैं। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार नवीकरण एवं वृद्धि को शामिल करते हुए एसएमई हब द्वारा ₹ 1512 करोड़ के कुल ऋण संस्वीकृत किए गए।

6.4 कृषि एवं ग्रामीण व्यवसाय :

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों की राशि ₹ 28301 करोड़ रही जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 33.56 प्रतिशत है।

कृषि अग्रिम

बैंक का कुल कृषि अग्रिम ₹ 9653 करोड़ रहा जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 11.45 प्रतिशत होता है। प्रत्यक्ष कृषि ऋण ₹ 7632 करोड़ रहा जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 9.05 प्रतिशत तथा परोक्ष कृषि ऋण ₹ 2021 करोड़ रहा जो समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 2.40 प्रतिशत होता है।

कमजोर वर्गों को अग्रिम

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कमजोर वर्गों को ₹ 7861 करोड़ का अग्रिम दिया गया जो समायोजित निवल बैंक ऋण का 9.32 प्रतिशत है।

मझोले, लघु एवं सूक्ष्म उद्यम (एमएसएमई) तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई)

इन क्षेत्रों में बैंक की संवृद्धि असाधारण रही और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में एमएसएमई एवं सूक्ष्म व लघु उद्यम (एमएसई) के अंतर्गत अग्रिम क्रमशः ₹ 17860 करोड़ एवं ₹ 13437 करोड़ रहे जिनकी संवृद्धि दर क्रमशः 20.76 प्रतिशत तथा 12.22 प्रतिशत रही।

अल्पसंख्यक समुदाय को अग्रिम

अल्पसंख्यक समुदायों को बैंक का कुल अग्रिम ₹ 4113 करोड़ रहा जो एएनबीसी का 4.88 प्रतिशत है।

अन्य गतिविधियां

बैंक ने कृषि व्यवसाय संबंधी अग्रिमों को बढ़ाने के लिए पूरे देश में कई ऋण शिविर आयोजित किए। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने वाणिज्यिक

Bancassurance:

In order to facilitate marketing of Mutual Fund Investments by the Branches through the Systematic Investment Plan (SIP) route, auto debit facility has been introduced on 16th January, 2012 in tie up with Bill Desk as our Aggregator.

The Bank during the year 2011-12, focussed on marketing more traditional products rather than the single premium products to increase the fee based income.

6.3. Mid Corporate:

The Bank had given special attention to SME advances and accordingly a dedicated channel; SME Loan Hubs were launched at SME concentrated areas. During FY 2011-12, the Bank had opened 12 SME Loan Hubs at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Mumbai, Nagpur, New Delhi and Raipur, under Mid Corporate supervision. These loan processing Hubs take up proposals in the range of ₹ 25 lac to ₹ 25 crore. Total loan sanctioned by the SME Hubs were ₹ 1512 crore including renewal and enhancement as on 31.03.2012.

6.4. Agriculture & Rural business:

Priority Sector Lending

During the year 2011-12, the priority sector advances of the Bank stood at ₹ 28301 crore constituting thereby 33.56 per cent of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

Agricultural Advances

The total agricultural advances of the Bank stood at ₹ 9653 crore constituting 11.45 per cent of ANBC. Direct agricultural credit stood at ₹ 7632 crore constituting 9.05 per cent of ANBC and Indirect agriculture credit stood at ₹ 2021 crore constituting 2.40 per cent of ANBC.

Advances to Weaker Sections

Advances to Weaker Sections stood at ₹ 7861 crore as of 31st March, 2012, with percentage to ANBC being 9.32.

Medium, Small & Micro Enterprises (MSME) and Micro & Small Enterprises (MSE)

The Bank had recorded a phenomenal growth in these sections with advances under MSME and Micro & Small Enterprises (MSE) standing at ₹ 17860 crore and ₹ 13437 crore, respectively with growth rates of 20.76 per cent and 12.22 per cent, respectively over the previous financial year.

Minority Community Advances

Total Minority Community advances of the Bank stood at ₹ 4113 crore constituting 4.88 per cent of ANBC.

Other Developments

The Bank had organized several credit camps throughout the country to boost advances related to agriculture business. During

वाहनों पर उधार देने तथा भंडारण रसीदों के एवज में किसानों को वित्तपोषित करने हेतु अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो लि., नेशनल कोलेटरल मैनेजमेंट सर्विसेज लि. जैसी विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बैंक ने पीएमईजीपी (प्रधान मंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रम), एसजीएसवाई (स्वर्ण-जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना), एसजेएसआरवाई (स्वर्ण-जयंती शहरी रोजगार योजना), पीएमआरवाई (प्रधानमंत्री रोजगार योजना), एसएचजी (स्वयं सहायता समूह), जेएलसी (संयुक्त देयता समूह) जैसी सरकार-प्रायोजित योजनाओं पर गंभीरतापूर्वक बल दिया। स्वर्ण ऋण योजना को भी संशोधित किया गया और उसे इस प्रकार प्रारंभ किया गया जिससे वह प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र तथा कृषि व्यवसाय के अंतर्गत वित्तपोषण की गति तेज करने की दृष्टि से प्रतिस्पर्धात्मक बन सके। चीनी कंपनियों के साथ गठजोड़ व्यवस्था के माध्यम से किसानों को ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

6.5 वित्तीय समावेशन :

भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निदेश के अनुपालनार्थ बैंक ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत परियोजना का कार्यान्वयन आरंभ किया है। बैंक ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए 3 तरफा दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें (i) पारंपरिक शाखाएं, (ii) चलायमान यूको बैंक (मोबाइल बैंक) तथा (iii) आईसीटी आधारित वित्तीय समावेशन को प्रयुक्त कर व्यवसायी संपर्की (वीसी) मॉडल शामिल हैं।

बैंक ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में दुर्लभ कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि प्रत्येक 2000 से अधिक जनसंख्यावाले 1703 बैंक-रहित गांवों को बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाया जाए। बैंक ने निर्धारित समय के भीतर ऐसे सभी गांवों को बैंकिंग सुविधा के दायरे में ले लिया। इसके अतिरिक्त, बैंक 1000-2000 जनसंख्यावाले सभी 107 गांवों को भी बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाया है। इस प्रकार बैंक 1810 गांवों को बैंकिंग सुविधा के दायरे में लाया तथा इन गांवों में सीमित सुविधावाले 639149 खाते खोले गए हैं।

बैंक के पास 24 “चलायमान यूको बैंक” हैं जो 18 अंचलों में काम कर रहे हैं। आईसीटी आधारित बीसी मॉडल के अंतर्गत ग्राहकों को 47984 स्मार्ट कार्ड जारी किए गए। वित्तीय समावेशन के संबंध में सरकार के नवीनतम दिशानिर्देश के अनुपालनार्थ वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में कारोबार बढ़ाने के लिए बैंक ने 11 अंचलों के बैंक-रहित गांवों में 62 अति लघु शाखाएं (यूको मित्र शाखा) खोलीं।

6.6 वसूली :

वित्तीय वर्ष 2011-12 को “वसूली वर्ष” के रूप में घोषित किया गया था और पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान वसूली/अनर्जक आस्ति खातों के कोटि-उन्नयन में काफी सुधार हुआ।

the year 2011-12 the Bank had entered into MOU with different organizations like Ashok Leyland, Bajaj Auto Ltd., National Collateral Management Services Ltd., etc. to lend commercial vehicles and finance farmers against their Storage receipts. The Bank had put serious emphasis on Govt. sponsored schemes like PMEGP (Prime Minister Employment Guarantee Programme), SGSY (Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana), SJSRY (Swarnajayanti Shahari Rozgar Yojana), PMRY (Prime Minister Rozgar Yojana), SHG (Self Help Group), JLG (Joint Liability Groups), etc. Gold loan scheme was also revised and launched with a competitive structure to boost finance under Priority Sector and Agriculture Business. Farmers had been facilitated with credit facilities through tie-up arrangement with sugar companies.

6.5. Financial Inclusion:

In compliance with the directions given by the Government of India and Reserve Bank of India, the Bank had taken up implementation of the project under ‘Financial Inclusion’. The Bank had adopted 3-way Approach to implement the Financial Inclusion Programme which constitutes (i) Brick & Mortar branches, (ii) UCO Bank on Wheels (Mobile Van) and (iii) Business Correspondent (BC) Model using ICT-based financial inclusion.

The Bank had achieved a rare milestone in the field of Financial Inclusion. During the year 2011-12, the target for the Bank was to cover 1703 unbanked villages having a population of 2000 plus each. The Bank had covered all the villages within the stipulated time. In addition to that the bank has covered 107 villages with a population of 1000-2000 each. Thus the Bank has covered 1810 number of villages; and 639149 number of no –frill accounts were opened in these villages.

The Bank has 24 “UCO Bank on Wheels” operating in 18 Zones. Under ICT based BC Model, 47984 Smart cards had been issued to the customers. To extend business in the field of Financial Inclusion the Bank had also opened 62 Ultra Small Branches (UCO MITRA SAKHA) in the unbanked villages under 11 Zones in compliance with the latest guidelines of Government of India on Financial Inclusion.

6.6. Recovery:

Financial year 2011-12 has been declared as “YEAR OF RECOVERY” and there is substantial improvement in Recovery and Upgradation in NPA accounts during the financial year 2011-12 over the last year.

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

विवरण Particulars	31.03.2011	31.03.2012	per cent वृद्धि per cent Increase
नकदी वसूली / Cash Recovery	434	658	51.61
कोटि उन्नयन / Upgradation	226	417	84.51
कुल / Total	660	1075	62.88

दिनांक 31.03.2012 के समाप्त वर्ष के दौरान बड़े डाले गए खातों में ₹ 23 करोड़ की वसूली की गई। वर्ष 2011-12 के दौरान समझौता निपटान के माध्यम से 5000 से अधिक खातों में ₹ 104 करोड़ की वसूली की गई।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेश के अनुपालनार्थ बैंक ने दिनांक 30.09.2011 को समाप्त तिमाही की स्थिति के अनुसार अनर्जक आस्तियों की 100 प्रतिशत प्रणाली आधारित पहचान और मिलान का कार्य पूरा कर लिया है। बैंक ने यह निर्णय किया है कि सर्कल प्रमुख अपने क्षेत्राधिकार के अधीन ₹ 1.00 करोड़ और उससे अधिक राशि के अनर्जक आस्तित्व खातों पर व्यक्तिगत तौर पर निगरानी रखेंगे तथा अंचल प्रमुख अंचल में ₹ 10 लाख और उससे अधिक राशि के अनर्जक आस्तित्व खातों पर व्यक्तिगत रूप से निरंतर आधार पर निगरानी रखेंगे। पूरे वर्ष के दौरान **विडियो कान्फ्रेंसिंग** के माध्यम से अंचलों/सर्कलों के वसूली संबंधी कार्य-निष्पादन पर आवधिक निगरानी रखी गई।

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार जानबूझकर चूक करनेवाले के रूप में 340 मामलों की पहचान की गई है तथा सिबिल/भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गई है जबकि दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार तदनुरूपी आंकड़े 134 थे।

वर्ष के दौरान 359 लोक अदालतें लगाई गईं जिनमें ₹ 6.26 करोड़ की वसूली की गई तथा ₹ 5.00 लाख तक के छोटे ऋण खातों में विशेष समझौतों के जरिए ₹ 30.47 करोड़ की वसूली की गई। छोटे अनर्जक आस्तित्व के खातों में वसूली की रफ्तार तेज करने के उद्देश्य से इस योजना की अवधि को 31.03.2013 तक बढ़ाया गया।

खाते के अनर्जक होते ही तुरंत सरफेसी कार्रवाई शुरू की जाती है; तथा दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार सरफेसी कार्रवाई के माध्यम से ₹ 210 करोड़ की वसूली की गई, जबकि वर्ष 2010-11 में इस प्रक्रिया से ₹ 108 करोड़ की वसूली की गई थी।

7. समर्थक एवं सशक्तीकरण कार्यक्रम

7.1 जोखिम प्रबंधन :

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश के अंतर्गत कई नई पहलों के लिए गंभीर प्रयास किए। निगरानी प्रणाली को मजबूत करने हेतु कपट जोखिम प्रबंधन कक्ष बनाए गए और केंद्रीकृत क्रेडिट रेटिंग प्रणाली लागू की गई। उधारकर्ताओं की स्वरूपगत अवस्था के आधार पर वैयक्तिक उधारकर्ता-वार एक्सपोजर की उच्चतम सीमा तय की गई। दैनिक सुनियोजित चलनिधि रिपोर्ट, मिड ऑफिस रिपोर्ट तथा बहुआयामी चलनिधि रिपोर्ट की शुरुआत की गई तथा अनुसूची के अनुसार उन्हें शीर्षस्थ प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। व्यापारिक बही पर बाजार जोखिम की गणना दैनिक आधार पर सफलतापूर्वक की गई। सर्कल स्तर पर कार्यरत सभी नोडल अधिकारियों को सिबिल संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया ताकि आंकड़ों के स्वीकार करने/लेने की क्रिया में सुधार हो सके।

Recovery made in Written-Off accounts during the year ended 31.03.2012 was ₹ 23 crore. Recovery made during the year 2011-12 through Compromise settlement is ₹ 104 crore comprising of more than 5000 accounts.

The Bank had completed 100 per cent system based identification and collation of NPAs as of the quarter ended 30.09.2011, in compliance with the directives of Government of India, Ministry of Finance. The Bank had decided that the Circle Heads would personally monitor all NPA accounts of ₹ 1.00 crore and above under their jurisdiction and Zonal Heads would personally monitor NPA accounts of ₹ 10 lac and above in the Zone on an on-going basis. Periodic Monitoring of recovery performance of Zones/Circles through **VIDEO CONFERENCING** had been done throughout the year.

As on 31.03.2012, 340 cases have been identified as wilful defaulters and reported to CIBIL/RBI as against the corresponding figure of 134 as on 31.03.2011.

Number of Lok Adalats conducted during the year was 359 from which recovery of ₹ 6.26 crore was achieved; and recovery made through Special Compromise Settlement Scheme in small loan accounts up to ₹ 5.00 lakh was ₹ 30.47 crore. The scheme had been further extended up to 31.03.2013, in order to boost up the recovery in small NPA accounts.

SARFAESI action being initiated immediately after the account became NPA; and as on 31.03.2012, total recovery made through SARFAESI action is ₹ 210 crore as against ₹ 108 crore during 2010-11.

7. BOLSTERING ACTIVITIES:

7.1. Risk Management:

During the year 2011-12 the Bank had put serious efforts to take several new initiatives under the guidelines of Risk Management. Fraud Risk Management Cell and Centralized Credit Rating System were put in place to strengthen monitoring system. Individual Borrower wise Exposure Ceiling based on the Constitution of the Borrowers had been fixed. Daily Structural Liquidity Report, Mid Office Report & Dynamic Liquidity Report were introduced and were being placed to the Top Management as per schedule. Computation of market risk on the trading book on a daily basis had been done successfully. Training on CIBIL for all the nodal officers in the Circle level had been provided to improve the data acceptance/pulling.

पूँजी पर्याप्तता / Capital Adequacy (बासेल / Basel II)

विवरण / Particulars	मार्च / Mar'11	मार्च / March, 2012
	राशि ₹ करोड़ में / Amt in ₹ Cr.	
पूँजीगत निधि / Capital Fund :		
टियर I / Tier I	7,012	7,891
टियर II / Tier II	4,266	4,151
कुल / Total (टियर/Tier I + टियर/Tier II)	11,278	12,042
Risk Weighted Assets	82,272	97,550
पूँजी पर्याप्तता अनुपात / Capital Adequacy Ratio (per cent)	13.71	12.35
टियर/Tier I (per cent)	8.52	8.09
टियर/Tier II (per cent)	5.19	4.26

7.2 कारपोरेट संसूचना

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने कारपोरेट संसूचना के दिशानिर्देश के अंतर्गत विविध मीडिया यथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इंटरनेट, प्रचार-सामग्री, प्रायोजकत्व, बाह्य मीडिया आदि के माध्यम से कई पहलें कीं। कासा जमाराशि के संग्रहण, त्योहार बोनैन्जा ऑफर के आयोजन, 'यूको सनशाइन आवर्ती जमा योजना, 'यूको बसंत बोनैन्जा सावधि जमा, 'यूको सौभाग्य आवर्ती जमा' जैसी नई योजनाओं की शुरुआत के लिए व्यापक प्रचार अभियान चलाए गए। बैंक ने "स्वर्ण ऋण अभियान", "यूको आवास ऋण और कार ऋण के रूप में यूको द्वारा प्रदत्त लाभ हेतु अभियान" आदि भी चलाए। वर्ष 2011-12 के दौरान कई राज्यों में बैंक के माध्यम से राज्य वाणिज्य कर का भुगतान कई उपलब्धियों में से एक उपलब्धि थी।

बैंक के ब्रांड नाम की प्रतिष्ठा को बढ़ाने हेतु विभिन्न रेडियो स्टेशनों पर कई प्रकार के जिगल्स के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए कई अभियान चलाए गए। वर्ष 2011-12 के लिए केंद्रीय वित्त बजट प्रस्तुतीकरण के दौरान रेडियो जिगल तथा विभिन्न टेलिवीजन चैनलों पर बैंक की प्रचार – सामग्री (प्रोमोस) के टेलीकास्ट के माध्यम से अपने ब्रांड नाम की प्रतिष्ठा को लोकप्रिय करने हेतु बैंक द्वारा गहन अभियान चलाए गए। विभिन्न साइटों के माध्यम से इंटरनेट विज्ञापन की व्यवस्था की गई। बैंक ने विभिन्न उत्पादों तथा बैंक के ब्रांड नाम की प्रतिष्ठा के प्रचार हेतु कोलकाता नगर में खेल-कूद, त्योहार, संगीत कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान प्रवेश / प्रस्थान स्थलों पर बैनर प्रदर्शित किए। विभिन्न पूजा समितियों को गेट, पिलर, होर्डिंग प्रायोजित कर, कई पूजा समितियों के पूजा स्थलों पर 500 बैनर प्रदर्शित कर, यूको बैंक नामांकित टी-शर्ट एवं टोपी आदि वितरित कर बैंक ने अपने विभिन्न उत्पादों को बढ़ावा दिया।

बैंक ने अपना 70 वाँ स्थापना दिवस आयोजित किया और इसका मुख्य समारोह 6 जनवरी, 2012 को साइंस सिटी में मनाया गया। प्रधान कार्यालय से एक ब्रांडेड कैंटर/टेबलो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया जो कोलकाता में 7 दिनों तक घूम-घूम कर अपनी झांकी प्रस्तुत करता रहा। कासा, रिटेल ऋण, शिक्षा ऋण, आवास ऋण संबंधी पैम्फलेट वितरित किए गए। स्थापना दिवस समारोह के मांगलिक अवसर पर 69 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कूल बैग, स्कूल सामग्री दी गई।

7.2. Corporate Communication:

During the year 2011-12, the Bank had taken several initiatives under the guidance of Corporate Communications through various media namely electronic media, print media, internet, publicity material, sponsorship, outdoor media, etc. Widespread publicity campaigns were carried out for mobilization of CASA deposits, celebrating Festival Bonanza Offer, launching of new schemes such as, 'UCO Sunshine Recurring Deposit Scheme, 'UCO Vasant Bonanza Fixed Deposit', 'UCO Sowbhagya Recurring Deposit', etc. The Bank also organized "Campaign for Gold Loan", "Campaign for Advantage UCO - Home Loan and Car Loan" etc. Payment of State Commercial Tax through the Bank in various states was one of the achievements during the year 2011-12.

In order to improve the brand name of the Bank, various campaigns were undertaken for different products through various jingles on different radio stations. Intensive campaigns were undertaken by the Bank for popularizing its brand name during the presentation of Union Finance Budget for the year 2011-12 through Radio jingle and telecast of Bank's promos on different television channels. Internet advertisement had been organized through different sites. The Bank had also displayed and installed banners at the entrance/exit points during various important activities/happenings like sports, festivals, musical programmes, etc. in the city of Kolkata to propagate various products and brand name of the Bank. Sponsorship of Gates, pillars, hoardings to various Puja Committees, display of 500 banners at various Puja Committees, distribution of UCO Bank branded T-shirts and caps, etc. had been arranged to promote different products during Durga Puja.

The Bank had celebrated its 70th foundation day with the main function held at Science City on 6th January, 2012. A branded canter/tableau was flagged off from Head Office and roamed for 7 days in Kolkata. Pamphlets on CASA, Retail loans, Education Loan, Home Loan were also distributed. School bags, school stationary were given to 69 needy students on the auspicious occasion of Foundation Day celebration.

7.3. सूचना प्रौद्योगिकी

फरवरी, 11 तक बैंक में सीबीएस प्रणाली पूर्णतया लागू हो चुकी थी। मार्च, 2012 तक सभी नई शाखाएँ, सीबीओ एवं विस्तार पटल भी सीबीएस प्रणाली से युक्त हो गए। इस बीच बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 843(100 प्रतिशत) शाखाएँ सीबीएस सुविधायुक्त हो गईं। बैंक द्वारा प्रायोजित 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरटीजीएस/एनईएफटी सुविधा भी प्रदान कराई गई है।

प्रौद्योगिकी के स्तर पर वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने विविध नई पहल कर अपना झंडा ऊँचा रखा। इनमें से की गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं -

- सभी नामित शाखाओं में सरकारी व्यवसाय माड्यूल कार्यान्वित की गई।
- ई-बैंकिंग ग्राहकों के लिए 2 चरण प्रमाणीकरण का कार्य पूरा किया गया।
- हमारे ग्राहकों से संबंधित आंकड़े गलत हाथों में न पड़ जाएं, इसलिए एंटी-फिशिंग सेवा का कार्यान्वयन किया गया।
- पश्चिम बंगाल, ओड़िशा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में राज्य कर संग्रहण का कार्य सक्रिय कर दिया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र राज्य का कर संग्रहण सक्रिय किया गया था।
- ई-बैंकिंग के माध्यम से सीमा शुल्क के ऑन लाइन भुगतान की सुविधा प्राप्त है।
- ई-बैंकिंग द्वारा आवर्ती जमा तथा ऋण खातों में तत्काल निधि अंतरण की सुविधा।
- छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के लिए थोक वेतन अपलोड करने की सुविधा चालू कर दी गई है।
- चालू वित्त वर्ष के दौरान बैंक द्वारा लागू नए ई-उत्पाद निम्नलिखित हैं:-

7.3. Information Technology:

The Bank had become fully CBS enabled by February, 2011. As of March, 2012, all the new branches, CBOs and extension counters were made CBS enabled. Total number of 843 branches (100per cent) of Bank sponsored 5 RRB's migrated to CBS. RTGS/NEFT facility extended to Bank sponsored 5 RRBs.

On the technology front the Bank had held its flag high by taking several new initiatives during the year 2011-12. Some of these initiatives are stated below.

- Govt. Business Module implemented in all designated branches.
- Two factor Authentication implemented for e-banking customers.
- Anti-Phishing Services implemented to protect customer's data from going to the wrong hands.
- Collection of State Taxes for West Bengal, Orissa, Delhi, UP made live. In the previous financial year, Maharastra's tax collection was made live.
- Online Payment facility of customs duty is available through e-Banking.
- Instant Fund Transfer to RD and Loan accounts through e-Banking.
- Bulk salary upload facility for Chhattisgarh Govt. activated.
- New e-products introduced in the Bank in the current year is given below:

उत्पाद Products	लागू दिनांक Introduction Date
यूको ई-ट्रेड UCO e-trade	25 अप्रैल, 2011 25th April, 2011
आई एम पी एस (तत्काल मोबाइल भुगतान सेवा) IMPS (Instant Mobile payment service)	22 जुलाई, 2011 22nd July, 2011
वैयक्तिक यूको वीज़ा डेबिट कार्ड Personalized UCO VISA Debit Card	6 जनवरी, 2012 6th January, 2012

7.4. परिचालन एवं सेवा :

अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) एवं धन शोधन निवारण (एएमएल)

सीबीएस प्रणाली में केवायसी मेनू के माध्यम से केवायसी अनुपालन हेतु प्रणाली आधारित केवायसी मानीटरिंग की व्यवस्था कर दी गई है। बैंक में सभी लेन-देन की मानीटरिंग तथा प्रसंस्करण करने हेतु एएमएल सॉफ्टवेयर की संस्थापना के फलस्वरूप (क) संदिग्ध लेन-देन रिपोर्ट(एसटीआर) एवं (ख) नकद लेन-देन रिपोर्ट(सीटीआर) को सृजित करना सरल बना दिया गया है और बैंक अब नए एलर्ट के माध्यम से सभी लेन-देन की मानीटरिंग तथा प्रसंस्करण कर सकता है। 98.29 प्रतिशत केवायसी अनुपालन प्राप्त किया जा चुका है। एफआईयू-आइएनडी, नई दिल्ली को नियमित रूप से सीटीआर, एसटीआर, सीसीआर एवं एनटीआर प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

ग्राहक सेवा

बैंक ग्राहक सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है तथा अपने ग्राहकों को सर्वोत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से लगातार अपनी व्यवसाय प्रणाली की समीक्षा भी करता रहता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के ग्राहकों की शिकायतों तथा उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए बैंक के उच्च कार्यपालकों ने संपूर्ण देश के विभिन्न केंद्रों पर थोड़े-थोड़े अंतराल पर ग्राहकों से विचार विमर्श किया। इसके अतिरिक्त सभी अंचल कार्यालयों में ग्राहकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ग्राहक शिकायतों के निपटान के लिए बैंक द्वारा प्रभावी उपाय किए गए एवं तदनुसार त्वरित शिकायत निपटान प्रणाली द्वारा बैंक ग्राहक-शिकायतों की संख्या को बहुत कम करने में सफल हुआ है। ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति की सभी बैठकें निर्धारित अनुसूची के अनुसार हुईं एवं ग्राहक प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ कार्यपालकों ने इन बैठकों में भाग लिया।

बैंक ने अपनी वेबसाइट पर (1) ग्राहक शिकायत निवारण नीति (2) चेक संग्रहण (3) क्षतिपूर्ति एवं (4) बकाया की वसूली एवं प्रतिभूति पर पुनर्कब्जा से संबंधित तथ्यों को डालकर पारदर्शिता बनाए रखी है।

बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित निर्णय बैंक द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं तथा आज की तारीख में एक भी निर्णय कार्यान्वयन हेतु लंबित नहीं है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के आलोक में ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता पूर्णतया परिभाषित है और यह बैंक की वेबसाइट में डाल दी गई है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत समीक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बैंक लगातार प्रयासरत है। बैंक द्वारा केंद्रीय एवं अंचल के नोडल अधिकारियों को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत विभिन्न ग्राहकों एवं अन्य हितधारकों को संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए नामित किया गया है। बैंक की वेबसाइट पर नोडल अधिकारियों के नाम एवं संपर्क नंबर दिए गए हैं। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अनुसार बैंक ने प्रत्येक अंचल कार्यालय के स्तर पर 36 पीआईओ तथा एपीआईओ को एवं 2 सीपीआईओ तथा 2 सीएपीआईओ को प्रधान कार्यालय के स्तर पर नियुक्त किया है जिससे जानकारी प्राप्त करने से संबंधित आरटीआई आवेदनों का निपटान हो सके। इसके साथ ही प्रत्येक सर्किल कार्यालय में उनके क्षेत्राधिकार में आनेवाले अंचलों के लिए तथा प्रधान कार्यालय में भी अपीलों के निपटान हेतु एक-एक अपील प्राधिकारी को नियुक्त किया गया है।

7.4. Operations & Services:

Know Your Customer (KYC) & Anti Money Laundering (AML)

System Based KYC Monitoring has been put in place for KYC compliance through KYC menu in CBS System. The installation of AML software for daily processing and monitoring of all transactions in the Bank to generate (a) Suspicious Transaction Reports (STRs) and (b) Cash Transaction Reports (CTRs) has been streamlined further and the Bank is able to effectively process and monitor all transactions particularly through new alerts. KYC compliance had been achieved to the extent of 98.29 per cent. CTRs, STRs, CCRs and NTRs had been submitted regularly to FIU-IND, New Delhi.

Customer Service

The Bank continues to attach utmost importance to the customer service and is constantly reviewing its business practices to provide the best possible services to the customers.

Top executives of the Bank, during the year 2011-12, interacted with the customers of the Bank at frequent intervals at different centres across the country to have complete feedback and understanding of the needs and grievances of the customers of the Bank. Apart from this, nodal officers had been appointed at all the Zonal Offices to look into the grievances. Effective steps were taken by the Bank to redress grievances of the customers; and accordingly, the Bank has brought down the number of customer complaints to a very low level through its prompt redressal mechanism. The meeting of the Standing Committee on Customer Service at corporate level of the Bank was held as per schedule and was attended by senior executives of the Bank as well as customer representatives.

Transparency had been maintained by the Bank by hosting at Bank's website: (1) Policies on Customer Grievance Redressal (2) Cheque Collection, (3) Compensation & (4) Collection Of Dues and Repossession Of Security.

Awards passed by Banking Ombudsman were being implemented by the Bank and as of date no Award is pending for implementation.

Right to Information (RTI) Act

Under the light of Right to Information (RTI) Act Bank's commitments for our customers are well defined and published in the Bank's website. The Bank is in continuous process of strengthening of review under Right to Information (RTI) Act. The Bank had designated central and zonal nodal officers to cater to the queries of different customers and other stake holders regarding RTI matters. Names and contact details of nodal officers are mentioned in the Bank's website. As per RTI Act 2005, the Bank has appointed 36 PIOs and APIOs, one at each Zonal Office level and two CPIOs and two CAPIOs at Head Office level to facilitate disposal of RTI applications seeking information and one Appellate Authority at each Circle Office and Head Office for disposal of appeals filed under their jurisdiction.

7.5. ऋण मानीटरिंग:

बैंक ने आस्तियों की गुणवत्ता को सुधारने तथा उसके रखरखाव के लिए अपनी ऋण मानीटरिंग प्रणाली के विविध उपायों को मजबूत किया है जिसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर ग्रेडेड प्रणाली के माध्यम से खातों की मानीटरिंग करना जिसमें नाजुक खातों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऋण मानीटरिंग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्वीकृत ऋण सीमा आधारित खातों की मानीटरिंग की जिम्मेवारी सौंपना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त बैंक विभिन्न स्तर पर निर्णय की प्रक्रिया को तीव्र करने के उद्देश्य से सीधे सीबीएस प्रणाली से सूचना प्राप्त कर सूचना प्रणाली को सरल बनाया है। बैंक ऋण ऑडिट कराने के उद्देश्य से बड़े उधारखातों को तथा परिचालन के स्तर पर ऋण को सुचारु ढंग से संभालने के लिए समर्पित कार्यपालक एवं अधिकारियों की टीम के निर्माण करने के बारे में विचार कर रहा है।

बैंक ने 31.03.2011 को या उसके पूर्व सृजित की गई संपत्ति पर प्रतिभूति हित को ध्यान में रखते हुए सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिकुरिटाइजेशन ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिकुरिटी इंटरैस्ट ऑफ इंडिया(सीईआरएसएआइ) के पास रजिस्टर्ड करवाया है। सरफाइसी अधिनियम 2002 की धारा 20(1) के अधीन केंद्रीय रजिस्ट्री नियम 2011 के अधीन ऐसी रजिस्ट्री के संबंध में केंद्रीय सरकार ने पूर्वकालिक प्रभाव से रजिस्ट्री की अनुमति प्रदान की जिसे 31.03.2012 तक पूरा करना था। दिनांक 31.03.2012 को या उसके पूर्व तक सृजित प्रतिभूति हित से संबंधित 1.17 लाख विवरणों को बैंक अब तक अपलोड कर चुका है।

7.6. निरीक्षण :

बैंक का अपना लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग है जो प्रणाली का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी जांच करता है। प्रबंध लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, आंतरिक निरीक्षण करने हेतु बैंक की विस्तृत निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा नीति मौजूद है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, निदेशक मंडल एवं निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा दिए गए दिशानिर्देश बेहतर जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक कंट्रोल प्रणाली का हिस्सा बन गए हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने प्रमुख / अन्य अनियमितताओं को सुधार कर 3 माह से ज्यादा लंबित अवधि की निरीक्षण रिपोर्ट को बंद करने के लिए ध्यान केंद्रित किया। बैंक द्वारा उपर्युक्त प्रयास किए जाने के फलस्वरूप मार्च, 2012 के अनुसार एक भी वार्षिक वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट लंबित नहीं है। परिचालन के स्तर पर बैंक की प्रणाली, प्रक्रिया तथा दिशानिर्देश के अनुपालन के संबंध में नियमित शाखा निरीक्षण रिपोर्ट के माध्यम से प्रबंधन को व्यापक प्रतिसूचना प्रदान की जाती है।

वर्ष 2011-12 के दौरान प्रमुख उपलब्धियों में कोटिनिम्न शाखाओं का मूल रेटिंग प्राप्त करना रहा। दिसंबर, 2011 से फरवरी, 2012 के दौरान अनुशासनिक प्राधिकारी/नियंत्रक कार्यालयों से नियमित अनुवर्तन के फलस्वरूप असंतोषजनक/कोटिनिम्न शाखाओं की संख्या में कमी आई है। शाखाओं को निदेश दिए गए कि आरडीए की पहल की जाए तथा सभी कोटिनिम्न शाखाएं मूल रेटिंग फिर से हासिल करें। इसी प्रकार असंतोषजनक की रेटिंगवाली शाखाओं का 9 माह के अंतराल पर निरीक्षण कर उनकी रेटिंग को ऊँचा कर दिया गया है।

7.7. सतर्कता :

बैंक ने दंडात्मक सतर्कता के स्थान पर निवारक सतर्कता तथा भागीदारी सतर्कता की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। सभी स्तरों पर कर्मचारियों

7.5. Credit Monitoring:

The Bank, in order to maintain and improve the quality of assets, strengthened its Credit Monitoring Mechanism through implementation of several measures particularly having a Graded system of monitoring of accounts at various levels by assigning responsibility of monitoring of accounts based on sanctioned credit limits with the objective to intensify the credit monitoring and have focussed attention to critical accounts. In addition, the bank has also streamlined the information system by directly obtaining information from the CBS system for facilitating prompt decision making at various levels. The Bank has envisaged creation of a pool of dedicated Executives and Officers, with track record on handling large borrowal accounts & well versed in handling of credit at the operational level, for undertaking credit audits.

The Bank has done a commendable work in getting registered with the Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI) particulars of security interest over property created on or before 31/03/2011. Such registration under Central Registry Rules 2011 under section 20 (1) of the SARFAESI Act 2002 was permitted by the Central Government with retrospective effect to be completed within 31.03.2012. The Bank could ensure uploading of over 1.17 lac particulars of security interest over property created on or before 31.03.2011.

7.6. Inspection:

The Bank has a well-established Audit and Inspection Department that examines adherence to the Systems. Bank has a comprehensive Inspection and Audit Policy for undertaking Internal Inspections, Concurrent Audit, Revenue Audit, Risk Based Internal Audit, IS (Information System) Audit and Management Audit. The guidelines received on various issues of Internal Control from Reserve Bank of India, Government of India, Board and Audit Committee of the Board have become part of the internal control system for better risk management.

During the year 2011-12 the Bank had focussed attention to close overdue inspection reports outstanding for more than 3 months by rectification of major/other irregularities. As a result of impetus taken by the Bank there was no Annual Financial Inspection Report pending overdue as on March, 2012. The regular branch inspection report is the most comprehensive feed-back to the management about compliance of the Bank's systems and procedure and guidelines at operational level.

One of the major achievements during the year 2011-12 was the restoration of original rating of downgraded branches. From December, 2011 to February, 2012 number of Unsatisfactory/Downgraded branches has decreased due to regular follow up with Disciplinary Authorities/Controlling Offices and branches to expedite initiation of RDA and ensure restoration of original rating of all the downgraded branches. Similarly, status of unsatisfactory rated branches has been upgraded through fresh inspection within an interval of 9 months.

7.7. Vigilance:

The Bank has shifted its focus towards preventive vigilance and participatory vigilance from punitive vigilance. Extensive training

को प्रशिक्षण प्रदान करने के हेतु व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अलग से एक 'छानबीन कक्ष' की स्थापना की गई है जिससे कि सतर्कता शिकायतों पर समय से तथा प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके। कपट जोखिम प्रबंधन विभाग का सृजन किया गया है जिससे कपट से संबंधित सभी आंकड़े केंद्रीकृत मानीटरिंग तथा रखरखाव किया जा सके। शाखाओं में कार्य करनेवाले स्टाफ सदस्यों से संबंधित नीतियों को अद्यतित कर दिया गया है तथा उन्हें नियामक-आवश्यकताओं के बारे में जानकारी दी गई है एवं अनुपालन में सुधार के उद्देश्य से दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान अपनाए गए निवारक सतर्कता उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं :-

- ❖ यदि संभव हो, ग्राहकों को बिना देर किए मुद्रा के सभी आहरण की जानकारी एसएमएस द्वारा दी जाए।
- ❖ बड़ी राशि के सभी आहरण का समर्थक दस्तावेज के माध्यम से सत्यापित किया जाए। चेक की जांच यूवी एवं आईआर किरणों से की जाए।
- ❖ यदि आहरण के पश्चात शेष राशि न्यून हो तो चेक की संवीक्षा की जाए।
- ❖ कोई भी ग्राहक किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने चेक का खाली पन्ना न दे।

7.8. अनुपालन:

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुपालन के मुद्दे पर विशेष ध्यान दे रहा है। एक कड़ी अनुपालन प्रणाली के माध्यम से ग्राहक सेवा, जमा, अग्रिम, केवायसी/एएमएल संबंधी कार्य एवं नियम तथा भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार आदि द्वारा अपेक्षित सांविधिक/नियामक रिपोर्ट, सूचना एवं आंकड़े की त्वरित प्रस्तुति को बैंक सुनिश्चित कर सका है। वर्ष 2011-12 के दौरान अनुपालन नीति की समीक्षा की गई एवं उसे संशोधित किया गया तथा दिनांक 11.05.2011 की बैठक में निदेशक मंडल ने उसे स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात संशोधित अनुपालन नीति में आवश्यक परिवर्तनों को शामिल करते हुए, जिससे मानक मानदंड से विचलन न हो, उसे बैंक के सभी कार्यालयों को परिचालित किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान परिचालन दक्षता में सुधार लाने हेतु पाई गई कमियों को उसी स्थान पर दूर करने के लिए अनुपालन जांच का कार्य किया गया। नाजुक मुद्दों की रिपोर्ट की गई और प्रणाली में सुधार करने हेतु उस पर उपयुक्त स्तर पर विचार विमर्श भी किया गया।

7.9. विधिक मामले :

बैंक ने सभी हितधारकों द्वारा प्रेषित विभिन्न मामलों पर विधिक परामर्श दिया है। परिचालन व्यवस्था की दक्षता में सुधार लाने हेतु बैंक ने ऐसे मामलों के त्वरित निपटान पर ध्यान केंद्रित किया। इसे सुनिश्चित करने के लिए लगातार मानीटरिंग प्रणाली प्रचलन में है। बैंक ने वसूली के मामले, विभिन्न स्रोतों से दायर कार्मिक एवं औद्योगिक विवाद, परिसर के मामले, विधिक लेखापरीक्षा, दस्तावेजीकरण, ट्राइब्यूनल की अपेक्षा, लोकपाल अनुपालन से संबंधित मामलों पर अपनी विधिक सेवाएं प्रदान की। विधिक मामले में एक स्तर बनाए रखने के लिए अच्छे वकीलों को इंपैनल करने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया।

programme had been organized for imparting training of employees at all level.

A separate 'Investigation Cell' has been carved out to ensure timely and effective follow up of vigilance complaints. A Fraud Risk Management Department was also created to monitor and maintain the centralised data of fraud. Policies regarding field functionaries have been updated and sensitized to regulatory requirements and guidelines issued with a view to improve compliance.

Some of the Preventive Vigilance Measures undertaken during the year 2011-12 include:

- ❖ All withdrawals of money should be informed to the customers, if possible, through SMS without delay.
- ❖ Every large amount of withdrawal should be verified with supporting documents. Cheque should be examined with UV & IR rays.
- ❖ If post withdrawal balance is negligible, cheque should be scrutinized.
- ❖ No blank cheque should be handed over by the customer to any unknown person.

7.8.Compliance:

The Bank has emphasised on compliance issues as mandated by RBI. The Bank had ensured the level of customer service, functions and rules of deposit, advance, KYC/AML, other services, prompt submission of statutory/regulatory reports, information and data asked by RBI, GOI, etc. through a strict compliance system. During the year 2011-12 the Compliance Policy was revised, reviewed and the same was adopted by Board of Directors in its meeting held on 11.5.2011. The revised Compliance Policy incorporating necessary changes to prevent deviations from standard norms was circularised to all sections of the Bank thereafter. Compliance testing of operations at branches was introduced during the year 2011-12 to render deficiencies observed and rectified them on the spot to improve operational efficiency. Critical issues were reported and discussed at the appropriate level to enhance efficacy of the system.

7.9. Legal Matters:

The Bank had delivered legal advice on various matters referred to it by all sections of stakeholders. The Bank had focussed on the expeditious disposal of such matters for enhancing the efficiency of operational tiers. To ensure this, a continuous Monitoring System was in place. The Bank had extended its legal service to cater to the need of recovery issues, personal and industrial disputes filed by different sources, premises matters, legal audits, documentations, tribunal requirements, Ombudsman compliance, etc. Empanelment of good lawyers was done successfully to set and maintain benchmark for legal issues.

8. मानव संसाधन प्रबंधन

जनशक्ति

31 मार्च, 2012 की तारीख को बैंक की कुल स्टाफ संख्या 23,259 थी उनमें से 112 स्टाफ सदस्य विदेश में कार्य कुल रहे हैं एवं जिसमें 15 स्वदेश लौटनेवाले अधिकारी हैं। देश में काम करनेवाले कुल 23147 स्टाफ सदस्यों में से 9059 अधिकारी, 9171 लिपिक एवं 4917 अधीनस्थ स्टाफ हैं।

देश में काम करनेवाले कुल स्टाफ सदस्यों में अनुसूचित जाति (4716) एवं अनुसूचित जनजाति (1179) का प्रतिशत 25.46 है। इसके अतिरिक्त वर्ष 11-12 के अंत तक 1309 ओबीसी कर्मचारी बैंक की सेवा में हैं एवं 1148 अल्प संख्यक वर्ग के हैं। कुल स्टाफ सदस्यों में से महिला स्टाफ सदस्यों का per cent पिछले वर्ष 2011 के 13 प्रतिशत की तुलना में इस वर्ष 14.33 प्रतिशत है।

वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक द्वारा अजा, अजजा, अपिजा, निःशक्त व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक एवं महिला कर्मचारियों के विकास हेतु कई पहल किए गए तथा भारत सरकार के निदेश के अनुसरण में पदोन्नति पूर्व/भर्ती पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किए गए।

भर्ती

वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 768 अधिकारियों की भर्ती की गई जिसमें 102 अजा, 51 अजजा, 216 अपिजा के थे। इनमें से 243 महिला अधिकारी, 11 निःशक्त व्यक्ति एवं 46 अल्प संख्यक वर्ग के थे। इसी वर्ष 867 लिपिकों की भर्ती की गई जिसमें 134 अजा, 117 अजजा, 242 अपिजा, 52 भूतपूर्व सैनिक, 43 निःशक्त व्यक्ति एवं 42 व्यक्ति अल्प संख्यक वर्ग के हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ने वर्ष 2012-13 के दौरान 1000 लिपिक तथा 1100 परिवीक्षाधीन अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

पदोन्नतियां

वर्ष के दौरान 8 कार्यपालक उच्च कार्यपालक ग्रेड वेतनमान- VII में, 41 कार्यपालक वेतनमान V से उच्च कार्यपालक ग्रेड वेतनमान VI में एवं 114 कार्यपालक वेतनमान IV से वेतनमान V में पदोन्नत किए गए। इसके अतिरिक्त 130 अधिकारी वेतनमान III से वेतनमान IV में, 574 वेतनमान III में एवं 1040 वेतनमान II में पदोन्नत किए गए। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञ श्रेणी के अंतर्गत 2 अधिकारी वेतनमान IV से वेतनमान V में, 3 अधिकारी वेतनमान III से वेतनमान IV में, 12 अधिकारी वेतनमान III में एवं 3 अधिकारी वेतनमान II में पदोन्नत किए गए।

इसके अतिरिक्त इसी अवधि में 8 अधीनस्थ कर्मचारी स्नातक चैनल के अंतर्गत लिपिक संवर्ग में पदोन्नत किए गए। इसके साथ ही लिपिक संवर्ग में पदोन्नति के 2 चैनल की प्रक्रिया चल रही है।

कर्मचारी कल्याण उपाय

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक ने निम्नलिखित कर्मचारी कल्याण उपायों का कार्यान्वयन किया गया।

वर्तमान योजना में संशोधन/परिवर्तन :

- 1) **यूको हीरक जयंती पुरस्कार योजना** –स्थायी अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों (वेतनमान मजदूरी पर अंशकालिक सफाई कर्मचारी सहित) के मेधावी संतानों को 12 वीं कक्षा तथा स्नातक स्तर पर उच्च अंक प्राप्त करने पर उनकी योग्यता के मान्यता-स्वरूप इस योजना में शामिल किया गया है। (10 पुरस्कार अर्थात् 12 वीं कक्षा तथा स्नातक के लिए 5-5 पुरस्कार)

8. HUMAN RESOURCES MANAGEMENT:

Manpower

The total staff strength of the Bank as on 31st March, 2012 stood at 23,259 including 112 employees serving overseas, 15 of which are expatriate officers. The total domestic staff strength of 23,147 comprises of 9059 Officers, 9171 Clerks and 4917 Subordinate staff.

The percentage of Scheduled castes (4716) and Scheduled Tribes (1179) in the total domestic staff strength is 25.46. Besides there are 1309 OBC employees in service of the Bank at the end of FY 11-12 and 1148 employees belong to Minority Communities. Out of the total work force 14.33per cent constitutes women employees compared to 13per cent in 2011.

During the year 2011-12 initiatives were taken by the bank for development of SCs, STs, OBCs, Persons with Disabilities, Ex-Servicemen and Women; and pre-promotion/recruitment trainings were imparted to SC/ST candidates as per Government of India directives.

Recruitment

A total number of 768 Officers have been recruited during the year 2011-12 which includes 102 SCs, 51 STs and 216 OBCs. 243 of these Officers are Women, 11 are Persons with Disabilities and 46 belong to Minority Communities. 867 Clerks have also been recruited during the Year 11-12 which include 134 SCs, 117 STs, and 242 OBCs, 52 Ex-Servicemen, 43 Persons with Disabilities and 42 Persons belong to Minority Communities. Moreover the Bank has also initiated the process of recruitment for 1000 Clerks and 1100 probationary Officers during the year 2012-13.

Promotions

During the year, 8 Executives were promoted to Top Executive Grade Scale VII. 41 Executives were promoted from Scale-V to Top Executive Grade Scale-VI and 114 Executives were promoted from Scale-IV to Scale-V. Besides, 130 Officers were promoted to Scale-IV, 574 to Scale-III and 1040 to Scale- II. In addition, under specialist category, 2 Officers were promoted from Scale-IV to Scale-V, 3 Officers were promoted from Scale-III to Scale-IV, 12 Officers to Scale-III and 3 Officers to Scale- II.

Further, during the period, 8 Sub-ordinate Staff got promoted to Clerical Cadre under Graduate channel and process for other 2 channels for promotion to Clerical Cadre is in progress.

Staff Welfare Measures

During Financial Year 2011-12, the Bank has implemented the following Staff Welfare Measures:

MODIFICATIONS/CHANGES IN THE EXISTING SCHEMES:

- 1) **UCO Diamond Jubilee Prize Scheme** - This scheme has also been extended to the meritorious wards of permanent subordinate staff members (including PT Sweepers in scale wages) in recognition of their merits for securing higher marks in 12th Standard & Graduation level (10 prizes- i.e. 5 each for 12th Standard & Graduation).

- 2) 40 वर्ष एवं उससे ऊपर के कर्मचारियों के लिए चश्मे की लागत की प्रतिपूर्ति — राशि ₹500.00 को बढ़ाकर ₹1000.00 करना।
- 3) जहां अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी गई है वैसे मृतक कर्मचारियों के स्कूल/कॉलेज में पढ़नेवाले अश्रित पुत्र/पुत्री को शैक्षणिक सहायता - ₹ 5000.00 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता पढ़ाई समाप्त होने तक प्रदान की जाएगी।
- 4) कर्मचारी के मानसिक रूप से जड़बुद्धि वाले बच्चे को ₹5000.00 / शारीरिक रूप से निःशक्त बच्चे को ₹ 3000.00 की वित्तीय सहायता तथा कुछ कृत्रिम साधन / उपकरण की खरीद हेतु एकबारगी सहायता — कर्मचारियों के शारीरिक रूप से निःशक्त तथा मानसिक रूप से जड़बुद्धि वाले बच्चे को वित्तीय सहायता वाली योजना के संबंध में आयु सीमा को मानसिक रूप से जड़बुद्धि वाले बच्चे के मामले में 21 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया गया है।
- 5) सेवारत कर्मचारियों एवं उनके अश्रितों के लिए मे. युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कं. लि. के साथ समूह मेडीक्लेम बीमा योजना - बीमाकृत राशि को ₹ 1.50 लाख से बढ़ाकर ₹ 2.00 लाख किया गया जिसे 31.03.2012 को पुनः बढ़ाकर ₹ 5.00 लाख कर दिया गया जो 31.10.2012 तक वैध है।
- 6) सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके जीवनसाथी (स्पाउज) के लिए मे. युनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कं. लि. के साथ समूह मेडिकलेम बीमा योजना का नवीकरण — बीमाकृत राशि को ₹1.00 लाख से बढ़ाकर ₹ 2.00 लाख करना तथा यह 31.03.2012 से प्रभावी एवं 30.03.2013 तक वैध रहेगा।

नई योजनाएं

- 1) कर्मचारी कल्याण निधि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार को अंतिम संस्कार के व्यय का भुगतान — सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु की दशा में अधिकतम ₹ 5000.00 (एकबारगी) तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों (पति-पत्नी/पुत्र/पुत्री) को अंतिम संस्कार के व्यय के तहत राशि के भुगतान की योजना।
- 2) बैंक ने शिरडी (महाराष्ट्र) में एक अवकाश-गृह खोलने का निर्णय किया है।
- 3) 6 जनवरी से शुरू हुए बैंक के स्थापना सप्ताह के दौरान अंचल कार्यालय स्तर पर रक्त-दान तथा प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाए गए - इसके लिए प्रत्येक अंचल को अधिकतम ₹10000.00 तक व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई।

औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रबंधन तथा यूनियनों/एसोसियेशनों के बीच औद्योगिक संबंध का परिवेश स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण बना रहा। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान आवधिक अंतराल पर यूनियनों / एसोसियेशनों के साथ औद्योगिक संबंध हेतु बैठकें बुलाई गईं तथा विचार-विमर्श किए गए जिसमें एक-दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रुख अपनाया गया तथा आदरभाव प्रदर्शित किया गया।

- 2) **Reimbursement of cost of spectacles to the employees in the age group of 40 years and above** - Increase in amount from ₹500.00 to ₹1000.00.
- 3) **Educational assistance to the school/college going dependent son/daughter of the deceased employees where no compassionate appointment has been offered** - Financial assistance of ₹ 5000.00 p.a. has been extended till completion of the Course of the children.
- 4) **Financial assistance of ₹ 5000.00 to the mentally retarded child/ ₹ 3000/- to physically challenged child of the employee and one time assistance for purchase of certain artificial aid/accessories** - In respect of the scheme of financial assistance for physically challenged & mentally retarded children of employees, the age bar has been extended from 21 year to 25 years in cases of mentally retarded children of the employees.
- 5) **Group Mediclaim Insurance Scheme for in-service employees and their dependents with M/s United India Insurance Co. Ltd.** - Renewed with enhancement in sum assured from ₹ 1.50 lac to ₹ 2.00 lac which has further been enhanced from ₹ 2.00 lac to ₹ 5.00 lac with effect from 31.03.2012 valid up to 31.10.2012.
- 6) **Renewal of Group Mediclaim Insurance Scheme for retired employees and their spouse with M/s United India Insurance Co. Ltd.** - Enhancement in sum assured from ₹ 1 lac to ₹ 2 lac - which is effective from 31.03.2012 and valid upto 30.03.2013.

NEW SCHEMES

- 1) Payment of funeral expenses to the family of retired employees from the staff welfare fund - Scheme for payment of funeral expenses has also been extended to family members (spouse/son/daughter) of retired employees in the event of death of the retired employee up to a maximum amount of ₹ 5000.00 (one time).
- 2) Bank has decided to initiate a Holiday Home at Shirdi (Maharashtra).
- 3) Blood Donation & Preliminary Health Check-up camps have been organised at Zonal Office levels during the foundation week of the bank beginning with 6th January - Maximum permissible expenses were limited to ₹10000.00 for each Zone.

Industrial Relations

During the period, the Industrial Relations climate in the Bank remained healthy and cordial between the Management and the Unions/ Associations. IR meetings and discussions were held with Unions / Associations at periodic intervals sharing co-operative attitude and mutual respect during the financial year 2011-12.

प्रशिक्षण

वर्ष 2011-12 के दौरान 8160 प्रतिभागियों को, जिनमें अधिकारी, लिपिक एवं अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी शामिल थे, बैंक के सेंट्रल स्टॉफ कॉलेज एवं पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में कुल 18 चैनलों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।

इसके अतिरिक्त एनआईबीएम, आईआईबीएम, आईडीबीआईआरटी, बर्ड, कैब, एनआईआरडी तथा फेडाई जैसे संस्थानों में ऋण, सूचना प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा तथा नेतृत्व संबंधी विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 243 अधिकारियों को नामित किया गया। 7 कार्यपालकों ने विदेशों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

9. राजभाषा नीति का अनुपालन :

बैंक ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाए तथा इसके अधीन बनाए गए राजभाषा अधिनियम एवं नियम के उपबंधों के अनुपालनार्थ ध्यानपूर्वक कार्रवाई की। बैंक ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी वार्षिक कार्यक्रम में यथानिहित निदेशों को कार्यान्वित करने हेतु समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की तथा उक्त कार्यक्रम में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भरपूर कोशिश भी की। बैंक ने कार्यालयीन कार्य में हिंदी के प्रयोग से संबंधित वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेश के अनुपालन पर भी विशेष ध्यान दिया।

बैंक द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए छियासी हिंदी कार्यशालाएं, जिनमें मुख्य प्रबंधकों/वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए कार्यशालाएं शामिल हैं, आयोजित की गईं ताकि वे हिंदी में अपना कार्य करने हेतु प्रोत्साहित हो सकें। इन हिंदी कार्यशालाओं के माध्यम से कुल 1711 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में कार्यानिष्ठादन को मूल्यांकित करने हेतु विभिन्न अंचल कार्यालयों में पदस्थ राजभाषा अधिकारियों द्वारा 472 शाखाएं, प्रधान कार्यालय में पदस्थ राजभाषा अधिकारियों द्वारा 10 अंचल कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय के 5 विभागों के निरीक्षण किए गए तथा ऐसे निरीक्षण में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक निवारक उपाय भी किए गए।

बैंक ने विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के तत्वावधान में कई प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक आयोजित कीं, अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को भी 'हिंदी यूनिकोड कार्यशाला' एवं 'हिंदी कार्यशाला' आयोजित करने में मदद की। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अंचल कार्यालय, लखनऊ तथा अंचल कार्यालय, धर्मशाला को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लखनऊ एवं धर्मशाला द्वारा क्रमशः प्रथम पुरस्कार/शील्ड और द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के पर्यवेक्षण में हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कई प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक के प्रधान कार्यालय में कार्यरत स्टाफ-सदस्यों ने 10 पुरस्कार, लखनऊ में कार्यरत स्टाफ-सदस्यों ने 6, रांची और जयपुर में कार्यरत स्टाफ-सदस्यों ने क्रमशः 2-2, रायपुर एवं भागलपुर में कार्यरत स्टाफ-सदस्यों ने क्रमशः 1-1, अहमदाबाद एवं नागपुर में कार्यरत स्टाफ-सदस्यों ने क्रमशः 2-2 एवं चैन्नई में कार्यरत स्टाफ-सदस्यों ने 1 पुरस्कार जीते।

प्रधान कार्यालय तथा अंचल कार्यालयों, सेंट्रल स्टॉफ कॉलेज, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों और शाखाओं में "हिंदी माह", "हिंदी पखवाड़ा" एवं "हिंदी सप्ताह" उत्साहपूर्वक मनाए गए। प्रधान कार्यालय में "हिंदी माह" के दौरान कार्यपालकों/

Training

During the year 2011-12, a total number of 8,160 participants comprising of Officers, Clerks and Sub-staff were trained in the Banks' Central Staff College and five Regional Training Centres through a total of 18 channels.

Over and above this, 243 Officers were nominated for specialized training in Credit, IT, Risk management, Forex, and Leadership programmes to Institutes such as NIBM, IIBM, IDBRT, BIRD, CAB, NIRD, and FEDAI. 7 Executives attended overseas training programmes.

9.COMPLIANCE OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY:

The Bank has taken proactive steps to implement the Official Language Policy of Govt. of India and has meticulously taken steps to comply with the provisions of Official Languages Act and the Rules made thereunder. The Bank has also taken appropriate follow-up action to implement the directives as contained in the Annual programme with regard to the use of Official Language Hindi issued by Government of India, Ministry of Home Affairs, Dept. of Official Language and also endeavoured to achieve various targets prescribed in the said programme. Bank has also given preferred attention to comply with the instructions of Financial Services Department, Ministry of Finance and Reserve Bank of India regarding the use of Hindi in official work.

Eighty six Hindi Workshops, including workshops for Chief Officers/ Senior Officers were organised by the Bank for the Officers and employees to motivate them to do their work in Hindi. Total 1711 Officers / employees were trained through these Hindi Workshops. 472 branches were inspected by Official Language Officers posted at different Zonal Offices, 10 Zonal Offices and 5 depts. of Head Office were also inspected by Official Language Officers posted at Head Office during the period under review to evaluate the performance in the area of implementation of Official Language Policy of Govt. of India and necessary remedial measures were also taken to remove the deficiencies observed in such inspections.

The Bank successfully organised various competitions, rendered editorial assistance to other Public Sector Banks & Financial Institutions in conducting 'HINDI UNICODE WORKSHOP' & 'Hindi workshop' under the auspices of different TOLICs. During the period under review Zonal Office, Lucknow and Zonal Office, Dharamshala were awarded 1st Prize /Shield and 2nd Prize, respectively by TOLIC Lucknow and Dharmashala. In addition, Members of staff of our Bank working at H.O., Kolkata won 10 prizes, Lucknow 6 prizes, Ranchi 2 prizes, Jaipur 2 prizes, Raipur 1 prize, Bhagalpur 1 prize, Ahmedabad 2 prizes, Nagpur 2 prizes, Chennai 1 prize, respectively at various competitions organized on the occasion of "HINDI DIWAS" under the aegis of different TOLICs.

"Hindi Month", "Hindi Fortnight", "Hindi Week" were celebrated enthusiastically at Head Office as well as Zonal Offices, Central Staff College, Regional Training Centres and Branches. During "

अधिकारियों, लिपिक संवर्ग एवं अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रतियोगिताएं तथा राजभाषायी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान हमारे बैंक ने कोलकाता में दिनांक 16 जुलाई, 2011 को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय (सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की मेजबानी सफलतापूर्वक की। भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की गति को तेज करने की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 29 एवं 30 दिसंबर, 2011 को मुंबई में अखिल भारतीय यूको बैंक राजभाषा अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया।

कई फार्म / प्रचार सामग्री / प्रक्रियात्मक पुस्तिकाएं यथा श्रेयधारकों के वार्षिक सामान्य अधिवेशन की रिपोर्ट, अनुदेश पुस्तिकाएं तथा विभिन्न बोर्ड समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त द्विभाषिक रूप में तैयार किए गए। हमारे बैंक की वेबसाइट की सामग्री के हिंदी पाठ भी तैयार किए गए तथा बैंक के एटीएम स्क्रीन में सूचना / दिशानिर्देश, जैसी भी स्थिति हो, त्रैभाषिक स्तर में अर्थात् क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध कराए गए। बैंक द्वारा हिंदी की स्तरीय साहित्य की पुस्तकों, शब्दकोशों, तकनीकी शब्दावलियों, कंप्यूटर/बैंकिंग आदि से संबंधित हिंदी पुस्तकों तथा प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में लिखित विख्यात साहित्यिक पुस्तकों की खरीद के लिए पर्याप्त राशि आबंटित की गई।

10. भावी योजनाएं :

वर्ष 2012-13 को बैंक ने आस्ति एवं देयताएं दोनों ही श्रेणियों में रिटेल बैंकिंग वर्ष के रूप में चिह्नित किया है। हालांकि बैंक वसूली पर लगातार बल देता रहेगा। बैंक ने मार्च, 2013 तक तीन लाख करोड़ का कुल कारोबार सहित 2500 से अधिक शाखा-नेटवर्क के दो महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बैंक प्रौद्योगिकी को उन्नत करने की ओर विशेष बल देगा ताकि व्यापार पुनर्विन्यास प्रक्रिया के माध्यम से कार्य करते हुए वह प्रयोक्ता-हितैषी बन सके।

III. निदेशक मंडल :

11. कारपोरेट अभिशासन :

उत्तम कारपोरेट अभिशासन पर बैंक का अटूट विश्वास है तथा वह लगातार इस पर अमल करता रहा है। यह पारदर्शिता, पेशेवर मानसिकता तथा दायित्वबोध के अपने आधारभूत मूल्यों से संरचित है। अपने दैनंदिन परिचालन संबंधी इन पहलुओं पर निरंतर बल देते हुए बैंक श्रेयधारकों की मान्यता को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा है। उत्तम अभिशासन के सिद्धांतों के प्रति बैंक के वचनबद्ध होने के नाते इसके निदेशक मंडल ने बैंक-कारोबार के प्रत्येक पहलू पर निगरानी रखने के लिए निदेशक मंडल की विविध समितियों का गठन किया है।

कमजोर क्षेत्रों, यदि कोई हों, की पहचान करने और उन्हें मजबूत करने हेतु बैंक की प्रणालीगत एवं कारोबार संबंधी प्रक्रियाओं की लगातार समीक्षा विभिन्न स्तरों पर की जाती है। बैंक के निदेशकों का यह विश्वास है कि उत्तम अभिशासन ही ग्राहकों, कारोबार सहयोगियों, कर्मचारियों तथा निवेशकों की आस्था, निष्ठा एवं सदिच्छा तथा समग्रतः समाज का सम्मान अर्जित करने की कुंजी है।

निदेशक मंडल में परिवर्तन

भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप श्री एस. चन्द्रशेखरन ने दिनांक 01/10/2011 के प्रभाव से बैंक के कार्यपालक निदेशक के स्तर में कार्यभार ग्रहण किया। श्री एस.के. सिन्हा ने दिनांक 10.06.2008 से

Hindi Month " at Head Office, Hindi Competitions and various Official Language awareness programmes for the Executives/ Officers, Clerks and Sub-Staffs were organised.

During the period under review Our Bank successfully hosted the meetings of Official Language Implementation Committee of Financial Services Dept., Ministry of Finance (for Public Sector Banks and Financial Institutions) and Public Sector Banks under the auspices of Reserve Bank of India in Kolkata on 16th July, 2011. In view of the requirement to accelerate the pace of implementation of Official Language Policy of Govt. of India, All India UCO Bank Official Language Officers' Conference was organised in Mumbai on 29th and 30th December, 2011.

Various forms / publicity materials / procedural booklets viz. report of Annual General meeting of Shareholders, Manual of Instructions and Minutes of various Board Committees were prepared in bilingual form. Hindi text of the materials for our Bank's Website was also prepared and in ATM Screen of the Bank information / guidelines, as the case may be, were made available in trilingual form i.e. in Regional Language, Hindi and English. Sufficient amount was allocated by the Bank for the purchase of classic literary Hindi books, dictionaries, technical glossaries, Hindi books on computer/banking etc. and famous literary books in regional languages written by renowned litterateurs.

10.FUTURE PLANS:

The year 2012-13 shall be the year of Retail Banking in both asset and liability category for the Bank. However, the Bank shall continue to focus on Recovery. The Bank shall be aiming at crossing two major milestones such as total business of more than three lac crore rupees and branch network of more than 2500 by March, 2013. The Bank shall also be focusing on more leveraging technologies to make the Bank more user friendly by working through business reengineering processes.

III. BOARD OF DIRECTORS:

11. CORPORATE GOVERNANCE:

The Bank firmly believes in and has consistently practiced good corporate governance which is woven around its core values of transparency, professionalism and accountability. By constantly focussing on these aspects in its day-to-day operations, the Bank strives to enhance shareholders' value. The Bank being committed to the principles of good governance, its Board of Directors has formed various committees of the Board to monitor every aspect of Bank's business.

The systems and business processes of the Bank are continuously reviewed at various levels for identifying and strengthening areas of weaknesses, if any. The Directors of the Bank believe that good governance is the key to earning trust, loyalty and goodwill of clients, business associates, employees and investors and respect from the society at large.

Changes in the Board of Directors

On being appointed by the Government of India, Shri S. Chandrasekharan took over as the Executive Director of the Bank w.e.f. 01.10.2011. Shri S. K. Sinha served as the Government

दिनांक 21/07/2011 तक बोर्ड में भारत सरकार के नामिती के रूप में कार्य किया। तदुपरांत, डॉ. के.एल. प्रसाद ने दिनांक 22/07/2011 से दिनांक 01/12/2011 तक बैंक के सरकारी नामिती निदेशक के रूप में कार्य किया। श्री प्रवीण रावल को सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। श्री मनोज कुमार गुप्ता दिनांक 02/08/2011 को सनदी लेखाकार निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

कार्पोरेशन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने पर श्री अजय कुमार ने दिनांक 30/09/2011 को बैंक के कार्यपालक निदेशक का पद त्याग दिया। मो. अखरुज्जमां, जिन्होंने दिनांक 14/07/2010 को बोर्ड में कार्यभार ग्रहण किया था, दिनांक 18/05/2011 को बैंक के निदेशक का पद त्याग दिया। एक और निदेशक श्री जयदेव गुप्ता ने दिनांक 13/06/2011 को बोर्ड से त्यागपत्र दे दिया। अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद श्री संजीव जैन दिनांक 02/03/2012 से निदेशक नहीं रहे।

निदेशक मंडल की बैठक

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की 15, निदेशक मंडल की प्रबंध समिति की 21 और निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति की 11 बैठकों का आयोजन किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान निदेशक मंडल की अन्य विभिन्न समितियों द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या निम्नलिखित है :

क्रम सं. Sl No.	समिति का नाम Name of the Committee	आयोजित बैठकों की संख्या No. of Meetings held
1.	जोखिम प्रबंध समिति Risk Management Committee	4
2.	शेयरधारक शिकायत निवारण समिति Shareholders' Grievance Redressal Committee	2
3.	शेयर अंतरण समिति Share Transfer Committee	12
4.	बड़ी राशि की कपटों पर निगरानी रखने हेतु विशेष समिति Special Committee for Monitoring Large-value Frauds	4
5.	निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति Customer Service Committee of the Board	4
6.	बैंक की मानव संसाधन संबंधी मुद्दों की समिति Committee on HR-related issues of the Bank	5
7.	निदेशक मंडल की नामांकन समिति Nomination Committee of the Board	2
8.	निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति Remuneration Committee of the Board	1
9.	निदेशक मंडल की सू.प्रौ. प्रबंधन समिति Committee of the Board on IT Management	1

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण :

निदेशकगण यह पुष्टि करते हैं कि 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखे में –

तात्कालिक विचलन से, यदि कोई हो, संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखा-प्रणाली मानक का प्रयोग किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार बनाई गई लेखा नीतियों को एकरूपता से लागू किया गया है।

Nominee Director in the Board from 10.06.2008 to 21.07.2011. Thereafter, Dr. K. L. Prasad served as the Government Nominee Director of the Bank from 22.07.2011 to 01.12.2011. With effect from 02.12.2011, Shri Pravin Rawal has been appointed as Government Nominee Director. Shri Manoj Kumar Gupta was appointed as Chartered Accountant Director on 02.08.2011.

Shri Ajai Kumar relinquished the charge of Executive Director of the Bank on 30.09.2011 on his appointment as Chairman & Managing Director of Corporation Bank. Md. Akhruzzaman who joined the Board on 14.7.2010, resigned as Director of the Bank on 18.05.2011. Another Director Shri Jai Dev Gupta resigned from the Board on 13.06.2011. Shri Sanjeev Jain, on completion of his tenure ceased to be a Director from 02.03.2012.

Meetings of the Board of Directors

During the financial year 2011-12, the Bank had 15 meetings of the Board of Directors, 21 meetings of the Management Committee of the Board, 11 meetings of the Audit Committee of the Board. The number of meetings of various other Committees of the Board held during the year 2011-12 are given below.

Statement of Directors' Responsibilities

The Directors confirm that in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2012 -

The applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures, if any.

The accounting policies framed in accordance with the guidelines of Reserve Bank of India, were consistently applied.

उचित और विवेकसम्मत निर्णय और प्राक्कलन किए गए ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में बैंक के कार्य की स्थिति तथा दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष में बैंक के लाभ की सच्ची और सही छवि उभर सके।

भारत के बैंकों को शासित करनेवाली प्रयोज्य विधियों के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेख के रख-रखाव की ओर समुचित एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया; और लेखे सतत आधार पर तैयार किए गए हैं।


आभार

निदेशक मंडल बोर्ड के विचार-विमर्श के समय अपना योगदान देने हेतु निवर्तमान कार्यपालक निदेशक श्री अजय कुमार तथा निवर्तमान निदेशकों नामतः मो. अखरुज्जमां, डॉ. के.एल. प्रसाद, श्री जयदेव गुप्ता, श्री एस.के. सिन्हा और श्री संजीव जैन की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

बोर्ड नए निदेशकों का स्वागत करता है तथा बैंक की संवृद्धि में उनके बहुमूल्य सुझाव की प्रत्याशा करता है। निदेशकगण भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य नियामक प्राधिकरणों के प्रति उनके समर्थन और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञ है।

निदेशक मंडल अन्य वित्तीय संस्थाओं तथा संपर्की बैंकों को उनके भरपूर सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशकगण निष्ठावान ग्राहकों के भी आभारी हैं जिन्होंने बैंक पर आस्था रखी और उसे लगातार संरक्षण दिया। बोर्ड बैंक की स्टॉफ यूनियनों / एसोसिएशनों तथा बैंक के शेयरधारकों के समर्थन के लिए उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशकगण बैंक के प्रत्येक कर्मचारी की समर्पित भावना की हार्दिक सराहना करते हैं जिसकी वजह से बैंक कई कीर्तिमान स्थापित कर सका।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से,



दिनांक : 5 मई, 2012
स्थान : कोलकाता

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Reasonable and prudent judgements and estimates were made so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit of the Bank for the year ended March 31, 2012.

Proper and sufficient care was taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of applicable laws governing banks in India; and the accounts have been prepared on an on-going basis.


Acknowledgements

The Board of Directors places on record its deep appreciation of the contributions made to the deliberations of the Board by outgoing Executive Director, Shri Ajai Kumar and other outgoing Directors namely, Md. Akhruzzaman, Dr. K. L. Prasad, Shri Jai Dev Gupta, Shri S. K. Sinha and Shri Sanjeev Jain.

The Board would like to welcome the new Directors and looks forward to their valuable inputs towards growth of the Bank. The Directors remain thankful to the Government of India, Reserve Bank of India and other regulatory authorities for their support and valuable guidance.

The Board also thanks other Financial Institutions and correspondent banks for their sincere co-operation. The Directors express their gratitude to the loyal customers for their trust and continuous patronage of the Bank. The Board also thanks the Staff Unions/Associations and shareholders of the Bank for the support extended by them. The Directors place on record their deep appreciation of the dedication shown by each employee of the Bank due to which the Bank could achieve so many milestones.

For and on behalf of Board of Directors,



Dated: 05th May, 2012
Place: Kolkata

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director

कारपोरेट अभिशासन से संबंधित रिपोर्ट

1. बैंक का कारपोरेट अभिशासन दर्शन

यूको बैंक का कारपोरेट अभिशासन दर्शन उसके कार्य में निहित उच्च-स्तरीय नैतिक मूल्यों को बनाए रखना है। बैंक की कारपोरेट अभिशासन नीतियां पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता के महत्वपूर्ण मूल्यों पर केंद्रित हैं। बैंक अपने सभी हितधारकों एवं समाज को अधिकतम महत्व देने हेतु कारपोरेट अभिशासन को और अधिक समृद्ध करने के लिए अपने सर्वोत्तम पद्धति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के प्रति लगातार प्रयासरत है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंककारी कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 के उपबंधों द्वारा शासित होता है। कारपोरेट अभिशासन संबंधी आवश्यकताओं को जैसा कि स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार में दिया गया है, इन संविधियों के साथ पढ़ा जाए।

बैंक के निदेशक अनुभवी हैं तथा उन्हें बैंक को उपयुक्त दिशा प्रदान करने एवं बैंक की कार्यप्रणाली पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु बैंकिंग, वित्त और प्रबंधन आदि के क्षेत्र में आवश्यक विशेषज्ञता हासिल है।

- 2.1 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दो कार्यपालक निदेशक भारत सरकार द्वारा नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक हैं जबकि अन्य निदेशकों को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) धारा 9(3) (क) से 9(3) (ज) तक की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत नियुक्त/नामांकित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 9(3) (झ) के अधीन दो निदेशकों का निर्वाचन शेयरधारक (केन्द्र सरकार से भिन्न) द्वारा कर सकते हैं।

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

1. Corporate Governance Philosophy of the Bank :

UCO Bank's Corporate Governance Philosophy is to maintain high standards of ethical practices in conduct of its business. The Bank's Corporate Governance policies are woven around the core values of transparency and professionalism. The Bank constantly endeavors to ensure implementation of best practices aimed at enhancing the corporate governance that optimize the value of all its stakeholders and the society, at large.

2. Board of Directors

The constitution of the Board of Directors is governed by the provisions of the Banking Regulation Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Misc. Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. The requirements of Corporate Governance as envisaged in the Listing Agreement with the Stock Exchanges are to be read along with these statutes.

The Directors are experienced and have requisite expertise in the field of Banking, Finance, and Management so as to provide appropriate directions and exercise effective control in the functioning of the Bank.

- 2.1 The Chairman & Managing Director and two Executive Directors are the whole time directors appointed by the Govt. of India while the other Directors are appointed/nominated under different sections of 9(3) (a) to 9(3) (h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970 (hereinafter referred as Act).

Besides, under Section 9(3) (i) of the same Act, the shareholders of the Bank are entitled to elect three directors (other than the Central Government) from among themselves.

2.2.0 दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल का संघटन :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के उपबंधों के अनुसार बोर्ड का गठन किया गया है।

2.2.0 Composition of the Board of Directors as on 31.3.2012 :

The Board is constituted in accordance with the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

क्रम सं.	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कार्यग्रहण करने की तारीख	यूको बैंक के निदेशक मंडल की जिस समिति (जिन समितियों) में सदस्य हैं	दिनांक 31.03.12 की स्थिति के अनुसार निदेशकों द्वारा धारित यूको बैंक के शेयर
Sl. No.	Name & Designation of the Director	Date of joining the office	Membership in Board Committee(s) of UCO Bank	Holding of UCO Bank shares by the Directors as on 31.03.12
1)	श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Arun Kaul, Chairman & Managing Director	01.09.2010	सीएससी, एमसीबी, आरएमसीबी, एसएमएलवीएफ, सीएचआर, सीआईटी एवं एफआई CSC, MCB, RMCB, SMLVF, CHR, CIT&FI	—
2)	श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यापालक निदेशक, Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director	01.09.2010	एसीबी, एसटीसीबी, एसजीआरसीबी, सीएससी, एमसीबी, आरएमसीबी, एसएमएलवीएफ, सीएचआर, सीआईटी एवं एफआई ACB, STCB, SGRCB, CSC, MCB, RMCB, SMLVF, CHR, CIT&FI	—
3)	श्री एस. चन्द्रशेखरन् कार्यापालक निदेशक, Shri S. Chandrasekharan Executive Director	01.10.2011	एसीबी, एसटीसीबी, एसजीआरसीबी, सीएससी, एमसीबी, आरएमसीबी, एसएमएलवीएफ, सीएचआर, सीआईटी एवं एफआई ACB, STCB, SGRCB, CSC, MCB, RMCB, SMLVF, CHR, CIT&FI	—
4)	श्री प्रवीण रावल सरकार के नामिती निदेशक Shri Pravin Rawal Govt. Nominee Director	02.12.2011	एसीबी, सीएससी, एनसीबी, आरसीबी, आरएमसीबी एसएमएलवीएफ, सीएचआर, सीआईटी एवं एफआई ACB, CSC, NCB, RCB, RMCB, SMLVF, CHR, CIT&FI	—
5)	श्रीमती उमा शंकर भारतीय रिजर्व बैंक की नामिती निदेशक Smt. Uma Shankar RBI Nominee Director	30.07.2010	एसीबी, आरसीबी, एमसीबी ACB, RCB, MCB,	—
6)	श्री मनोज कुमार गुप्ता अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक Shri Manoj Kumar Gupta Part time Non-Official Director	02.08.2011	एसीबी, एनसीबी, एमसीबी, आरएमसीबी, एसएमएलवीएफ ACB, NCB, MCB, RMCB, SMLVF	—
7)	श्री राम अवतार शर्मा, कामगार कर्मचारी निदेशक Shri Ram Avtar Sharma, Workmen Employees' Director	15.02.2010	एसटीसीबी, सीएससी, एनसीबी, एमसीबी, आरएमसीबी, सीएचआर, सीआईटी एवं एफआई STCB, CSC, NCB, MCB, RMCB, CHR, CIT&FI	—
8)	प्रो.सेबास्टियन लुकोस मॉरिस शेयरधारक निदेशक Prof. Sebastian Luckose Morris, Shareholder Director	13.07.2010	एसीबी, एसटीसीबी, एसजीआरसीबी, सीएससी, एनसीबी, आरसीबी, एमसीबी, सीएचआर, सीआईटी एवं एफआई ACB, STCB, SGRCB, CSC, NCB, RCB, MCB, CHR, CIT&FI	100

एसीबी = निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति, **सीएचआर** = बैंक के मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति, **सीएससी** = ग्राहक सेवा समिति, **एमसीबी** = निदेशक मंडल की प्रबंध समिति, **एनसीबी** = निदेशक मंडल की नामांकन समिति, **आरसीबी** = निदेशक मंडल की पारिश्रमिक समिति, **आरएमसीबी** = निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति, **एसजीआरसीबी** = निदेशक मंडल की शेयरधारक शिकायत निवारण समिति, **एसटीसीबी** = निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति, **एसएमएलवीएफ** = अधिक राशि के कपट की निगरानी हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति, **सीआईटी एवं एफआई** = सू.प्रौ एवं वित्तीय समावेशन समिति।

ACB = Audit Committee of the Board, **CHR** = Committee on HR related issues of the Bank, **CSC** = Customer Service Committee, **MCB** = Management Committee of the Board, **NCB** = Nomination Committee of the Board, **RCB** = Remuneration Committee of the Board, **RMCB** = Risk Management Committee of the Board, **SGRCB** = Shareholders' Grievance Redressal Committee of the Board, **STCB** = Share Transfer Committee of the Board, **SMLVF** = Special Committee of the Board for Monitoring Large Value Frauds, **CIT & FI** = Committee on IT & Financial Inclusion.

2.2.1 31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त / त्यागपत्र दिए निदेशक

2.2.1 Directors who retired/resigned during the year ended on 31.03.2012

क्रम.सं०	निदेशक का नाम	कार्यग्रहण की तारीख	निदेशक के पद की समाप्ति की तारीख	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित रहे/ जो आयोजित हुई
Sl.No.	Name of the Director	Date of joining	Date of cessation of Directorship	No. of Board meetings attended/ held during his/her tenure.
1.	श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक Shri Ajai Kumar Executive Director	01.07.2009	30.09.2011	7/7
2.	श्री समीर कुमार सिन्हा सरकार के नामिती निदेशक Shri Samir Kumar Sinha Govt. Nominee Director	10.06.2008	22/07/2011	1/2
3.	श्री के.एल.प्रसाद सरकार के नामिती निदेशक Shri K.L. Prasad Govt. Nominee Director	22.07.2011	02.12.2011	6/6
4.	श्री जयदेव गुप्त अंश कालिक गैर - सरकारी निदेशक Shri Jaidev Gupta Part time Non-Official Director	04.07.2008	13.06.2011	1/2
5.	श्री संजीव जैन अंश कालिक गैर - सरकारी निदेशक Shri Sanjeev Jain Part time Non-Official Director	03.03.2009	03.03.2012	14/14
6.	मो. अखरुज्जमां अंश कालिक गैर - सरकारी निदेशक Md. Akhruzzaman Part time Non-Official Director	14.07.2010	18.05.2011	1/2

2.2.2 वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, अन्य बोर्ड समितियों की संख्या जिनके वे वर्ष के दौरान सदस्य रहे या अध्यक्ष रहे एवं ऐसी अन्य कंपनियों / निगमों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं जिनमें वे निदेशक रहे हैं :

2.2.2 The details of the attendance of each Director at the Board Meetings held during the year, no. of other Board Committees where he/she is a member or Chairperson during the year and directorship of other companies/ corporations are furnished hereunder :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	बोर्ड की समितियों की सं., जिनमें सदस्य हैं	अन्य कंपनी आदि , जिनमें निदेशक हैं
Name of Director	No. of Meetings Attended/Held (during the period of their tenure)	Member of Board's Committees (Number)	Other directorship
वर्तमान सदस्य / Present Members			
श्री अरुण कौल			
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक			
Shri Arun Kaul Chairman & Managing Director	15/15	6	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन			
कार्यपालक निदेशक			
Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director	15/15	9	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन्			
कार्यपालक निदेशक			
Shri S. Chandrasekharan Executive Director	8/8	9	-
श्री प्रवीण रावल			
सरकार के नामिती निदेशक			
Shri Pravin Rawal Govt. Nominee Director	4/5	8	-
श्रीमती उमा शंकर			
भारतीय रिजर्व की नामिती निदेशक			
Smt. Uma Shankar RBI Nominee Director	11/15	3	-
श्री मनोज कुमार गुप्त			
अंश कालिक गैर सरकारी निदेशक			
Shri Manoj Kumar Gupta Part time Non-Official Director	9/10	5	-
श्री राम अवतार शर्मा,			
कामगार कर्मचारी निदेशक			
Shri Ram Avtar Sharma Workmen Employees', Director	14/15	7	-
प्रो.सेबास्टियन लुकोस मॉरिस			
शेयरधारक निदेशक			
Prof. Sebastian Luckose Morris, Shareholder Director	10/15	9	गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कं. (जीईटीसीओ) आइडिया टेलिकॉम सेंटर ऑफ एक्सेलेंस (आईआईटीसीओई) Gujarat Energy Transmission CO (GETCO) Idea Telecom Centre of Excellence (IITCOE)
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS			
श्री अजयकुमार			
कार्यपालक निदेशक			
Shri Ajai Kumar Executive Director	7/7	9	-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	बोर्ड की समितियों की सं., जिनमें सदस्य हैं	अन्य कंपनी आदि, जिनमें निदेशक हैं
Name of Director	No. of Meetings Attended/Held (during the period of their tenure)	Member of Board's Committees (Number)	Other directorship
श्री समीर कुमार सिन्हा सरकार के नामित निदेशक Shri Samir Kumar Sinha, Govt. Nominee Director	1/2	8	-
श्री जयदेव गुप्त अंश कालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Jai Dev Gupta, Part time Non-official Director	1/2	5	-
श्री संजीव जैन अंश कालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Sanjeev Jain Part time Non-official Director	14/14	7	- आईनॉक्स लेजर लि. एवं अशोक बिहार क्लब Inox Leisure Ltd & Ashok Vihar Club
मो. अखरुज्जमां अंश कालिक गैर - सरकारी निदेशक Md. Akhruzzaman, Part time Non-official Director	1/2	2	
श्री के.एल.प्रसाद सरकार के नामित निदेशक Shri K.L. Prasad Govt. Nominee Director	6/7	8	

2.2.3 बोर्ड की बैठकों की तारीख

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1970 के खंड 12 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम 6 बैठकें तथा सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम 4 बैठकों की तुलना में निम्नलिखित तारीखों को बोर्ड की 15 बैठकें आयोजित की गईं :

29.04.2011	06.07.2011	26.09.2011	11.11.2011	01.02.2012
17.05.2011	27.07.2011	17.10.2011	03.12.2011	01.03.2012
27.06.2011	05.09.2011	31.10.2011	06.01.2012	26.03.2012

2.2.3 Dates of Board Meetings

During the period of review, 15 Board Meetings were held on following dates, as against minimum of 6 prescribed under Clause 12 of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and minimum of four meetings stipulated in Clause 49 of Listing Agreement :

2.2.4 निदेशक मंडल के नए निदेशकों का जीवनवृत्त :

श्री एस.चन्द्रशेखरन् , कार्यपालक निदेशक :

श्री एस.चन्द्रशेखरन्, आयु 57 वर्ष, दिनांक 01.10.2011 से बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान पद पर आने से पहले श्री एस.चन्द्रशेखरन्, इंडियन ओवरसीज बैंक में महाप्रबंधक थे। उन्हें इंडियन ओवरसीज बैंक में लगभग 35 वर्षों तक विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। श्री एस.चन्द्रशेखरन् को पूरे देश में एवं विदेश में कॉर्पोरेट क्रेडिट, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग एवं मानव संसाधन प्रबंध के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का विशेष अनुभव रहा है।

2.2.4 Brief profiles of new directors on the Board :

Shri S. Chandrasekharan, Executive Director:

Shri S. Chandrasekharan, 57 years, is the Executive Director of the Bank with effect from 01.10.2011. Prior to the current assignment, Shri S Chandrasekharan, was General Manager at Indian Overseas Bank. He occupied several distinguished positions in his career spanning around 35 years at Indian Overseas Bank. Sri S Chandrasekharan has worked extensively throughout the country and abroad with varied exposure to corporate credit, international banking and human resource management.

श्री प्रवीण रावल, निदेशक :

श्री प्रवीण रावल, निदेशक को दिनांक 02.12.2011 को भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त किया गया। वे दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और भारतीय राजस्व सेवा के सदस्य थे। उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया।

श्री मनोज कुमार गुप्त, निदेशक :

श्री मनोज कुमार गुप्त, निदेशक सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत हमारे बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक निदेशक के रूप में नामित किए गए हैं। वे सनदी लेखाकार एवं विधि स्नातक हैं। उन्हें लेखापरीक्षा, कराधान, कंपनी लाँ आदि के क्षेत्र में 18 वर्षों का अनुभव है।

3.0 निदेशक मंडल की समितियाँ :

भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों/निदेशों के अनुसरण में बैंक में निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य निर्णय प्रक्रिया को सुचारु और कारगर बनाना, समितियों के विचारार्थ विषयों के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न कार्यकलापों की प्रभावी मानीटरिंग करना एवं उनपर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। विभिन्न स्थायी समितियों के विवरण नीचे दर्शाए गए हैं :

3.1.0 निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (ए सी बी) :

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशानुसार हमारे बैंक ने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया है जिसमें स्टॉक एक्सचेंजों के साथ संशोधित सूचीकरण करार के खंड 49 में निर्धारित न्यूनतम तीन निदेशकों की जगह छह निदेशक हैं। समिति के सभी निदेशक वित्तीय रूप से शिक्षित हैं और समिति के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गुप्त, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के वरिष्ठ अधिसदस्य हैं।

3.1.1. प्राथमिक उद्देश्य :

यह एक सशक्त प्रबंधकीय व्यवस्था के रूप में लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण की प्रभाविता को सुनिश्चित करने और बढ़ाने हेतु बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण कार्य का सर्वेक्षण, समीक्षा करती है एवं निदेश देती है। आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति इन उद्देश्यों के अनुसार बैंक के आंतरिक निरीक्षण / लेखापरीक्षा संबंधी कार्य-उसकी प्रणाली, गुणवत्ता एवं प्रभाविता की समीक्षा करती है। जहां तक बाह्य लेखापरीक्षा का संबंध है, समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त यह लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मसौदे में लेखांकन नीतियों, प्रथाओं, अंक-संबंधी, अहंताओं में परिवर्तन तथा लेखांकन मानक के अनुपालन के विशेष संदर्भ में समीक्षाकृत/लेखापरीक्षित लेखों को अंतिम रूप दिए जाने के पूर्व बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों/समस्याओं के संबंध में भी कार्रवाई करती है। यह समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा-कार्य, समाधान, कपट एवं अन्य संबंधित विषयों की भी समीक्षा करती है।

Sri. Pravin Rawal, Director

Sri. Pravin Rawal, Director was appointed as Government nominee Director on the Board of the Bank by the Government of India on 02.12.2011. He was Master in Philosophy and a member of Indian Revenue Service. He worked in various capacities in Ministry of Finance, Government of India.

Sri. Manoj Kumar Gupta, Director

Sri. Manoj Kumar Gupta, Director has been nominated on the Board of our Bank as part time director under Chartered Accountant category. He is a Chartered Accountant and a Law Graduate. He possesses 18 years experience in the field of Audit, taxation, Company Law etc.

3.0 Committees on the Board:

Pursuant to the instructions/guidelines/directives issued by the Reserve Bank of India, Government of India, various committees of directors have been constituted with the objectives of streamlining the decision making process, effective monitoring and follow up of various activities falling within the terms of references of such committees. Particulars of the various standing committees are as under:

3.1.0 Audit Committee of the Board (ACB):

As per directives of RBI, the Bank constituted the Audit Committee of the Board with six directors as against minimum of three directors stipulated in Clause 49 of the Listing Agreements entered with Stock Exchanges. All the Directors in the committee are financially literate and Shri Manoj Kumar Gupta, Chairman of the Committee, is a senior fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

3.1.1. Primary objectives:

It oversees, reviews and provides directions to the internal audit/inspection function in the Bank in order to ensure and enhance the effectiveness of the audit and inspection function as a strong management tool. In respect of internal audit, the Audit Committee of the Board reviews the internal inspection/audit function of the Bank – the system, its quality and effectiveness in terms of the objectives. As regards external audit, the committee reviews all the issues raised in the Long Form Audit Report. Besides, it interacts with the external auditors before finalization of reviewed/audited accounts with special reference to change in accounting policies, practices, qualification in the draft audit report and compliance with the accounting standards. It also addresses all issues/concerns raised in inspection report of RBI. The committee also reviews the internal control system, the areas of house keeping, reconciliation, fraud and other related matters.

3.1.2 ए सी बी का संघटन और वर्ष 2011-12 के दौरान ए सी बी के सदस्य जिन बैठकों में उपस्थित रहे, उनकी संख्या

3.1.2 Composition of the ACB and number of meetings attended by the members of ACB during the year 2011-12

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे/आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री मनोज कुमार गुप्त निदेशक एवं एसीबी अध्यक्ष Shri Manoj Kumar Gupta Director & Chairman of ACB	3/3	दिनांक 07.01.2012 से सदस्य एवं दिनांक 03.03.2012 से समिति के अध्यक्ष Member from 07.01.2012 and Chairman of the committee from 03.03.2012
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director & Member of ACB	11/11	-
श्री एस. चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan Executive Director & Member of ACB	5/5	01.10.2011 से सदस्य Member from 01.10.2011
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Pravin Rawal Director & Member of ACB	2/4	02.12.2012 से सदस्य Member from 02.12.2012
श्रीमती उमा शंकर निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Smt. Uma Shankar, Director & Member of ACB	10/11	-
प्रो.सेबास्टियन लुकोस मॉरिस निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Sebastian Luckose Morris Director & Member of ACB	1/1	03.03.2012 से सदस्य Member from 03.03.2012
श्री राम अवतार शर्मा निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Ram Avtar Sharma Director and Member of ACB	10/10	06.01.2012 से सदस्य नहीं रहे। Ceased to be member from 06.01.2012
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS		
श्री संजीव जैन निदेशक एवं एसीबी सदस्य Shri Sanjeev Jain Director & Chairman of ACB	10/10	02.03.2012 से सदस्य नहीं रहे। Ceased to be member from 02.03.2012
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं एसीबी के सदस्य Shri Ajai Kumar Executive Director & Member of ACB	5/5	30.09.2011 से सदस्य नहीं रहे। Ceased to be member from 30.09.2011
श्री एस.के.सिन्हा निदेशक एसीबी के सदस्य Shri. S. K Sinha Director & Member of ACB	1/2	27.07.2011 से सदस्य नहीं रहे। Ceased to be member from 22/07/2011
श्री के.एल.प्रसाद निदेशक एसीबी के सदस्य Shri K.L. Prasad Director & Member of ACB	4/5	22.07.2011 से 02.12.2011 तक सदस्य रहे। Member from 22.07.2011 to 02.12.2011

3.1.3 एसीबी की बैठकों के आयोजन की तारीख :

सूचीकरण कारोबार के खंड 49 में यथानिर्धारित एक वर्ष में न्यूनतम चार बैठकों के स्थान पर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की 11 (ग्यारह) बैठकें आयोजित की गईं। बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

29.04.2011	27.07.2011	11.11.2011	29.02.2012
17.05.2011	21.09.2011	21.12.2011	13.03.2012
11.06.2011	31.10.2011	01.02.2012	

3.2.0 निदेशक मंडल की प्रबंध समिति (एमसीबी) :

समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 के उपबंधों के अनुसार किया गया है। इसके सदस्य हैं- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशकगण, सनदी लेखाकार निदेशक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ख), (ग) में निर्दिष्ट निदेशक तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) के खंड (घ), (ङ), (च), (ज) एवं (झ) में निर्दिष्ट निदेशकों में से निदेशक मंडल द्वारा नामित दो निदेशक। निदेशक मंडल द्वारा नामित निदेशक एक बार में छह महीने से अधिक समय तक पद पर नहीं रहेंगे। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एमसीबी के अध्यक्ष हैं।

3.2.1 समिति का उद्देश्य निम्नलिखित पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है :

- अधिक राशि के उधार / ऋण, समझौता और बड़े खाते डालने के प्रस्ताव।
- पूँजीगत और राजस्व व्यय हेतु तथा परिसर के अधिग्रहण और किराए पर लेने से संबंधित अधिक राशि के प्रस्ताव, जिसमें परिसर के अधिग्रहण/ किराए पर लेने हेतु निर्धारित मानदंडों से विचलन भी शामिल है।
- कंपनियों के शेयरों / डिबेंचरों में निवेश सहित सरकारी तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में अधिक राशि का निवेश करने के लिए प्रस्ताव और हामीदारी, दान देने संबंधी अधिक राशि के प्रस्ताव एवं
- निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर उसके पास भेजे गए इसी प्रकार के कोई अन्य मामले।

3.2.2 बोर्ड की प्रबंध समिति (एमसीबी) का संघटन एवं वर्ष 2011-12 के दौरान बोर्ड की प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा उपस्थित बैठकों की संख्या :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान बैठकों में उपस्थिति/आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks

वर्तमान सदस्य/Present Members

श्री अरुण कौल,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं एमसीबी के अध्यक्ष

Shri Arun Kaul

CMD & Chairman of MCB

20/20

-

श्री एन.आर.बद्रीनारायणन

कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य

Shri N.R. Badrinarayanan

ED & Member of MCB

20/20

-

3.1.3 Dates on which ACB Meetings were held:

During the year under review, 11 (eleven) meetings of the Committee were held vis-a-vis minimum of four meetings in a year, stipulated in Clause 49 of the Listing Agreement. The meetings were held on following dates:

29.04.2011	27.07.2011	11.11.2011	29.02.2012
17.05.2011	21.09.2011	21.12.2011	13.03.2012
11.06.2011	31.10.2011	01.02.2012	

3.2.0 Management Committee of the Board (MCB) :

The Committee is constituted as per Provisions of Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provision) Scheme 1970. Its members are Chairman & Managing Director, Executive Directors, Chartered Accountant Director and directors referred to under clauses (b), (c) of sub-section (3) of Section 9 of Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970., and two Directors nominated by the Board from amongst the Directors referred to Clauses (d), (e), (f), (h) and (i) of Section 9(3) of the Banking companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970. The Directors nominated by the Board shall hold office for not more than six months at a time. The Chairman & Managing Director is the Chairman of MCB.

3.2.1 The objectives of the committee are to consider and approve: -

- high value credit/loan, compromise and write off proposals.
- high value proposals for capital and revenue expenditure and those relating to acquisition and hiring of premises including deviation from prescribed norms for acquisition/ hiring of premises.
- Proposal for high value investments in Govt. and other approved securities including investment in shares/ debentures of companies as well as high value proposals of underwriting, making donations and
- Any other matter of similar nature referred to it by the Board from time to time.

3.2.2 Composition of the Management Committee (MCB) of the Board and the number of meetings attended by the members of MCB during the year 2011-12

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of MCB	12/12	01.10.2011 से सदस्य Member from 01.10.2011
श्रीमती उमा शंकर निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Smt. Uma Shankar Director & Member of MCB	14/20	-
श्री मनोज कुमार गुप्त निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Manoj Kumar Gupta Director & Member of MCB	12/14	06.09.2011 से सदस्य Member from 06.09.2011
श्री आर.ए.शर्मा निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri R.A. Sharma Director & Member of MCB	8/9	28.11.2011 से सदस्य Member from 28.11.2011
प्रो.एस.एल.मॉरिस निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Prof. S.L. Morris Director & Member of MCB	5/5	07.01.2012 से सदस्य Member from 07.01.2012
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS		
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Ajai Kumar ED & Member of MCB	8/8	30.09.2011 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be director from 30.09.2011
श्री संजीव जैन निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Shri Sanjeev Jain Director & Member of MCB	19/19	02.03.2012 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be director from 02.03.2012
मो.अखरुज्जमां निदेशक एवं एमसीबी के सदस्य Md. Akhruzzaman Director & Member of MCB	1/2	18.05.2011 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be director from 18.05.2011
श्री जय देव गुप्त अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Shri Jai Dev Gupta, Part time Non-official Director	3/3	13.06.2011 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be director from 13.06.2011

3.2.3.समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को एमसीबी की 20 बैठकें आयोजित की गई :

3.2.3 During the period under review, 20 meetings of MCB were held on following dates :

28.04.2011	09.08.2011	11.11.2011	18.01.2012
16.05.2011	06.09.2011	03.12.2011	02.02.2012
10.06.2011	26.09.2011	13.12.2011	13.02.2012
27.06.2011	17.10.2011	24.12.2011	01.03.2012
28.07.2011	31.10.2011	06.01.2012	13.03.2012

3.3.0. निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी) :

3.3.1. यह समिति बैंक के कारोबार में आनेवाली विभिन्न प्रकार की जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, निगरानी करती है तथा बैंक को संबंधित दिशानिर्देश देती है और आवधिक समीक्षा एवं निगरानी के आधार पर ऐसी कार्य-नीतियां बनाती हैं जिससे बैंक के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कारोबार के परिचालन में स्थायित्व और दक्षता सुनिश्चित हो। यह बैंक में आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) प्रणाली के क्रियाकलाप का पर्यवेक्षण एवं निगरानी भी करती है।

3.3.2 आरएमसीबी का संघटन तथा वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित बैठकों और उनमें उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.3.0. Risk Management Committee of the Board (RMCB)

3.3.1. The Committee identifies, evaluates, monitors and guides the Bank on various categories of risks to which the Bank's business is exposed and devices, based on periodical review and monitoring, such strategies as would ensure stability and efficiency of the National and International business operations of the Bank. It also supervises and monitors the functioning of Asset Liability Management (ALM) System in the Bank.

3.3.2 The composition of RMCB and details of the meetings held during the year 2011-12 and attendance are as under :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं आरएमसीबी के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD & Chairman of RMCB	4/4	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED & Member of RMCB	4/4	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of RMCB	2/2	01.10.2011 से सदस्य Member from 01.10.2011
श्री प्रवीण रावल आरएमसीबी के सदस्य Shri Pravin Rawal Member of RMCB	2/2	02.12.2011 से सदस्य Member from 02.12.2011
श्री आर.ए.शर्मा निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri R.A. Sharma Director & Member of RMCB	4/4	
श्री मनोज कुमार गुप्त निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri Manoj Kumar Gupta Director & Member of RMCB	-	03.03.2012 से सदस्य Member from 03.03.2012
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS		
श्री संजीव जैन निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri Sanjeev Jain Director & Member of RMCB	4/4	03.03.2012 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be Member from 03.03.2012
श्री एस.के.सिन्हा निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Shri. S.K. Sinha Director & Member of RMCB	1/1	22.07.2011 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be Member from 22.07.2011
श्री के.एल.प्रसाद निदेशक एवं आरएमसीबी के सदस्य Sri. K.L.Prasad Director & Member of RMCB	1/1	22.07.2011 से 02.12.2011 तक सदस्य रहे। Member from 22.07.2011 to 02.12.2011

3.3.3 आरएमसीबी की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

11.06.2011	26.09.2011	13.12.2011	01.03.2012
------------	------------	------------	------------

3.4.0 शेयरधारक शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसीबी):

3.4.1. शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायतों, यथा-धन वापसी आदेश, शेयर प्रमाणपत्र, लाभांश वारंट आदि प्राप्त न होने के संबंध में उचित सावधानी रखते हुए तथा शिकायतकर्ता की तुष्टि के अनुरूप शिकायत का निवारण करने के लिए गैर-कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया है।

3.4.2 दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार एसजीआरसीबी का संघटन तथा उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

नदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks

वर्तमान सदस्य/Present Members

प्रो.एस.एल.मॉरिस निदेशक एवं एसजीआरसीबी के अध्यक्ष Prof. S.L. Morris, Director & Chairman of SGRCB	-	03.03.2012 से सदस्य Member from 03.03.2012
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED & Member of SGRCB	2/2	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एसजीआरसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of SGRCB	1/1	01.10.2011 से सदस्य Member from 01.10.2011
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS श्री संजीव जैन निदेशक एवं एसजीआरसीबी के सदस्य Shri Sanjeev Jain Director & Chairman of SGRCB	2/2	03.03.2012 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be member from 03.03.2012

3.4.3 वर्ष के दौरान एसजीआरसीबी की दो बैठकें, दिनांक 21.09.2011 एवं 02.02.2012 को आयोजित की गईं।

3.5.0. निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी) :

3.5.1. यह समिति मूर्त रूप में धारित बैंक के शेयरों का अंतरण/प्रेषण/स्थानांतर आदि अनुमोदित एवं प्रभावी करने तथा खो गए /गुम हो गए/चोरी हो गए मूल शेयर के बदले डुप्लिकेट शेयर जारी करने के प्रस्ताव/अनुरोध का अनुमोदन करने के लिए गठित की गई है। अंतरण एवं प्रेषण के लिए ऐसे सभी अनुरोध/प्रस्ताव को अंतरण/प्रेषण के लिए अनुरोध की प्रस्तुति की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाता है।

3.3.3 The meetings of RMCB were held on the following dates :

11.06.2011	26.09.2011	13.12.2011	01.03.2012
------------	------------	------------	------------

3.4.0 Shareholders Grievances Redressal Committee (SGRCB) :

3.4.1. The Committee was constituted under the Chairmanship of the Non-executive Director for speedy redressal of shareholder/investors' complaints/grievances, like, non receipt of refund orders, share certificate, dividend warrant etc., with due care and to the satisfaction of the complainants. All the complaints received during the year were redressed.

3.4.2 The composition of the SGRCB as on 31st March, 2012 and details of the attendance of the members are as under :

3.4.3 During the year two meetings of SGRCB were held i.e. on 21.09.2011 and 02.02.2012.

3.5.0. Share Transfer Committee of the Board (STCB) :

3.5.1. The committee has been constituted to approve and effect transfer/transmission/transposition etc. of Bank's shares, held in physical form, as also approval on the requests/proposals for issuance of duplicate shares in lieu of originals lost/misplaced/stolen. It is also ensured that all such requests/proposals for transfer and transmission are completed within the period stipulated from the date of submission of the requests for transfer/transmission complete on all respects.

3.5.2 एसटीसीबी का संघटन एवं उसकी बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

3.5.2 The composition of the STCB and details of the meetings attended by its members during the period 2011-12 are as under:

नदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
वर्तमान सदस्य/Present Members		
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन		
कार्यपालक निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan ED & Member of STCB	12/12	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन्		
कार्यपालक निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan ED & Member of STCB	7/7	01.10.2011 से सदस्य Member from 01.10.2011
श्री आर.ए.शर्मा		
निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri R.A. Sharma ED & Member of STCB	1/1	03.03.2012 से सदस्य Member from 03.03.2012
प्रो.एस.एल.मॉरिस		
निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri S.L. Morris Director & Member of STCB	8/12	-
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS		
श्री अजय कुमार		
कार्यपालक निदेशक एवं एसटीसीबी के अध्यक्ष Shri Ajai Kumar ED & Chairman of STCB	5/5	16.03.2011 से एसटीसीबी के अध्यक्ष एवं 30.09.2011 से निदेशक नहीं रहे Chairman of STCB from 16.03.2011 and ceased to be director from 30.09.2011
श्री संजीव जैन		
निदेशक एवं एसटीसीबी के सदस्य Shri Sanjeev Jain Director & Member of STCB	11/12	16.03.2011 से सदस्य के रूप में शामिल हुए एवं 03.03.2012 से निदेशक नहीं रहे Inducted as member from 16.03.2011 and ceased to be member from 03.03.2012

3.5.3 एसटीसीबी की बैठकें निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं :

29.04.2011	05.09.2011	11.11.2011	02.02.2012
27.06.2011	26.09.2011	03.12.2011	01.03.2012
27.07.2011	17.10.2011	06.01.2012	26.03.2012

3.5.3 The meetings of STCB were held on the following dates :

29.04.2011	05.09.2011	11.11.2011	02.02.2012
27.06.2011	26.09.2011	03.12.2011	01.03.2012
27.07.2011	17.10.2011	06.01.2012	26.03.2012

3.6.0 पारिश्रमिक समिति (आरसीबी)

3.6.1 बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों यथा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है एवं यात्रा भत्ता और विराम भत्ते की प्रतिपूर्ति की जाती है, परंतु उनमें से किसी को निदेशक मंडल की बैठकों या निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए किसी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

3.6.2 वर्ष के दौरान भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुपालन में पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया जिसका एकमात्र उद्देश्य वार्षिक आधार पर "कार्यनिष्पादन युक्त प्रोत्साहन" के भुगतान के लिए बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करना है।

3.6.0 Remuneration Committee (RCB) :

3.6.1 The whole time directors of the Bank i.e. the Chairman & Managing Director and the Executive Directors are being paid remuneration and provided reimbursement of traveling and halting expenses as per rules framed by Govt. of India but none of them are paid sitting fees for attending the Board meetings and other committee meetings of the Board.

3.6.2 In compliance with the directives of Ministry of Finance, Government of India, Remuneration Committee of the Board (RCB) was formed during the year for the sole purpose of evaluation of the performances of the wholetime directors of the Bank for payment of "Performance Linked Incentives", annually.

3.6.3 आरसीबी का संघटन एवं उसकी बैठकों में आरसीबी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.6.3 Composition of the RCB and details of meeting attended by the members of RCB :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
वर्तमान सदस्य/PRESENT MEMBERS		
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं आरसीबी के अध्यक्ष Shri Pravin Rawal Director and Chairman of RCB	1/1	-
श्रीमती उमा शंकर निदेशक एवं आरसीबी की सदस्य सदस्य Smt. Uma Shankar Director and Member of RCB	1/1	-
प्रो.एस.एल.मॉरिस निदेशक एवं आरसीबी के सदस्य Prof. S.L. Morris Director and Member of RCB	0/1	-

3.6.4 आरसीबी की बैठक की तारीख : 05.09.2011

3.6.4 Date of RCB Meeting : 05.09.2011

3.7.0 अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति (एसएमएलवीएफ)

3.7.0 Special Committee for Monitoring of Large Value Frauds (SMLVF)

3.7.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में अधिक राशि के कपटों की निगरानी हेतु विशेष समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य 1 करोड़ रु. एवं उससे अधिक राशि के कपटों की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना है। बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.7.1 In compliance with the guidelines issued by Reserve Bank of India, Special Committee for Large Value Frauds has been constituted with the objective of monitoring and follow up of frauds involving Rs. 1 crore and above. Chairman & Managing Director of the Bank acts as the Chairman of the Committee.

3.7.2 एसएमएलवीएफ का संघटन और वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित बैठकों एवं उक्त बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.7.2 Composition of the SMLVF Committee and details of the meetings held & attended by the members during the year 2011-12 :

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
वर्तमान सदस्य/PRESENT MEMBERS		
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD and Chairman of SMLVF	4/4	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director and Member of SMLVF	4/4	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri S. Chandrasekharan Executive Director and Member of SMLVF	2/2	01.10.2011 से सदस्य Member from 01.10.2011

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri Pravin Rawal Director and Member of SMLVF	1/2	12.11.2011 से सदस्य Member from 12.11.2011
श्री मनोज कुमार गुप्त निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri Manoj Kumar Gupta Director and Member of SMLVF	2/2	02.08.2011 से सदस्य Member from 02.08.2011
पूर्व सदस्य / PAST MEMBERS		
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri Ajai Kumar Executive Director & Member of SMLVF	2/2	03.09.2011 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be member from 30.09.2011
श्री एस.के.सिन्हा निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri S. K. Sinha Director & Member of SMLVF	1/1	22.07.2011 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 22.07.2011
श्री के.एल.प्रसाद निदेशक एवं एसएमएलवीएफ के सदस्य Shri K L Prasad Director & Member of SMLVF	1/1	12.11.2011 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 12.11.2011

3.7.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की चार बैठकें दिनांक 17.05.2011, 27.07.2011, 13.12.2011 और 01.03.2012 को आयोजित की गईं।

3.8.0 निदेशक मंडल की नामांकन समिति (एनसीबी) :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विद्यमान निर्वाचित निदेशकों/बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जानेवाले व्यक्तियों की 'उचित एवं सही' स्थिति अवधारित करने के लिए 'समुचित सावधानी' बरते जाने का कार्य करने हेतु निदेशक मंडल की नामांकन समिति का गठन किया गया।

3.8.1 एनसीबी का संघटन और वर्ष 2011-12 के दौरान उक्त समिति की बैठकों एवं उनमें एनसीबी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.7.3 During the period under review four meetings of the Committee were held i.e. on 17.05.2011, 27.07.2011, 13.12.2011 and 01.03.2012.

3.8.0 Nomination Committee of the Board (NCB) :

In compliance with the directives of Reserve Bank of India, Nomination committee of the Board (NCB) was constituted so as to undertake the exercise of 'due diligence' for determining 'fit and proper' status of the existing elected directors / persons to be elected as director under Section 9(3)(i) of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970.

3.8.1 Composition of the NCB and details of the meetings held and attended by the members of NCB during the year 2011-12

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
वर्तमान सदस्य/PRESENT MEMBERS		
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं एनसीबी के अध्यक्ष Shri Pravin Rawal Director & Chairman of NCB	-	02.12.2011 से सदस्य Member from 02.12.2011
प्रो. एस.एल.मॉरिस निदेशक एवं एनसीबी के सदस्य Prof. S.L. Morris Director & Member of NCB	1/2	-

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
श्री राम अवतार शर्मा निदेशक एवं एनसीबी सदस्य Shri Ram Avtar Sharma Director and Member of NCB	2/2	-
श्री मनोज कुमार गुप्त निदेशक एवं एनसीबी के सदस्य Shri Manoj Kumar Gupta Director & Chairman of NCB	-	02.08.2011 से सदस्य Member from 02.08.2011
पूर्व सदस्य/PAST MEMBERS		
श्री संजीव जैन निदेशक एवं एनसीबी के सदस्य Shri Sanjeev Jain Director and member of NCB	2/2	03.03.2012 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be director from 03.03.2012
श्री एस.के.सिन्हा निदेशक एवं एनसीबी के अध्यक्ष Shri S K Sinha Director and Chairman of NCB	2/2	22.07.2011 से निदेशक नहीं रहे Ceased to be director from 22/07/2011

एनसीबी के बैठक की तारीख : समीक्षाधीन अवधि के दौरान दो 02.07.2011 एवं 05.07.2011 को समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

Date of Meeting of NCB: During the period under review two meetings of the committee were held on 02.07.2011 and 05.07.2011.

3.9.0 ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

3.9.0 Customer Service Committee (CSC)

3.9.1 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में निदेशक मंडल की ग्राहक सेवा समिति का गठन निम्नलिखित हेतु किया गया है -

3.9.1 In compliance with the directives issued by Reserve Bank of India, Customer Service Committee of the Board has been constituted:

- सार्वजनिक सेवा की प्रक्रिया एवं कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन एवं उसकी सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु ,
- सदैव सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए ग्राहक-तुष्टि के स्तर में सुधार लाने हेतु ,
- ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए नवीन उपायों पर विचार करने हेतु ।

- to ensure implementation of and adherence to the recommendations of Committee on Procedures and Performance Audit of Public Services as well as compliance with its recommendations;
- to bring upon improvement in the level of customer satisfaction for all categories of clientele at all times;
- to consider innovative measures to enhance the quality of customer service

3.9.2 बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस समिति के अध्यक्ष हैं।

3.9.2 The Chairman & Managing Director of the Bank is the Chairman of the Committee.

3.9.3 सीएससी का संघटन और वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित बैठकें एवं उक्त समिति की बैठकों में सीएससी के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण :

3.9.3 Composition of the CSC and details of the meetings held during the year 2011-12 and attended by the members of CSC :

निदेशक का नाम Name of Director	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें Meetings Attended / Held during the tenure	टिप्पणी Remarks
वर्तमान सदस्य/PRESENT MEMBERS		
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीएससी के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD & Chairman of CSC	4/4	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director and Member of CSC	4/4	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri S. Chandrasekharan Executive Director & Member of CSC	2/2	01.10.2011 से सदस्य Member from 01.10.2011
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं सीएससी के अध्यक्ष Shri Pravin Rawal Director & Member of CSC	1/2	02.12.2011 से सदस्य Member from 02.12.2011
प्रो.एस.एल.मॉरिस निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Prof S.L. Morris Director & Member of CSC	1/3	28.06.2011 से सदस्य Member from 28.06.2011
श्री राम अवतार शर्मा निदेशक एवं सीएससी सदस्य Shri R.A. Sharma Director & Member of CSC	3/3	28.06.2011 से सदस्य Member from 28.06.2011
पिछले सदस्य/PAST MEMBERS		
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri Ajai Kumar Executive Director & Member of CSC	1/1	10.06.2011 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 10.06.2011
श्री एस.के.सिन्हा निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Shri S.K. Sinha Director & Member of CSC	0/1	10.06.2011 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 10.06.2011
श्री जय देव गुप्त निदेशक सीएससी के सदस्य Sri J.D.Gupta Director and Member of CSC	0/1	13.06.2011 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 13.06.2011
मो. अखरुज्जमां निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Md. Akhruzzaman Director and Member of CSC	0/1	18.06.2011 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 18.06.2011
श्री के.एल.प्रसाद निदेशक एवं सीएससी के सदस्य Sri. K. L.Prasad Director and Member of CSC	1/1	12.11.2011 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 12.11.2011

3.9.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान समिति की चार बैठकें क्रमशः दिनांक 17.05.2011, 05.09.2011, 02.02.2012 और 26.03.2012 को आयोजित की गईं ।

3.10.0 मानव संसाधन संबंधी मुद्दों से संबंधित समिति (सीएचआर)

3.10.1 सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए प्रबंधकीय स्वायत्तता संबंधी भारत सरकार के निदेशों के आलोक में बैंक के निदेशक मंडल को इस बात की यह स्वतंत्रता दी गई है एवं उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह सरकारी नीतियों के व्यापक ढांचे के भीतर प्रबंधकीय मुद्दों पर निर्णय ले। स्वायत्तता से संबंधित एक क्षेत्र का संबंध मानव संसाधन से संबंधित नीति एवं क्रियाविधि के निर्माण से है।

3.10.2 समिति का उद्देश्य :

- स्टाफ ढाँचा, भर्ती, पदस्थापन, स्थानांतरण, प्रशिक्षण, पदोन्नति, पेंशन आदि सहित बैंक से संबंधित मानव संसाधन संबंधी सभी मुद्दों के बारे में निर्णय करना
- पात्रता मानदंड, चयन की पद्धति, प्रवेश का स्तर आदि सहित भर्ती के लिए मानव संसाधन संबंधी नीति एवं क्रियाविधि बनाना
- अधिकारियों एवं स्टाफ को पारिश्रमिक एवं क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय लेना
- बैंक के पदधारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी से संबंधित नीति निर्धारित करना
- शाखाओं के वर्गीकरण के लिए मानदंड विहित करना

3.10.3 सीएचआर समिति का संघटन और वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित बैठकें एवं उक्त समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण

3.9.4 During the period under review, four meetings of the committee were held i.e. on 17.05.2011, 05.09.2011, 02.02.2012 and 26.03.2012

3.10.0 Committee on HR Related Issues (CHR)

3.10.1 In the light of the directive of Govt. of India on Managerial Autonomy to the Public Sector Banks (PSB), the Board of Directors of the Bank is granted with freedom and responsibility for deciding on managerial issues within the broad framework of the Government policies. One of the areas of autonomy relates to framing of HR policies and procedures.

3.10.2 Objective of the Committee:

- to decide all Human Resource issues relating to the Bank including staffing pattern, recruitment, placement, transfer, training, promotions, pensions etc.
- to frame HR policies and procedures for recruitment including eligibility criteria, mode of selection, levels of entry etc.
- to take decisions on remuneration and compensation of officers and staff
- to lay down policy of accountability and responsibility of Bank officials
- to prescribe standards for categorization of branches

3.10.3 Composition of the CHR Committee and details of the meetings held during the year 2011-12 and attended by the members of the Committee.

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
वर्तमान सदस्य/PRESENT MEMBERS		
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीएचआर के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD & Chairman of CHR	5/5	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director and Member of CHR	5/5	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri S. Chandrasekharan Executive Director and Member of CHR	4/4	01.10.2011 से सदस्य Member from 01.10.2011
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं सीएचआर के अध्यक्ष Shri Pravin Rawal Director & Member of CHR	4/4	02.12.2011 से सदस्य Member from 02.12.2011
प्रो.एस.एल.मॉरिस निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri S.L. Morris Director and Member of CHR	3/5	-
श्री राम अवतार शर्मा निदेशक एवं आमंत्रित सदस्य		

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
Shri Ram Avtar Sharma Director and Invitee	3/4	-
पूर्व सदस्य/PAST MEMBERS		
श्री अजय कुमार कार्यपालक निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Shri Ajai Kumar Executive Director & Member of CHR	3/3	30.09.2011 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 30.09.2011
श्री जय देव गुप्त निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Sri J. D. Gupta Director and Member of CHR	1/1	13.06.2011 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 13.06.2011
श्री के.एल.प्रसाद निदेशक एवं सीएचआर के सदस्य Sri. K. L. Prasad Director and Member of CHR	2/2	12.11.2011 से सदस्य नहीं रहे Ceased to be member from 12.11.2011
3.10.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित तारीखों को पाँच बैठकें आयोजित की गईं :		
10.06.2011	06.07.2011	05.09.2011
		03.12.2011
		26.03.2012
3.11.0 सू.प्रौ. एवं वित्तीय समावेशन (सीआईटी एवं एफआई) समिति		
3.11.0 Committee on IT & Financial Inclusion (CIT & FI)		
3.11.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं वित्तीय समावेशन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान देने हेतु निदेशक मंडल ने दिनांक 26.06.2009 को संपन्न बैठक में सू.प्रौ. एवं वित्तीय समावेशन (सीआईटी एवं एफआई) समिति का गठन किया।	3.11.1	In order to provide focused attention in matters relating to technology up gradation and IT initiatives for Financial Inclusion, the Board of Directors, at its meeting dated 26.06.2009 constituted the Committee on IT & Financial Inclusion (CIT & FI).
3.11.2 सीआईटी एवं एफ आई का संघटन एवं उसकी बैठक में सदस्यों की उपस्थिति का विवरण	3.11.2..	Composition of the (CIT & FI) and details of the meeting attended by the members of (CIT & FI) :
निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई के अध्यक्ष Shri Arun Kaul CMD & Chairman of CIT & FI	1/1	-
श्री एन.आर.बद्रीनारायणन कार्यपालक निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई के सदस्य Shri N.R. Badrinarayanan Executive Director and Member of CIT & FI	1/1	-
श्री एस.चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई के सदस्य Shri S. Chandrasekharan Executive Director and Member of CIT & FI	1/1	01.10.2011 से सदस्य Member from 01.10.2011
श्री प्रवीण रावल निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई के अध्यक्ष		02.12.2011 से सदस्य

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान जिनमें उपस्थित रहे / आयोजित बैठकें	टिप्पणी	
Name of Director	Meetings Attended / Held during the tenure	Remarks	
Shri Pravin Rawal Director & Member of CIT & FI	1/1	Member from 02.12.2011	
श्री राम अवतार शर्मा निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई के सदस्य			
Shri Ram Avtar Sharma Director & Member of CIT & FI	1/1	-	
प्रो.एस.एल.मॉरिस निदेशक एवं सीआईटी एवं एफआई के सदस्य			
Prof. S.L. Morris Director & Member of CIT & FI	1/1	-	
समीक्षाधीन अवधि के दौरान दिनांक 13.12.2011 को समिति की एक बैठक आयोजित की गई।		During the period under review one meeting of the committee was held on 13.12.2011	
4.0 पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की बैठक : पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठकों के बारे में इस प्रकार हैं :		4.0 Shareholders Meetings held during the last three years ; The details of the General Meetings of the Shareholders held during the last 3 years :	
बैठक का नाम Name of the meeting	तारीख एवं दिन Date and Day	समय Time	स्थान Venue
6ठी वार्षिक आम बैठक	3 जुलाई, 2009	11.00 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, ब्लॉक 1बी, 201, साल्ट लेक, कोलकाता -700 106
6 th Annual General Meeting	3 rd July 2009	11.00 A.M	Eastern Zonal Cultural Centre, Block 1B, 201, Salt Lake, Kolkata - 700106
असाधारण सामान्य आम बैठक	2 मार्च, 2010	11.30 बजे	युनिवर्सिटी इंस्टिट्यूट हाल, 7, बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता -700 073
Extra Ordinary General Meeting	2 nd March, 2010	11.30 A.M.	University Institute Hall, 7, Bankim Chatterjee St., Kolkata -700 073
7वीं वार्षिक आम बैठक	12 जुलाई, 2010	11.00 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, ब्लॉक 1बी, 201, साल्ट लेक, कोलकाता -700 106
7 th Annual General Meeting	12 th July, 2010	11.00 A. M	Eastern Zonal Cultural Centre, Block 1B, 201, Salt Lake, Kolkata - 700106
असाधारण सामान्य आम बैठक	17 मार्च, 2011	11.00 बजे	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700 027
Extra ordinary General Meeting	17 th March, 2011	11.00 A.M	National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027
8वीं वार्षिक आम बैठक	14 जुलाई, 2011	11.00 बजे	ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, ब्लॉक 1बी, 201, साल्ट लेक, कोलकाता -700106
8 th Annual General Meeting	14 th July, 2011	11.00 A.M.	Eastern Zonal Cultural Centre, Block 1B, 201, Salt Lake, Kolkata - 700106
असाधारण सामान्य आम बैठक	23 मार्च, 2012	11.00 बजे	नेशनल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700 027
Extra ordinary General Meeting	23 rd March, 2012	11.00 A.M	National Library Auditorium, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027

4.1.1 पिछली वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

पिछली, यानी 8 वीं वार्षिक आम बैठक 14 जुलाई, 2011 को ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर, ब्लॉक 1 बी 201, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700106 में संपन्न हुई थी जिसमें श्री अरुण कौल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री अजय कुमार, कार्यपालक निदेशक, श्री एन.आर.बद्रीनारायणन्, कार्यपालक निदेशक, एवं श्री संजीव जैन, निदेशक ने भाग लिया।

4.1.2 पिछली वार्षिक आम बैठक के बाद निदेशक मंडल में शामिल नए निदेशक

दिनांक 14 जुलाई, 2011 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक की तारीख के बाद श्री एस.चन्द्रशेखरन्, कार्यपालक निदेशक, श्री के.एल.प्रसाद, निदेशक, श्री प्रवीण रावल, निदेशक और श्री मनोज कुमार गुप्त, निदेशक बोर्ड के सदस्य हुए।

4.1.3 पिछले तीन वर्षों के दौरान पारित विशेष संकल्प

- i) दिनांक 2 मार्च, 2010 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक निर्गम के रूप में अधिमानी निर्गम और / या निजी तौर पर शेयर आबंटन आधार पर या एक या कई हिस्सों में 10/- ₹ प्रत्येक के अंकित मूल्य पर 6 (छह) करोड़ रु. से अधिक के शेयर, निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया।
- ii) दिनांक 17 मार्च, 2011 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 7,90,00,000 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया। बैंक ने सेबी आईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76 (1) के अनुसार 120.27 ₹ प्रति शेयर मूल्य पर दिनांक 25.03.2011 को प्रत्येक 10 /- ₹ के 7,81,57,479 इक्विटी शेयर आबंटित किए।
- iii) दिनांक 23 मार्च, 2012 को आयोजित शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में एक विशेष संकल्प पारित किया गया जिसकी शर्तों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों ने निदेशक मंडल द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ, अधिमानी आधार पर भारत सरकार को 6,06,13,407 इक्विटी शेयर एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को 3,13,75,874 इक्विटी शेयर निर्गमित एवं आबंटित किए जाने का अनुमोदन किया। बैंक ने सेबी / सीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76 (1) के अनुसार 82.49 ₹ प्रति शेयर मूल्य पर दिनांक 30.03.2012 को भारत सरकार को 58,18,887 इक्विटी शेयर एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को 3,13,75,874 इक्विटी शेयर आबंटित किए।
- iv) आईपीओ के आरंभ से ही डाक द्वारा मतपत्र भेजने के मामले में कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया था।

5.0 प्रकटीकरण :

बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध उपबंध) योजना 1970 तथा बैंककारी कंपनी (अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 द्वारा शासित होता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि सूचीबद्ध सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए सूचीकरण करार का खंड 49 उसी सीमा तक लागू होगा कि वह उनपर लागू संबंधित कानून एवं इस संबंध में भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों का अतिक्रमण नहीं करता है।

4.1.1 Attendance of the Directors in the last Annual General Meeting :

The last i.e. 8th Annual General Meeting was held on 14th July, 2011 at Eastern Zonal Cultural Centre, Block 1B, 201, Salt Lake, Kolkata – 700106. Shri. Arun Kaul, Chairman & Managing Director, Shri Ajai Kumar, Executive Director, Shri N R Badrinarayanan, Executive Director and Shri Sanjeev Jain, Director attended the meeting.

4.1.2 New Directors on the Board after the last Annual General Meeting :

Shri. Shri S. Chandrasekharan, Executive Director, Sri. K.L. Prasad, Director, Shri Pravin Rawal, Director and Shri Manoj Kumar Gupta, Director, became the members of the Board subsequent to the date of the last Annual General Meeting held on 14th July, 2011.

4.1.3 Special Resolutions passed during last three years

- i) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 2/3/2010, a special Resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded its approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot not exceeding 6(six) crore Equity Shares of face value of ₹10/- each, in one or more tranches by way of Public Issue, Preferential Issue and/ or Private Placement.
- ii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 17th March, 2011, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded its approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot upto 7,90,00,000 equity shares on preferential basis to Government of India. Bank had allotted 7,81,57,479 equity shares of ₹ 10/- each on 25.03.2011 at ₹ 120.27 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- iii) In the Extra Ordinary General Meeting of the shareholders held on 23rd March, 2012, a special resolution was passed in terms of which the shareholders of the Bank accorded their approval to the Board enabling it, inter alia, to issue and allot upto 6,06,13,407 equity shares to Government of India and 3,13,75,874 equity shares to Life Insurance Corporation of India on preferential basis. Bank had allotted 58,18,887 equity shares to Government of India and 3,13,75,874 equity shares to LIC of India on 30.03.2012 at an issue price of ₹ 82.49 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009.
- iv) No special resolution was passed through postal ballot since IPO.

5.0 Disclosures :

The Bank is governed under the Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertaking) Act 1970, Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and The Banking Companies (Acquisition & Transfer) & Financial Institutions Laws (Amendment) Act 2006. Reserve Bank of India, has clarified that for Listed Public Sector Banks, Clause 49 of the Listing Agreement will apply only to the extent that it does not violate the relative statutes applicable to them and the guidelines issued by Government of India/Reserve Bank of India from time to time in this regard.

5.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

पूर्णकालिक निदेशकों को देय “उत्पादकता युक्त प्रोत्साहन राशि” के अतिरिक्त अध्यक्ष एवं कार्यपालक निदेशक का पारिश्रमिक केंद्रीय सरकार द्वारा तय किया जाता है। बैंक अंशकालिक निदेशकों को निम्नलिखित दरों पर बैठक शुल्क के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं करता है -

निदेशक मंडल की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹10000/-
समिति की बैठक के लिए : प्रति बैठक ₹ 5000/-

5.2 महत्वपूर्ण लेनदेन तथा आर्थिक संबंध का प्रकटीकरण :

बैंकिंग कारोबार के सामान्य अनुक्रम के अतिरिक्त बैंक ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ कोई ऐसा तात्त्विक उल्लेखनीय लेनदेन नहीं किया है जो बैंक के व्यापक हितों पर संभावित संकट पैदा कर सके। वर्ष के दौरान बैंक के परिप्रेक्ष्य में गैर-कार्यपालक निदेशक का कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं था।

बैंक के निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता में अनुपालन में निदेशकगण, निदेशक मंडल या उसकी उपसमितियों की उन बैठकों में होने वाले विचार-विमर्श में भाग नहीं लेते हैं जिनमें निदेशकगण या उनके नातेदारों से संबंधित मामलों या चर्चा की जाती है।

5.3 सार्वजनिक निर्गम आदि से प्राप्त राशि

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने सार्वजनिक/अधिकार निर्गम के रूप में ईक्विटी शेयर जारी करके कोई राशि नहीं जुटाई। बैंक ने सेबी आईसीडीआर के विनियम, 2009 के विनियम 76 (1) के अनुसार ₹ 82.49 प्रति शेयर मूल्य पर अधिमूल्य आधार पर दिनांक 30.03.2012 को भारत सरकार को 58,18,887 ईक्विटी शेयर एवं भारतीय जीवन बीमा निगम को 3,13,75,874 ईक्विटी शेयर निर्गमित एवं आर्बिट्रि किए। बैंक को उपर्युक्त ईक्विटी शेयरों के आबंटन के एवज में भारतीय जीवन बीमा निगम से ₹ 258,81,95,846.26 एवं भारत सरकार से ₹ 47,99,99,998.63 प्राप्त हुआ। बैंक ने प्राप्त उक्त राशि का उपयोग बैंक के कार्यकारी पूंजी संसाधनों एवं बैंक के आस्तियों को बढ़ाने के लिए किया करेगा।

5.4 बैंक ने भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित ड्राफ्ट के अनुसार निदेशक मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता तैयार की है। उसका पाठ बैंक की वेबसाइट www.ucobank.com पर उपलब्ध है। सभी निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

5.5 वर्ष के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित लेनदेन संबंधी किसी मामले में स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी अन्य सांविधिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई गैर-अनुपालन का आरोप, दंड, आक्षेप नहीं लगाया गया है।

6.0 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 की “गैर-अनिवार्य अपेक्षा” के अनुपालन की स्थिति

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 की “गैर-अनिवार्य अपेक्षा” के अनुपालन के संबंध में, जो सांकेतिक स्वरूप के हैं, बैंक ने निदेशक मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षण के बारे में प्रावधान का अनुपालन किया है।

5.1 Remuneration of Directors :

Other than “Productivity Linked Incentives” payable to the whole time directors, the remuneration of the Chairman & Executive Director is fixed by the Central Government. The Bank does not pay any remuneration to the part time directors except sitting fees at the following rates.

For Board Meeting : ₹ 10,000/- per sitting
For Committee Meeting : ₹ 5,000/- per sitting

5.2 Disclosure of Material Transactions and Pecuniary relationship:

Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large. There was no pecuniary relationship or transactions of the non-executive director vis-à-vis the Bank during the year.

In compliance of the Code of Conduct for Directors and Senior Management of the Bank, Directors do not take part in the deliberations of the Board and its sub-committees when the matters relating to them or their relatives are discussed.

5.3 Proceeds from Public Issues etc.

During the financial year ended on 31st March, 2012, the Bank did not raise any Equity Shares by way of Public/Right Issue. Bank allotted 58,18,887 equity shares to Government of India and 3,13,75,874 equity shares to LIC of India on 30.03.2012 on preferential basis at an issue price of ₹ 82.49 per share determined in accordance with Regulations 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009. Bank had received ₹ 258,81,95,846.26 from LIC of India and ₹ 47,99,99,998.63 from Government of India against allotment of above equity shares. The funds so received by the Bank were utilized/would be utilized for augmenting Bank's working capital resources and expansion of banking assets.

5.4 The Bank has formulated a Code of Conduct for the Board of Directors and Senior Management on the lines of draft circulated by Indian Bank's Association. The text of the same is available on the website of the Bank www.ucobank.com. All the Directors and Senior Management have affirmed their compliance of Code of Conduct during the period under review.

5.5 During the year, there is no instance of non-compliance, penalties, strictures imposed on the Bank by the Stock Exchanges or SEBI or any other statutory/regulatory authority on any matter related to Capital Markets transactions.

6.0 Compliance Status of the “Non-Mandatory Requirements” of the Revised Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchanges :

Regarding compliance to “Non-Mandatory Requirements” of Revised Clause 49 of the Listing Agreements with Stock Exchanges, which are suggestive in nature, the Bank has complied with the provision regarding Training of the Members of the Board.

6.1 बैंक ने वर्ष 2011-12 के दौरान सभी संबंधित पार्टियों और निदेशकों के साथ किए गए लेनदेन की पहचान की है और 31 मार्च, 2012 तक की स्थिति निम्न प्रकार से है :

6.1 The Bank has identified all related parties and transactions with Directors during the year 2011-12 and position as on 31st March, 2012 are as follows :

(लाख ₹. में) / (₹. in lakhs)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	विवरण Items	राशि Amount
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन जमा	
Shri Arun Kaul CMD	01.04.2011 to 31.03.2012	Remuneration, perquisites & Incentive	14.61
		Deposits	25.36
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares	शून्य Nil
		प्राप्त ब्याज Interest Received	1.76
		उधार Borrowings	शून्य Nil
श्री एन.आर. बद्रिनारायणन कार्यपालक निदेशक	01.04.2011 से 31.03.2012	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन जमा	
Shri N.R. Badrinarayanan ED	01.04.11 to 31.03.12	Remuneration, perquisites & Incentive	12.58
		Deposits	10.71
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares	शून्य Nil
		प्राप्त ब्याज Interest Received	0.24
		उधार Borrowings	शून्य Nil
श्री एस. चंद्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक	01.10.2011 से 31.03.2012	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन जमा	
Shri S. Chandrasekharan ED	01.10.2011 to 31.03.2012	Remuneration, perquisites & Incentive	6.16
		Deposits	0.90
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares	शून्य Nil
		प्राप्त ब्याज Interest Received	0.01
		उधार Borrowings	शून्य Nil
श्री अजय कुमार भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	01.04.2011 से 30.09.2011	पारिश्रमिक, परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन जमा	
Shri Ajai Kumar, EX-ED	01.04.11 to 30.09.2011	Remuneration, perquisites & Incentive	6.42
		Deposits	12.82
		यूको बैंक के शेयरों में निवेश Investments in UCO Shares	शून्य Nil
		प्राप्त ब्याज Interest Received	1.19
		उधार Borrowings	

(करोड़ ₹ में) / (₹ in Crores)

कंपनी का नाम Name of the company	संबंध की प्रकृति Nature of Relationship	सुविधाओं का विवरण Details of the facilities	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार सुविधा की प्रकृति एवं बकाया शेष Nature of facility and Balance outstanding as on 31.03.2012
मेसर्स पैराबोलिक ड्रग्स लि., चंडीगढ़	श्री प्रणव गुप्त, कंपनी के निदेशक जो श्री जय देव गुप्त, निदेशक के पुत्र हैं	कंपनी हमारी 17वीं शाखा, चंडीगढ़ से ऋण सुविधा प्राप्त कर रही है।	मीयादी ऋण : 25.21 नकदी ऋण : 14.98 पैकिंग ऋण : 16.02 अंतर्देशीय बिल भुनाई : 3.96 चेक खरीद : 0.24 साख पत्र : 48.82 बैंक गारंटी : 1.00
M/s. Parabolic Drugs Ltd., Chandigarh	Shri Pranav Gupta, Director of the Company is son of Shri Jai Dev Gupta, Director.	The Company is enjoying credit facilities from our Sector 17B Branch, Chandigarh.	Term Loan : 25.21 Cash Credit : 14.98 Packing Credit : 16.02 Inland Bills : 3.96 Discounting : 0.24 Cheque Purchasing : 48.82 Letter of Credit : 1.00 Bank Guarantee : 1.00

7.0 संचार के साधन :

7.1 बैंक के परिचालन एवं वित्तीय कार्यनिष्पादन से संबंधित सूचनाएं ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों को, जहां बैंक की प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया गया है, बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुमोदन /समीक्षा बोर्ड द्वारा किए जाने की तारीख को तुरंत बैंक का तिमाही/छमाही/वार्षिक वित्तीय परिणाम बैंक की वेबसाइट (www.ucobank.com) में दिए जाने के अतिरिक्त दी जाती हैं। बैंक के ऐसे परिणाम को प्रेस विज्ञप्तियों/विज्ञापनों के माध्यम से सार्वजनिक करने के साथ ही प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितबद्ध व्यक्तियों के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाता है।

7.2 स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसार 30.06.2011, 30.09.2011, 31.12.2011 एवं 31.03.2012 को समाप्त तिमाही के बैंक के अलेखापरीक्षित किंतु समीक्षाकृत वित्तीय परिणाम निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यापक स्तर पर परिचालित समाचार - पत्रों में प्रकाशित किए गए।

8.0 साधारण शेयरधारकों के लिए सूचना :**8.1.0 शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) :**

चूंकि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव से पहले बैंक की कुल इक्विटी पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित थी, अतः 2002-03 तक कोई वार्षिक आम बैठक आयोजित नहीं की गई। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद बैंक संविधि में यथाविहित और निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रतिवर्ष शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित कर रहा है। शेयरधारकों की पिछली तीन आम बैठकों के विस्तृत विवरण मद सं. 4.0 के अंतर्गत दिए गए हैं।

8.2.0 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण :

बैंक के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया गया है :

क्रम सं. Sl.No.	स्टॉक एक्सचेंजों के नाम Name of the Stock Exchanges	स्टॉक कूट Stock Code	सूचीबद्ध किए जाने की तारीख Date of listing
1.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लि. National Stock Exchange of India Limited	यूको बैंक UCO BANK	09.10.2003
2.	बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. Bombay Stock Exchange Limited	532505	09.10.2003

बैंक ने 1 लाख ₹ प्रत्येक के सांकेतिक मूल्यवाले 182300 बेसीयादी असंचयी अधिमानी शेयर भी भारत सरकार को जारी किए हैं जो असूचीबद्ध प्रतिभूति हैं।

7.0 Means of Communication :

7.1 The information about the operational and financial performance of the Bank are communicated to the Stock Exchanges, where the securities of the Bank are listed immediately on the date of Board meeting approving/reviewing the financial statements of the Bank, besides posting of quarterly/half-yearly/annual financial results in Bank's website (www.ucobank.com). Such results are also made public through press releases/advertisements as well as by presentation made to the representatives from print and electronic media and other interested members of the public.

7.2 As per the Listing Agreement with the stock exchanges Unaudited but Reviewed financial results of the Bank for the quarters ended on 30.06.2011, 30.09.2011, 31.12.2011 and 31.03.2012 were published within the prescribed time limit in widely circulated dailies.

8.0 General Shareholders Information:**8.1.0 Annual General Meeting (AGM) of the Shareholders :**

Before the Initial Public Offer, as the entire Equity Capital of the Bank was held by the Govt. of India, no Annual General Meeting was held till 2002-03. Subsequent to IPO, the Bank has been holding Annual General Meetings of the shareholders every year, as prescribed in the statute and within the stipulated time limit. The details of last three general meetings of the shareholders have been indicated under point no.4.0.



8.2.0 Listing on Stock Exchanges :

The equity shares of the Bank are listed on the following stock exchanges :

The Bank has also issued 1823000 Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS) of nominal value of ₹ 1 lac each to the Govt. of India which are unlisted securities.

8.3.0 बैंक के शेयर के बाजार-मूल्य आंकड़े. / मूल्य की स्थिति :

8.3.0 Market price data/price performance of Bank's share :



बैंक के शेयरों का क्रय-विक्रय दिनांक 9.10.2003 को शुरू हुआ। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), बंबई स्टॉक एक्सचेंज लि. (बीएसई) में क्रय-विक्रय किए गए शेयरों का मासिक उच्च/निम्न भाव और परिमाण निम्नानुसार रहा :

The trading of the Bank's shares commenced on 09.10.2003. The monthly high/low quotations and volume of the share trading in The National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE) during the financial year 2011-12 were as follows :

माह / Month	बंबई स्टॉक एक्सचेंज / B.S.E			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज / N.S.E		
	उच्च (₹.) High(₹.)	निम्न (₹.) Low(₹.)	परिमाण Volume	उच्च (₹.) High(₹.)	निम्न (₹.) Low(₹.)	परिमाण Volume
अप्रैल/Apr-11	121.85	103.60	10030063	120.15	104.45	58100397
मई/May-11	105.00	92.30	9817246	100.95	93.50	56586904
जून/Jun-11	101.75	86.90	3247819	100.10	87.90	24312433
जुलाई/Jul-11	98.10	84.50	5486174	97.85	84.90	33362628
अगस्त/Aug-11	86.40	62.20	4368244	84.40	64.70	28676844
सितंबर/Sep-11	75.50	63.25	6220137	73.50	65.35	35666791
अक्तूबर/Oct-11	76.40	60.90	5015801	75.25	61.75	27883496
नवंबर/Nov-11	77.40	57.35	7559958	75.10	58.15	36440353
दिसंबर/Dec-11	65.85	45.25	6947858	64.75	45.55	39823056
जनवरी/ Jan-12	70.00	44.80	9264970	68.80	47.05	47820866
फरवरी/Feb-12	95.00	67.55	16761574	90.10	71.35	78140664
मार्च/Mar-12	90.00	73.70	9956745	87.90	74.50	52640597

संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

The Listing Fees have already been paid to the respective Stock Exchanges.

8.4.0 प्रति शेयर आंकड़ा / Per Share Data

मानदंड / Parameter	31.03.2011	31.03.2012
अंकित मूल्य (₹) / Face Value (₹)	10	10
बाजार भाव (₹) / Market Quotation (₹)	107 (एनएसई में) (at NSE)	79.15 (एनएसई में) (at NSE)
प्रति शेयर अर्जन (₹) / Earning Per Share (₹)	14.29	15.02
लाभांश / Dividend (%)	30%	30%

8.5.0 शेयरों का अमूर्तीकरण

8.5.1 बैंक के ईक्विटी शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में क्रय-विक्रय किए जाने हेतु उपलब्ध हैं। शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए बैंक ने एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ करार किया है। शेयरधारक एनएसडीएल या सीडीएसएल में खाता रखनेवाले निक्षेपागार सहभागियों के पास अपने शेयरों का अमूर्तीकरण करवा सकते हैं। बैंक के ईक्विटी शेयरों का आईएसआईएन कूट आईएनई691ए01018 है। बैंक के अधिमानी शेयर यानी पीएनसीपीएस का आईएसआईएन कूट आईएनई 691ए04012 है।

प्रतिभूतियों के लिए वार्षिक अभिरक्षा शुल्क (2011-2012) का भुगतान निक्षेपागारों, यानी एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को किया जा चुका है।

8.5.2 दिनांक 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों द्वारा मूर्त एवं अमूर्त रूप में धारित शेयरों का विवरण :

विवरण Particulars	शेयरधारकों की संख्या No. of Shareholders	शेयरों की संख्या No. of Shares	शेयर की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में As % to Total No. of Shares
मूर्त / Physical	81024	49834315	23.26
एनएसडीएल / NSDL	193553	164588482	55.57
सीडीएसएल / CDSL	73756	450289443	21.17
योग / Total :	348333	664712240	100.00

8.5.0 Dematerialisation of the Shares

8.5.1 The equity shares of the Bank are available for trading compulsorily in Demat form. The Bank has entered into an agreement with NSDL and CDSL for dematerialisation of shares. Shareholders can get their shares dematerialised with their Depository Participants maintaining their account either with NSDL or CDSL. The ISIN Code for the Bank's equity share is INE691A01018. The ISIN Code for Bank's Preference Shares i.e. PNCPS is INE691A04012.

The Annual Custodial Fees (2011-2012) for the securities have been paid to NSDL and CDSL respectively.

8.5.2 Particulars of share in physical form & Demat held by Shareholders as on 31st March, 2012

8.5.3 बैंक अपनी डी.एन.रोड शाखा, मुंबई के जरिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) के निक्षेपागार सहभागी (डी.पी.) के रूप में कार्य कर रहा है। डी.पी. सेवा निम्नलिखित छह अतिरिक्त शाखाओं यथा-इंडिया एक्सचेंज प्लेस शाखा, कोलकाता; आश्रम रोड शाखा, अहमदाबाद; संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली; के.जी. रोड शाखा, बेंगलूर; चेन्नै (मुख्य) शाखा, चेन्नै तथा बंजारा हिल्स शाखा, हैदराबाद में उपलब्ध कराई गई है जिससे अधिकाधिक ग्राहक उसका लाभ उठा सकें।

8.5.4 बैंक ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं की है।

8.5.3 The Bank is functioning as a Depository Participant (D.P) of National Securities Depository Ltd. (NSDL) through D.N. Road Branch, Mumbai. The D.P. Services have since been extended to cover wide range of customers through select branches namely, India Exchange Place Branch, Kolkata, Ashram Road Branch, Ahmedabad, Parliament Street Branch, New Delhi and KG Road Branch, Bangalore, Chennai (Main) Branch and Banjara Hills Branch, Hyderabad.

8.5.4 The Bank has not issued any GDRs/ADRs/Warrants or any convertible instruments during the period under review.

8.6.0 कार्पोरेट लाभ / लाभांश परंपरा

8.6.0 Corporate Benefits/Dividend History

वर्ष Years	दर (%) Rate (%)	प्रति शेयर (₹.) Per Share (₹.)	प्रदत्त/देय कुल राशि (₹.में) Total Amount Paid/Payable (in ₹.)
2003-04	8	0.80	63,94,88,000
2004-05	10	1.00	79,93,60,000
2005-06	-	-	-
2006-07 (अंतरिम एवं अंतिम) / (interim & final)	10	1.00	79,93,60,000
2007-08	10	1.00	79,93,60,000
2008-09	10	1.00	34,93,60,000
2009-10	15	1.50	82,40,49,405
2010-11	30	3.00	1,88,25,52,437

8.6.1 निवेशकर्ता शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईडीपीएफ) में अदत्त/दावा-रहित लाभांश राशि का अंतरण

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 2006 एवं 17 अक्टूबर, 2006 से प्रभावी वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) अधिनियम 2006 में यह उपबंधित है कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले बैंक द्वारा घोषित या भविष्य में घोषित किए जानेवाले और छह महीने की अवधि के भीतर अदत्त/दावा-रहित रहनेवाले किसी भी लाभांश को दावा-रहित लाभांश खाते में अंतरित कर दिया जाए। उक्त अधिनियम में यह भी उपबंधित है कि दावा-रहित लाभांश खाते में इस प्रकार अंतरित और ऐसे अंतरण की तारीख से सात वर्ष तक अदत्त रहनेवाले लाभांश को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205 ग की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित कर दिया जाए।

तदनुसार वर्ष 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-2010 एवं 2010-11 का अदत्त लाभांश, बंजारा हिल्स, हैदराबाद शाखा में रखे गए "दावा-रहित लाभांश खाता - यूको बैंक" में अंतरित कर दिया गया है।

8.6.1 Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend amount to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act 2006 and Financial Institution Laws (Amendment) Act 2006 which came into effect from 17th October 2006 provide that any dividend declared by the Bank before the commencement of Act and to be declared in future and remaining unpaid/unclaimed within a period of six months should be transferred to Unclaimed Dividend Account. The Act also provides that the dividend so transferred to Unclaimed Dividend Account and remaining unpaid for seven years from the date of such transfer shall be transferred to Investors Education & Protection Fund established under sub-section (1) of Section 205C of the Companies Act 1956.

Accordingly, the unpaid dividends for the year 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 and 2010-11 have already been transferred to "Unclaimed Dividend Account – UCO Bank" maintained with UCO Bank, Banjara Hills, Hyderabad Branch.

दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार अदत्त लाभांश का विवरण निम्नानुसार है :

The details of such unpaid dividend as on 31st March, 2012 are as under :

वर्ष Year	अदत्त लाभांश वारंट की संख्या No. of Dividend Warrants Unpaid	राशि (₹.) Amounts (₹.)
2003-04	29930	4026298
2004-05	29471	5164642
2006-07	40061	6777532
2007-08	51983	8391246
2008-09	54631	8865069
2009-10	49490	11486079
2010-11	51504	23984532

8.7.0 शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायतों का निवारण

8.7.0 Share Transfer System & Redressal of Investor's Grievances :

बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए हर तरह की सावधानी बरतता है कि शेयरों के अंतरण के लिए सभी वैध अनुरोधों का निपटारा पूर्ण रूप से भरे फार्मों के जमा किए जाने की तारीख से एक माह के भीतर विधिवत कर दिया जाए। निदेशक मंडल ने शेयरों के अंतरण/प्रेषण एवं डुप्लिकेट शेयर जारी करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए शेयर अंतरण समिति का गठन किया है। बैंक ने शेयरधारकों की शिकायतों एवं उनसे संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए शेयरधारक शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया है। दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण निम्नानुसार हैं -

The Bank takes every care to ensure that all valid requests for Transfer of Shares are duly complied within the period of one month from the date of lodgement of the completed forms. The Board of Directors has constituted the Share Transfer Committee to consider Transfer/Transmission and requests for issuance of duplicate Shares. The Bank has also constituted Shareholder's Grievance Redressal Committee to review the status of redressal of Shareholder's grievances and related matters. The status of Shareholder's Complaints as on 31.03.2012 is as under:

1.	1 अप्रैल, 2011 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें Pending complaints as on 1 st April, 2011	01
2.	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें Complaints received during the year ended on 31.03.2012	2674
3.	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतें Complaints disposed off during the year ended on 31.03.2012	2675
4.	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतें Complaints pending as on 31.03.2012	शून्य / Nil

8.8.0 रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट :

बैंक द्वारा मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर प्रा.लि., हैदराबाद को अपना रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया गया है। पते में परिवर्तन, अधिदेश में परिवर्तन, शेयरों के अंतरण आदि से संबंधित सभी पत्राचार उनसे उनके निम्नलिखित पते पर किए जाएं :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(इकाई : यूको बैंक)
प्लॉट नं. 17 से 24, विठ्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081

8.8.0 Registrars and Share Transfer Agent :

M/s. Karvy Computershare Pvt. Ltd., Hyderabad has been appointed by the Bank as its Registrars and Share Transfer Agent. All communications regarding change of address, change of mandate, transfer of shares etc. may be addressed to them in their following address:

M/s. Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittal Rao Nagar
Madhapur, Hyderabad – 500 081

टेलीफोन सं. (040) 2342 0815 से 0824 तक, एक्सटेंशन - 14
फैक्स सं. (040) 23420814
ई-मेल आईडी : einword@karvy.com
वेबसाइट www.karvycomputershare.com

Telephone No. (040)23420815 to 0824, Ext- 14.
Fax No. (040)23420814
E.Mail ID : einword@karvy.com
Website www.karvycomputershare.com

9.0 दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का स्वरूप:

9.0 Shareholding Pattern As on 31.03.2012

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	धारकों की सं. No. of holders	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	ईक्विटी का % % of equity
अ/आ. प्रवर्तक/ प्रवर्तक समूह / Promoter/Promoter Group			
भारत सरकार / Govt. of India	1	433336366	65.19
आ/ब. सार्वजनिक शेयरधारिता / B. Public Shareholding			
1. संस्थाएं / Institutions			
क/अ. म्यूचुअल फंड / Mutual Funds	12	2617132	0.39
ख/ब. वित्तीय संस्थाएं/बैंक / Financial Institutions/Banks	18	1267940	0.19
ग/स. बीमा कंपनियां / Insurance Companies	17	93696759	14.10
घ/द. विदेशी संस्थागत निवेशक / Foreign Institutional Investors	77	23074512	3.47
2. गैर-संस्थाएं / Non-Institutions			
क/अ. कॉर्पोरेट निकाय / Bodies Corporate	2102	21930515	3.30
ख/ब. वैयक्तिक धारिता / Individuals holding			
i. 1 लाख ₹ तक सांकेतिक शेयर पूंजी Nominal share capital upto ₹1 lac	343944	74168007	11.17
ii. 1 लाख ₹ से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी Nominal share capital above ₹ 1 lac	284	10840929	1.63
ग/स. न्यास / Trust	20	483770	0.07
घ/द. समाशोधन सदस्य / Clearing Members	249	1145349	0.17
ड/ए. अनिवासी भारतीय / Non-Resident Indians	1599	2150961	0.32
योग/ TOTAL	348333	664712240	100.00

9.1 दिनांक 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार शेयरधारिता का वितरण:

9.1 Distribution of Shareholding as on 31.3.2012

श्रेणी (राशि ₹. में) Category (Amt. in ₹.)		शेयरधारकों की सं. No. of Share Holders	कुल शेयरधारकों का % % to the total Shareholders	कुल शेयरों की सं. No. of Total Shares	कुल शेयरों का % % to the total Shares
से / From	तक / To				
1	5000	324306	93.10	435767150	6.55
5001	10000	13887	3.99	112789980	1.70
10001	20000	5971	1.70	90172360	1.36
20001	30000	1559	0.45	40068200	0.60
30001	40000	730	0.21	26126910	0.39
40001	50000	482	0.14	23114150	0.35
50001	100000	753	0.22	54994220	0.83
100001	से अधिक/And above	645	0.19	5864089430	88.22
	योग/ TOTAL	348333	100.00	6647122400	100.00

10.0 बैंक के साथ पत्राचार का पता :

शेयरों के अमूर्तीकरण, शेयरों के अंतरण, पते में परिवर्तन, लाभांश प्राप्त न होने, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने आदि से संबंधित किसी प्रकार की सहायता के लिए निवेशक अपना अनुरोध/शिकायत बैंक के पास निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

श्री एन.पूर्ण.चंद्रराव
कंपनी सचिव
यूको बैंक : प्रधान कार्यालय
वित्त विभाग
2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस,
तीसरा तल, कोलकाता-700 001

टेलीफोन सं 44557227
फैक्स सं. (033) 2248-5625
ई-मेल पता :
hosgr.calcutta@ucobank.co.in
वेबसाइट : www.ucobank.com

10.0 Address for correspondence with Bank :

For any assistance regarding dematerialisation of shares, transfer of shares, change of address, non-receipt of dividend, issuance of duplicate share certificates etc., the investors can mail their request/complaint to the Bank in the following address :

Shri N Purna Chandra Rao
Company Secretary
UCO Bank : Head Office
Finance Department
2, India Exchange Place,
3rd Floor, Kolkata – 700 001

Telephone No. 44557227
Fax No. (033) 2248-5625
E.Mail Address :
hosgr.calcutta@ucobank.co.in
Website : www.ucobank.com

10.1 निवेशकों की शिकायत के लिए विशेष ई-मेल आईडी :

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन में यूको बैंक ईक्विटी शेयर/लाभांश के भुगतान आदि के संबंध में निवेशकों/ शेयरधारकों की किसी शिकायत के लिए एक विशिष्ट ई-मेल आईडी तैयार किया गया है। निवेशकों की किसी भी शिकायत का जल्द से जल्द उत्तर दिए जाने के साथ ही अनुपालन अधिकारी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विशिष्ट ई-मेल आईडी निम्नानुसार हैं :

hosgr.calcutta@ucobank.co.in ई-मेल आईडी बैंक के वेबसाइट में भी दर्ज किया गया है।

11.0 कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन यथापेक्षित सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षित प्रमाणपत्र निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2011-12 का अभिन्न अंग है। (अनुलग्नक-1)

12.0 सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र

सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन सीईओ एवं सीएफओ का प्रमाणपत्र निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और यह कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट 2011-12 का अभिन्न अंग है। (अनुलग्नक-2)

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

(अरुण कौल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

10.1 Exclusive e-mail ID for Investors' Complaints :

In compliance with the SEBI guidelines, a dedicated e-mail ID has been created for any complaints by the Investors/ Shareholders regarding UCO Bank Equity Shares/Payment of Dividends etc. Any complaint by the Investors shall be responded expeditiously along with necessary action taken by the Compliance Officer. The e-mail ID is: hosgr.calcutta@ucobank.co.in. The e-mail ID is also been posted in the website of the Bank.

11.0 Auditors Report on Corporate Governance

As required under Clause 49 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges, the Audit Certificate on Corporate Governance for year 2011-12 issued by the Statutory Central Auditors is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2011-12. (Annexure - 1)

12.0 CEO & CFO CERTIFICATE

The Certificate of CEO & CFO under Clause 49 of the Listing Agreement is submitted to the Board of Directors and the same is part & parcel of the Corporate Governance Report 2011-12. (Annexure - 2)

For and on behalf of the Board of Directors

(Arun Kaul)

Chairman & Managing Director

आचार संहिता के अनुपालनार्थ घोषणा DECLARATION ON COMPLIANCE WITH CODE OF CONDUCT

बैंक ने निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं बैंक के सर्वोच्च प्रबंधतंत्र के लिए आचार संहिता निर्धारित की है एवं यह बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सदस्यों एवं कोर प्रबंधन ने दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

The Bank has laid down a Code of Conduct for all the Board members and Core Management of the Bank and which is posted on the website of the Bank. The Board members and Core Management have affirmed compliance with the Code of Conduct as on 31.03.2012

कृते यूको बैंक

For UCO Bank

(अरुण कौल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(Arun Kaul)

Chairman & Managing Director

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata

तारीख / Dated: 05th मई / May, 2012

कार्पोरेट अभिशासन से संबंधित लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र

निदेशक मंडल,
यूको बैंक,
प्रधान कार्यालय,
10, वि.त्रै.म. सरणी
कोलकाता-700001

हमने विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 49 में यथाविनिर्दिष्ट 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए यूको बैंक द्वारा कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित रही। यह न तो लेखापरीक्षा और न ही बैंक के वित्तीय विवरण के बारे में राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा धारित अभिलेखों और दस्तावेजों के बारे में हमारी समीक्षा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में यथाविनिर्दिष्ट कार्पोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन उस हद तक किया है कि वे भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों का अतिक्रमण नहीं करते हैं।

हम यह कथित करते हैं कि शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति द्वारा धारित अभिलेखों के अनुसार उपभोक्ता न्यायालय में लंबित 3 मामलों के अतिरिक्त दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बैंक के विरुद्ध कोई भी निवेशक शिकायत एक माह से अधिक समय से लंबित नहीं है।

हम आगे यह भी कथित करते हैं कि यह अनुपालन बैंक के कार्य संपादन में प्रबंधन की दक्षता या प्रभाविता हेतु बैंक की भावी लाभप्रदता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है।

कृते कोठारी एंड कंपनी सनदी लेखाकार पंजीयन सं.301178ई (सनदी लेखाकार गौतम बनर्जी) भागीदार सदस्यता सं.15289	कृते बावेजा एंड कौल सनदी लेखाकार पंजीयन सं.005834एन (सनदी लेखाकार सम्वित कु.गुर्तू) भागीदार सदस्यता सं.090758	कृते एसबीए एसोसिएट्स सनदी लेखाकार पंजीयन सं.308136ई (सनदी लेखाकार एस.मुखोपाध्याय) भागीदार सदस्यता सं.11517
कृते वेद एंड कंपनी सनदी लेखाकार पंजीयन सं. 012019एन (सनदी लेखाकार पूजा गुप्ता) भागीदार सदस्यता सं.098551	कृते दासगुप्ता एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार पंजीयन सं. 000112एन (सनदी लेखाकार राजा ज़िदल) भागीदार सदस्यता सं. 504111	कृते गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकार पंजीयन सं. 001466एन (सनदी लेखाकार विनय सराफ) भागीदार सदस्यता सं. 087262

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 5 मई, 2012

Auditor's Certificate on Corporate Governance

To
The Board of Directors,
UCO Bank
Head Office,
10, B.T. M. Sarani
Kolkata – 700 001

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UCO Bank for the year ended 31st March, 2012, as stipulated in clause 49 of the Listing Agreements entered into with various Stock Exchanges.

The compliance of the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of the Financial Statements of the Bank.

On the basis of our review of records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given us, in our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned listing agreements to the extent these do not violate RBI guidelines.

We state that no investor grievance is pending for a period exceeding one month as on 31st March, 2012 against the Bank as per the records maintained by the Shareholders/Investors Grievance Committee.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank for the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Kothari & Co.
Chartered Accountants
Registration No 301178E

(CA Gautam Banerjee)
Partner
Membership No. 15289

For Baweja And Kaul
Chartered Accountants
Registration No. 005834N

(CA Samvit K. Gurtoo)
Partner
Membership No. 090758

For SBA Associates
Chartered Accountants
Registration No. 308136E

(CA S. Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 11517

For Ved And Company
Chartered Accountants
Registration No. 012019N

(CA Pooja Gupta)
Partner
Membership No. 098551

For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
Registration No. 000112N

(CA Raaja Jindal)
Partner
Membership No. 504111

For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants
Registration No. 001466N

(CA Vinay Saraf)
Partner
Membership No. 087262

Place: Kolkata
Dated: 05th May, 2012

निदेशक मंडल
यूको बैंक
प्रधान कार्यालय
कोलकाता

विषय : स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के खंड 49 के उप-खंड V के अनुपालन में सीईओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

महोदय,

उक्त के अनुपालन में हम निम्न प्रकार से प्रमाणित करते हैं :

- क) हमने बैंक के वर्ष 2011-12 के वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार-
 - i. इन विवरणों में कोई तात्त्विक असत्य विवरण अंतर्विष्ट नहीं है या किसी तात्त्विक तथ्य को छोड़ा नहीं गया है या कोई भ्रामक विवरण अंतर्विष्ट नहीं है,
 - ii. ये दोनों विवरण बैंक के क्रियाकलापों का सही एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और ये विद्यमान लेखांकन मानकों (सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 05.05.2012 में यथा उल्लिखित एएस-9 को छोड़कर), लागू विधियों एवं विनियमों के अनुपालन में हैं।
- ख) हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान बैंक द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अनियमित है या बैंक की आचार संहिता का अतिक्रमण करता है।
- ग) हम आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने का उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं तथा हमने बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है।
- घ) हमने लेखापरीक्षकों को निम्नलिखित से अवगत कराया है :
 - i. वर्ष 2011-12 के दौरान आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन
 - ii. वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरण से संबंधित नोट में किया गया है ; और
 - iii. हमारी जानकारी में आए उल्लेखनीय कपट के मामले और उसमें प्रबंधन या बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका अदा करनेवाले किसी कर्मचारी की, यदि कोई हो, अंतर्ग्रस्तता।

भवदीय,

(आर. प्रभाहरण)
महाप्रबंधक (वित्त)
(मुख्य वित्त अधिकारी)

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 5 मई, 2012

To
The Board of Directors
UCO Bank
Head Office
Kolkata

Sub: **CEO/CFO Certification in compliance to Sub Clause V of Clause 49 of the Listing Agreement with Stock Exchange**

Sirs,

In compliance to above, we certify as under:

- a) We have reviewed the financial statements and cash flow statement of the Bank for the year 2011-12 and to the best of our knowledge and belief
 - i. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statement that might be misleading;
 - ii. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, (except AS-9 as commented by the Statutory Central Auditors, in their Audit Report dated 05.05.2012), applicable laws and regulations.
- b) There are to the best of our knowledge and belief no transaction enter into by the Bank during the year 2011-12 which are fraudulent, irregular or violating of Bank's Code of Conduct.
- c) We accept responsibility for establishing and maintaining internal control and we have evaluated effectiveness of the internal control systems of the Bank.
- d) We have indicated to the auditors :
 - i. significant changes in internal control during the year 2011-12;
 - ii. significant changes in accounting policies during the year and the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - iii. instances of significant fraud which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant roles in the Bank's internal control system.

Yours faithfully,

(R Prabakaran)
General Manager (Finance)
(Chief Financial Officer)

(Arun Kaul)
Chairman & Managing Director
(Chief Executive Officer)

Date : 05th May, 2012

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

पूँजी एवं देनदारियाँ	अनुसूची	31.3.2012 की स्थिति	31.3.2011 की स्थिति
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule	As on 31.3.2012	As on 31.3.2011
		₹	₹
पूँजी			
Capital	1	2487 71 22	2450 51 75
आरक्षितियाँ और अधिशेष			
Reserves & Surplus	2	6125 72 11	4968 70 48
निक्षेप			
Deposits	3	154003 48 97	145277 60 18
उधार			
Borrowings	4	12901 42 20	5474 77 38
अन्य देनदारियाँ और प्रावधान			
Other Liabilities & Provisions	5	4980 05 41	5226 85 53
योग /TOTAL		180498 39 91	163398 45 32

कृते कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 301178ई
For Kothari & Co.
Chartered Accountants
Registration No 301178E
(सनदी लेखाकार गौतम बनर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 15289
(CA Gautam Banerjee)
Partner
Membership No. 15289

कृते बावेजा एंड कौल
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 005834एन
For Baweja And Kaul
Chartered Accountants
Registration No. 005834N
(सनदी लेखाकार सम्वित के. गुर्तू)
भागीदार
सदस्यता सं. 090758
(CA Samvit K. Gurtoo)
Partner
Membership No. 090758

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 308136ई
For SBA Associates
Chartered Accountants
Registration No. 308136E
(सनदी लेखाकार एस. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 11517
(CA S. Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 11517

कृते वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 012019एन
For Ved And Company
Chartered Accountants
Registration No. 012019N
(सनदी लेखाकार पूजा गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 098551
(CA Pooja Gupta)
Partner
Membership No. 098551

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000112एन
For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
Registration No. 000112N
(सनदी लेखाकार राजा ज़िंदल)
भागीदार
सदस्यता सं. 504111
(CA Raaja Jindal)
Partner
Membership No. 504111

कृते गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001466एन
For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants
Registration No. 001466N
(सनदी लेखाकार विनय सराफ)
भागीदार
सदस्यता सं. 087262
(CA Vinay Saraf)
Partner
Membership No. 087262

Kolkata, the 5th May, 2012
कोलकाता, 05 मई, 2012

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र (जारी)

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012 (CONTD.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

आस्तियां	अनुसूची	31.3.2012 की स्थिति As on 31.3.2012	31.3.2011 की स्थिति As on 31.3.2011
ASSETS	Schedule	₹	₹
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष			
Cash and Balances with Reserve Bank of India	6	7811 52 92	10404 02 62
बैंक में अतिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	5792 15 54	6576 40 56
निवेश			
Investments	8	45771 49 52	42927 28 29
अग्रिम			
Advances	9	115540 01 02	99070 81 36
स्थिर आस्तियां			
Fixed Assets	10	801 54 98	738 87 15
अन्य आस्तियां			
Other Assets	11	4781 65 93	3681 05 34
योग / TOTAL		180498 39 91	163398 45 32
आकस्मिक देयताएं			
Contingent Liabilities	12	48527 21 93	51371 14 11
बिलों के संग्रहण के लिए बिल	-	3547 47 43	2641 01 40

अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ARUN KAUL
Chairman & Managing Director

एस. चन्द्रशेखरन्
कार्यपालक निदेशक
S. CHANDRASEKHARAN
Executive Director

एन. आर. बद्रीनारायणन
कार्यपालक निदेशक
N.R. BADRINARAYANAN
Executive Director

प्रवीण रावल
निदेशक
PRAVIN RAWAL
Director

श्रीमती उमा शंकर
निदेशक
SMT. UMA SHANKAR
Director

एस.एल. मॉरिस
निदेशक
S.L. MORRIS
Director

मनोज कुमार गुप्ता
निदेशक
MANOJ KUMAR GUPTA
Director

आर. ए. शर्मा
निदेशक
R. A. SHARMA
Director

पी. जी. जोशी
उप महाप्रबंधक
P. G. JOSHI
Deputy General Manager

आर. प्रभाहरण
महाप्रबंधक
R. PRABAHARAN
General Manager

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED

31ST MARCH, 2012

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	अनुसूची	31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2012 ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.3.2011 ₹
I. आय /INCOME			
अर्जित व्याज /Interest Earned	13	14632 37 15	11370 80 24
अन्य आय /Other Income	14	965 55 51	925 41 35
योग / TOTAL		15597 92 66	12296 21 59
II. व्यय /EXPENDITURE			
व्यय किया गया व्याज /Interest Expended	15	10730 27 03	7525 88 58
परिचालन व्यय /Operating Expenses	16	2056 23 48	2075 36 67
प्रावधान और आकस्मिक व्यय /Provisions & Contingencies		1702 74 77	1788 42 30
योग / TOTAL		14489 25 28	11389 67 55
III. लाभ/हानि / PROFIT / LOSS			
वर्ष का निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss) for the Year		1108 67 38	906 54 04
अग्रानीत लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) Brought Forward		1685 17 03	1348 98 04
योग / TOTAL		2793 84 41	2255 52 08

कृते कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 301178ई
For Kothari & Co.
Chartered Accountants
Registration No 301178E
(सनदी लेखाकार गौतम बनर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 15289
(CA Gautam Banerjee)
Partner
Membership No. 15289

कृते बावेजा एंड कौल
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 005834एन
For Baweja And Kaul
Chartered Accountants
Registration No. 005834N
(सनदी लेखाकार सन्वित के. गुर्तू)
भागीदार
सदस्यता सं. 090758
(CA Samvit K. Gurtoo)
Partner
Membership No. 090758

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 308136ई
For SBA Associates
Chartered Accountants
Registration No. 308136E
(सनदी लेखाकार एस. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 11517
(CA S. Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 11517

कृते वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 012019एन
For Ved And Company
Chartered Accountants
Registration No. 012019N
(सनदी लेखाकार पूजा गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 098551
(CA Pooja Gupta)
Partner
Membership No. 098551

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000112एन
For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
Registration No. 000112N
(सनदी लेखाकार राजा जिंदल)
भागीदार
सदस्यता सं. 504111
(CA Raaja Jindal)
Partner
Membership No. 504111

कृते गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001466एन
For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants
Registration No. 001466N
(सनदी लेखाकार विनय सराफ)
भागीदार
सदस्यता सं. 087262
(CA Vinay Saraf)
Partner
Membership No. 087262

Kolkata, the 5th May, 2012
कोलकाता, 05 मई, 2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा (जारी)

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED

31ST MARCH, 2012 (CONTD.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

अनुसूची	31.3.2012	31.3.2011
Schedule	Year Ended	Year Ended
	31.3.2012	31.3.2011
	₹	₹
IV. विनियोजन/ APPROPRIATIONS		
सांविधिक आरक्षिति में अंतरण/Transfer to Statutory Reserves	277 16 85	226 63 51
पूंजी आरक्षिति में अंतरण/Transfer to Capital Reserves	7 86 21	4 94 19
प्रस्तावित लाभांश/Proposed Dividend	342 19 15	290 52 15
प्रस्तावित लाभांश पर कर/Tax on Proposed Dividend	55 51 20	48 25 20
अतिशेष जो आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया है		
Balance Carried over to Balance Sheet	2111 11 00	1685 17 03
योग /TOTAL	2793 84 41	2255 52 08
मुख्य लेखा नीतियां / Principal Accounting Policies	17	
लेखे के संबंध में टिप्पणी/ Notes on Accounts	18	
मूल एवं न्यूनीकृत ई पी एस / Basic & Diluted EPS	₹15.02	₹14.29
हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार		
अनुसूची 1 से 18 लेखे के अभिन्न अंग हैं		
The Schedules 1 to 18 form an integral part of the accounts		
as per our Report of even date		

अरुण कौल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ARUN KAUL
Chairman & Managing Director

एस. चन्द्रशेखरन्
कार्यपालक निदेशक
S. CHANDRASEKHARAN
Executive Director

एन. आर. बद्रीनारायणन
कार्यपालक निदेशक
N.R. BADRINARAYANAN
Executive Director

प्रवीण रावल
निदेशक
PRAVIN RAWAL
Director

श्रीमती उमा शंकर
निदेशक
SMT. UMA SHANKAR
Director

एस.एल.मॉरिस
निदेशक
S.L. MORRIS
Director

मनोज कुमार गुप्ता
निदेशक
MANOJ KUMAR GUPTA
Director

आर. ए. शर्मा
निदेशक
R. A. SHARMA
Director

पी. जी. जोशी
उप महाप्रबंधक
P. G. JOSHI
Deputy General Manager

आर. प्रभाहरण
महाप्रबंधक
R. PRABAHARAN
General Manager

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

अनुसूची 1 — पूंजी Schedule 1 — CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011	
	₹	₹	₹	₹
प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 75,00,00,000 इक्विटी शेयर				
75,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each	750 00 00		750 00 00	
225,000 बेमियादी असंचयी				
225,000 Perpetual Non-Cumulative				
प्रत्येक 1,00,000/- ₹ के अधिमानी शेयर				
Preference Shares of ₹ 1,00,000/- each	2250 00 00	3000 00 00	2250 00 00	3000 00 00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूंजी				
Subscribed, Issued and Paid up Capital				
प्रत्येक ₹ 10/- के 66,47,12,240 (62,75,17,479) इक्विटी शेयर				
66,47,12,240 (62,75,17,479) Equity Shares of ₹ 10/- each	664 71 22		627 51 75	
[केन्द्र सरकार द्वारा धारित 43,33,36,366				
(42,75,17,479) शेयर इसमें शामिल हैं]				
[includes 43,33,36,366 (42,75,17,479) shares				
held by Central Govt.]				
अधिमानी शेयर प्रत्येक ₹ 1,00,000 के 1,82,300 (1,82,300)				
वेमियादी असंचयी (केन्द्र सरकार द्वारा धारित)				
1,82,300 (1,82,300) Perpetual				
Non-Cumulative Preference Shares				
of ₹ 1,00,000/- each	1823 00 00	2487 71 22	1823 00 00	2450 51 75
(Entirely Held by Central Govt.)				
योग /TOTAL		2487 71 22		2450 51 75

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012
अनुसूची 2 — आरक्षितियां और अधिशेष
Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार	
	As on 31.3.2012		As on 31.3.2011	
	₹	₹	₹	₹
I. सांविधिक आरक्षितियां / Statutory Reserves:				
अथशेष/Opening Balance	1170 76 32		944 12 81	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	277 16 85		226 63 51	
	<u>1447 93 17</u>		<u>1170 76 32</u>	
		1447 93 17		1170 76 32
II. पूंजी आरक्षितियां / Capital Reserves :				
अ) पूंजीगत प्राप्ति				
a) Capital Gain				
अथशेष / Opening Balance		1 17 00		1 17 00
आ) निवेश /b) Investment :				
अथशेष / Opening Balance	281 03 58		276 09 39	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण				
Transfer from Profit & Loss Account	7 86 21		4 94 19	
	<u>288 89 79</u>		<u>281 03 58</u>	
		288 89 79		281 03 58
इ) स्थिर आस्तियों का पुनर्मूल्यन				
c) Revaluation of Fixed Assets :				
अथशेष / Opening Balance	584 09 62		576 79 54	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	23 90 12		-	
	<u>607 99 74</u>		<u>576 79 54</u>	
वर्ष की समाप्ति पर मौजूदा दर पर विदेशी				
शाखाओं से संबंधित समायोजन				
Adjustment on account of Foreign				
branches at rates as at year end.	25 21 24		15 73 26	
	<u>633 20 98</u>		<u>592 52 80</u>	
परिसर की बिक्री पर कटौती				
Deduction on sale of premises	-		8 43 18	
	<u>633 20 98</u>		<u>584 09 62</u>	
वर्ष की समाप्ति तक पुनर्मूल्यन के				
कारण अवक्षयण का समायोजन				
Depreciation upto year end				
on revaluation adjusted	<u>139 09 12</u>		<u>133 31 74</u>	
		494 11 86		450 77 88

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

अनुसूची 2 — आरक्षितियां और अधिशेष (जारी) Schedule 2 — RESERVES & SURPLUS (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011	
	₹	₹	₹	₹
III. शेयर प्रीमियम /Share Premium				
अथशेष / Opening Balance	901 84 25		40 00 00	
वर्ष के दौरान परिवर्धन				
Addition during the year	269 62 48		861 84 25	
		1171 46 73		901 84 25
IV. राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां/ Revenue & Other Reserves				
अ/ a) सामान्य आरक्षिति / General Reserve :				
अथशेष /Opening Balance	399 73 03		399 73 03	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण				
Transfer from Profit & Loss Account	-		-	
विनिधान उतार-चढ़ाव आरक्षिति से अंतरण				
Transfer from Investment Fluctuation Reserve	-		-	
	399 73 03		399 73 03	
		399 73 03		399 73 03
आ) विदेशी मुद्रा अंतरण आरक्षिति				
b) Foreign Currency Translation Reserve				
अथशेष/Opening Balance	78 21 39		52 02 25	
जोड़ें :विनिमय उचंत लेखा से अंतरण				
Add: Transfer from Exchange Suspense A/c	133 08 14		26 19 14	
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	-		-	
	211 29 53		78 21 39	
वर्ष के दौरान कटौती/Deduction during the year	-		-	
		211 29 53		78 21 39
V. लाभ शेष /Balance of Profit				
अथशेष / Opening Balance	1685 17 03		1348 98 04	
लाभ और हानि लेखे से अंतरण				
Transfer from Profit & Loss Account	425 93 97		336 18 99	
		2111 11 00		1685 17 03
योग (I से V तक) / TOTAL(I to V)		6125 72 11		4968 70 48

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

अनुसूची 3 — निक्षेप

Schedule 3 — DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹
अ.अ. I. मांग निक्षेप /Demand Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	583 15 47	212 84 73
ii) अन्य से/From Others	7497 48 87	7459 89 12
II. बचत बैंक निक्षेप/Savings Bank Deposits	26322 35 05	24358 39 23
III. कालिक निक्षेप/Term Deposits		
i) बैंकों से/From Banks	17544 53 24	14233 15 08
ii) अन्य से/From Others	102055 96 34	99013 32 02
योग /TOTAL(I, II & III)	154003 48 97	145277 60 18
आ.ब. i) भारत में शाखाओं के निक्षेप Deposits of Branches in India	142016 95 57	136414 49 26
ii) भारत के बाहर की शाखाओं के निक्षेप Deposits of Branches outside India	11986 53 40	8863 10 92
योग /TOTAL	154003 48 97	145277 60 18

अनुसूची 4 — उधार

Schedule 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹
I. भारत में उधार /Borrowings in India		
i) भारतीय रिजर्व बैंक/Reserve Bank of India	6715 00 00	-
ii) अन्य बैंक/Other Banks	13 68	15 21
iii) *अन्य संस्थाएं और अभिकरण * Other Institutions and Agencies	5246 48 54	5143 31 44
II. भारत के बाहर उधार /Borrowings outside India	939 79 98	331 30 73
योग (I एवं II) / TOTAL (I & II)	12901 42 20	5474 77 38
ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार Secured borrowings included in I & II above	871 48 54	768 31 44
इसमें शामिल है /* Includes		
सिडबी पुनर्वित्त/SIDBI Refinance	150 00 00	150 00 00
नाबार्ड पुनर्वित्त/NABARD Refinance	321 65 48	618 31 44
एनएचबी पुनर्वित्त/NHB Refinance	-	-
गौण ऋण/Subordinated Debt	2375 00 00	2375 00 00
ऊपरी टीयर II बॉण्ड/Upper Tier II Bond	1620 00 00	1620 00 00
आईपीडीआई/IPDI	380 00 00	380 00 00

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

अनुसूची 5 — अन्य देनदारियां और प्रावधान Schedule 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹
I. संदेय बिल / Bills Payable	247 76 76	253 52 27
II. अंतर -कार्यालय समायोजन (शुद्ध) Inter Office Adjustments (Net)	234 58 34	172 27 69
III. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	732 24 36	774 10 60
IV. * अन्य (इसमें प्रावधान शामिल हैं)/ * Others(including provisions)	3765 45 95	4026 94 97
योग /TOTAL	4980 05 41	5226 85 53
* इसमें शामिल हैं /* Includes		
मानक आस्तियों के एवज में प्रावधान/Provision on Standard Assets	502 73 49	396 37 59

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष Schedule 6 — CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹
I. हाथ-नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट सम्मिलित हैं) Cash in hand(including Foreign Currency Notes)	308 40 47	237 34 93
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में अतिशेष/ Balances with Reserve Bank of India		
i) चालू खाते में/In Current Accounts	7503 12 45	10166 67 69
ii) अन्य खातों में/In Other Accounts	-	-
योग (I एवं II)/TOTAL(I & II)	7811 52 92	10404 02 62

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

अनुसूची 7 — बैंकों में अतिशेष और मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Schedule 7 — BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹
I. भारत में / In India		
i) बैंकों में अतिशेष/Balances with Banks		
क) चालू खाते में		
a) In Current Accounts	48 57 82	96 28 60
ख) अन्य निक्षेप खातों में		
b) In Other Deposit Accounts		
ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-	50 00 00
Money at Call and Short Notice		
क) बैंकों के पास		
a) With Banks	3500 00 00	5033 20 94
ख) अन्य संस्थाओं के पास		
b) With Other Institutions	-	-
योग (i एवं ii)/ TOTAL(i & ii)	3548 57 82	5179 49 54
II. भारत के बाहर /Outside India		
i) चालू खाते में/In Current Accounts	390 90 98	692 74 90
ii) अन्य निक्षेप खातों में		
In Other Deposit Accounts	510 46 94	156 20 04
iii) मांग एवं अल्प सूचना-पर प्रतिदेय राशि		
Money at Call and Short Notice	1342 19 80	547 96 08
योग (i,ii एवं iii) / TOTAL(i,ii & iii)	2243 57 72	1396 91 02
कुल योग (I एवं II) /GRAND TOTAL(I&II)	5792 15 54	6576 40 56

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

अनुसूची 8 — विनिधान

Schedule 8 — INVESTMENTS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹
I. भारत में निम्नलिखित में विनिधान/ Investments in India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां/Government Securities	39842 05 52	34651 09 34
ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां/Other Approved Securities	72 30 77	84 38 47
iii) शेयर/Shares	388 09 42	460 68 43
iv) डिबेंचर और बंधपत्र/Debentures and Bonds	2452 84 20	2131 17 43
v) अनुषंगी और / या संयुक्त उद्यम/Subsidiaries and/or Joint Ventures	247 47 51	174 67 50
vi) अन्य (इंदिरा विकास पत्र म्यूचुअल फंड, आर आई डी एफ, सी. पी. एफ. आर. एन. आदि) Others (Indira Vikas Patra, Mutual Fund, RIDF, C.P. FRN etc.)	1625 96 71	3698 39 20
योग/TOTAL	44628 74 13	41200 40 37
II. भारत के बाहर निम्नलिखित में विनिधान/ Investments outside India in		
i) सरकारी प्रतिभूतियां (इनमें स्थानीय प्राधिकरण शामिल हैं) Government Securities(including Local Authorities)	972 52 27	1275 04 39
ii) अन्य/Others		
क/a) शेयर/Shares	-	-
ख/b) डिबेंचर/Debentures	1 31	1 14
ग/c)अन्य (एफआरएन आदि)/Other Investments (FRN etc.)	170 21 81	451 82 39
योग/TOTAL	1142 75 39	1726 87 92
कुल योग(I एवं II)*/GRAND TOTAL(I & II)*	45771 49 52	42927 28 29

*अवक्षयण/ एन पी आई प्रावधान की राशि को घटाकर / * Net of Depreciation / NPI Provision

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012		31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011		
विनिधान	सकल मूल्य	अवक्षयण/ प्रावधान **	शुद्ध मूल्य	सकल मूल्य	अवक्षयण/ प्रावधान **
INVESTMENTS	Gross Value	Depreciation/ Provision **	Net Value	Gross Value	Depreciation/ Provision **
	₹	₹	₹	₹	₹
I. भारत में/IN INDIA	45038 34 34	409 60 21	44628 74 13	41388 26 39	187 86 02
II. भारत के बाहर OUTSIDE INDIA	1147 07 04	4 31 65	1142 75 39	1736 17 17	9 29 25
योग/TOTAL	46185 41 38	413 91 86	45771 49 52	43124 43 56	197 15 27

** विनिधान में अवक्षयण/अनर्जक विनिधान हेतु प्रावधान /

** DEPRECIATION ON INVESTMENTS / PROVISION FOR NON-PERFORMING INVESTMENTS

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012
अनुसूची 9 — अग्रिम
Schedule 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹
अ/A. (i) क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल Bills Purchased and Discounted	7546 22 87	3807 06 62
(ii) रोकड़ उधार, ओवरड्राफ्ट और मांग पर प्रतिसंदेय उधार Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	34214 63 58	31460 35 99
(iii) सावधि उधार /Term Loans	73779 14 57	63803 38 75
योग/TOTAL	115540 01 02	99070 81 36
आ/B. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत/Secured by Tangible Assets (बही ऋण के एवज में अग्रिम सहित) (includes advances against book debts)	79869 19 86	73479 00 26
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित/ Covered by Bank/Govt. Guarantees	8034 42 43	11359 72 84
(iii) अप्रतिभूत/Unsecured	27636 38 73	14232 08 26
योग/TOTAL	115540 01 02	99070 81 36
इ/C. I. भारत में अग्रिम/Advances in India -		
(i) प्राथमिकता क्षेत्र/Priority Sectors	28924 55 09	24089 66 64
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र/Public Sector	16510 85 34	17472 81 35
(iii) बैंक/Banks	15 26 45	24 78 21
(iv) अन्य/Others	60486 38 60	50186 25 80
योग/TOTAL	105937 05 48	91773 52 00
II. भारत के बाहर अग्रिम/Advances outside India -		
(i) बैंकों से प्राप्य/Due from Banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य/Due from Others		
(क) क्रय किए गए और मितीकाटे पर भुगतान किए गए बिल (a) Bills Purchased and Discounted	1895 04 67	2065 14 27
(ख) सामूहिक उधार (b) Syndicated loans	1370 31 77	1222 57 19
(ग) अन्य (c) Others	6337 59 10	4009 57 90
योग/TOTAL	9602 95 54	7297 29 36
कुल योग (इ-I एवं इ-II)/GRAND TOTAL (C.I & C.II)	115540 01 02	99070 81 36

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र

BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

अनुसूची 10 — स्थिर आस्तियां/Schedule 10 — FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹
I. परिसर/Premises		
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	143 21 42	133 97 83
वर्ष के अंत में प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	14 29 57	8 84 03
	157 50 99	142 81 86
वर्ष के दौरान परिवर्धन / समायोजन Additions/adjustments during the year	37 81	39 56
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deduction during the year	157 88 80	143 21 42
	36 67	-
	157 52 13	143 21 42
आज की तारीख तक पुनर्मूल्यन के कारण परिवर्धन - पुनर्मूल्यन आरक्षित में जमा Additions to date on account of revaluation credited to Revaluation Reserve	633 20 98	584 06 95
	790 73 11	727 28 37
निपटान हेतु धारित आस्तियों में अंतरण Transferred to Assets Held for Disposal	-	36 67
	790 73 11	726 91 70
अद्यतन अवक्षयण/Depreciation to date	201 96 37	186 58 34
योग / TOTAL	588 76 74	540 33 36
II. अन्य स्थिर आस्तियां (इनमें फर्नीचर और फिक्सचर शामिल हैं) पूर्ववर्ती वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार लागत पर Other Fixed Assets(including Furniture & Fixtures) At cost as on 31st March of the preceding year	787 21 16	690 48 06
वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार प्रचलित दरों पर विदेश स्थित शाखाओं से संबंधित आंकड़ों में परिवर्तन के कारण समायोजन Adjustment on account of conversion of figures relating to Foreign branches at rates as at year end	5 07 41	2 65 88
	792 28 57	693 13 94
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	89 51 52	99 87 46
	881 80 09	793 01 40
वर्ष के दौरान कटौतियाँ/Deductions during the year	2 28 87	5 80 24
	879 51 22	787 21 16
अद्यतन अवक्षयण/Depreciation to date	666 72 98	590 24 26
योग/TOTAL	212 78 24	196 96 90
III. निपटान हेतु धारित आस्तियां/Assets Held for Disposal शुद्ध बही मूल्य या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर, इनमें से जो भी कम हो At Net Book Value or Net Realisable Value whichever is less		
अ/आ. परिसर/Premises	-	36 67
आ/ब. अन्य स्थिर आस्तियां/Other Fixed Assets	-	-
योग/TOTAL	-	36 67
IV. चालू पूंजी संकर्म/Capital Work in Progress	-	120 22
योग/ TOTAL	-	120 22
कुल योग (I,II और III+IV) /GRAND TOTAL (I,II & III+IV)	801 54 98	738 87 15

31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2012

अनुसूची 11 — अन्य आस्तियां Schedule 11— OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹
अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		
I. Inter-Office Adjustments (Net)	-	-
II. प्रोद्भूत ब्याज/Interest Accrued	971 44 35	788 21 52
III. अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/Tax deducted at source	1274 40 66	908 05 99
IV. लेखन सामग्री और स्टॉप/Stationery and Stamps	7 16 61	6 44 04
V. दावों की तुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims	-	-
VI. आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred Tax Assets	193 37 00	114 44 00
VII. अन्य/Others	2335 27 31	1863 89 79
योग/TOTAL	4781 65 93	3681 05 34

अनुसूची 12 — आकस्मिक देनदारियां Schedule 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)

(000's omitted)

	31.3.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2012 ₹	31.3.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.3.2011 ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts	69 65 97	71 63 71
II. अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए देयता/ Liability for partly paid Investments	8 79 50	19 54 50
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देनदारी Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	30550 69 88	28073 79 88
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियां/ Guarantees given on behalf of Constituents -		
क) भारत में		
a) In India	7687 73 77	8529 10 99
ख) भारत के बाहर		
b) Outside India	187 39 88	99 64 48
V. प्रतिग्रहण, परांकन और अन्य बाध्यताएं Acceptances, Endorsements and other obligations	6581 13 33	6129 24 07
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Other items for which the Bank is contingently liable	3441 79 60	8448 16 48
योग / TOTAL	48527 21 93	51371 14 11

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED

31ST MARCH, 2012

अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज / Schedule 13 — INTEREST EARNED

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012 ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा / Interest/Discount on Advances/Bills	11382 96 71	8505 39 38
II. विनिधानों पर आय / Income on Investments	3156 34 56	2700 13 30
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास अतिशेष और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on Balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	54 71 79	124 23 53
IV. अन्य/Others	38 34 09	41 04 03
योग / TOTAL	14632 37 15	11370 80 24

अनुसूची 14 — अन्य आय

Schedule 14 — OTHER INCOME

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012 ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली (शुद्ध) Commission, Exchange and Brokerage (Net)	237 93 61	250 86 38
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Investments	198 84 76	92 69 14
घटाव : विनिधानों के विक्रय पर हानि Less: Loss on Sale of Investments	3 06 41	1 01 94
III. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on Sale of Land, Buildings and Other Assets	91 09	5 33
घटाव : भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets	-	-
IV. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions	139 77 92	114 57 95
घटाव : विदेशी मुद्रा संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	24 48 09	1 75 52
V. भारत/विदेश में स्थापित अनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of Dividends, etc. from Subsidiaries/Companies and/or Joint Ventures abroad/in India	8 89 22	7 41 28
VI. प्रकीर्ण आय / Miscellaneous Income	406 73 41	462 58 73
योग / TOTAL	965 55 51	925 41 35

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012

अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज

Schedule 15 — INTEREST EXPENDED

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012 ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹
I. निक्षेपों पर ब्याज / Interest on Deposits	9948 20 03	6842 42 67
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-Bank Borrowings	275 45 71	180 81 75
III. अन्य /Others	506 61 29	502 64 16
योग /TOTAL	10730 27 03	7525 88 58

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय

Schedule 16 — OPERATING EXPENSES

(000 को छोड़ दिया गया है)/(000's omitted)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012 ₹	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011 ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	1383 06 22	1480 11 82
II. किराया, कर और रोशनी/Rent, Taxes and Lighting	122 77 53	105 72 22
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री/Printing & Stationery	26 69 29	21 36 47
IV. विज्ञापन और प्रचार/Advertisement and Publicity	24 00 80	21 68 22
V. बैंक की संपत्ति पर अवक्षयण/ Depreciation on Bank's Property	78 12 28	80 55 06
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	77 52	67 24
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय(शाखा-लेखा-परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including Branch Auditors)	24 72 87	23 53 63
VIII. विधि प्रभार/Law Charges	13 22 55	6 23 85
IX. डाक महसूल, तार, टेलीफोन आदि/ Postages, Telegrams, Telephones, etc.	37 24 61	34 83 24
X. मरम्मत और अनुरक्षण/Repairs and Maintenance	6 62 38	6 46 30
XI. बीमा/Insurance	115 09 92	100 92 00
XII. अन्य व्यय/Other Expenditure	223 87 51	193 26 62
योग /TOTAL	2056 23 48	2075 36 67

अनुसूची 17 - मुख्य लेखा नीतियां

Schedule 17 - PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. सामान्य / GENERAL

- 1.1 वित्तीय विवरण, जैसा अन्यथा कथित किया गया है उसके सिवाय, 'लाभकारी कारोबारवाली संस्था' की संकल्पना पर परंपरागत लागत आधार पर तैयार किये जाते हैं और वे भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैंक) के निदेशों सहित सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों, प्रचलित पद्धतियों तथा सांविधिक उपबंधों के अनुरूप होते हैं।

The financial statements are prepared under 'going concern' concept on historical cost basis, except as otherwise stated, and conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, the prevailing practices and statutory provisions including directives of Reserve Bank of India (RBI).

2. विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन का प्रभाव / EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE

2.1 विदेशी मुद्रा का लेनदेन / FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

- i) विदेशी मुद्रा में लेनदेन की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में प्रारंभिक पहचान पर विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकार्ड किये जाते हैं।

Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

- ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rate.

- iii) विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की, जो परंपरागत लागत आधार बिक्री के लिए उपलब्ध कराई जाती है, रिपोर्ट लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करके की जाती है।

Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

- iv) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की रिपोर्ट भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की बंद हाजिर दर का उपयोग करके की जाती है। Contingent Liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.

- v) मौद्रिक मदों के निपटान पर ऐसी दरों पर उत्पन्न होनेवाले अंतर को, जो प्रारंभ में रिकार्ड की गयी दरों से भिन्न है, उस अवधि में आय या व्यय माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

Exchange differences arising on settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

- vi) बकाया विदेशी मुद्रा संविदा एवं बिल का पुनर्मूल्यन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ की दरों के अनुसार किया जाता है और परिणामी लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में राजस्व में ले जाया जाता है।

Outstanding foreign exchange contracts and bills are revalued as per FEDAI Rates and the resultant gain/loss is taken to revenue at the end of each month.

2.2. विदेशी परिचालन /FOREIGN OPERATIONS

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और प्रतिनिधि कार्यालयों को गैर-समाकलित परिचालन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Foreign Branches and representative offices of the Bank have been classified as Non-integral Operations.

अदला-बदली / Translation

- i) मौद्रिक एवं गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों एवं देयताओं तथा गैर-समाकलित विदेशी परिचालन की आकस्मिक देयताओं को तुलन-पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा अधिसूचित बंद विनिमय दरों पर परिणत किया जाता है।

Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.

- ii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन संबंधी आय एवं व्यय को तिमाही औसत बंद दरों पर परिणत किया जाता है।

Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.

- iii) गैर-समाकलित विदेशी परिचालन में निवल निवेश पर उत्पन्न विनिमय अंतर को निवल निवेश के निपटान तक विदेशी मुद्रा परिणत आरक्षिति में संचित किया जाता है।

Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

3. विनिधान/INVESTMENTS

- 3.1 विनिधान को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा परिपक्वता तक धारित, विक्रय हेतु उपलब्ध एवं क्रय-विक्रय के लिए धारित तथा उसके बाद उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयरों, डिबेंचरों एवं बांडों, अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम और अन्य में वर्गीकृत किया जाता है।

Investments are classified into three categories viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading and are further classified into Investments in Government Securities, Other Approved Securities, Shares, Debentures & Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

- 3.2 (i) परिपक्वता तक धारित के रूप में वर्गीकृत विनिधान को लागत आधार पर आगे ले जाया जाता है। जहाँ लागत अंकित मूल्य से अधिक होता है वहाँ प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि तक के लिए प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार परिशोधित किया जाता है। विक्रय से हुए लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में लिया जाता है और उसके बाद कर को छोड़कर उसका विनियोजन पूंजी आरक्षित लेखे में किया जाता है। विक्रय से हुई हानि को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है।

Investments classified as Held to Maturity are carried at cost. Wherever the cost is higher than the face value, the premium is amortised over the remaining period of maturity as per effective interest rate method. Profit on sale is initially taken to Profit and Loss Account and then appropriated to Capital Reserve Account net of taxes. Loss on sale is charged to the Profit and Loss Account.

- (ii) विक्रय हेतु उपलब्ध के रूप में वर्गीकृत विनिधान को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। प्रत्येक वर्गीकरण हेतु मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन विनिधान को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है। Investments classified as Available for Sale, are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

- (iii) क्रय-विक्रय के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत विनिधान को बाजार मूल्य के रूप में अंकित किया जाता है। मूल्यवृद्धि / मूल्यहास का समुच्चयन स्क्रिपवार किया जाता है। हालांकि प्रत्येक वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यहास को लाभ-हानि लेखे पर भारित किया जाता है, परंतु किसी भी वर्गीकरण से संबंधित शुद्ध मूल्यवृद्धि को नजरअंदाज किया जाता है। इन विनिधान को तुलन-पत्र में मूल्यहास घटाकर दर्शाया जाता है।

Investments classified as Held for Trading are marked to market. Scrip-wise appreciation/depreciation is aggregated for each classification. While net depreciation in respect of each classification is charged to Profit & Loss Account, net appreciation in respect of any classification is ignored. These investments are shown, net of depreciation, in the Balance Sheet.

- 3.3 उपर्युक्त तीन श्रेणियों में से किसी में शामिल ऐसी प्रतिभूतियों के मामले में, जहाँ ब्याज / मूलधन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है, आय की पहचान नहीं की जाती और वैसे विनिधान के मूल्य पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार समुचित प्रावधान किया जाता है।

In respect of securities, included in any of the above three categories where interest/ principal is in arrears for more than 90 days, income is not recognized and appropriate provision on the value of such Investments is made as per prudential norms.

- 3.4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, वाणिज्यिक पत्रों तथा ट्रेजरी बिल में विनिधान का मूल्यन रखाव-लागत पर किया जाता है।

Investments in Regional Rural Banks, Commercial Papers and Treasury Bills are valued at carrying cost.

- 3.5 क्रय-विक्रय / निर्दिष्ट भाववाले विनिधान के संबंध में बाजार कीमत स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध निर्दिष्ट भाव से लिया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यन बाजार कीमत पर या फिक्स्ड इंकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) एवं प्राइमरी डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (पीडीआई) द्वारा संयुक्त रूप से घोषित मूल्य पर किया जाता है।

In respect of traded/quoted Investments, Market price is taken from the quotes available in the stock exchanges. Government securities are valued at Market price or price declared by Primary Dealers Association of India (PDAI) jointly with Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA).

- 3.6 ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में माना जाता है और इसे लागत / बिक्री प्रतिफल से अपवर्जित किया जाता है।

Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/ sale consideration.

- 3.7 बैंक द्वारा प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गयी वित्तीय परिसंपत्तियों की बाबत प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य और वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल बही मूल्य से निम्नतर पर किया जाता है। विनिधान को उपर्युक्त रूप में यथानिर्धारित मूल्य पर बहियों में आगे ले जाया जाता है और विक्रय/ वसूली को, यदि कोई हो, विनिधान से घटाया जाता है तथा निवल बही मूल्य दर्शाया जाता है।

Security receipts issued by securitisation / reconstruction company (SC/RC) in respect of financial assets sold by the Bank to the SC/RC are valued at the lower of the redemption value of the security receipt and the Net Book Value of the financial assets. The Investment is carried in the books at the price determined as above and the sale / realization if any, is reduced from Investment and the net book value is shown.

भा.रि. बैंक द्वारा विहित गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात विनिधान में विनिधान पर लागू मूल्य, वर्गीकरण एवं अन्य मानदंड प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद में बैंक के विनिधान पर लागू किये जाते हैं।

The value, classification and other norms applicable to investment in non-SLR Investments prescribed by RBI are applied to Bank's investment in Security Receipts issued by SC/RC.

4. **ब्याज दर स्वाप /INTEREST RATE SWAPS**

- 4.1 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए ब्याज दर स्वाप लेन-देन की गणना उपचय आधार पर की जाती है तथा क्रय-विक्रय संबंधी लेन-देन के बाजार मूल्य को बहियों में अंकित किया जाता है तथा निवल मूल्यहास के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान किया जाता है, जबकि मूल्यवृद्धि को, यदि हो, नजरअंदाज किया जाता है।

The Interest Rate Swap transactions undertaken for hedging are accounted for on accrual basis and transactions for trading are marked to market and net depreciation, if any, is provided for, whereas appreciation if any is ignored.

- 4.2 बचाव व्यवस्था के लिए किए गए समाप्त ब्याज दर स्वाप पर लाभ या हानि को आस्थगित रखा जाता है और उसकी पहचान स्वाप की संविदागत शेष अवधि अथवा आस्ति या देनदारी की शेष अवधि, इनमें से जो भी कम हो, में की जाती है।

Gain or loss on terminated interest rate swap transactions undertaken for hedging is deferred and recognized over the shorter of the remaining contractual life of the swap or remaining life of the asset or liability.

- 4.3 क्रय-विक्रय स्वाप से संबंधित आय और व्यय की पहचान निपटान की तारीख को की जाती है।

Income and expenses relating to the trading swaps are recognized on the settlement date.

- 4.4 क्रय-विक्रय स्वाप की समाप्ति पर हुए लाभ या हानि को तुरंत आय या व्यय के रूप में रिकार्ड किया जाता है।

Gain or losses on the termination of the trading swaps are recorded as income or expense immediately.

5. **विदेशी मुद्रा करार / FOREIGN EXCHANGE CONTRACTS**

बकाया वायदा विदेशी मुद्रा संविदाओं का पुनर्मूल्यन माह के अंत के अनुसार प्रत्येक माह वायदा संहिता की परिपक्वता की तारीख पर आधारित लागू फेडाई दर पर किया जाता है एवं उसके फलस्वरूप हुए लाभ/हानि को प्रत्येक माह के अंत में लाभ एवं हानि में ले जाया जाता है।

Outstanding forward exchange contracts are revalued every month as per month end FEDAI rates applicable based on maturity date of the forward contracts and the resultant gain/loss is taken to profit and loss at the end of the each month.

6. **अग्रिम/ADVANCES**

- 6.1 ऋण एवं अग्रिम का अर्जक एवं अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। भारत में अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किया जाता है और भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम से प्राप्त / प्राप्य पर विचार करने के बाद उन्हें 'अवमानक', 'संदिग्ध एवं 'हानि आस्तियों में वर्गीकृत करके प्रावधान किए जाते हैं तथा अग्रिम का उल्लेख प्रावधान को घटाने के बाद किया जाता है।

Loans and advances are classified as performing and non-performing based on the guidelines issued by the RBI. Non-Performing advances in India are ascertained as per the Prudential Norms and provisions are made upon classifying the same into 'Sub-Standard', 'Doubtful' and 'Loss' assets after considering the claims Received/Receivable from ECGC and advances are stated after netting of provisions.

- 6.2 विदेश स्थित शाखाओं के अनर्जक अग्रिमों के लिए प्रावधान स्थानीय अपेक्षाओं या भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के, इनमें से जो भी अधिक हो, अनुसार किया जाता है।

Provision on Non-performing advances of foreign branches is made on the basis of local requirements or RBI guidelines whichever is higher.

- 6.3 मानक परिसंपत्तियों के लिए सामान्य प्रावधान वैश्विक पोर्टफोलियो आधार पर किया जाता है।

A general provision on Standard Assets is made on global portfolio basis.

- 6.4 अवलंब ली गई केंद्रीय सरकार की गारंटी और बैंक द्वारा दायर किए गए वाद की बाबत, जहाँ सरकार निराकरण नहीं करती है, देयराशियों को ठीक माना जाता है।

In respect of Central Government Guarantees invoked and suit filed by the bank, wherever the Government does not repudiate, the dues are considered good.

- 6.5 समझौता एवं निपटान संबंधी प्रस्तावों के मामले में पूर्ण वसूली के बाद बड़े खाते डाले जाते हैं।

In respect of Compromise and Settlement Proposals, write-off is done on complete realisation.

- 6.6 खाते को अंशतः विवेकपूर्ण बड़े खाते डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद मामला-दर-मामला आधार पर अप्रतिभूत अंश के लिए किया जाता है।

Partial prudential write off of accounts is done upto unsecured portion level on a case to case basis on approval by the Competent Authority.

7. अचल आस्तियाँ/FIXED ASSETS

- 7.1** अचल आस्तियों का निर्धारण परंपरागत लागत आधार पर / पुनर्मूल्यित राशि में से संचित मूल्यह्रास को घटाकर किया जाता है। पुनर्मूल्यन से प्राप्त अधिशेष को पुनर्मूल्यन आरक्षिति में जमा किया जाता है।

Fixed assets are stated at historical cost/revalued amount less accumulated depreciation. Surplus arising on revaluation is credited to Revaluation Reserve.

- 7.2** अचल आस्तियों के अभिग्रहण हेतु किए गए अग्रिम भुगतान / आंशिक भुगतान अन्य आस्तियों में शामिल किए जाते हैं।

Advance payments/part payments made towards acquisition of fixed assets are included under other Assets.

- 7.3** भारत में परिसर (अविभाज्य / अपृथक्कृत भूमि की लागत सहित) तथा अन्य अचल आस्तियों पर (कंप्यूटरों को छोड़कर) मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में विहित दरों पर मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति के अनुसार किया जाता है। भा. रि. बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार कंप्यूटरों पर मूल्यह्रास सीधी कटौती प्रणाली के आधार पर 33.33% की दर से किया जाता है। मूल्यह्रास का प्रावधान 30 सितंबर तक किए गए परिवर्धन के लिए पूरी दर पर तथा उसके बाद किए गए परिवर्धन के लिए आधी दर पर किया जाता है।

Depreciation on Premises (including cost of land wherever inseparable/not segregated) and other fixed assets (excluding computers) in India is provided on written down value method at the rates prescribed in Schedule XIV to the Companies Act, 1956. Depreciation on computers is provided at the rate of 33.33% on Straight Line Method in terms of RBI guidelines. Depreciation is provided at full rate on additions made upto 30th September and at half the rate on additions made thereafter.

- 7.4** भारत के बाहर स्थित अचल आस्तियों की बाबत मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देश की स्थानीय विधि के अनुसार सीधी कटौती प्रणाली / मूल्यह्रासित मूल्य पद्धति के आधार पर किया जाता है।

Depreciation in respect of fixed assets situated outside India is provided on straight line/written down value method as per the local laws of respective country.

- 7.5** पुनर्मूल्यन से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्यह्रास का समंजन पुनर्मूल्यन आरक्षिति के प्रति किया जाता है।

Additional depreciation arising out of revaluation is set off against Revaluation Reserve.

- 7.6** पट्टाधृत संपत्तियों की बाबत पट्टा प्रीमियम को पट्टे की अवधि तक परिशोधित किया जाता है।

In respect of leasehold properties, the lease premium is amortized over the period of the lease.

8. कर्मचारी हितलाभ/EMPLOYEE BENEFITS

8.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ /Short Term Employee Benefits

कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के एवज में 12 माह की सेवावधि के दौरान कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा, आकस्मिक छुट्टी आदि अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ अदा / जमा किया जाता है।

The short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are paid/credited in exchange for the services rendered by employees are recognised during the 12 month period when the employee renders the service.

8.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ/Long Term Employee Benefits

सेवोपरांत हितलाभ/Post Employment Benefits

अ) निर्धारित अंशदान योजना/Defined Contribution Plan

भविष्य निधि जैसी निर्धारित अंशदान योजना में अंशदान को लाभ-हानि लेखा पर भारित किया जाता है। जिन कर्मचारियों ने पेंशन हितलाभ का विकल्प नहीं लिया है उनका भविष्य निधि अंशदान बैंक द्वारा निर्धारित ट्रस्ट को किया जाता है।

Contribution to Defined Contribution Schemes such as Provident Fund etc., are charged to the Profit & Loss Account as and when incurred. In respect of certain employees who have not opted for Pension Benefits, Provident Fund Contributions are made to a Trust administered by the Bank.

आ) निर्धारित हितलाभ योजना/Defined Benefit Plan

- क. बैंक द्वारा निर्धारित हितलाभ योजना के अंतर्गत उपादान एवं पेंशन योजना का परिचालन किया जाता है।

a. The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.

- ख. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को उपदान प्रदान करता है। इसके अंतर्गत उन सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि/एकबारगी भुगतान इस प्रकार किया जाता है i) 10,00,000 रु. की अधिकतम सीमा के अध्वधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए ii) 15 दिनों का वेतन (मूल + डीए) या iii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों का वेतन (केवल मूल वेतन), इनमें से जो भी अधिक हो। पाँच वर्ष/ दस वर्ष की सेवा (यथा प्रयोज्य) पूरी करने के उपरांत यह लाभ प्रदान किया जाता है। स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा नियमित अंतराल पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में वार्षिक अंशदान करता है।

- b. The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum/one time payment to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to i) 15 days salary (Basic+DA) payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs.10,00,000 or ii) 15 days salary (Basic only) for each completed year of service, whichever is higher. Vesting occurs upon completion of five years/ ten years (as applicable) of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by Trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals.

- ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों के लिए पेंशन का प्रावधान करता है। नियमानुसार यह लाभ पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर, नौकरी के दौरान मृत्यु पर, या नौकरी की समाप्ति पर, जैसा कि इस विनियम में प्रावधान है, मासिक भुगतान के रूप में किया जाता है। नियमानुसार विभिन्न स्तर पर यह लाभ प्रदान किया जाता है। वेतन के 10% प्रतिमाह की दर से अंशदान के अलावा स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक द्वारा नियमित अंतराल पर किए गए मूल्यांकन के आधार पर बैंक न्यासियों द्वारा संचालित निधि में अतिरिक्त वार्षिक अंशदान करता है।
- c. The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment as provided under regulation. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes additional annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out at regular intervals besides monthly contribution @ 10% of pay per month.
- घ. निर्धारित प्रसुविधा प्रदान किए जाने लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। निवल देयता को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेख में मान्यता दी जाती है।
- d. The cost of providing defined benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out at each balance sheet date. Net liabilities are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

इ/क) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ/Other Long Term Employee benefits

- क/अ. बैंक के सभी पात्र कर्मचारी प्रतिकारात्मक अनुपस्थिति एवं छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार हैं। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ लागत की निधि बैंक द्वारा आंतरिक रूप से प्रदान की जाती है।

All eligible employees of the bank are entitled to compensated absences; leave travel concession. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.

- ख/ब. इस प्रकार के अन्य निर्धारित दीर्घावधि हितलाभ प्रदान करने की लागत का अवधारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है जो साधारणतया तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। पश्च सेवा लागत को आस्थगित नहीं किया जाता है और उसे तत्काल लाभ-हानि लेख में मान्यता दी जाती है।

The cost of providing these other long term benefits is determined by actuarial valuation using the projected unit credit method which is normally carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

- ग/क. पूर्णकालिक निदेशकों को सेवानिवृत्ति के पश्चात सेवोपरांत चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। लागत का आकलन एवं निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड आधार पर किया जाता है और ऐसा मूल्यांकन सेवानिवृत्ति के साथ-साथ पूर्णकालिक निदेशकों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है। इस देयता को तत्काल लाभ-हानि लेख में मान्यता दी जाती है और इसे आस्थगित नहीं रखा जाता है।

Medical benefits are extended to full time Directors, after their retirement as post retirement medical benefits. The cost is ascertained and determined by actuarial valuation using the projected unit credit method and such valuation is carried out at balance sheet date for retired as well as in service full time Directors. The liability is immediately recognized in the statement of profit & loss and not deferred.

एएस -15 कर्मचारी हितलाभ (संशोधित 2005) में सीमित संशोधन तथा उससे संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत संबंधी नोट के अनुसार बैंक ने उस देयता की तुलना में संक्रमणकालीन देयता में वृद्धि को परिशोधित करने का निश्चय किया है जिनकी पहचान दीर्घकालीन कर्मचारी हितलाभ यथा पेंशन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी छुट्टी एलएफसी/एलटीसी आदि की बाबत 31.03.2007 की स्थिति के अनुसार संशोधन पूर्व एएस-15 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 से सीधी रेखा आधार पर 5 वर्षों तक व्यय के रूप में की गई।

In terms of Limited Revision to AS-15 Employee Benefits (Revised 2005) and guidance note thereon, the Bank has decided to amortise the increase in transitional liability over the liability that could have been recognised as per the pre revised AS-15 as on 31.03.2007 in respect of long term employee benefits like Pension, Gratuity, Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC, etc., as an expense on a straight-line basis over 5 years from financial year 2007-08.

"सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प फिर से शुरू करना और उपदान सीमा में वृद्धि-विवेकपूर्ण विनियामक उपचार" के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक.डीबीओडी.बीपी. बीसी.80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 में दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित के कारण अतिरिक्त देयता को परिशोधित करने का निर्णय किया है-

In accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India vide its Circular No. DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11 dated 09.02.2011 on "Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits – Prudential Regulatory Treatment", Bank has decided to amortize the additional liability on account of –

- क/अ) जिन विद्यमान कर्मचारियों ने पहले पेंशन का विकल्प नहीं दिया था उनके लिए पेंशन का विकल्प फिर से शुरू करने; और

Re-opening of pension option for existing employees who did not opt for pension earlier; and

- ख/ब) वित्तीय वर्ष 2010-11 से पाँच वर्ष की अवधि तक सीधी-रेखा आधार पर व्यय के रूप में उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसरण में 10.00 लाख ₹ की वर्धित सीमा के अनुसार (3.50 लाख ₹ से बढ़ाकर) विद्यमान कर्मचारियों को उपदान का भुगतान करने के कारण।

Payment of gratuity to existing employees as per the enhanced limit of ₹ 10.00 lakhs (increased from ₹ 3.50 lakhs) pursuant to

the amendment of the Payment of Gratuity Act, 1972, as an expense on a straight line basis over a period of five years from the financial year 2010 -11.

9. राजस्व की पहचान/REVENUE RECOGNITION

9.1 अन्यथा कथित के सिवाय आय एवं व्यय की मदों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

Items of Income and Expenditure are accounted for on accrual basis, except as otherwise stated.

9.2 निम्नलिखित मदों के लिए आय की पहचान वसूली आधार पर की जाती है:

Income for the following items are recognised on realization basis:

अ) भा.रि.बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनर्जक आस्तियों से आय/Income from non-performing assets in terms of RBI guidelines.

आ) जारी किए गए साख-पत्र और गारंटियों पर अर्जित कमीशन/Commission earned on Letter of Credit and Guarantees issued.

10. आय पर कर/TAXES ON INCOME

चालू कर का निर्धारण वर्ष की कर योग्य आय की बाबत देय कर की राशि पर किया जाता है और तदनुसार न्यूनतम विकल्पी कर सहित कर के लिए प्रावधान किया जाता है।

Current tax is determined on the amount of tax payable in respect of taxable income for the year and accordingly provision for tax is made including Minimum Alternate Tax (MAT).

अधिसूचित लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार आस्थगित कर आस्ति या देयता की पहचान तुलन-पत्र की तारीख तक प्रदर्शित या तत्त्वतः प्रदर्शित कर की दरों का प्रयोग करके की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों / देनदारियों की समीक्षा वर्ष के दौरान हुई गतिविधियों के आधार पर प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है।

The deferred tax asset or liability is recognised using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the Balance Sheet date, in terms of notified Accounting Standard 22. Deferred Tax Assets/Liabilities are reviewed at each Balance Sheet date based on developments during the year.

11. आस्तियों की अनर्जकता/IMPAIRMENT OF ASSETS

जब कभी भी घटनाओं या स्थितियों में हुए परिवर्तन के कारण ऐसा लगे कि किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की वसूली नहीं हो सकती है, तब अनर्जकता के आकलन हेतु अचल आस्तियों की समीक्षा की जाती है। धारित और उपयोग की जानेवाली आस्तियों की वसूली योग्यता का आकलन किसी आस्ति की रख-रखाव राशि की तुलना में आस्ति द्वारा उत्पन्न होनेवाले आगामी निवल बड़ाकृत नकदी प्रवाह से करके किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को अनर्जक माना जाता है तो उसकी अनर्जकता का आकलन आस्ति के रख-रखाव की उस राशि से किया जाता है जो आस्ति के उचित मूल्य से अधिक होती है।

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

12. प्रति शेयर अर्जन/EARNINGS PER SHARE

बैंक एएस 20 —'प्रति शेयर अर्जन', के अनुसार प्रति शेयर मूल और न्यूनीकृत अर्जन की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर मूल अर्जन का निर्धारण कर पश्चात निवल लाभ तथा अधिमानी शेयरों पर लाभांश को वर्ष में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारिता से भाग देकर किया जाता है।

The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 — 'Earnings per Share'. Basic earnings per share computed by dividing the net profit after tax and dividend on preferential shares by weighted average number of equity shares outstanding for the year.

प्रति शेयर अर्जन में कमी उस संभाव्य कमी को प्रकट करती है जो वर्ष के दौरान प्रतिभूति या ईक्विटी शेयर जारी करने हेतु अन्य संविदा जारी या परिवर्तित करने पर होती है। प्रति शेयर अर्जन में कमी का निर्धारण वर्ष के अंत में बकाया ईक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या और कम होनेवाले संभाव्य ईक्विटी शेयरों का उपयोग कर किया जाता है।

Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्ति संबंधी लेखा विधि

ACCOUNTING FOR PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

आईसीएआई द्वारा इस संबंध में जारी एएस 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं आकस्मिक आस्तियों" के अनुरूप बैंक प्रावधान की पहचान तभी करता है जब अतीत की किसी घटना के फलस्वरूप उसका वर्तमान दायित्व हो, संभव है कि आर्थिक लाभ को सन्निहित करनेवाले संसाधनों का बहिर्गमन दायित्व का निपटान करने हेतु अपेक्षित हो, और तब दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सके।

In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued in this regard by the ICAI, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

आकस्मिक आस्तियों का निर्धारण वित्तीय विवरणों में नहीं किया जाता क्योंकि इसके फलस्वरूप उस आय का निर्धारण होगा जिसे कभी भी वसूला नहीं जा सकता।

Contingent Assets are not recognised in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realized.

अनुसूची / SCHEDULE 18

लेखे के संबंध में टिप्पणियां / NOTES ON ACCOUNTS

1. पूंजी / Capital

1.1 पूंजी पर्याप्तता अनुपात/Capital Adequacy Ratio

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

मद/Items	31.03.12 की स्थिति As on 31.03.12	31.03.11 की स्थिति As on 31.03.11
(i) सीआरएआर (%) - बासेल- I / CRAR (%) – Basel I	11.03	11.87
(ii) सीआरएआर-टियर- I पूंजी (%) / CRAR - Tier I capital (%)	7.23	7.38
(iii) सीआरएआर-टियर- II पूंजी (%) / CRAR - Tier II Capital (%)	3.80	4.49
(iv) सीआरएआर (%) - बासेल- II / CRAR (%) – Basel II	12.35	13.71
(v) सीआरएआर-टियर- I पूंजी (%) / CRAR - Tier I capital (%)	8.09	8.52
(vi) सीआरएआर-टियर- II पूंजी (%) CRAR - Tier II Capital (%)	4.26	5.19
(vii) भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India	65.19	68.13
(viii) टियर- II पूंजी के रूप में जुटाई गई गौण ऋण की राशि (करोड़ ₹ में) Amount of subordinated debt raised as Tier-II capital (₹ in Crore)	2375.00	2375.00
(ix) अपर टियर-II पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि (करोड़ ₹ में) (जिनमें से विदेशी मुद्रा उधार राशियाँ) Amount raised as Upper Tier-II Capital (₹ in Crore) (Of which borrowings in foreign currency)	1620.00 0.00	1620.00 0.00
(x) टियर-I बेमियादी ऋण लिखत के रूप में जुटाई गई राशि (करोड़ ₹ में) Amount raised as Tier-I Perpetual Debt Instruments (₹ in Crore)	380.00	380.00
(xi) टियर-I पूंजी के रूप में जुटाई गई बेमियादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) की राशि Amount of Perpetual Non Cumulative Preference Share (PNCPS) raised as Tier I Capital	1823.00	1823.00

क) वर्ष के दौरान बैंक ने भारत सरकार को ₹ 82.49 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 58,18,887 ईक्विटी शेयर आबंटित किए और उक्त ईक्विटी शेयरों के आबंटन के बदले ₹ 47,99,99,988.63 की राशि प्राप्त की। इसमें से ₹ 5,81,88,870 शेयर पूंजी खाते में तथा ₹ 42,18,11,118.63 शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किए गए हैं।

ख) वर्ष के दौरान बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम को ₹ 82.49 प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर 3,13,75,874 ईक्विटी शेयर आबंटित किए हैं और इस आबंटन के बदले ₹ 258,81,95,846.26 की राशि प्राप्त की है। इसमें से ₹ 31,37,58,740 शेयर पूंजी खाते में तथा ₹ 227,44,37,106.26 शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किए गए हैं।

2.0 निवेश

2.1 बैंक के निवेश एवं निवेश पर मूल्य-ह्रास/अनर्जक निवेश के प्रति किए गए प्रावधान के उतार-चढ़ाव के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

a) During the year, Bank allotted 58,18,887 equity Shares to Government of India at an issue price of ₹ 82.49 per Share and received ₹ 47,99,99,988.63 against allotment of the above equity Shares. Out of this, ₹ 5,81,88,870 is transferred to Share Capital Account and ₹ 42,18,11,118.63 towards Share Premium Account.

b) During the year, Bank also allotted 3,13,75,874 equity Shares to LIC of India at an issue price of ₹ 82.49 per share and received ₹ 258,81,95,846.26 against allotment of the above equity Shares. Out of this, ₹ 31,37,58,740 is transferred to Share Capital Account and ₹ 227,44,37,106.26 towards Share Premium Account.

2.0 Investments

2.1 The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on the investments/ Non Performing Investments of the Bank is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

मद/Items	31.03.12 की स्थिति As on 31.03.12	31.03.11 की स्थिति As on 31.03.11
(1) निवेश का मूल्य/Value of Investments		
(i) निवेश का सकल मूल्य/Gross Value of Investments		
(a) भारत में/In India	45038.34	41388.26
(b) भारत के बाहर/ Outside India	1147.07	1736.17
(ii) मूल्यह्रास/एनपीआई हेतु प्रावधान/Provisions for Depreciation/NPI		
(a) भारत में/In India	409.60	187.86
(b) भारत के बाहर/Outside India	4.32	9.29
(iii) निवेश का निवल मूल्य /Net Value of Investments		
(a) भारत में/In India	44628.74	41200.40
(b) भारत के बाहर/Outside India	1142.75	1726.88
(2) निवेश पर मूल्यह्रास/एनपीआई के प्रति किए गए प्रावधान का उतार-चढ़ाव Movement of provisions held towards depreciation on investments/NPI.		
(i) प्रारंभिक शेष / Opening balance	197.15	178.43
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान Add: Provisions made during the year : परिचालन लाभ को घटाते हुए By reduction of Operating Profit : विनिमय अंतर के जरिए By Exchange Difference	338.76 4.45 1.57	191.55
(iii) घटाएं : वर्ष के दौरान बढ़े खाते डाला गया/ पुनरांकित किया गया अतिरिक्त प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	128.01	172.83
(iv) अंतिम शेष/Closing balance	413.92	197.15

2.2 रेपो लेनदेन / Repo Transactions

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया Daily Average outstanding during the year	31 मार्च 2012 को बकाया Outstanding as on 31 st March 2012
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूति Securities sold under Repos	0.00	0.00	0.00	0.00
i) सरकारी प्रतिभूति/Government securities				
ii. कारपोरेट ऋण प्रतिभूति रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूति Corporate debt securities Securities purchased under reverse Repos	0.00	0.00	0.00	0.00
i) सरकारी प्रतिभूति/Government securities				
ii) कारपोरेट ऋण प्रतिभूति Corporate debt securities				

2.3 गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश संविभाग/Non-SLR Investment Portfolio

(i) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश के जारीकर्ताओं की संरचना/ Issuer composition of Non SLR investments

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

सं. जारीकर्ता No. Issuer	राशि Amount	निजी तौर पर शेयर आबंटन की सीमा Extent of Private Placement	'निवेश श्रेणी से निम्न' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Below Investment Grade' Securities	'रेटिंग से इतर' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unrated' Securities	'असूचीगत' प्रतिभूतियों की सीमा Extent of 'Unlisted' Securities
(1) (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i) स.क्षे.के उपक्रम / PSUs	224.11	28.64	0.00	166.21	0.84
(ii) वित्तीय संस्थाएं / FIs	1830.66	1650.36	183.26	486.14	569.53
(iii) बैंक / Banks	536.70	484.96	2.00	19.83	185.59
(iv) निजी कंपनी / Private Corporates	977.85	747.17	86.59	330.67	151.78
(v) अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/Subsidiaries/ Joint Ventures	249.61	249.61	0.00	249.61	249.61
(vi) अन्य /Others	1302.11	251.12	0.00	1114.63	1292.35
(vii) उप योग (i) से (vi) तक Sub Total (i to vi)	5121.04	3411.86	271.85	2367.09	2449.70
(viii) घटाएं- मूल्यहास के प्रति किया गया प्रावधान Less Provision held towards depreciation	226.69	0.00	0.00	0.00	4.32
(ix) योग / Total (vii-viii)	4894.35	3411.86	271.85	2367.09	2445.38

(ii) अनर्जक गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश / Non performing Non-SLR investments

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.03.2012
अथशेष / Opening balance	12.31
वर्ष के दौरान परिवर्धन /Additions during the year	90.76
वर्ष के दौरान कटौतियां / Reductions during the year	1.19
अंतिम शेष / Closing balance	101.88
किए गए कुल प्रावधान / Total provisions held	52.90

2.4 विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश का सकल मूल्य निम्नानुसार है:

The gross value of Investments held in different categories of securities is as under:

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	31.3.2012	31.3.2011
परिपक्वता तक धारित/Held to Maturity		
- छूट प्राप्त श्रेणी /-exempted category	1597.27	1384.20
- अन्य/-others	31539.23	26700.53
बिक्री हेतु उपलब्ध/Available for Sale	12870.05	15039.66
क्रय-विक्रय हेतु धारित/Held for Trading	178.86	0.04

2.5 एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी को/से बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के आरंभ में एचटीएम श्रेणी में रखे गए निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं हुआ है।

2.5 Sale and transfers to/from HTM Category

The value of sales and transfers of securities to/from HTM category has not exceeded 5% of the book value of investments held in HTM category at the beginning of the year.

वर्ष के आरंभ में निदेशक मंडल के अनुमोदन के पश्चात वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 3529.69 करोड़ का अंतरण 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) श्रेणी से 'परिपक्वता तक रखने हेतु' (एचटीएम) श्रेणी में किया गया। इस अंतरण पर ₹ 45.14 करोड़ का मूल्यहास लाभ एवं हानि खाते से घटाया गया।

During the financial year 2011-12 there was transfer of securities from 'Available for Sale' (AFS) to Held to Maturity (HTM) category of ₹ 3529.69 Crores with the approval of Board of Directors (BOD) at the beginning of the year. Depreciation amounting to ₹ 45.14 Crore on account of such transfer has been charged to Profit and Loss Account.

3.0 व्युत्पन्न / Derivatives

3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर स्वाप / Forward Rate Agreement/ Interest Rate Swap

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

मर्दे / Items	2011-12	2010-11
i) स्वाप करार का आनुमानिक मूलधन The notional principal of swap agreements	3300.00	4075.00
ii) करार के अंतर्गत काउंटर पार्टियों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में चूक किए जाने पर उठाई जानेवाली हानि Losses which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	16.54	10.51
iii) स्वाप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक Collateral required by the bank upon entering into swaps	0.00	0.00
iv) स्वाप से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण Concentration of credit risk arising from the swaps	0.00	0.00
v) स्वाप बही का उचित मूल्य The fair value of the swap book	0.23	-3.03

3.2 विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न / Exchange Traded Interest Rate Derivatives:

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

क्रम सं. S.No.	विवरण Particulars	राशि Amount
(i)	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument-wise)	0.00
	क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	
(ii)	दिनांक 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार बकाया विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31 st March 2011(instrument-wise)	0.00
	क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	
(iii)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न की आनुमानिक मूल राशि (लिखतवार) जो बकाया है परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00
	क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	
(iv)	ऐसे विनिमय व्यापार ब्याज दर व्युत्पन्न का दैनिक बाजार मूल्य (लिखतवार) जो बकाया है परंतु "अत्यंत प्रभावी" नहीं हैं Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	0.00
	क) \ a) ख) \ b) ग) \ c)	

3.3 व्युत्पन्न में ऋण जोखिम का प्रकटीकरण

क) गुणात्मक प्रकटीकरण

(i) व्युत्पन्न लेनदेन में जोखिम प्रबंध की संरचना और गठन:

संगठनात्मक ढाँचे के अंतर्गत कारपोरेट स्तर पर निवेश स्कंध है जो कार्यपालक निदेशक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अंततः निदेशक मंडल को रिपोर्ट करता है। लेनदेन के समय उनके बारे में जोखिम प्रबंध विभाग को सूचित किया जाता है।

(ii) जोखिम माप, जोखिम सूचना और जोखिम निगरानी प्रणालियों का क्षेत्र और स्वरूप:

क) बैंक द्वारा किए ब्याज दर स्वाप (आई आर एस) संबंधी लेनदेन केवल बचाव व्यवस्था एवं क्रय-विक्रय के प्रयोजनार्थ किए जाते हैं। ग्राहकों को व्युत्पन्न उत्पाद के रूप में भा.रि. बैंक के मानदंडों के अनुसार दिए जाते हैं। ये लेन-देन भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाई गई बैंक की नीतियों के अनुसार किए जाते हैं।

(ख) ब्याज दर स्वाप संविदाओं की शेष अवधि के लिए बेंचमार्क ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के आधार पर ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन की जोखिम मापा जाता है। जोखिम की माप के प्रयोजनार्थ सभी ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन को शामिल किया जाता है। जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है तथा रिपोर्ट अ.प्र.नि./का.नि. के समक्ष प्रतिदिन और निदेशक मंडल के समक्ष आवधिक रूप से प्रस्तुत की जाती है। ब्याज दर व्युत्पन्न लेनदेन की मार्क-टु-मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है।

(iii) जोखिम से बचाव और/या उसके शमन के लिए नीतियाँ तथा बचाव व्यवस्था/प्रशामकों की निरंतर प्रभाविता पर निगरानी रखने की कार्यनीति एवं प्रक्रिया:

परिसंपत्तियों या देयताओं के वास्तविक ब्याज भार के लिए ब्याज दर स्वाप किया जाता है। आनुमानिक मूलधन और बचाव की परिपक्वता निहित परिसंपत्ति/देयता के मूल्य और परिपक्वता से अधिक नहीं होती है। बकाया ब्याज दर स्वाप संविदाओं की मार्क-टु-मार्केट स्थिति के आधार पर जोखिम पर निगरानी रखी जाती है तथा तदनुसार बचाव की प्रभाविता निर्धारित की जाती है।

ब्याज दर स्वाप करने पर अपेक्षित संपार्श्विक शून्य है। पूंजी अपेक्षा अवधारित करने के लिए सुसंगत परिवर्तन-कारक से गुणा की गई ब्याज दर स्वाप की आनुमानिक मूल राशि और प्रतिपार्टी की संबंधित जोखिम भारिता को हिसाब में ले लिया गया है।

3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

a) Qualitative Disclosures

i) The Structure and organization for management of risk in derivatives trading:

The organization structure consists of Investment Wing at the Corporate level which report to the Executive Directors and Chairman & Managing Director and ultimately to the Board. Risk Management Department is informed of the transactions as and when they take place.

ii) The scope and nature of risk measurement, risk reporting and risk monitoring systems:

a) The Interest Rate Swap (IRS) transactions undertaken by the Bank are for hedging and trading purposes. Derivative as a product is also offered to the customer as per RBI norms. Such transactions are undertaken as per policies of the bank formulated based on RBI guidelines.

b) The risk is measured in the interest rate derivative transactions depending on the movement of benchmark interest rates for the remaining life of the interest rate swap contracts. All interest rate derivative transactions are included for the purpose of risk measurement. The risk is evaluated and reports are placed to the CMD/ED daily and Board periodically. Risk is monitored based on the mark to market position of the interest rate derivative transactions.

(iii) Policies for hedging and /or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedges/ mitigants:

IRS is undertaken on the actual interest bearing underlying assets or liabilities. The notional principal amount and maturity of the hedge does not exceed the value and maturity of underlying asset/liability. The risk is monitored on the mark to market basis of the outstanding interest rate swap contracts and accordingly the effectiveness of the hedge is determined.

Collateral required upon entering into IRS is Nil. Notional principal amount of IRS multiplied by the relevant conversion factor and the respective risk weight of the counter party has been taken into account for determining the capital requirements.

ख)/b) प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण Quantitative Disclosures

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

क्र.सं. विवरण Sl.No.Particulars	2011-12		2010-11	
	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives	मुद्रा व्युत्पन्न Currency Derivatives	ब्याज दर व्युत्पन्न Interest rate derivatives
1 व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)	27793.69	3300.00	28,258.60	4,075.00
क)/a) बचाव के लिए / For hedging	27793.69	150.00	28,258.60	150.00
ख)/b) क्रय-विक्रय के लिए /For trading	0.00	3150.00	0.00	3,925.00
2 मार्केट टु मार्केट स्थिति / Marked to Market Positions				
क)/a) आस्ति (+) / Asset (+)	84.04	0.23	23.43	0.00
ख)/b) देयता (-) / Liability (-)	3.84	0.00	3.99	3.03
3 ऋण एक्सपोजर \ Credit Exposure	988.20	35.29	853.14	45.76
4 ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in Interest rate (100*PV01)				
क)\ a) बचाव व्युत्पन्न पर \ on hedging derivatives				
अधिकतम \ Maximum	NA	-9.61	NA	-8.79
न्यूनतम \ Minimum	NA	-1.19	NA	1.88
ख)\ b) क्रय-विक्रय व्युत्पन्न पर \ on trading derivatives				
अधिकतम \Maximum	NA	0.36	NA	-6.66
न्यूनतम \ Minimum	NA	0.10	NA	0.60
5 वर्ष के दौरान 100*पीवी01 के अधिकतम और न्यूनतम निम्नलिखित पर पाए गए Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
बचाव-व्यवस्था पर- \ on hedging				
अधिकतम \ Maximum	NA	-7.76	NA	-5.04
न्यूनतम \ Minimum	NA	1.93	NA	0.99
क्रय-विक्रय पर \ on trading				
अधिकतम \ Maximum	NA	0.30	NA	-3.74
न्यूनतम \ Minimum	NA	0.28	NA	3.93

ग) ब्याज दर स्वाप के लिए अन्य प्रकटन

बैंक ने निहित परिसंपत्तियों और देयताओं पर स्थिर से अस्थिर और अस्थिर से स्थिर ब्याज दर व्युत्पन्न लिए हैं। यदि काउंटर पार्टियों ने अपने दायित्व पूरे नहीं किए तो उपर्युक्त ब्याज दर स्वाप पर ₹16.54 करोड़ (₹10.51 करोड़) का नुकसान होगा। ब्याज दर स्वाप के संबंध में किए गए लेनदेन से ऋण जोखिम का संकेन्द्रण नहीं हुआ है क्योंकि काउंटर पार्टी बैंक है और एक्सपोजर अनुमत एक्सपोजर सीमा के भीतर है।

c) Other Disclosures for Interest Rate Swaps

The Bank has undertaken fixed to floating and floating to fixed interest rate swaps on underlying assets and liabilities. The loss of income on the above IRS will be ₹ 16.54 Crore (₹10.51 Crore), in case counter-parties fail to fulfill their obligations. There is no concentration of credit risk arising from IRS transactions undertaken as the counter-parties are banks and the exposure is within the exposure limit permitted.

4.0 परिसंपत्ति गुणवत्ता / Asset Quality

4.1 अनर्जक परिसंपत्ति / Non-Performing Asset

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

मर्दे \ Items	2011-12	2010-11
(i) निवल अग्रिम की तुलना में निवल अनर्जक परिसंपत्ति (%) / Net NPAs to Net Advances (%)	1.96	1.84
(ii) अनर्जक परिसंपत्ति (सकल) का उतार-चढ़ाव / Movement of NPAs (Gross)		
(क)/(a) 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक परिसंपत्ति / Gross NPAs as on 1st April	3150.36	1666.43
(ख)/(b) वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2401.16	2729.91
नई अनर्जक परिसंपत्ति/ (Fresh NPAs) Plus Exchange Differences		
(अ)/(A) उप-योग / Sub-total	5551.52	4396.34
(ग)/(c) घटाव / Less:		
(1) कोटि उन्नयन / Upgradations	416.66	225.91
(2) वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खाते से की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	658.11	433.70
(3) बड़ा खाता / Write-Offs	390.55	586.37
(आ)/(B) उप-योग / Sub-total	1465.32	1245.98
(घ)/(d) 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक परिसंपत्ति (अ-आ)/Gross NPAs as on 31st March (A-B)	4086.20	3150.36
(iii) निवल अनर्जक परिसंपत्ति का उतार-चढ़ाव / Movement of Net NPAs		
(क)/(a) अथ शेष / Opening balance	1824.55	966.28
(ख)/(b) अंतिम शेष / Closing balance	2263.94	1824.55
(iv) अनर्जक परिसंपत्ति के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान को छोड़कर) Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(क)/(a) अथ शेष / Opening balance	1281.29	687.36
(ख)/(b) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (विनिमय अंतर और प्रतिलेखन को छोड़कर) Provisions made during the year (including exchange difference and write back)*	759.83	1180.30
* Exchange Difference is of ₹ 0.38 Crores.		
(ग)/(c) बड़े खाते डालना / Write-off	390.55	586.37
(घ)/(d) अंतिम शेष / Closing balance	1650.57	1281.29

4.2 पुनर्संरचित खातों का विवरण/Particulars of Accounts Restructured

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	सीडीआर प्रणाली CDR Mechanism	एसएमई ऋण की पुनर्संरचना SME Debt Restructuring	अन्य Others
पुनर्संरचित मानक अग्रिम Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers बकाया राशि / Amount outstanding त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	2 140.95 0.00	1141 98.01 1.66
पुनर्संरचित अवमानक अग्रिम Sub-Standard advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या /No. of Borrowers बकाया राशि / Amount outstanding त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	0.00 0.00 0.00	3 11.84 0.00
पुनर्संरचित संदिग्ध अग्रिम Doubtful advances restructured	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers बकाया राशि / Amount outstanding त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	0 0.00 0.00	0 0.00 0.00
कुल/Total	उधारकर्ताओं की संख्या / No. of Borrowers बकाया राशि / Amount outstanding त्याग (उचित मूल्य में ह्रास) Sacrifice (diminution in the fair value)	2 140.95 0.00	1144 109.85 1.66

4.3 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के व्योरे

Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Companies for Asset Reconstruction

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण / Item	2011-2012	2010-11
(i) खातों की संख्या / No. of accounts	2	62
(ii) एस सी/ आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान को छोड़कर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	11.54	23.17
(iii) कुल प्रतिफल / Aggregate consideration	16.49	34.44
(iv) पूर्व के वर्षों में अंतरित खातों की बावत वसूले गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	0.00	0.00
(v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ-हानि Aggregate gain/loss over net book Value	4.95	11.26

4.4 खरीदी गई/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के व्योरे/ Details of Non performing financial assets purchased/sold

अ/आ. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के व्योरे/Details of Non performing financial assets purchased:

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2011-12	2010-11
(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या 1) (a) No. of accounts purchased during the year	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	—	—
2. (क)/(a) उपर्युक्त में से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	—	—
(ख)/(b) कुल बकाया/Aggregate Outstanding	—	—

आ/ब. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के व्योरे/Details of Non performing financial assets sold:

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण / Particulars	2011-12	2010-11
1. बेचे गए खातों की संख्या / No. of Accounts sold	2	62
2. कुल बकाया /Aggregate Outstanding	17.70	97.13
3. कुल प्रतिफल प्राप्त /Aggregate consideration received	16.49	34.44

4.5 मानक अग्रिम पर प्रावधान/Provisions on Standard Assets

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

मद /Item	2011-12	2010-11
मानक आस्तियों हेतु प्रावधान /Provisions towards Standard Assets	502.73	396.38

5.0 कारोबार अनुपात /Business Ratios

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

मद /Items	2011-12	2010-11
(i) कार्यकारी निधि की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत / Interest Income as a percentage to Working Funds	9.07	8.25
(ii) कार्यकारी निधि की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत Non-interest income as a percentage to Working Funds	0.60	0.67
(iii) कार्यकारी निधि की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत/Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.74	1.96
(iv) आस्तियों पर आय /Return on Assets	0.69	0.66
(v) प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) / Business (Deposits plus advances) per employee	11.64 करोड़/Cr.	10.69 करोड़/Cr.
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ / Profit per employee	5.09 लाख/lakh	4.19 लाख/lakh

6.0 आस्ति देयता प्रबंध दिनांक 31.03.2012 को आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

6.0 Asset Liability Management - Maturity-pattern of certain items of asset and liabilities as on 31.3.2012

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण	1 दिन	2 से 7 दिन तक	8 से 14 दिन तक	15 से 28 दिन तक	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक	6 माह से अधिक से लेकर 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक से लेकर 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक से लेकर 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
PARTICULARS	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days and up to 3 months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and up to 1 year	Over 1 year and up to 3 years	Over 3 years and up to 5 years	Over 5 years	Total
जमा/Deposits	305.46	5053.25	3504.38	4644.06	39279.33	12086.48	40565.18	13985.48	2442.65	32137.22	154003.49
अग्रिम/Advances	1442.44	1708.89	1791.53	1494.69	9480.38	8992.83	12556.03	32697.62	12942.31	34397.32	117504.05
निवेश Investments	4813.75	1200.42	982.31	1070.56	8974.54	2448.55	9826.72	5048.82	1296.62	10523.12	46185.41
उधार/Borrowings	7139.01	203.50	0.00	152.62	508.75	170.83	98.31	782.89	660.88	3184.63	12901.42
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	960.87	1391.37	426.48	588.26	4101.62	2436.79	3757.76	1348.10	328.23	1141.68	16481.16
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	69.83	1827.06	400.76	558.29	3540.21	2765.66	1426.89	3358.67	291.23	2242.56	16481.16

7.0 एक्सपोजर/Exposure:

7.1 भू-संपदा क्षेत्र को ऋण/Exposure to Real Estate Sector

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

श्रेणी/Category	2011-12	2010-11
अ/a) प्रत्यक्ष एक्सपोजर / Direct exposure		
(i) ऐसी आवासीय संपत्ति को बंधक रखकर दिए गए पूर्णतः प्रतिभूत उधार जो उधारकर्ता के दखल में है या होगी या जो किराए पर दी गई हो (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में शामिल करने योग्य वैयक्तिक आवास ऋण पृथकतः प्रदर्शित किए जाएँ) Residential Mortgages – Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; (Individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances may be shown separately);	4562.44 3161.08	5038.54 3203.08
(ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा को (कार्यालय भवन, फुटकर खाली स्थान, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराए वाले वाणिज्यिक परिसर, उद्योग या वेयर हाउस के लिए खाली स्थान, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं विनिर्माण, आदि) बंधक रखकर दिए गए प्रतिभूत उधार। एक्सपोजर में गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमा भी शामिल है। Commercial Real Estate – Lending secured by mortgages on commercial real estate's (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, land acquisition, development and construction, etc.). Exposure would also include non-fund based (NFB) limits;	4522.79	5228.90
(iii) बंधक समर्थित प्रतिभूति (एमबीएस) एवं अन्य प्रतिभूत ऋण में निवेश Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
क/a. आवासीय / Residential,	7.93	5.25
ख/b. वाणिज्यिक स्थावर संपदा / Commercial Real Estate.	0.00	0.00
आ/b) अप्रत्यक्ष ऋण/Indirect Exposure	2019.38	1917.81
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) एवं हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित ऋण Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs).		
भू-संपदा क्षेत्र को कुल ऋण (अ+आ)/Total Exposure to Real Estate Sector (a+b)	11112.54	12190.50

7.2 पूंजी बाजार को एक्सपोजर/Exposure to Capital Market

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

	श्रेणी/Particulars	2011-12	2010-11
(i)	ईक्विटी शेयर ऐसे परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसकी आधारभूत निधि का पूर्णतः निवेश कार्पोरेट ऋण में न किया गया हो; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	525.13	503.64
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर अग्रिम; advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	0.02	0.12
(iii)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति माना जाता है; advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	0.00	0.00
(iv)	किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम, जो शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों की संपाश्र्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हो यानी जहाँ शेयर/परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर/ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिट से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम को पूरी तरह संरक्षित न करती हों; advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/convertible bonds/ convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	0.00	86.39
(v)	शेयर दलालों को दिए जाने वाले प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं शेयर संतुलनकर्ताओं की ओर से जारी गारंटी; secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	113.20	133.20
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयर/बांड/डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति या निर्बंध आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण; loans sanctioned to corporate against the security of shares /bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	0.00	0.00
(vii)	प्रत्याशित ईक्विटी प्रवाह/निर्गम के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण; bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	0.00	0.00
(viii)	शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या ईक्विटी अभिमुख म्यूचुअल फंड के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम की बावत बैंकों द्वारा की गई हमीदारी प्रतिबद्धता; underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	0.00	0.00
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण/financing to stockbrokers for margin trading;	0.00	0.00
(x)	वेंचर कैपिटल फंड (रजिस्ट्रीकृत एवं अरजिस्ट्रीकृत दोनों) सभी ऋण all exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	194.50	194.50
	पूंजी बाजार को कुल एक्सपोजर /Total exposure to Capital Market	832.85	917.85

7.3 जोखिम श्रेणीवार कंट्री एक्सपोजर / Risk Category wise Country Exposure

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च, 2012 की स्थिति के स्थित के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2012	31 मार्च, 2012 की स्थिति अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2012	31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार ऋण (निवल) Exposure (net) as at 31 st March 2011	31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as at 31 st March 2011
नगण्य/Insignificant	3354.98	--	1828.45	--
कम/Low	1558.25	--	1636.71	--
सामान्य/Moderate	85.19	--	85.30	--
अधिक/High	0.93	--	1.63	--
अत्यधिक/Very High	0.00	--	1.23	--
सीमित/Restricted	0.00	--	0.00	--
ऋणोत्तर/Off-credit	0.00	--	0.00	--
कुलTotal	4999.35	--	3553.32	--

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बैंक की कुल आस्तियों के आधार पर कंट्री एक्सपोजर के मद में प्रावधान शून्य है। बैंक ने 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार अपने देश से भिन्न देशों में दिए गए ऋणों की जाँच की है। प्रत्येक देश में बैंक का निवल निधिक एक्सपोजर उसकी आस्तियों के 1% से कम है।

Based on the total assets of the Bank as on 31.03.2012, the provision requirement on account of Country Exposure is Rs. Nil. The Bank has taken a stock of its exposure in countries other than the home country as on 31st March, 2012. The Bank's net funded exposure in each country is below 1% of its assets.

7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा (एसबीएल), समूह उधारकर्ता ऋण सीमा (जीबीएल) के ब्योरे

7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the bank.

(अ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता ऋण सीमा

A. Single Borrower Limit exceeded by the Bank:

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

क्रमांक Sl. No	उधारकर्ता का नाम Name of the Borrower	एक्सपोजर की उच्चतम सीमा Exposure Ceiling	संस्वीकृत ऋण सीमा Limit sanctioned	अवधि, जिसके दौरान ऋण सीमा का अतिक्रमण हुआ Period during which limit exceeded	कॉलम 5 में उल्लिखित अवधि के दौरान जितनी राशि का अतिक्रमण हुआ Amount exceeded during the period in col.5	बोर्ड की संस्वीकृति का ब्योरा Board sanction details	31.03.12 के अनुसार स्थिति Position as on 31.03. 12
1	2	3	4	5	6	7	8
	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL	शून्य/NIL

(आ) बैंक द्वारा अतिक्रमित समूह उधारकर्ता सीमा निरंक

B.Group Borrower Limit exceeded by the Bank - NIL

7.5 अप्रतिभूत अग्रिम

7.5 Unsecured Advances

(राशि करोड़ ₹. में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार/As at 31st March 2012
बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम Total Unsecured Advances of the Bank	27636.39
(क) जिनमें से अमूर्त प्रतिभूतियों यथा राइट्स, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर भार के प्रति बकाया अग्रिम की राशि a) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as rights, licences, authority etc	निरंक/NIL
(ख) ऐसी अमूर्त प्रतिभूतियों का आनुमानिक मूल्य b) The estimated value of such intangible securities	लागू नहीं/Not Applicable

8. विविध

8.1 आयकर के लिए किए गए प्रावधान की राशि

विवरण/Particulars	31.03.2012	31.03.2011
आयकर के लिए प्रावधान/Provision for Income Tax		
भारत में/In India	316.08	316.78
भारत के बाहर/Outside India	17.77	7.34

8.2 भा. रि. बैंक द्वारा अधिरोपित शास्तियों का प्रकटन

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के अधीन बैंक पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की है।

9.0 लेखा मानक के अनुसार प्रकटन अपेक्षाओं

9.1 लाभ-हानि लेखे में कोई 'अवधि पूर्व मद' शामिल नहीं किया गया है, जिसे भा. रि. बैंक के दिशानिर्देशों के साथ पठित आईसीएआई द्वारा जारी एएस-5 के अनुसार प्रकटित किया जाना अपेक्षित है।

9.2 राजस्व को मान्यता

जारी किए गए साख-पत्र एवं गारंटियों पर अर्जित कमीशन बैंक की लेखा नीति के अनुसार वसूली आधार पर दर्ज की जाती है, जो एएस-9 के अनुसार नहीं है। हालाँकि, इसकी राशि नगण्य है।

9.3 एएस - 15 - कर्मचारी हितलाभ

कर्मचारी हितलाभ यानी पेंशन, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण, बीमारी छुट्टी, एलएफसी/एलटीसी, सेवानिवृत्त एवं सेवारत निदेशकों आदि तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा सुविधा, आदि हेतु संशोधित लेखा मानक (एएस-15) के अनुसार प्रावधान किया गया है। एएस-15 कर्मचारी हितलाभ (यथासंशोधित 2005) में किए गए सीमित संशोधन और उससे संबंधित दिशानिर्देश के अनुसार नियत किए गए देयता में बैंक ने वृद्धि की है, जिसे दिनांक 31.03.2007 को पूर्व संशोधित एएस-15 में वित्तीय वर्ष 2007-08 से पाँच वर्षों तक किए जाने वाले व्यय के रूप में मान्यता देने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, देयता में वृद्धि का परिशोधन करने के लिए लाभ-हानि खाते को ₹88.69 करोड़ से भारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति पर इससे संबंधित कोई अपरिशोधित अंश नहीं है।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प फिर से शुरू किया है, जिन्होंने पूर्व में पेंशन योजना के लिए विकल्प नहीं दिया था। इसके कारण बैंक को ₹ 507.84 करोड़ की अतिरिक्त देयता का वहन करना पड़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी कर्मचारियों को दिए जाने वाले उपदान की सीमा को उपदान अधिनियम, 1972 में संशोधन के अनुसार संशोधित किया गया था। इसके कारण भी बैंक की देयता में ₹ 292.51 करोड़ की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र क्रमांक डीबीओडी/बीपी.बी. 80.21.04.018/2010-11 दिनांक 09.02.2011 के निदेशों के अनुसार, बैंक ने ₹ 800.35 करोड़ की इस पूरी राशि को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ करके पाँच वर्षों में परिशोधित करने का निर्णय किया। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त परिपत्र की अपेक्षाओं के अनुसार ₹ 160.07 करोड़ (₹160.07 करोड़) की राशि से लाभ-हानि खाते को घटाया गया है। शेष ₹480.21 करोड़ (₹640.28 करोड़) की राशि को अग्रसारित किया गया है।

8. Miscellaneous

8.1 Amount of Provision made for Income Tax

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

8.2. Disclosure of penalties imposed by RBI.

Reserve Bank of India has not imposed any penalty on the Bank u/s 46(4) of the Banking regulation Act, 1949

9.0. Disclosures Requirement as per Accounting Standards:

9.1 There is no material "prior period item" included in Profit & Loss account required to be disclosed as per AS - 5 issued by ICAI read with RBI guidelines.

9.2 Revenue Recognition

Commission earned on Letter of Credit and Guarantees issued are recognised on realization basis as per Bank's accounting policy which is not in accordance with AS-9. However, the amount is insignificant.

9.3 AS - 15 -Employee Benefits

Provision for Employee Benefits viz. Pension, Gratuity, Leave Encashment, Sick Leave, LFC/LTC, medical benefits to retired and in service Directors and their family members etc. has been made as per Revised Accounting Standard (AS) -15. In terms of Limited Revision to AS-15 Employee Benefits (Revised 2005) and guidelines notes thereon, the Bank has decided to recognise the increase in transitional liability over the liability that could have been recognised as per the Pre Revised AS-15 as on 31.03.2007 as an expense on a straight-line basis over 5 years from financial year 2007-08. Accordingly, ₹ 88.69 Crore has been charged to Profit and Loss Account towards amortisation of the increase in liability. There is no unamortized portion as at the end of the financial year 2011-2012 in this regard.

During the last financial year, the Bank reopened the Pension option for such of its employees who had not opted for Pension scheme earlier. The Bank in result incurred an additional liability of ₹ 507.84 Crore due to the same. In the last financial year too, the limit of Gratuity payable to the employees was enhanced to pursuant to the amendment of Gratuity Act, 1972. As a result the liability of Bank was also increased by ₹ 292.51 Crore. As per RBI guidelines as enumerated in circular no. DBOD. BP.BC. 80.21.04. 018/2010-11 dated 09.02.2011, the Bank decided to amortise the entire expenditure ₹ 800.35 Crore in five years beginning from financial year 2010-11. Accordingly a sum of ₹160.07 Crore (₹ 160.07 Crore) is charged to Profit and Loss A/C in terms of the requirements of the above RBI Circular. The balance amount of ₹ 480.21 Crore (₹ 640.28 Crore) is carried forward.

₹ 160.07 करोड़ (₹160.07 करोड़) के अतिरिक्त ₹584.17 करोड़ (₹ 461.84 करोड़) की राशि चालू वर्ष की देयताओं के रूप में लाभ-हानि खाते से घटाई गई है, जिसमें कर्मचारी हितलाभ से संबंधित देयताएं शामिल हैं।

In addition to ₹ 160.07 Crore (₹ 160.07 Crore), an amount of ₹ 584.17 Crore (₹ 461.84 Crore) which includes liability for the employees benefits, has been charged to Profit and Loss Account towards current year's liabilities.

प्रारंभिक एवं अंतिम दायित्व-शेष का मिलान : / Reconciliation of opening and closing balances of obligations:

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

निधि/ FUNDED			अनिधि/ UNFUNDED			
	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC/ LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Med. Benefits to Directors
प्रारंभिक दायित्व Opening Obligation	3066.66	744.64	252.24	22.51	7.55	0.17
चालू सेवा लागत Current Service Cost	178.22	33.37	41.96	---	2.04	0.00
ब्याज लागत Interest Cost	260.66	59.12	21.44	1.91	0.64	0.02
प्रदत्त हितलाभ Benefit Paid	(324.73)	(98.16)	---	---	---	-----
बीमांकिक हानि/(लाभ) Actuarial Loss/(Gain)	69.84	81.10	(34.54)	0.87	(2.05)	0.10
अंतिम दायित्व Closing Obligation	3250.65	820.07	281.10	25.29	8.18	0.29

प्रारंभिक एवं अंतिम योजना आस्ति शेष का मिलान / Reconciliation of opening and closing balances of plan assets:

(राशि करोड़ ₹ में)/(₹ in Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity
योजना आस्ति का प्रारंभिक मूल्य Opening Value of Plan Assets	2316.81	450.27
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Assets	210.60	43.22
अंशदान Contributions	892.27	406.49
प्रदत्त हितलाभ Benefits Paid	(324.73)	(98.16)
बीमांकिक लाभ/(हानि) Actuarial Gain/(Loss)	(139.70)	16.41
योजना आस्ति का अंतिम मूल्य Closing Value of Plan Assets	2955.25	818.23

समाधानकृत बीमांकिक लाभ/हानि/Actuarial Gain/Loss Reconciled

(राशि करोड़ ₹ में)/(₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
वर्ष के लिए बीमांकिक हानि/ (लाभ) दायित्व Actuarial Loss/(Gain) for the Year - Obligation	69.84	81.10	(34.54)	0.87	(2.05)	0.10
वर्ष के लिए बीमांकिक लाभ/ (हानि) - योजना आस्ति Actuarial Gain/(Loss) for the Year - Plan Asset	(139.70)	16.41	---	---	---	---
वर्ष के लिए कुल हानि/(लाभ) Total Loss /(Gain) for the Year	209.54	64.69	(34.54)	0.87	(2.05)	0.10
बीमांकिक हानि/(लाभ) वर्ष में मान्यता प्राप्त Actuarial Loss/(Gain) Recognised in the Year	209.54	64.69	(34.54)	0.87	(2.05)	0.10

लाभ-हानि लेखा विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय/Expenses Recognized in Statement of Profit & Loss Account

(राशि करोड़ ₹ में)/(₹ in Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
चालू सेवा लागत Current Service Cost	178.22	33.37	41.96	---	2.04	---
ब्याज लागत Interest Cost	260.66	59.12	21.44	1.91	0.64	0.02
पूर्व सेवाओं की लागत Past Service Cost		----				
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected Return on Plan Asset	(210.60)	(43.22)	---	---	---	---
वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक हानि/(लाभ) Net Actuarial Loss/ (Gain) Recognized in the Year	209.54	64.69	(34.54)	0.87	(2.05)	0.10
लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय Expenses Recognized in Statement of Profit/Loss	437.82	113.96	28.86	2.78	0.63	0.12

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त संशोधन-पूर्व एस-15 देयता से अधिक संक्रमणकालीन देयता की 1/5 भाग परिशोधित राशि Amortisation amount being 1/5th of Transitional Liability in excess of Pre-Revised AS-15 liability recognized in Statement of Profit / Loss	58.64	13.40	11.29	4.16	1.20	---
पेंशन के लिए द्वितीय विकल्प हेतु देयता में वृद्धि और सेवारत कर्मचारियों की बावत उपदान सीमा में वृद्धि की 1/5 भाग परिशोधित राशि Amortised amount being 1/5th of increase in liabilities for second option for pension and enhancement of gratuity limit in respect of employees in service	101.57	58.50	---	---	---	---

संशोधन-पूर्व एस-15 देयदारी से अधिक संक्रमणकालीन देयदारी (सावधि ऋण) (वर्ष 2007-08 से प्रारंभ कर 2011-12 तक 5 वर्षों में परिशोधित किए जाने हेतु) Transitional Liability (TL) in excess of Pre-revised AS-15 liability (to be amortised in 5 years commencing from the year 2007-08 and ended on 2011-12)

(राशि करोड़ ₹ में) (Amount in ₹ Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
संशोधन-पूर्व एस-15 देयदारी से अधिक संक्रमणकालीन देयदारी Transitional Liability (TL) in excess of Pre-revised AS-15 liability	293.18	66.92	56.54	20.79	6.00	---

31.03.2011 को सेवारत कर्मचारियों को पेंशन के लिए द्वितीय विकल्प देने तथा उपदान सीमा को ₹ 3.5 लाख से बढ़ाकर ₹ 10 लाख वृद्धि करने हेतु देयता में वृद्धि और (वर्ष 2010-11 से प्रारंभ कर 5 वर्षों में परिशोधित किए जाने हेतु)

Increase in liabilities for second option for Pension and enhancement of gratuity limit from ₹ 3.5 lacs to ₹ 10 lacs in respect of employees in service as on 31.03.2011 (To be amortized in 5 years commencing from the year 2010-11)

(राशि करोड़ ₹ में) (Amount in ₹ Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity
देयताओं में संशोधन संभावित Liability subjected to amortization	507.84	292.51

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त राशि/Amounts Recognized in the Balance Sheet

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

	पेंशन Pension	उपदान Gratuity	छुट्टी का नकदीकरण Leave Encashment	एलएफसी/ एलटीसी LFC / LTC	बीमारी छुट्टी Sick Leave	निदेशकों को चिकित्सा प्रसुविधा Medical Benefits to Directors
31.03.2012 की स्थिति के अनुसार दायित्व का वर्तमान मूल्य Present Value of Obligations as at 31.03.2012	3250.65	820.07	281.10	25.29	8.18	0.29
31.03.2012 की स्थिति के अनुसार योजना आस्तियों का उचित मूल्य/प्रावधान की राशि Fair Value of Plan Assets/Amount of Provision held as at 31.03.2012	2955.25	818.23	252.24	22.51	7.55	0.17
तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देनदारी/(आस्ति) Net Liability/(Asset) recognized in the Balance Sheet	295.40	1.84	28.86	2.78	0.63	0.12

निवेश के बारे में

Investment Details:

- (क) उपदान निधि के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम में निवेश-100%
(ख) पेंशन निधि की बावत उचित मूल्य के प्रतिशत के रूप में योजना
आस्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ

- a) Investment with LIC of India for Gratuity Fund - 100%
b) Major Categories of Plan assets as percentage of Fair Value
in respect of Pension Fund

केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ & राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ Central Government & State Government Securities	43.98
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बांड आदि PSU Bonds etc.	42.06
विशेष जमा Special Deposit	निरंक NIL
अन्य आस्तियाँ Other Assets	13.96
कुल/Total	100.00%

मूल बीमांकिक अनुमान/Principal Actuarial Assumptions :

मृत्यु दर तालिका/Mortality Rate Table	जीवन बीमा निगम/LIC(1994-96)
अधिवर्षिता आयु/Superannuation Age	60 वर्ष/60 Years
समयपूर्व सेवानिवृत्ति और विकलांगता/Early Retirement & Disablement	10 प्रतिवर्ष प्रति हजार/10 Per Thousand Per Annum 45 वर्ष की आयु से अधिक के 6/6 Above age 45 29 एवं 45 वर्ष के बीच के 3/3 between 29 and 45 29 वर्ष से कम आयु के 1/1 below age 29
रियायती दर/Discount Rate	8.50 %
मुद्रास्फीति दर/Inflation Rate	5.00 %
योजना आस्ति पर प्रतिफल/Return on Plan Asset	9.09% (पेंशन हेतु/For Pension) 9.60% (उपदान हेतु/For Gratuity)
शेष सक्रिय जीवन/Remaining Working Life	9 वर्ष/Years
प्रयुक्त सूत्र/Formula Used	अनुमानित यूनिट क्रे क्रेडिट पद्धति/Projected Unit Credit Method

9.4 सेगमेंट रिपोर्टिंग/Segment Reporting

भाग-अ कारोबार सेगमेंट/Part A: Business Segment

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

Business Segment	ट्रेजरी Treasury		कारपोरेट/होलसेल बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking		रिटेल बैंकिंग Retail Banking		अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
परिणाम Result	367.61	334.22	489.09	379.57	240.44	178.12	53.12	52.65	1150.26	944.56
अनाबंटित व्यय Unallocated Expenses									0.00	0.00
परिचालन लाभ Operating Profit									2811.42	2694.96
आयकर Income Tax									41.59	38.02
असामान्य लाभ/हानि Extraordinary Profit/Loss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निवल लाभ Net Profit									1108.67	906.54
अन्य सूचना Other Information										
सेगमेंट आस्तियाँ Segment Assets	61288.83	61387.33	92303.48	79515.98	26906.09	22495.14	0.00	0.00	180498.40	163398.45
अनाबंटित आस्तियाँ Unallocated assets									0.00	0.00
कुल आस्तियाँ Total Assets									180498.40	163398.45
सेगमेंट देयताएं Segment Liabilities	50799.85	49019.18	100425.06	89156.74	29273.49	25222.53	0.00	0.00	180498.40	163398.45
अनाबंटित देयताएं Unallocated Liabilities									0.00	0.00
कुल देयताएं Total Liabilities									180498.40	163398.45

भाग-आ : भौगोलिक सेगमेंट / Part B: Geographic segment

(राशि करोड़ ₹ में) / (Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	देशी/Domestic		अंतरराष्ट्रीय/International		योग/Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
राजस्व/Revenue	15294.66	12042.33	303.26	253.88	15597.92	12296.21
आस्तियाँ/Assets	167351.10	153268.46	13147.30	10129.99	180498.40	163398.45

9.5 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:

9.5 Related Party Disclosures:

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री अरुण कौल (दि . 01.09.2010 से)

ii) कार्यपालक निदेशकगण

श्री अजय कुमार (दि . 30.09.2011 तक)

श्री एन.आर. बद्रिनारायणन (दि . 01.09.2010 से)

श्री एस. चन्द्रशेखरन् (दि . 01.10.2011 से)

a) Key Management Personnel

i) Chairman and Managing Director

Shri Arun Kaul (From 01.09.2010)

ii) Executive Directors

Shri Ajai Kumar (Till 30.09.2011)

Shri N.R. Badrinarayanan (From 1-9-2010)

Shri S. Chandrasekharan (From 01.10.2011)

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के साथ लेन-देन

b) Transactions with Key Management Personnel

(राशि लाख ₹ में) / (Amount in ₹ lakh)

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	मर्दे Items	राशि Amount
श्री अरुण कौल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Shri Arun Kaul CMD	01.04.2011 से 31.03.2012 01.04.2011 to 31.03.2012	पारिश्रमिक ,	
		परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन	14.61
		Remuneration, perquisites & Incentive	
		जमा/Deposits	25.36
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.)	0.00
श्री एन.आर. बद्रिनारायणन कार्यपालक निदेशक Shri N.R. Badrinarayanan ED	01.04.2011 से 31.03.2012 तक 01.04.2011 to 31.03.2012	Investments in UCO Shares	1.76
		प्राप्त ब्याज /Interest Received	0.00
		उधार/Borrowings	
		पारिश्रमिक ,	
		परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन	12.58
श्री एस. चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक Shri S. Chandrasekharan ED	01.10.2011 से 31.03.2012 तक 01.10.2011 to 31.03.2012	Remuneration, perquisites & Incentive	
		जमा/Deposits	10.71
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.)	0.00
		Investments in UCO Shares	0.24
		प्राप्त ब्याज/Interest Received	0.00
श्री एस. चन्द्रशेखरन् कार्यपालक निदेशक Shri S. Chandrasekharan ED	01.10.2011 से 31.03.2012 तक 01.10.2011 to 31.03.2012	उधार/Borrowings	
		पारिश्रमिक ,	6.16
		परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन	0.90
		Remuneration, perquisites & Incentive	
		जमा/Deposits	

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	अवधि Period	मर्दे Items	राशि Amount
श्री अजय कुमार भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक Shri Ajai Kumar, EX-ED	01.04.2011 से 30.09.2011 तक 01.04.2011 to 30.09.2011	यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.) Investments in UCO Shares	0.00
		प्राप्त ब्याज/Interest Received	0.01
		उधार/Borrowings	0.00
		पारिश्रमिक , परिलब्धियां एवं प्रोत्साहन Remuneration, perquisites & Incentive	6.42
		Deposits	12.82
		यूको बैंक के शेयर में निवेश (सं.) Investments in UCO Shares	0.00
		प्राप्त ब्याज/Interest Received	1.19
		उधार/Borrowings	0.00

प्रबंधन द्वारा यथा संकलित एवं प्रमाणित

As compiled and certified by the management

ग) सहयोगी

बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नानुसार हैं :

- जयपुर थार ग्रामीण बैंक
- कलिंग ग्राम्य बैंक
- बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- महाकौशल ग्रामीण बैंक
- पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक

घ) सहयोगियों के साथ लेन-देन का प्रकटन एस-18, "संबंधित पार्टी प्रकटन के पैरा-9 के मद्दे नजर नहीं किया गया है क्योंकि उसमें राज्य नियंत्रित उद्यमों को ऐसी अन्य संबंधित पार्टियों के साथ, जो स्वयं राज्य नियंत्रित उद्यम हैं, किए जानेवाले लेन-देन संबंधी प्रकटन करने से छूट दिया गया है।

9.6. प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस):

असाधारण मद के बाद मूल एवं डाइल्यूटेड प्रति शेयर अर्जन: प्रति शेयर ₹ 15.02

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) का परिकलन / Calculation of EPS

	31.3.2012	31.3.2011
ईक्विटी शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कर के बाद निवल लाभ (करोड़ ₹ में) Net profit (₹ in crore) after tax available for equity shareholders	942.73	787.29
ईक्विटी शेयरों की संख्या Number of equity shares	66,47,12,240	62,75,17,479
जोखिमधारित ईक्विटी शेयरों की संख्या Weighted Number of equity shares	62,77,20,729	55,08,58,911
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (राशि ₹ में) Nominal Value per Share (Amount in ₹)	10.00	10.00
प्रति शेयर बेसिक एवं डाइल्यूटेड अर्जन (राशि ₹ में) Basic & Diluted Earnings per Share (Amount in ₹)	15.02	14.29

c) Associates

Regional Rural Banks sponsored by the Bank are as under:

- Jaipur Thar Gramin Bank
- Kalinga Gramya Bank
- Bihar Kshetriya Gramin Bank
- Mahakaushal Gramin Bank
- Paschim Banga Gramin Bank

d) The transactions with Associates have not been disclosed in view of Para -9 of the AS-18, "Related Party Disclosure" which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosures pertaining to their transactions with other related parties, which are also State Controlled Enterprises

9.6 . EARNINGS PER SHARE (EPS):

Basic & Diluted EPS after Extra-ordinary item: ₹ 15.02 per share

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

9.7 चूंकि सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों में बैंक का सहयोगी या नियंत्रक हित नहीं है, अतः आईसीएआई द्वारा जारी समेकित वित्तीय विवरण से संबंधित एएस 21, समेकित वित्तीय विवरण में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखा से संबंधित एएस 23 और संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित एएस 27 बैंक पर लागू नहीं हैं।

9.7 As the Bank does not have Subsidiaries or controlling interest in Associates/Joint Ventures, AS 21 relating to Consolidated Financial Statements, AS 23 relating to Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements and AS 27 relating to Financial Reporting of Interest in Joint Ventures issued by the ICAI are not applicable to the Bank.

9.8 आय पर कर

क) वर्ष के दौरान लेखा मानक एएस-22 के अनुसार ₹ 78.93 करोड़ (₹30.51 करोड़) की निवल राशि की पहचान डेफर्ड टैक्स एसेट के रूप में की गई है। तथापि, रिटर्न के अनुसार आगे ले जाई गई ₹120.51 करोड़ (₹371.27 करोड़) की हानि पर डेफर्ड टैक्स एसेट के लिए अपील की गई है, लेकिन विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार उसे स्वीकार नहीं किया गया है।

9.8 Taxes on Income

a) During the year net amount of ₹ 78.93 Crore (₹ 30.51 Crore) has been recognised as Deferred Tax Asset as per accounting standard AS-22. However, DTA on carried forward loss as per return to the extent of ₹ 120.51 Crore (₹ 371.27 Crore) has gone for appeal, has not been recognised on account of prudence.

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets		
आगे ले जाई गई हानि/Carried forward loss	397.26	258.23
छुट्टी के नकदीकरण के लिए प्रावधान/Provision for leave encashment	91.22	83.79
उचित मूल्य में ह्रास/Diminution in fair value	65.01	61.01
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान/एएस-15/Provision for wage revision/AS-15	11.65	165.79
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision for Standard Assets	154.73	----
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास/Depreciation on Fixed Assets	14.60	9.94
कपट/आकस्मिक देयता आदि के लिए प्रावधान/Provision for Fraud/Contingent liability etc.	28.70	26.83
योग:/TOTAL :	763.17	605.59

(राशि करोड़ ₹ में)/(Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011
आस्थगित कर देयताएं/Deferred Tax Liabilities		
एएस-15 के अनुसार कर्मचारी हितलाभ का अपरिशोधित अंश Unamortized portion of employees benefit as per AS-15	155.83	29.46
बहियों एवं आय कर के बीच निवेश मूल्य में अंतर Difference in Investment valuations between books and Income Tax	413.98	461.70
योग:/TOTAL:	569.81	491.16
आस्थगित कर आस्तियां (निवल)/Deferred Tax Assets (Net)	193.36	114.43

ख) आईसीएआई द्वारा जारी 'आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन न्यूनतम एकांतर कर की बाबत उपलब्ध ऋण हेतु लेखा संबंधी दिशानिर्देश नोट "के अनुसार चालू वर्ष के लिए ₹ 292.26 करोड़ (₹ 286.10 करोड़) के न्यूनतम एकांतर कर ऋण को लाभ एवं हानि लेखा में "प्रावधान एवं आकस्मिकताएं" के अधीन जमा किया गया है और उसके लिए न्यूनतम एकांतर कर ऋण हकदारी लेखा को नामे डाला गया है क्योंकि प्रबंधन की यह राय है कि आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान न्यूनतम एकांतर कर ऋण को समंजित किया जा सकता है।

9.9 अमूर्त आस्तियां

अचल आस्तियों में कंप्यूटर साफ्टवेयर शामिल है जिसे आईसीएआई द्वारा जारी एस-26 के अनुसार अमूर्त आस्तियां माना गया है। साफ्टवेयर आस्ति का उतार-चढ़ाव नीचे दिया गया है:

b) In accordance with the "Guidance Note on Accounting for credit available in respect of MAT under the Income Tax Act, 1961" issued by the ICAI, the MAT credit for the current year amounting to ₹ 292.26 Crore (₹ 286.10 crore) has been credited to P&L Account under "Provisions and Contingencies" by debiting MAT credit entitlement Account since the management is of the opinion that the MAT credit can be set off during the specified period as per the Provisions of the Income Tax Act, 1961.

9.9 Intangible assets

Fixed Assets include computer software, which has been considered as intangible assets as per AS-26 issued by the ICAI. The movement in software asset is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

विवरण Particulars	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011
वर्ष के प्रारंभ में सकल ब्लॉक Gross Block at the beginning of the year	36.03	29.09
वर्ष के दौरान परिवर्धन/Addition during the year	5.11	6.94
घटाएं: अमूर्त आस्तियों का विमोचन पूर्णतः परिशोधित Less: Retirement of intangibles fully amortised	19.76	0.00
योग/Total	21.38	36.03
घटाएं: अद्व्यतित परिशोधन (उन आस्तियों की निवल राशि जिनका अग्र भुगतान किया गया) Less: Amortization up to date (Net of amount on assets retired)	13.70	26.58
घटाएं: अपसामान्य हानि Less: Impairment Loss	0.00	0.00
वर्ष के अंत में निवल ब्लॉक Net Block at the end of the year	7.68	9.45

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

परिशोधन Amortization	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2012	दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार As on 31.03.2011
प्रारंभिक शेष Opening balance	26.58	17.45
जोड़ें: अपसामान्य हानि/Add: Impairment Loss	0.00	0.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान मान्य परिशोधन Add: Amortization recognised during the year	0.00	9.13
घटाएं: विमोचित आस्तियों पर विनियोजन Less: Appropriation on assets retired	12.88	0.00
अंतिम शेष /Closing Balance	13.70	26.58

9.10 आस्तियों की अनर्जकता

लेखा मानक – 28 “आस्तियों की अनर्जकता के खंड 5 से खंड 13 तक के अर्थात्तर्गत तात्विक अनर्जकता के लक्षण नहीं दिखाई देने की बात को ध्यान में रखते हुए चालू वित्तीय वर्ष की बाबत अचल आस्तियों की अनर्जकता अपेक्षित नहीं है।

10.0 अतिरिक्त प्रकटन:

10.1 प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

9.10 Impairment of Assets

In view of the absence of the indication of material impairment within the meaning of clause 5 to clause 13 of Accounting Standard-28 "Impairment of Assets", no impairment of fixed assets is required in respect of current financial year.

10.0 Additional disclosures:

10.1 Provisions & Contingencies

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

लाभ-हानि लेखा में व्यय शीर्ष के अधीन दर्शित प्रावधान एवं आकस्मिकताओं का विश्लेषण Break up of 'Provisions and Contingencies shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account	चालू वर्ष में Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान/Provision for depreciation on Investment	215.30	191.55
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान/Provision towards NPA	759.45	1180.65
एनपीआई के लिए प्रावधान/Provision towards NPI	40.59	-0.78
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान/Provision towards Standard Assets	102.01	67.85
कराधान के लिए प्रावधान अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएं (ब्योरे सहित) Provision towards Taxation	333.85	324.12
Other Provision and Contingencies (with details)		
विधिक मामले / आकस्मिकताएं / कपट / Legal Cases / Contingencies/Frauds	-.29	5.89
उचित मूल्य में ह्रास / Diminution in Fair Value	27.02	-0.71
आस्थगित कर आस्तियां/Deferred Tax Assets	-78.93	-30.51
न्यूनतम एकांतर कर ऋण / MAT Credit	-292.26	-286.10
बकाया वेतन पुनरीक्षण / Arrear Wage Revision	0.00	13.00
विविध प्रावधान / Miscellaneous Provision	596.02	323.47
योग / Total	1702.76	1788.43

10.2 आकस्मिक देयताएं

- क) तुलन-पत्र की अनुसूची 12 के क्रम सं. (1) में यथाउल्लिखित देयताएं क्रमशः न्यायालय के निर्णय, माध्यस्थ पंचाट, न्यायालय से परे निपटारा, अपील के निपटान, मांगी गई राशि, संविदागत दायित्व की शर्तें, न्यागत होने और संबंधित पार्टियों द्वारा की गई मांग पर निर्भर करती हैं तथा जहाँ बैंक के विरुद्ध दावा तर्कसंगत हो तो उस स्थिति में आवश्यक प्रावधान किया जाता है।
- ख) समान मुद्दों पर विभिन्न अपीली निर्णय के आधार पर/विवाद संबंधी समिति के अनुमोदन को लंबित रखते हुए अपील पर कार्रवाई करने हेतु आयकर की विवादित मांग, शास्ति, ₹ 90.91 करोड़ (₹ 10.66 करोड़) के ब्याज एवं ब्याज कर को अनुसूची 12 में आकस्मिक देयता के अधीन दर्शित किया गया है। प्रबंधन द्वारा इसका प्रावधान किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है क्योंकि

10.2 Contingent Liabilities

- a) Such liabilities as mentioned at Serial No. (I) of Schedule 12 of Balance Sheet are dependent upon the judgement of court, arbitration award, out of court settlement, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, respectively and necessary provision is made where claim against the Bank is tenable.
- b) Based on various appellate decisions on identical issues / pending approval of Committee on Disputes for pursuing appeals, disputed demand of Income Tax, Penalty, Interest and Interest Tax amounting to ₹ 90.91 Crore (₹ 10.66 Crore) has been shown in Schedule 12 under Contingent Liability. No provision has been considered necessary by the

ये मामले विभिन्न सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अपील के लिए लंबित हैं और ₹ 35.65 करोड़ (₹ 10.65 करोड़) के भुगतान/समायोजन को अनुसूची 11 में अन्य आस्तियों में शामिल किया गया है।

Management as the matters are pending for appeal before various competent Authorities and payments/adjustment of ₹35.65 Crore (₹ 10.65 crore) has been included in Other Assets in Schedule 11.

10.3 अस्थायी प्रावधान शून्य

10.3 Floating Provisions

Nil

10.4 उपयोग के कारण आरक्षितियों में कमी

उपयोग के कारण आरक्षितियों में कोई कमी नहीं हुई है।

10.4 Draw Down From Reserves

There is no draw down from Reserves.

10.5 शिकायतों का प्रकटीकरण

10.5 Disclosure of Complaints

अ) ग्राहक-शिकायतें :

A) Customer Complaints:

क	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	
A	No. of complaints pending at the beginning of the year	203
ख	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (2011-12)	
B	No. of complaints received during the year (2011-12)	3303
ग	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या (2011-12)	
C	No. of complaints redressed during the year (2011-12)	3110
घ	मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	
D	No. of complaints pending at the end of the year March, 2012	396

आ) दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों का अवधिवार वर्गीकरण

B) Age wise classification of pending complaints as on 31.03.12

30 दिन तक Upto 30 days	31 दिन से लेकर 3 माह तक 31 days to 3 months	3 माह से अधिक से लेकर 6 माह तक > 3 months to 6 months	6 माह से अधिक तक > 6 months	योग Total
96	122	80	98	396

इ) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड:

C) Awards passed by the Banking Ombudsman:

क	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्ड की संख्या	
a	No. of unimplemented awards at the beginning of the year	8
ख	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड की संख्या	
b	No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	17
ग	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अवार्ड की संख्या	
c	No. of Awards implemented during the year	23
घ	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अवार्ड की संख्या*	
d	No. of unimplemented Awards at the end of the year*	2

* 2 cases are subjudice,

* 2 मामले विचाराधीन हैं,

10.6 चुकौती आश्वासन पत्र का प्रकटीकरण

बैंक अपने विभिन्न ग्राहकों की ओर से उनको संस्वीकृत ऋण सीमा के प्रति चुकौती आश्वासन पत्र जारी करता है। प्रबंधन की राय में बैंक द्वारा पहले एवं चालू वर्ष के दौरान जारी किए गए और फिलहाल बकाया चुकौती आश्वासन पत्र के अधीन किसी तात्त्विक वित्तीय प्रभाव तथा संचयी वित्तीय बाध्यता का अनुमान नहीं किया गया है। बैंक द्वारा जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र के संक्षिप्त ब्योरे निम्नानुसार हैं:

10.6 Disclosure of Letter of Comforts

The Bank issues Letter of Comforts on behalf of its various constituents against the credit limits sanctioned to them. In the opinion of Management, no significant financial impact and cumulative financial obligations have been assessed under LOCs issued by the Bank in the past, during the current year and still outstanding. Brief details of LOCs issued by the Bank are as follows:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

1	वर्ष 2011-12 के दौरान जारी किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts issued during the year 2011-12	5544.71
2	वर्ष 2011-12 के दौरान परिपक्व/रद्द किए गए चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts matured/cancelled during the year 2011-12	5686.84
3	दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया चुकौती आश्वासन पत्र Letter of Comforts outstanding as on 31.03.2012	3888.83

10.7 प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात

दिनांक 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार प्रावधान कवरेज 54.39% (51.60%) है।

10.7 Provisioning Coverage Ratio

The provision coverage as on 31.03.2012 works out to 54.39 % (51.60%).

10.8 बैंकश्यूरेंस से आय

बैंक, बैंकश्यूरेंस लाइफ कारोबार के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम और बैंकश्यूरेंस नॉन-लाइफ के लिए रिलायंस जनरल इश्यूरेंस कंपनी लि. का कारपोरेट एजेंट है। बैंकश्यूरेंस कारोबार से आय के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

10.8 Income from Bancassurance

Bank is a Corporate Agent of Life Insurance Corporation of India for Bancassurance Life and Reliance General Insurance Company Ltd for Bancassurance Non-Life business. Details of income from Bancassurance is given below:

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

कारोबार का प्रकार Type of Business	राशि Amount
लाइफ कारोबार Life Business	5.90
नॉन-लाइफ कारोबार Non Life Business	2.27

10.9 जमा, अग्रिम, ऋण का संकेंद्रण**क) जमा राशियों का संकेंद्रण****10.9 Concentration of Deposits, Advances, Exposures****a) Concentration of Deposits**

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशियां Total Deposits of twenty largest depositors	20525.02
बैंक की कुल जमा राशियों की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े जमाकर्ताओं की जमा राशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to total Deposits of the bank	13.33%

ख) अग्रिमों का संकेंद्रण**b) Concentration of Advances**

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total advances to twenty largest borrowers	33416.51
बैंक के कुल अग्रिम की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत Percentage of advances to twenty largest borrowers to total advances of the Bank	25.09 %

ग) ऋण का संकेंद्रण**c) Concentration of Exposures**

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण Total exposure to twenty largest borrowers/ customers	33590.61
बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए कुल ऋण की तुलना में बीस अत्यधिक बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को दिए गए ऋण का प्रतिशत Percentage of exposures to twenty largest borrowers/customers to total exposure of the Bank on borrowers/customers	24.32%

10.10 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण
10.10 Concentration of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

ब्योरे/Particulars	2011-12	2010-11
चार बड़े अनर्जक आस्ति खातों को दिए गए कुल ऋण Total Exposure to top four NPA accounts	927.64	597.22

10.11 क्षेत्रवार अनर्जक आस्तियां
10.11 Sector wise NPAs

क्र.सं. Sl.No.	क्षेत्र Sector	उक्त क्षेत्र को दिए गए कुल अग्रिम की तुलना में अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत Percentage of NPAs to Total Advances in that Sector
1	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप Agriculture & allied activities	6.47
2	उद्योग (सूक्ष्म एवं लघु) मझोल एवं बड़े Industry (Micro & small) Medium and Large	3.85
3	सेवा क्षेत्र Services	6.07
4	वैयक्तिक ऋण Personal Loans	2.92

10.12 अनर्जक आस्तियों की घट-बढ़
10.12 Movement of NPAs

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

ब्योरे/Particulars	
दिनांक 01.04.2011 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष) Gross NPAs as on 01.04.2011 (Opening Balance)	3150.36
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नई अनर्जक आस्तियां) विनिमय अंतर जोड़कर* Additions (Fresh NPAs) during the year plus Exchange Difference*	2401.16
उप योग (अ)/Sub Total (A)	5551.52
घटाएं/Less:	
(i) ग्रेड उन्नयन/Upgradations	416.66
(ii) वसूली (ग्रेड बढ़ाए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	658.11
(iii) बड़े खाते डालना/Write-offs	390.55
उपयोग (आ)/Sub total (B)	1465.32
दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (अ - आ) Gross NPAs as on 31st March 2012 (Closing Balance) (A-B)	4086.20

*विनिमय अंतर ₹ 8.52 करोड़

*Exchange Difference ₹ 8.52 Crores

10.13 विदेश स्थित आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

10.13 Overseas Assets, NPA's and Revenue

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

विवरण/Particulars	2011-12	2010-11
कुल आस्तियां/Total Assets	13147.30	10129.99
कुल अनर्जक आस्तियां/Total NPA's	66.49	60.19
कुल राजस्व/Total revenue	303.27	253.88

10.14 तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी

बैंक ने किसी एसपीवी को प्रायोजित नहीं किया है।

10.14 Off-balance Sheet SPVs sponsored

Bank has not sponsored any SPVs.

10.15 अपरिशोधित पेंशन और उपदान देयताएं

10.15 Unamortised Pension and Gratuity Liabilities.

(राशि करोड़ ₹ में)/Amount in ₹ Crore)

	पेंशन/Pension	उपदान/Gratuity	योग/Total
31.03.2012 के अनुसार अपरिशोधित पेंशन Unamortised Portion as on 31.03.2012	304.70	175.51	480.21

10.16 मिलान

दिनांक 31.03.2012 तक अंतर-शाखा लेखों और अंतर-बैंक लेखों के मामले में बकाया प्रविष्टियों का मिलान कर लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक नोस्ट्रो लेखों आदि सहित अंतर-बैंक लेखों और ड्राफ्ट, उचित लेखों, शाखा समायोजन, समाशोधन संबंधी लेन-देन, निधि अंतरण, तार अंतरण, आस्तियों के अधिग्रहण हेतु प्रदत्त अग्रिम से संबंधित शेष, विविध लेनदार जैसे अंतर-शाखा लेखों में बकाया प्रविष्टियों के मिलान का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में राजस्व/आस्तियों/देयताओं पर उसका कोई तात्त्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10.16 Reconciliation:

Reconciliation of entries outstanding has been drawn upto 31.03.2012 in case of Inter-Branch Accounts and in Inter-Bank Accounts. Elimination of entries outstanding in Inter-Bank Accounts including Reserve Bank of India, State Bank of India, NOSTRO Accounts etc. and in Inter-Branch Accounts viz. drafts, suspense, branch adjustment, clearing transactions, fund transfers, telegraphic transfers, balances pertaining to advances paid for acquisition of assets, sundry creditors etc. is in progress. In the opinion of the management, consequential effect of the above on the revenue/assets/liabilities will not be material.

10.17 अचल संपत्तियां

- बैंक ने पूर्व में कतिपय अवसरों पर अपने परिसरों का पुनर्मूल्यन स्वतंत्र अर्हताप्राप्त मूल्यांककों द्वारा कराया था और उनकी मूल लागत की तुलना में अधिक उचित बाजार मूल्य को पुनर्मूल्यन आरक्षिति में जमा किया गया था। आज की तारीख में पुनर्मूल्यन आरक्षिति की (बिक्री की गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) कुल राशि ₹633.21 करोड़ (₹584.09 करोड़) है और उपर्युक्त पुनर्मूल्यन आरक्षिति (बिक्री की गई आस्तियों से संबंधित पुनर्मूल्यन को छोड़कर) पर भारित पुनर्मूल्यित अंश पर मूल्यहास ₹139.09 करोड़ (₹133.32 करोड़) है।
- परिसरों में ₹2.44 करोड़ (₹2.58 करोड़) के मूल्यहासित मूल्य की आस्तियां शामिल हैं, जिनकी बावत प्रलेखीकरण/रजिस्ट्रीकरण का कार्य लंबित है।
- पूँजीगत लेखों पर जिन संविदाओं का (अग्रिम को छोड़कर) निष्पादन किया जाना शेष है, उनकी अनुमानित राशि ₹11.90 करोड़ (₹6.36 करोड़) है जिसका प्रावधान नहीं किया गया है।

10.17 Fixed Assets

- Bank had revalued on few occasions in the past, its premises by independent qualified valuers and the excess of fair market value over the original cost was credited to revaluation reserve. As on date aggregate amount of revaluation reserve (net of revaluation relating to assets disposed of) is ₹ 633.21 Crore (₹ 584.09 Crore) and depreciation on the revalued portion charged to the above revaluation reserve (net of depreciation relating to assets disposed of) is ₹ 139.09 Crore (₹ 133.32 Crore).
- Premises include revalued Assets with written down value of ₹ 2.44 Crores (₹ 2.58 Crores) in respect of which documentation/ registration is pending.
- Estimated amount of contracts (net of advance) remaining to be executed on capital account and not provided for ₹ 11.90 Crore (₹ 6.36 Crore)

10.18 अनर्जक अग्रिमों के सुविधावार, प्रतिभूतिवार एवं क्षेत्रवार प्रावधान का विश्लेषण नहीं किया जाता है। जैसा कि तुलन-पत्र की अनुसूची 9 में कहा गया है, निवल अग्रिमों से आनुमानिक आधार पर उनकी कटौती की जाती है।

10.18 Break up of provision held against non-performing advances into facility-wise, security-wise and sector-wise is not ascertained. The same is deducted on estimated basis from gross advances in the various categories to arrive at the balance of net advances as stated in Schedule 9 of the Balance Sheet.

10.19 कोष्ठकों में पिछले वर्ष के आँकड़े दिए गए हैं। जहाँ भी जरूरी समझा गया है, पिछले वर्ष के आँकड़ों को पुनः समूहीकृत/विन्यस्त/निर्धारित किया गया है।

10.19 The bracketed figures indicate previous year's figures. Previous year's figures have been re-grouped / re-arranged / re-casted wherever considered necessary.

लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट

AUDITORS' REPORT

सेवा में
भारत के राष्ट्रपति
To

The President of India,

- हमने यूको बैंक के दिनांक 31 मार्च, 2012 के संलग्न तुलन-पत्र तथा उसके साथ उपाबद्ध उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षित 20 शाखाओं एवं एक कोष शाखा, अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 1511 शाखाओं (5 सेवा शाखाओं सहित) तथा विदेशी स्थानीय लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित विदेश स्थित 4 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल हैं। बैंक ने हमारे और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखे में 856 शाखाओं (17 सेवा शाखाओं सहित) की विवरणियाँ भी शामिल हैं, जिनकी लेखापरीक्षा नहीं की गई है। इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं की भागीदारी बैंक के कुल अग्रिम में 1.77%, जमा राशि में 11.38%, ब्याज आय में 1.69% एवं ब्याज व्यय में 10.21% है। इन वित्तीय विवरणों का दायित्व बैंक के प्रबंधन पर है। हमारा दायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

We have audited the attached Balance Sheet of UCO Bank as at 31st March, 2012 and also the Profit and Loss Account and the cash flow statement annexed thereto for the year ended on that date in which are incorporated the returns of 20 branches and one Treasury Branch audited by us, 1511 branches (including 5 Service Branches) audited by other auditors and 4 foreign branches audited by overseas local auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Also, incorporated in the Balance Sheet and the Profit and Loss Account are the returns from 856 branches (including 17 Service Branches). These unaudited branches account for 1.77% of Total Advances, 11.38% of Total Deposits, 1.69% of Interest Income and 10.21% of Total Interest Expenses of the Bank. These financial statements are the responsibility of the bank's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

- हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की यह अपेक्षा है कि हम लेखापरीक्षा को योजनाबद्ध रूप से इस प्रकार संपन्न करें कि हम युक्तिसंगत रूप से आश्वस्त हो सकें कि वित्तीय विवरण तात्विक गलत सूचना से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशि एवं प्रकटीकरण के समर्थन में साक्ष्य की जाँच नमूना आधार पर किया जाना शामिल है। किसी लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा संबंधी सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनों का निर्धारण करना और समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी राय का युक्तियुक्त आधार सन्निहित है।

We have conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

- उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित लेखापरीक्षा की सीमाओं के अधधीन और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की अपेक्षा के अनुसार एवं उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधधीन रहते हुए, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि :

Subject to limitations of the audit indicated in paragraph 1 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and subject to the limitation of disclosures required therein, we report that:

- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के फॉर्म 'ए' और 'बी' में क्रमशः तुलन-पत्र एवं लाभ और हानि लेखा प्रस्तुत किए गए हैं।
- The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms 'A' and 'B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949.
- हमने ऐसी सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
- हमारी जानकारी में आए बैंक के सभी संव्यवहार बैंक की शक्तियों के भीतर हैं।
- The transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank.
- बैंक की शाखाओं/नियंत्रक कार्यालयों तथा विदेश स्थित कार्यालयों से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गई हैं।
- The returns received from the Branches/ Controlling and Overseas offices of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.
- हम अंतर-बैंक लेन-देन संबंधी बकाया प्रविष्टियों के समाधान तथा उनके समायोजन के कारण लेखों पर पड़नेवाले प्रभाव के संबंध में अपनी राय देने में असमर्थ हैं। (देखें अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 10.16)
- We are unable to express an opinion on the effect on the accounts if any due to non reconciliation and adjustment of outstanding entries in inter-branch transactions (refer to Note No. 10.16 of Schedule 18)

- च) नकदी आधार पर कतिपय आय का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी 'राजस्व की पहचान से संबंधित लेखा मानक- 9 के अनुसार नहीं किया गया है। ऐसी आय की प्रमात्रा निश्चित नहीं की जा सकी है।
- f) Accounting of commission earned on letter of credit and guarantee issued is on cash basis which is not in accordance with Accounting Standard- 9 on 'Revenue Recognition' issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The quantum of such income has not been ascertained.
- छ) अनुसूची 18 की टिप्पणी सं. 1.1 में यथाउल्लिखित पूँजी पर्याप्तता एवं अन्य अनुपात उपर्युक्त पैरा (ड) और (च) में की गई टिप्पणी के अधधीन हैं।
- g) Capital Adequacy and Other Ratios disclosed in Note No. 1.1 of Schedule 18 are subject to the effects of the observations in para (e) and (f) above.
4. उपर्युक्त पैरा 3 (ड) से (छ) तक एवं मुख्य लेखा नीतियों के साथ पठित और क्रमशः अनुसूची 17 एवं 18 के अनुसार लेखों पर टिप्पणियों पर हमारे अवलोकन के अधधीन हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:
- Subject to our observations in Para 3 (e) to (g) above and read with Principal Accounting Policies and Notes on Accounts as per Schedules 17 and 18 respectively, we further report that:
- हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए तथा बैंक की बहियों में दर्शाए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरण उपर्युक्त पैरा 3 (च) में उल्लिखित कमियों को छोड़कर भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुरूप हैं तथा:
- in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank, the financial statements are in conformity with the accounting principles generally accepted in India except to the extent stated in Para 3 (f) above and :
- (i) दी गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन-पत्र सही एवं सुस्पष्ट तुलन-पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण अंतर्विष्ट हैं और उसे समुचित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वह 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार बैंक के कार्य की सही और और सुस्पष्ट स्थिति प्रदर्शित करता है।
- The Balance Sheet, read with the notes thereon is a true and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as on 31st March, 2012 ;
- (ii) लाभ और हानि लेखा उपर्युक्त नोट के साथ पठित सही लाभ शेष प्रदर्शित करता है; और
- The Profit and Loss Account, read with the notes thereon shows a true balance of Profit ; and
- (iii) नकदी प्रवाह विवरण उक्त तारीख को समाप्त वर्ष में नकदी प्रवाह की सही एवं सुस्पष्ट स्थिति दर्शाता है।
- the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

कृते कोठारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 301178ई
For Kothari & Co.
Chartered Accountants
Registration No 301178E
(सनदी लेखाकार गौतम बनर्जी)
भागीदार
सदस्यता सं. 15289
(CA Gautam Banerjee)
Partner
Membership No. 15289

कृते बावेजा एंड कौल
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 005834एन
For Baweja And Kaul
Chartered Accountants
Registration No. 005834N
(सनदी लेखाकार सम्वित के. गुर्तू)
भागीदार
सदस्यता सं. 090758
(CA Samvit K. Gurtoo)
Partner
Membership No. 090758

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 308136ई
For SBA Associates
Chartered Accountants
Registration No. 308136E
(सनदी लेखाकार एस. मुखोपाध्याय)
भागीदार
सदस्यता सं. 11517
(CA S. Mukhopadhyay)
Partner
Membership No. 11517

कृते वेद एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 012019एन
For Ved And Company
Chartered Accountants
Registration No. 012019N
(सनदी लेखाकार पूजा गुप्ता)
भागीदार
सदस्यता सं. 098551
(CA Pooja Gupta)
Partner
Membership No. 098551

कृते दास गुप्ता एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 000112एन
For Dass Gupta & Associates
Chartered Accountants
Registration No. 000112N
(सनदी लेखाकार राजा ज़िंदल)
भागीदार
सदस्यता सं. 504111
(CA Raaja Jindal)
Partner
Membership No. 504111

कृते गुप्ता शर्मा एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
पंजीयन संख्या 001466एन
For Gupta Sharma & Associates
Chartered Accountants
Registration No. 001466N
(सनदी लेखाकार विनय सराफ)
भागीदार
सदस्यता सं. 087262
(CA Vinay Saraf)
Partner
Membership No. 087262

स्थान / Place: कोलकाता / Kolkata

तारीख / Dated: 05th मई / May, 2012

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012.

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011
	₹	₹
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह:		
A. Cash flow from operating activities :		
कर पूर्व निवल लाभ /Net Profit before taxes	11502638	9445604
समायोजन / Adjustments for :		
अचल आस्तियों पर अवक्षयण हेतु / Depreciation on fixed assets	781228	805506
निवेश पर अवक्षयण हेतु /Depreciation on investments	2558900	1907700
अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते डालने/ अनर्जक आस्तियों की बाबत प्रावधान हेतु Bad debts written off / Provision in respect of non-performing assets	7563200	11806500
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान हेतु/ Provision for Standard Assets	1020100	678500
अन्य मदों के लिए प्रावधान हेतु/ Provision for other items	5469500	3111400
अचल आस्तियों की बिक्री पर (लाभ)/ हानि हेतु /(Profit)/Loss on sale of fixed assets	(9109)	(533)
गौण ऋण पर ब्याज के भुगतान/प्रावधान हेतु (इसे अलग रखा गया) Payment/provision for interest on subordinated debt (treated separately)	1979851	1978145
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश हेतु (इसे अलग रखा गया) Dividend received from subsidiaries/others (treated separately)	(88922)	(74128)
टियर-II बॉण्डों से प्राप्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest received from Tier-II Bonds (treated separately)	(93914)	(361336)
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest paid on IPDI (treated separately)	358286	357550
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज हेतु (इसे अलग रखा गया) Interest paid on Upper Tier-2 Debt Instruments (treated separately)	1472224	1469200
उप-योग /Sub-total	32513982	31124108
घटाव : प्रदत्त प्रत्यक्ष कर/Less: Direct Tax Paid	(3680000)	(3500000)
	28833982	27624108
समायोजन :/Adjustments for :		
निवेश में (वृद्धि)/कमी हेतु / (Increase)/Decrease in investments	(31001023)	4033808
अग्रिम में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in advances	(172255166)	(177469298)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी हेतु /(Increase)/Decrease in other assets	(11006059)	(12018997)
उधार में वृद्धि/(कमी) हेतु /Increase/(Decrease) in borrowings	74266482	(7890667)
जमा में वृद्धि/(कमी) हेतु /Increase/(Decrease) in deposits	87258879	228620513
अन्य देनदारियों एवं प्रावधान में वृद्धि/(कमी) हेतु Increase/(Decrease) in other liabilities & provisions	(6282812)	15401320
परिचालन क्रियाकलापों से निवल नकदी प्रवाह (अ)		
Net cash flow from operating activities (A)	(30185717)	78300787

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण (जारी)

STATEMENT OF CASH FLOW FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2012. (Contd.)

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000's omitted)

	31.3.2012 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2012	31.3.2011 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2011
	₹	₹
आ. निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह:		
B. Cash flow from investing activities :		
अचल आस्तियों की खरीद /Purchase of fixed assets	(886911)	(1012891)
अचल आस्तियों की बिक्री/निपटान / Sale/disposal of fixed assets	35663	58557
अनुषंगियों/अन्य से प्राप्त लाभांश /Dividend received from subsidiaries/others	88922	74128
टियर-II बांडों से प्राप्त ब्याज /Interest received from Tier-II Bonds	93914	361336
निवेश कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (आ)		
Net cash flow from investing activities (B)	(668412)	(518870)
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह/		
C. Cash flow from financing activities :		
पीएनसीपीएस के निर्गम से प्राप्त राशि/Proceeds from issue of PNCPS	0	6730000
ईक्विटी शेयरों का अधिमानी निर्गम/Preferential issue of Equity Shares	371947	781575
ईक्विटी शेयरों के निर्गम पर शेयर प्रीमियम /Share Premium on issue of Equity Shares	2696248	8618425
प्रदत्त लाभांश/Dividend Paid	(3387735)	(1486179)
आईपीडीआई पर प्रदत्त ब्याज /Interest paid on IPDI	(358286)	(357550)
अपर टियर-2 ऋण लिखतों पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on Upper T-2 Debt Instruments	(1472224)	(1469200)
गौण ऋण पर प्रदत्त ब्याज/Interest paid on subordinated debts	(1979851)	(1978145)
वित्तपोषण कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (इ)		
Net cash flow from financing activities (C)	(4129901)	10838926
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि (अ+आ+ इ)		
Net increase in cash & cash equivalents (A+B+C)	(34984030)	88620843
विदेशी मुद्रा की घट-बढ़ के लिए समायोजन/Adjustment for Foreign Exchange Fluctuation	1216558	140167
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/Net increase in cash & cash equivalents	(33767472)	88761010
क्रमशः 1 अप्रैल 2011 और 2010 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		
Cash and cash equivalents as at April 1,2011 & 2010 respectively	169804318	81043308
क्रमशः 31 मार्च 2012 और 2011 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		
Cash and cash equivalents as at March 31,2012 & 2011 respectively	136036846	169804318
ई. वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य		
D. Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)		
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	2373493	2355086
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	101666769	70072208
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/		
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	65764056	8616014
	169804318	81043308
उ. वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य		
E. Cash and Cash Equivalents at the end of the Year		
हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट एवं स्वर्ण सहित)		
Cash in Hand (including foreign currency notes and gold)	3084047	2373493
भारतीय रिजर्व बैंक में जमाराशियां/Balance with Reserve Bank of India	75031245	101666769
बैंकों में जमाराशियां तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
Balance with Banks and Money at Call and Short Notice	57921554	65764056
	136036846	169804318

तालिका डीएफ -2
TABLE DF-2
पूंजी संरचना
Capital Structure

गुणात्मक प्रकटीकरण
Qualitative Disclosures

(क) सभी पूंजी लिखतों की सूचना, संक्षेप में

(a) Summary information of all Capital instruments

1. इक्विटी पूंजी : प्राथमिकता से इक्विटी के आबंटन के आधार पर वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी की मद में बैंक को भारत सरकार से ₹ 48 करोड़ एवं भारतीय जीवन बीमा निगम से ₹ 258.82 करोड़ प्राप्त हुए हैं। निर्गम मूल्य ₹ 82.49 प्रति शेयर है। कुल राशि में से ₹ 37.19 करोड़ शेयर पूंजी और ₹ 269.63 करोड़ शेयर प्रीमियम खाते में अंतरित किया गया। दोनों टियर-1 पूंजी में शामिल करने योग्य हैं।

1. Equity Capital: During the year, Bank received capital infusion of ₹ 48 crore from Govt. of India and ₹ 258.82 crore from Life Insurance Corporation of India towards equity share capital on the basis of preferential allotment of equity. The issue price is ₹ 82.49 per share. Of the total amount ₹ 37.19 crore is transferred to Share capital and ₹ 269.63 crore towards Share premium accounts. Both are eligible for inclusion in Tier –I capital.

2. टियर-1 पूंजी में शामिल करने योग्य बेमियादी असंचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)

Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) eligible for inclusion in Tier-1 Capital

बैंक के पास ₹ 1823 करोड़ के पीएनसीपी हैं जो 31.03.2012 की स्थिति के अनुसार पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा अभिदत्त हैं। ये पीएनसीपीएस बेमियादी प्रकृति के हैं जो वार्षिक अस्थायी कूपन बेचमार्क से रेपो दर के रूप में परिवर्तित करते हुए 100 बीपीएस स्प्रेड सहित संबंधित तारीख को लागू रेपो दर पर वार्षिक आधार पर पुनर्निर्धारित किए जाएंगे।

The Bank is having ₹ 1823 crore of PNCPSs which is fully subscribed by Govt of India as on 31.03.2012. These PNCPSs are in perpetual nature carrying an annual floating coupon bench-marked to Repo rate plus spread of 100 bps which will be reset annually based on the prevailing Repo rate on the relevant date.

3. टियर-1 पूंजी में शामिल करने योग्य नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखत

Innovative Perpetual Debt Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital

बैंक ने पूंजी पर्याप्तता को और मजबूत करने और बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के लिए, टियर-1 पूंजी को बढ़ाने हेतु अब तक ₹ 380 करोड़ के प्रोनोट प्रकृति के अप्रतिभूत अपरिवर्तनीय अनुषंगी बेमियादी बांड जारी किए हैं। ये बांड अमूर्त रूप में जारी किए गए थे और दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा इनकी रेटिंग की गई थी, जो “एए-” एवं “एए” पर स्थिर बनी हुई है। प्रति बांड अंकित मूल्य एवं निर्गम मूल्य ₹ 10,00,000/- करोड़ था और न्यूनतम आवेदन आकार एक बांड एवं इसके बाद एक बांड के गुणज के रूप में था। कोई पुट ऑप्शन नहीं था परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से आबंटन की आनुमानिक तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर सममूल्य पर कॉल ऑप्शन विद्यमान है तथा आबंटन की आनुमानिक तारीख से 10 वर्षों की समाप्ति पर कॉल ऑप्शन का प्रयोग न किए जाने की दशा में 10 वर्ष के बाद स्टेपअप कूपन का ऑप्शन भी मौजूद है। भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार छमाही आधार पर ब्याज दिया जाता है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के थोक ऋण बाजार (डब्ल्यूडीएम) सेगमेंट में सूचीबद्ध हैं।

The Bank has so far raised Unsecured Non-Convertible Subordinated Perpetual Bonds in the nature of Promissory Notes to the tune of ₹ 380.00 crore for augmenting the Tier-I Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank. The Bonds were issued in Dematerialized Form and rated by two rating agencies carry ‘AA-’ and ‘AA’ stable. Face Value and Issue Price per bond is ₹ 10,00,000/- and minimum application size was one bond and in multiples of one bond thereafter. There was no put option, but call option is there at par at the end of 10th year from the deemed dates of allotment with the prior approval of RBI and step up coupon after ten years if call option is not exercised at the end of 10th year from the deemed date of allotment. The interest is to be paid semi-annually subject to RBI norms. These are listed on the Wholesale Debt Market (WDM) segment of the National Stock Exchange of India Limited (NSE).

4. टियर-2 पूंजी में शामिल करने योग्य अनुषंगी अपर टियर-2 ऋण लिखत

Subordinated Upper Tier-2 Debt Instruments eligible for inclusion in Tier-2 Capital

बैंक ने अपनी पूंजी पर्याप्तता को और मजबूत करने और बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के लिए, टियर-2 पूंजी बढ़ाने हेतु अब तक ₹1620 करोड़ के प्रोनोट रूप में अप्रतिभूत प्रतिदेय अपरिवर्तनीय अनुषंगी अपर टियर-2 बांड जारी किए हैं। बांड अमूर्त रूप में जारी किए गए थे और दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा इनकी रेटिंग की गई थी, जो “एए स्थिर” एवं “एलएए स्थिर”। प्रति बांड अंकित मूल्य एवं निर्गम मूल्य ₹ 10,00,000/- करोड़, और न्यूनतम आवेदन आकार एक बांड और उसके बाद एक बांड के गुणज के रूप में तय किया गया था। कोई पुट ऑप्शन नहीं था परंतु आबंटन की आनुमानिक तारीख से 10 वर्ष की समाप्ति पर सममूल्य पर कॉल ऑप्शन विद्यमान है। भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार छमाही आधार पर ब्याज दिया जाता है। परिपक्वता के समीप पहुँचने पर अपर टियर-2 लिखतों पर पूंजी पर्याप्तता हेतु परिवर्धित छूट प्राप्त होती है, जैसा कि दीर्घावधि अनुषंगी ऋण की पूर्ण अवधि के अंतिम पाँच वर्ष में होता है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के थोक ऋण बाजार सेगमेंट में सूचीबद्ध हैं।

The Bank has so far raised Unsecured Redeemable Non-Convertible Subordinated Upper Tier -II Bonds in the nature of Promissory Notes to the tune of ₹1620.00 crore for augmenting the Tier – II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank. The Bonds were issued in Dematerialized Form and the ratings of two rating agencies carry ‘AA’ Stable and ‘LAA Stable’. Face Value and Issue Price per bond is ₹10,00,000/- and minimum application size was one bond and in multiples of one bond thereafter. There was no put option, but call option is there at par at the end of 10th year from deemed date of allotment. The interest is to be paid semi-annually subject to RBI norms. The Upper Tier –II instruments are subjected to progressive discount for capital adequacy purposes as they approach maturity as in the case of long term subordinated debt over the last five years of their tenor. These are listed on the Wholesale Debt Market segment of the National Stock Exchange of India Limited.

5. टियर-2 पूंजी में शामिल करने योग्य अनुषंगी (लोअर टियर-2) ऋण लिखत

Subordinated (Lower Tier-2) Debt Instruments eligible for inclusion in Tier-2 Capital

बैंक ने अपनी पूंजी पर्याप्तता को और मजबूत करने और बैंक के दीर्घावधि संसाधनों को बढ़ाने के लिए, टियर-2 पूंजी बढ़ाने हेतु अब तक ₹ 2825.15 करोड़ के प्रोनोट रूप में अप्रतिभूत अपरिवर्तनीय अनुषंगी लोअर टियर-2 बांड जारी किए हैं। ₹450.15 करोड़ के प्रथम तीन क्रम (दिनांक 30.06.2006 को ₹150.15 करोड़ के क्रम-1, दिनांक 07.04.2007 को ₹150.00 करोड़ के क्रम-2 एवं दिनांक 08.05.2008 को ₹150.00 करोड़ के क्रम-3 मोचित हुए) पहले ही मोचित हो चुके हैं। शेष बांड अमूर्त रूप में ही हैं इनकी रेटिंग दो रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई थी, जो “एए स्थिर” एवं “एलएए स्थिर” है। कोई पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन नहीं था। पाँच बकाया क्रमों के लिए वार्षिक तथा शेष क्रमों के लिए छमाही आधार पर ब्याज दिया जाता है। इनकी परिपक्वता स्थिर है और परिपक्वता के समीप पहुँचने पर इन पर परिवर्धित छूट प्राप्त होती है। जिन लिखतों की प्रारंभिक परिपक्वता अवधि पाँच वर्ष से कम है, या जिनके परिपक्व होने में एक वर्ष शेष है, उन्हें टियर- II पूंजी के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के थोक ऋण बाजार सेगमेंट में सूचीबद्ध किया गया है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के थोक ऋण बाजार सेगमेंट में सूचीबद्ध हैं।

The Bank has so far raised Unsecured Non convertible subordinated Tier-II Bonds in the nature of Promissory Notes to the tune of ₹ 2825.15 crore for augmenting the Tier – II Capital for strengthening the Capital Adequacy and enhancing long term resources of the Bank. The first three series aggregating ₹ 450.15 crore have already been redeemed (₹ 150.15 crore Series I redeemed on 30.06.2006, ₹ 150.00 crore Series II redeemed on 07.04.2007 and ₹ 150.00 crore Series III redeemed on 08.05.2008 respectively). The outstanding bonds are in Dematerialized Form and the rating by two rating agencies carry ‘AA+’ stable and ‘LAA+ Stable’. There was no put option and no call option. The interest is to be paid on annual basis in case of five series outstanding and for the remaining series interest is to be paid semi annually. These carry fixed maturity and as they approach maturity they are subjected to progressive discount. Instruments with an initial maturity of less than five years or with a remaining maturity of one year are not to be included as part of Tier – II Capital. These are listed on the wholesale Debt Market segment of the National Stock Exchange of India Limited.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosures

(करोड़ ₹ में/₹ In Crore)

(ख/ब) टियर I पूंजी / Tier-1 Capital	7890.76
उनमें से / Of which -	
प्रदत्त पूंजी / Paid-up Capital	664.71
आरक्षित निधि / Reserves :	
शेयर प्रीमियम / Share Premium	1171.47
पूंजी आरक्षित निधि / Capital Reserve	290.07
सांविधिक आरक्षित निधि / Statutory Reserve	1447.93
सामान्य आरक्षित निधि / General Reserve	399.73
प्रतिधारित अधिशेष / Surplus Retained	2111.11
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत / Innovative Perpetual Debt Instruments	380.00
बेमीयादी अंसचयी अधिमानी शेयर / Perpetual Non-Cumulative Preference Shares	1823.00
टियर-I पूंजी से कटौती की गई राशि, जिसमें साख एवं निवेश शामिल है	
Amounts deducted from Tier-I Capital including Goodwill & Investment	397.26
(ग/क) टियर-2 पूंजी की कुल राशि (टियर-2 पूंजी से कटौती किए जाने के बाद बची राशि)	4151.46
The total amount of Tier-2 Capital (Net of deductions from Tier-2 Capital)	
(घ/द) ऋण पूंजीगत लिखत जो अपर टियर-2 पूंजी में शामिल करने योग्य हैं	
Debt Capital Instruments eligible for inclusion in Upper Tier-2 Capital :	
कुल बकाया राशि / Total amount outstanding	1620.00
जिनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि	
Of which amount raised during the current year	0.00
पूंजीगत निधि के रूप में माने जाने योग्य राशि	
Amount eligible to be reckoned as Capital Funds	1620.00
(ङ/े) गौण ऋण जो लोअर टियर-2 पूंजी में शामिल किए जाने योग्य हैं	
Subordinated Debt eligible for inclusion in Lower Tier-2 Capital :	
कुल बकाया राशि/Total amount outstanding	2375.00
जिनमें से चालू वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि	
Of which amount raised during the current year	0.00
वर्ष के दौरान मोचित राशि/Redeemed during the year	0.00
पूंजीगत निधि के रूप में माने जाने योग्य राशि	
Amount eligible to be reckoned as Capital Funds	1775.00
(च/फ) पूंजी से अन्य कटौतियां, यदि कोई हों / Other deductions from Capital, if any	Nil
(छ/ग) कुल योग्य पूंजी/Total eligible Capital	12042.22

तालिका डी एफ -3
TABLE DF-3
पूंजी पर्याप्तता
Capital Adequacy

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative Disclosure

- (क) विद्यमान क्रियाकलापों एवं भावी क्रियाकलापों को समर्थित करने हेतु अपेक्षित विभिन्न पूंजीगत लिखतों को जारी करने के लिए बैंक की योजना से निदेशक मंडल को समय-समय पर अवगत कराया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा इसकी आवधिक समीक्षा भी की जाती है।
- (a) Board is apprised periodically of Bank's plan for raising different Capital instruments needed for supporting current activities and future activities. This is also reviewed periodically by the Board.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative Disclosure

(करोड़ ₹ में / ₹ in crore)

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता:	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधधीन पोर्टफोलियो	
(b) Capital requirements for Credit Risk :	
Portfolio subject to Standardized Approach	7750.73
प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर	
Securitisation Exposures	शून्य/Nil
(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता:	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
ब्याज दर जोखिम	
विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	
ईक्विटी जोखिम	
(c) Capital requirements for Market Risk :	
Standardized Duration Approach	502.58
Interest Rate Risk	403.06
Foreign Exchange Risk (including Gold)	2.25
Equity Risk	97.27
(घ) परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकता:	
बुनियादी सूचक दृष्टिकोण	
(d) Capital requirements for Operational Risk :	526.25
Basic Indicator Approach	
(ङ) योग तथा टियर -1 पूंजी अनुपात	
(e) Total and Tier-1 Capital Ratio	12.35%
	8.09%
सर्वोच्च समेकित समूह के लिए / For the top consolidated group	लागू नहीं /Not Applicable
उल्लेखनीय बैंक सहायक कंपनियों के लिए (ढांचा जिस प्रकार लागू होता है उसके आधार पर अपने आप में स्थित या उप-समेकित)	
For significant bank subsidiaries (stand alone or sub-consolidated depending on how the Framework is applied)	लागू नहीं /Not Applicable

तालिका डीएफ -4

TABLE DF-4

ऋण जोखिम

Credit Risk

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative Disclosure:

1) पिछला बकाया एवं अनर्जक खाते (लेखांकन प्रयोजन हेतु)

Past Due and Impaired Accounts (for accounting purpose):

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित बैंक की अनर्जक आस्ति प्रबंध नीति के अनुसार किसी आस्ति को निम्नांकित स्थिति में पिछला बकाया/ अनर्जक आस्ति माना जाता है -

In terms of Bank's NPA Management Policy duly approved by the Board of Directors, an asset is treated as Past due/impaired asset where -

- मीयादी ऋण के मामले में ब्याज और/या मूल धन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है ।
Interest and/or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan.
- ओवरड्राफ्ट/नकदी ऋण के मामले में नीचे में दिए गए पैरा के अनुसार खाता 90 दिनों से अधिक समय तक 'अनियमित' रहता है ।
The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days as given in para below, in respect of an overdraft/cash credit (OD/CC).
- खरीदे गए एवं भुनाए गए बिल के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है ।
The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
- अल्पावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज दो फसलों के मौसम तक बकाया रहता है ।
The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops.
- दीर्घावधि की फसलों के लिए मूल धन की किस्त या उस पर ब्याज एक फसल के मौसम तक बकाया रहता है ।
The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

किसी खाते को अनियमित माना जाता है जब / An account is considered out of order when

- बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा-आहरण अधिकार से अधिक बना रहता है, तो खाते को अनियमित माना जाता है ।
The outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power; the account is treated as out of order.
- बकाया शेष लगातार स्वीकृत सीमा-आहरण अधिकार से कम होता है किंतु लगातार 90 दिनों तक कोई राशि जमा नहीं की जाती है या जमा की गई राशि नामे किए गए ब्याज के लिए पूरी नहीं होती है ।
The balance outstanding is less than the sanctioned limit/drawing power but there are no credits continuously for 90 days or the credits are not sufficient to cover the interest debited.

2) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति/ Bank's Credit Risk Management Policy:

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध पद्धति निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित नीतिगत निदेशों पर आधारित है, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

Bank's Credit Risk Management practices are based on policy directives duly approved by the Board which, inter-alia, encompass the following:

- ऋण जोखिम अधिग्रहण - कार्यनीति एवं नीतियां/ Credit Risk acquisition – strategies & policies,
- ऋण अनुमोदन प्रक्रिया/Credit approval processes.
- ऋण जोखिम निगरानी प्रक्रिया/Credit Risk monitoring processes.
- ऋण जोखिम नियंत्रण प्रक्रिया/ Credit Risk control processes.

ऋण जोखिम के प्रबंध की सारी जिम्मेदारी निदेशक मंडल की होती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति ऋण जोखिम प्रबंध एवं रिपोर्टिंग हेतु दिशानिर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है और वह नीति के अनुरूप ऋण जोखिम प्रबंध प्रक्रिया, विवेकपूर्ण सीमा का निर्धारण तथा उसकी समय-समय पर समीक्षा एवं जोखिम के मापों की सुदृढ़ता सुनिश्चित करती है। ऋण जोखिम प्रबंध समिति ऋण नीति एवं प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों को निपटाने तथा पूरे बैंक के आधार पर ऋण जोखिम के विश्लेषण, निगरानी तथा नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है।

Board of Directors has over all responsibility for management of Credit risk and Risk Management Committee of the Board is responsible for setting up guidelines for Credit Risk Management and reporting, ensuring that Credit Risk Management processes conform to the policy, setting up prudential limit and its periodical review and ensuring robustness of risk modules. Credit Risk Management Committee is responsible to deal with issues relating to Credit policy and procedures and to analyze monitoring and control credit risk on bank wide basis.

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंध विभाग बैंक द्वारा निर्धारित जोखिम मानदंडों और विवेकपूर्ण ऋण सीमा को लागू कराने और उसके अनुपालन की निगरानी करता है। यह विभाग जोखिम मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण तथा ऋण संविभाग की गुणवत्ता की निगरानी, समस्याओं की पहचान तथा त्रुटियों का सुधार और संविभाग मूल्यांकन सहित इस प्रयोजन हेतु एमआईएस का विकास भी करता है। ऋण जोखिम प्रबंध विभाग की ऋण संसाधन एवं ऋण निगरानी विभाग से अलग एक स्वतंत्र सत्ता है।

Credit Risk Management Department of the Bank enforces and monitors compliance of the risk parameters and prudential limits set by the Bank. They also lay down risk assessment system, monitor quality of loan portfolio, identify problems and correct deficiencies, develop MIS for the purpose including portfolio evaluation. Credit Risk Management Department is independent of Credit Processing & Credit Monitoring Departments.

ऋण जोखिम का मूल्यांकन ऋण खातों के श्रेणी-निर्धारण के माध्यम से किया जाता है। बैंक में 25 लाख रु से अधिक के एक्सपोजर वाले सभी खातों के श्रेणी निर्धारण के लिए (योजनागत ऋणों को छोड़कर) एक पद्धति विद्यमान है। बैंक श्रेणी निर्धारण माइग्रेशन का ध्यान रखता है तथा उसने सभी श्रेणी निर्धारण के लिए आंतरिक चूक दरें विकसित की हैं। चूक दरों का निर्धारण स्थापित श्रेणी निर्धारण एजेंसियों की चूक दरों के साथ भी किया जाता है।

Assessment of Credit Risk is done through rating of credit accounts. The bank has a system of rating all accounts (excepting those under schematic lending) having exposure of above ₹ 25 lacs. Bank tracks rating migration and has developed internal default rates across rating. The mapping of default rates is also carried out with default rate of established rating agencies.

बैंक, जहाँ कहीं संभव और अपेक्षित होता है, उपयुक्त संपार्श्विक या गारंटीकर्ताओं के माध्यम से ऋण खातों से जुड़े जोखिमों को कम करने की हर संभव कोशिश करता है। इसके अतिरिक्त जिन शर्तों एवं निबंधनों के अधीन ऋण स्वीकृत किए जाते हैं, वे भी ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने में खातों की नियमित निगरानी एवं नियंत्रण भी सहायक होते हैं। जोखिमों को कम करने के लिए बैंक ने व्यक्ति एवं लघु उद्यमों के लिए निर्यात ऋण गारंटी निगम एवं ऋण गारंटी निधि न्यास से योग्य खातों का आवश्यक बीमा भी करवाया है।

The bank makes all possible efforts to mitigate risks associated with credit accounts through suitable collaterals or guarantors wherever it is considered feasible and desirable. In addition to that, terms and conditions under which credit is sanctioned also go a long way to mitigate risks associated with credit. Regular monitoring and control of accounts also add to the risk mitigation. In order to mitigate risk, the Bank has taken necessary cover for eligible accounts from Export Credit Guarantee Corporation and Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises.

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative Disclosure

31.3.12 को प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (सभी राशियाँ करोड़ में)/

Quantitative Disclosures (all amount in ₹ Cr) as on 31.3.2012

(करोड़ ₹ में/₹ In Crore)

	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non-Fund Based
(क) कुल सकल ऋण एक्सपोजर		
a) Total Gross Credit Exposure	117,504.07	14,456.27
ख) ऋणों का भौगोलिक संवितरण		
b) Geographical Distribution of Exposure		
विदेशी / Overseas	9,664.17	978.02
देशी / Domestic	107,839.90	13,478.25

(ग) 31 मार्च 2012 को ऋणों का उद्योगवार संवितरण

c) Industry type distribution of Exposures as on 31st March 2012

(करोड़ ₹ में/₹ In Crore)

उद्योग कोड	उद्योग का नाम	निधि आधारित एक्सपोजर	गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	कुल
Industry Code	Industry Name	Fund based Exposure	Non-Fund based Exposure	Total
1	कोयला /Coal	1,120.17	523.39	1,643.56
2	खदान /Mining	569.89	15.49	585.38
3	लोहा एवं इस्पात /Iron and Steel	10,797.37	2,139.46	12,936.83
4	अन्य धातु एवं धातु उत्पाद /Other Metal & Metal Products	1,457.68	645.93	2,103.61
5	सभी इंजीनियरिंग कार्य /All Engineering	2,949.08	3,054.27	6,003.35
5.1	इनमें से इलेक्ट्रॉनिक /Of which Electronic	1,311.60	82.71	1,394.31
6	विद्युत /Electricity	3,010.66	220.60	3,231.26
7	सूती वस्त्र /Cotton Textiles	3,235.97	227.95	3,463.92
8	जूट वस्त्र /Jute Textiles	21.66	0.73	22.39
9	अन्य वस्त्र /Other Textiles	3194.54	192.41	3,386.95
10	चीनी /Sugar	512.51	29.73	542.24
11	चाय /Tea	676.49	4.40	680.89
12	खाद्य प्रसंस्करण/Food Processing	2,139.65	69.47	2,209.12
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति/Vegetable Oils and Vanaspati	331.11	119.17	450.28
14	तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद/Tobacco and Tobacco Products	179.80	0.45	180.25
15	कागज एवं कागज उत्पाद/Paper and Paper Products	570.12	16.48	586.60
16	रबड़ एवं रबड़ उत्पाद/Rubber and Rubber Products	293.47	43.22	336.69
17	रसायन, डाइज, पेंट्स आदि/Chemicals, Dyes, Paints, etc.	2,022.53	168.85	2,191.38
17.1	इनमें से उर्वरक/Of which Fertilisers	110.73	2.05	112.78
17.2	इनमें से पेट्रो रसायन/Of which Petro-Chemicals	304.38	18.25	322.63
17.3	इनमें से औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स/Of which Drugs and Pharmaceuticals	989.31	20.42	1,009.73
18	सीमेंट/Cement	565.96	60.03	625.99
19	चर्म एवं चर्म उत्पाद/Leather and Leather Products	169.92	9.02	178.94
20	रत्न एवं जवाहरात/Gems and Jewellery	627.60	39.35	666.95
21	विनिर्माण /Construction	2,719.51	2,419.12	5,138.63
22	पेट्रोलियम/Petroleum	1,647.08	9.97	1,657.05
23	ऑटोमोबाइल, ट्रक सहित/Automobiles including Trucks	1,294.67	308.01	1,602.68
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/Computer Software	476.66	80.75	557.41
25	बुनियादी सुविधाएं/Infrastructure	28,535.77	3,349.24	31,885.01
25.1	इनमें से बिजली/Of which Power	14,778.87	1,923.44	16,702.31
25.2	इनमें से दूरसंचार/Of which Telecommunications	3,446.86	385.50	3,832.36
25.3	इनमें से सड़क एवं बंदरगाह/Of which Roads and Ports	6,643.16	819.74	7,462.90
26	अन्य उद्योग/Other Industries	1,999.04	162.36	2,161.40
27	एनबीएफसी /NBFCs	12,887.90	26.73	12,914.63
उद्योग योग / INDUSTRY TOTAL		84006.81	13936.58	97,943.39

(घ)(d) आस्तियों की अवशेष संविदात्मक परिपक्वता की समाप्ति / Residual contractual maturity breakdown of assets

(करोड़ ₹ में/₹ In Crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन तक 2 to 7 days	8 से 14 दिन तक 8 to 14 days	15 से 28 दिन तक 15 to 28 days	29 दिन से 3 माह तक 29 days to 3 months	3 माह से अधिक परंतु 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक परंतु 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक परंतु 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	योग Total
जमा / Deposits	305.46	5053.25	3504.38	4644.06	39279.33	12086.48	40565.18	13985.48	2442.65	32137.22	154003.49
अग्रिम /Advance											
सकल/Gross	1442.44	1708.89	1791.53	1494.69	9480.38	8992.83	12556.03	32697.62	12942.31	34397.32	117504.05
निवेश/Investment	4813.75	1200.42	982.31	1070.56	8974.54	2448.55	9826.72	5048.82	1296.62	10523.12	46185.41
ऋण/Borrowing	7139.01	203.50	0.00	152.62	508.75	170.83	98.31	782.89	660.88	3184.63	12901.42
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency -Asset	960.87	1391.37	426.48	588.26	4101.62	2436.79	3757.76	1348.10	328.23	1141.68	16481.16
विदेशी मुद्रा देयता/देयताएं Foreign Currency- Liability/ Liabilities	69.83	1827.06	400.76	558.29	3540.21	2765.66	1426.89	3358.67	291.23	2242.56	16481.16

तालिका डीएफ -5 TABLE DF-5

ऋण जोखिम : मानक दृष्टिकोण के अधधीन संविभाग का प्रकटीकरण

Credit Risk : Disclosures for Portfolio subject to the Standardised Approach

गुणात्मक प्रकटीकरण /Qualitative disclosures:

निम्नलिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा किए गए ऋण श्रेणी-निर्धारण का उपयोग मानक दृष्टिकोण के अधीन हमारे ऋण खातों के जोखिम भारिता हेतु किया जाता है :

Credit rating accorded by the following credit rating agencies has been used in assigning risk weights to our credit accounts under standardized approach:

- 1) सीएआरई/CARE 2) सीआरआईएसआईएल/CRISIL 3) एफआईटीसीएच/FITCH 4) आईसीआरए/ICRA
(वर्णक्रम से सूचीबद्ध/Listed in alphabetical order)

- इस प्रयोजन हेतु उपयोग की गई ऋण श्रेणी निर्धारक एजेंसियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।
There has been no change in the credit rating agencies used for the purpose.
- श्रेणी-निर्धारक एजेंसियों ने कॉर्पोरेट एक्सपोजर का श्रेणी-निर्धारण किया है / Rating agencies have rated corporate exposures.
- ऊपर उल्लिखित श्रेणी निर्धारक एजेंसियों द्वारा प्रदत्त सार्वजनिक निर्गम की श्रेणी पर आधारित खातों का श्रेणी-निर्धारण करने में बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्र आरबीआई/2011-12/61डीबीओडी. सं. बीपी. बीसी. 11/21.06.001/2010-11 दिनांक 1 जुलाई 2011 में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन किया है ।
In assigning rating to accounts based on public issue rating given by the above mentioned rating agencies, followed the bank has guidelines of Reserve Bank of India communicated vide their Master circular RBI/2011-12/61 DBOD.No.BP.BC.11/ 21.06.001 / 2010-11 dated July 1, 2011.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण/Quantitative disclosures :

मानक दृष्टिकोण में जोखिम को कम करने के बाद एक्सपोजर

Exposure after risk mitigation in Standardized Approach:

(करोड़ ₹ में/₹ In Crore)

100% से कम का जोखिम भार/Below 100% Risk Weight	66,840.82
100% जोखिम भार /100% Risk Weight	35,424.79
100% से अधिक का जोखिम भार/More than 100% Risk Weight	14,102.87
कटौती /Deductions	12,131.92
योग / Total	1,16,368.48

तालिका डीएफ -6
TABLE DF-6
ऋण जोखिम प्रशमन
Credit Risk Mitigation

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative disclosures :

(अ) तुलन पत्र और उसके इतर के समायोजन का उपयोग जिस सीमा तक बैंक द्वारा किया जाता है उसका सूचक तथा उसके लिए नीति एवं प्रक्रिया ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक तुलन पत्र के समायोजन संबंधी

(a) Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on and off balance sheet netting

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक - तुलन पत्र के समायोजन संबंधी / Credit risk mitigation techniques- On Balance Sheet netting

बैंक इस शर्त के अधधीन निवल ऋण एक्सपोजर के आधार पर पूंजी आवश्यकता की गणना करता है कि-

The Bank computes capital requirements on the basis of net credit exposure subject to the conditions that the bank

i) बैंक के पास यह निष्कर्ष निकालने का एक सुवितित विधिक आधार है कि चाहे काउंटरपार्टी दिवालिया अथवा शोधन अक्षम है अथवा नहीं, प्रत्येक संगत क्षेत्राधिकार में नोटिंग या ऑफसेटिंग करार प्रवर्तनीय है।

has a well founded legal basis for concluding that the netting or off setting agreement is enforceable in each relevant jurisdiction regardless of whether the counterparty is insolvent or bankrupt;

ii) बैंक किसी भी समय उसी काउंटरपार्टी के ऋण/अग्रिम एवं जमाराशियों को निर्धारित कर सकता है जो नेटिंग व्यवस्था के अधधीन है।

is able any time to determine loans/advances and deposits with the same counterparty that are subject to the netting arrangement;

iii) बैंक निवल आधार पर संगत एक्सपोजरों पर निगरानी रखता है और उनपर नियंत्रण करता है, ऋणों और अग्रिमों को एक्सपोजर के रूप में माना जाता है और जमाराशि को संपाश्रविक प्रतिभूति के रूप में माना जाता है।

monitors and controls the relevant exposures on a net basis; Loans and advances are treated as exposure and deposits are treated as collaterals.

ऋण जोखिम प्रशमन तकनीक-गारंटी /Credit risk mitigation techniques- Guarantees

i) गारंटी को प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय एवं शर्तरहित होना चाहिए/Guarantees should be direct, explicit, irrevocable and unconditional.

ii) प्रतिस्थापन व्यवस्था लागू की जाएगी। इस प्रकार काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाली कंपनी द्वारा जारी गारंटी से पूंजी भार कम होगा क्योंकि काउंटरपार्टी एक्सपोजर के संरक्षित अंश में गारंटीकर्ता का जोखिम भार समनुदेशित है जबकि असंरक्षित अंश में मूल काउंटरपार्टी का जोखिम भार प्रतिधारित है।

Substitution approach will be applied. Thus guarantees issued by entities with lower risk weight than the counterparty will lead to reduce capital charge since the protected portion of the counterparty exposure is assigned the risk weight of the guarantor, whereas the uncover portion retain the risk weight of the underlying counterparty.

iii) गारंटी के लिए परिचालन अपेक्षाएँ अवश्य पूरी की जानी चाहिए/Operational requirement for guarantees must be met.

iv) योग्य गारंटीकर्ताओं (काउंटर गारंटीकर्ताओं) की श्रेणी/Range of eligible guarantors (counter guarantors)

निम्नलिखित संस्था द्वारा दिए गए ऋण संरक्षण को मान्यता दी जाएगी/Credit protection given by the following entities will be recognized:

क/a) सरकार, सरकारी कंपनी (बीआईएस, आईएमएफ, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, एमबीडी, एससीजीसी और सीजीटीएसएमई), बैंक एवं काउंटरपार्टी की तुलना में कम जोखिम भार वाले प्राथमिक व्यापारी;

Sovereigns, sovereign entities (including BIS, IMF, European Central Bank, MBDs, SCGC and CGTSME), Banks and Primary dealers with a lower risk weights than the counter party;

ख/b) 'एए' या उससे बेहतर रेटिंग वाली अन्य कंपनियाँ : इसमें मूल, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों द्वारा दिया गया गारंटी कवर उस स्थिति में शामिल होगा, जब उनका जोखिम भार बाध्यताधारी से कम हो।

Other entities rated AA- better. This would include guarantee covered provided by parent, subsidiary and affiliated companies when they have a lower risk weight than the obligor.

v) संरक्षित अंश में संरक्षण प्रदाता का जोखिम भार समनुदेशित है/Protected portion is assigned the risk weight of the protection provider.

(आ/ब) संपाधिक मूल्यांकन एवं प्रबंध के लिए पद्धति एवं प्रक्रिया/Policies and processes for collateral valuation and Management

यदि संपत्ति को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो एक बैंकर के रूप में हम संपत्ति के उस बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हैं, जिसकी उम्मीद क्रेता से की जाती है। मूल्यांकन आसित मूल्यांकन पद्धति द्वारा किया जाता है, जो प्रतिभूति के रूप में ली जाने वाली मूर्त आस्तियों के बाजार मूल्य को ध्यान में रखती है।

As a banker we are concerned with market value of the property that can be expected from a buyer if the property is put to sale. So valuation is made by Asset Valuation Methodology which takes into consideration the market value of tangible assets taken as security.

विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के मूल्यांकन की पद्धति / Method of valuation of various types of securities:

(i) भूमि एवं भवन का मूल्यांकन/Valuation of land and building

बैंक की चालू सूची में शामिल पंजीकृत मूल्यांककों द्वारा सभी भू-संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाए। भूमि का मूल्य अलग से लगाया जाएगा और नगरपालिका निकायों सहित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा दर्ज मूल्यांकनों से उसकी तुलना की जाएगी। उस भूमि पर किए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन अलग से किया जाएगा तथा उस संपत्ति का बीमा कराने पर लगाए गए मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी।

All landed properties must be valued by Registered valuers who are in the current empanelled list of bank. The value of the land will be assessed separately and would be compared with valuation on record by Govt. Authorities including Municipal Bodies. Construction on the said land would be valued separately and compared with value of insurance taken to cover the said property.

निम्नलिखित मदों को ध्यान में रखा जाएगा/The following points are taken into consideration:

- i) निर्माण की प्रकृति / Nature of construction
- ii) भवन की आयु तथा उसकी विद्यमान मजबूती / Age of the building and its present strength
- iii) किराया से होने वाली आय / Rental yield
- iv) निर्धारित/प्रदत्त कर की राशि / Tax amount assessed/paid
- v) भूमि एवं भवन का क्षेत्र / Area of land and building
- vi) निर्माण की लागत / Cost of construction
- vii) जगह का मूल्य / Value of site

(ii) जंगम संपत्तियों का मूल्यांकन / Valuation of Movable properties:

दृष्टिबंधकित/गिरवी रखी गई आस्तियों का मूल्यांकन करते समय मूल्यांकन का आधार बीजक में दिए गए मूल्य या बाजार मूल्य को, इनमें से जो भी कम हो, ध्यान में रखा जाए।

In valuation of hypothecated/pledged assets, basis of valuation is invoice price or market price whichever is lower.

(iii) शेयरों का मूल्यांकन / Valuation of shares:

बाजार मूल्य का परिकलन निम्न प्रकार से किया जाता है /Market value is calculated as below:

(क) शेयर का मौजूदा बाजार मूल्य -

- a) Current market price of the share
- b) पिछले 52 सप्ताह के दौरान प्रतिभूति के उच्चतम एवं निम्नतम मूल्यों में से जो भी कम हो उसका औसत। म्यूचुअल फंड के यूनिट के मामले में (अनुमोदित सूची में केवल मास्टर शेयरों को शामिल किया गया है) निवल आसित मूल्य (एनएवी)/पुनर्क्रय कीमत या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो, को लिया जाए।

Average of high and low prices of security during last 52 weeks whichever is lower. In case of units of mutual funds (only Master Share has been included in the approved list) Net Asset Value (NAV)/Repurchase price or the market price, whichever is less, has to be taken.

(iv) एल आई सी पॉलिसी का मूल्यांकन/Valuation of LIC Policy:

पॉलिसी का वर्तमान अभ्यर्पण मूल्य / Present surrender value of the policy.

जो भी प्रतिभूति ली जाती हो, इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसे पर्याप्त रूप से प्रभारित किया गया है और सभी आवश्यक विधिक औपचारिकताएँ पूरी की गई हैं ताकि आपात स्थिति पैदा होने पर उसे बिना किसी कठिनाई के वसूला जा सके। इसके अतिरिक्त अग्रिम के विद्यमान रहने तक प्रतिभूति पर लगातार निगरानी रखना जरूरी है।

Whatever security is obtained, care should be taken to see that it is adequately charged and all necessary legal formalities are completed so that it can be realized without any difficulty, whenever an emergency arises. Moreover, during the lifetime of an advance constant watch over the security is necessary.

(ग/क) बैंक द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख संपाधिक निम्नलिखित हैं / Main types of collateral taken by Bank are –

- i) भूमि एवं भवन जैसी स्थावर संपत्तियों का साम्यिक बंधक/रजिस्ट्रीकृत बंधक
Equitable Mortgage/ Registered Mortgage of immovable properties like land and building.
- ii) संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर/जुड़नार जैसी जंगम आस्तियों का दृष्टिबंधन
Hypothecation of movable fixed assets like plant & machinery furniture/fixtures.
- iii) शेयरों/डिबेंचरों/ईक्यूइटीयों/म्यूचुअल फंड यूनिटों को गिरवी रखना
Pledge of shares/debentures/equities/units of Mutual Funds
- iv) एलआईसी पालिसी का समनुदेशन
Assignment of LIC Policies
- v) बैंक की अपनी सावधि जमा रसीदों पर ग्रहणाधिकार / Lien over Bank's own Fixed Deposit receipts
- vi) एनएससी/केवीपी को गिरवी रखना / Pledge of NSCs/KVPs

(घ) प्रमुख प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी एवं उनकी ऋण शोधक्षमता

(d) The main types of guarantor counterparty and their credit worthiness

सामान्यतः बैंक निम्नलिखित प्रकार के गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी लेने हेतु अनुरोध करता है:

Normally Bank insists on following types of guarantor counterparty-

- i) भागीदारों/गैर-पेशेवर निदेशकों/अन्य पक्षकारों की वैयक्तिक गारंटी,
Personal guarantee of partners/non-professional directors/third parties,
- ii) कॉर्पोरेट गारंटी/Corporate Guarantee
- iii) राज्य सरकार की गारंटी/Guarantees of State Government

बैंक अपने स्वविवेक से मूल/धारक कंपनी से उस स्थिति में गारंटी प्राप्त कर सकता है जब ऋण सुविधा उसी समूह के उधारकर्ता यूनिटों को प्रदान की जाती है।

The bank may also obtain guarantees at its discretion from parent/holding Company when credit facilities are extended to borrowing units in the same group.

जब वैयक्तिक गारंटी माँगी जाती है तो व्यक्ति की अनुमानित अर्थक्षमता के औचित्यपूर्ण अनुपात को ध्यान में रखा जाए।

When personal guarantees are warranted, they should bear reasonable proportion to the estimated worth of the person.

(ङ/ए) प्रशमन के भीतर ऋण जोखिम संकेंद्रण के बारे में सूचना:

Information about credit risk concentrations within the mitigation taken –

ऋण जोखिम को कम करने हेतु एक्सपोजर को पूर्णतः या अंशतः नकदी, प्रतिभूति या उसी काउंटरपार्टी से जमा राशियों, किसी तृतीय पक्ष की गारंटी द्वारा केन्द्रीकृत किया जाता है।

In order to mitigate the credit risks, exposures are collateralized in whole or in part by cash, securities, deposits from the same counterparty, guarantee of a third party.

बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार जोखिम उत्पन्न होता है, जिसे बिक्री संविदा, उपभोक्ता को वित्तपोषण, वापसी खरीद शर्त एवं त्रुटि करार के माध्यम से कम किया जाता है।

Market risks arise from movements in market prices which are mitigated through sales contracts, consumer financing, buy back clause and deficiency agreement.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative disclosure:

मानक दृष्टिकोण के अधीन हेयरकट को लागू करने के बाद योग्य वित्तीय संपादिकों द्वारा कुल ₹13932.29 करोड़ के एक्सपोजर को सुरक्षित किया गया।

Total exposure covered by eligible financial collaterals after application of haircut under standardized approach- ₹ 13932.29 cr.

तालिका डीएफ -8

TABLE DF-8

क्रय-विक्रय बहियों में बाजार जोखिम

Market Risk in Trading Book

गुणात्मक प्रकटीकरण / Qualitative disclosures :

1. उद्देश्य एवं नीतियाँ / Objective & Policies:

निवेश और विदेशी मुद्रा लिखतों में बाजार जोखिम को सीमित करने हेतु। इसके लिए बैंक ने देशी और विदेशी शाखाओं हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियाँ अपनाई हैं।

To limit the market risk in Investment and Forex instruments. For this the Bank adopted policies approved by the Board for Domestic as well as Overseas Branches.

2. कार्यनीति एवं प्रक्रिया / Strategies and Processes:

यह नीति एक्सपोजर पर विभिन्न सीमाओं का प्रावधान करती है। विदेश स्थित केन्द्रों के लिए अनुमोदित नीति के अनुसार विदेश स्थित केन्द्रों की स्थानीय एएलसीओ समिति कार्यनीति और प्रक्रिया पर ध्यान देती है।

Policy provides various limits on exposures. Local ALCO Committee of overseas centers takes care of strategies and processes as per approved policy for overseas centers.

3. संबंधित जोखिम प्रबंध कार्य की संरचना एवं संगठन:

Structure and organization of the relevant risk management function:

निवेश से संबंधित निर्णय कार्पोरेट निवेश समिति द्वारा लिए जाते हैं। इस समिति में कार्यपालक निदेशक व फ्लैगशिप कार्पोरेट ऋण, मिड कार्पोरेट, वित्त एवं कोष शाखा, मुंबई के महाप्रबंधकगण शामिल हैं। विदेश स्थित केंद्रों पर केंद्रों के मुख्य कार्यपालकों के अधीन स्थानीय समिति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय लेती है। बैंक में कठोर कार्यात्मक अलगाव हेतु फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैक ऑफिस कार्यरत हैं। जोखिम प्रबंध विभाग, प्रधान कार्यालय समग्र संविभाग के लिए मिड ऑफिस के रूप में कार्य करता है।

Investment decisions are taken by Corporate Investment Committee comprising of Executive Director, General Managers of Flagship Corporate Credit, Mid Corporate, Finance and Treasury Branch, Mumbai. At overseas centers local committee under Chief Executives of the centers takes decision as per guidelines approved by the Board. The Bank has front office, mid office and back office for strict functional segregation. Risk Management Department at Head Office performs the function of mid office for overall portfolio.

4. जोखिम की रिपोर्टिंग और/या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

The scope and nature of risk reporting and/or measurement system:

देशी एवं विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए बैंक ऋण का पूरा विवरण समय-समय पर प्रधान कार्यालय को भेजा जाता है। जोखिमों के मूल्यांकन के साथ तिमाही आधार पर रिपोर्टिंग भी की जाती है। बैंक द्वारा तय की गई विभिन्न विवेकपूर्ण एवं अन्य सीमाओं से किसी तरह के विचलन की सूचना भी आवश्यक अनुमोदन हेतु प्रधान कार्यालय को दी जाती है।

Periodic Reporting of full details of Bank's exposure undertaken by the domestic and overseas branches are sent to Head Office. Quarterly reporting with evaluation of risks are also made. Any breaches from various prudential and other limits fixed by the Bank are also referred to H.O for necessary approval.

5. जोखिमों से बचाव और/या उसे कम करने के लिए नीतियाँ एवं बचाव/कमी की अनवरत प्रभावकारिता पर निगरानी रखने हेतु कार्यनीति एवं प्रक्रियाएँ : Policies for hedging and/or mitigating risk and strategies and processes for monitoring the continuing effectiveness of hedge/s mitigants:

बैंक की नीति है कि विदेशी मुद्रा में लगभग समान स्थिति बनाए रखी जाए। तथापि, संबंधित करेंसियों में दिनरात, रातभर जैसी विभिन्न सीमाओं तथा समग्र रूपों से बैंक के भारतीय रूपों में रातभर की मुक्त स्थिति सीमा का निर्धारण किया गया है और उसकी निगरानी समय-समय पर की जाने वाली रिपोर्टिंग के आधार पर की जाती है।

The Bank's policy is to maintain near square position in Forex. However various limits like daylight, overnight in respective currencies as well as overnight open position limit in Indian rupees for the Bank as a whole have been fixed and the same is monitored through periodic reporting.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण / Quantitative disclosures :

(करोड़ ₹ में / ₹ In Crore)

निम्नलिखित के लिए पूंजी की आवश्यकता / Capital requirements for :	
ब्याज दर जोखिम/Interest Rate Risk	403.06
ईक्विटी स्थिति जोखिम/Equity Position Risk	97.27
विदेशी मुद्रा जोखिम/Foreign Exchange Risk	2.25

तालिका डीएफ - 9

TABLE DF - 9

परिचालनगत जोखिम

Operational Risk

गुणात्मक प्रकटीकरण: / Qualitative Disclosure:

बैंक ने निम्नलिखित के लिए पद्धति, प्रक्रिया एवं निगरानी व्यवस्था कायम की है-

The Bank has put in place systems, processes and monitoring mechanism for -

- सभी महत्वपूर्ण उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं और पद्धतियों में विद्यमान परिचालनगत जोखिमों की पहचान तथा मूल्यांकन
Identification and assessment of operational Risks inherent in all material products, activities, processes and systems,
- परिचालनगत जोखिम प्रोफाइल तथा हानि के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण एक्सपोजर पर निगरानी रखना तथा वरिष्ठ प्रबंधन एवं निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाएँ प्रदान करना
Monitoring operational risk profiles and material exposure to losses and reporting pertinent information to Senior Management and Board of Directors.
- महत्वपूर्ण परिचालनगत जोखिमों को नियंत्रित करने तथा कम करने हेतु नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणाली का निर्माण करना
Framing policies, processes and procedures to control and mitigate material operational risk.

परिचालनगत जोखिम प्रबंध के लिए संगठनात्मक ढांचा निम्न प्रकार से है -

The Organizational set up for operational risk management is as follows:

- निदेशक मंडल / The Board of Directors
- निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसीबी)/ Risk Management Committee of the Board (RMCB)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंध समिति (सीओआरएम)/Committee for Operational Risk Management (CORM)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंध कक्ष (ओआरएमसी)/Operational Risk Management Cell (ORMC)
- कारबार परिचालनगत जोखिम प्रबंधक (बीओआरएम)/Business Operational Risk Managers (BORM)
- परिचालनगत जोखिम प्रबंध विशेषज्ञ (ओआरएमएस)/Operational Risk Management Specialists (ORMS)
- जोखिम प्रबंध विभाग/Risk Management Department

निदेशक मंडल सभी उत्पादों, क्रियाकलापों, प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों में परिचालनगत जोखिम के प्रबंध हेतु परिचालनगत जोखिम प्रबंध ढांचा, और उसके कार्यान्वयन एवं नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों का अनुमोदन करता है।

Board of Directors approves Operational Risk Management framework, implementation and policies, processes and procedures for managing operational risk in all products, activities, processes and systems.

जोखिम की सूचना और / या माप पद्धति का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप /Scope and nature of Risk Reporting and/or measurement system: संगृहीत की जानेवाली रिपोर्ट और उनकी आवधिकता निम्नानुसार है/The reports that are collected and the periodicity is as follows:

संख्या No.	रिपोर्ट का नाम Name of the Report	आवधिकता Frequency
1	कपट की वार्षिक समीक्षा Annual Review of frauds	वार्षिक Yearly
2	आर्थिक दंड लगाने का विवरण Details of levy of penalties	वार्षिक Yearly
3	समीक्षा का अनुपालन Compliance of reviews	वार्षिक Yearly
4	व्यवसाय श्रेणी-वार और बेसल इवेंट प्रकार एवं स्तर के अनुसार विश्लेषित हानि आंकड़ा Loss Data analyzed business line-wise and as per Basel event types and levels.	छमाही/Half yearly
5	प्रभाव-आवधिकता विश्लेषण मैट्रिक्स/Impact-frequency analysis matrix	छमाही/Half yearly
6	पाई गई और वसूली गई राजस्व हानि/Revenue leakage detected and recovered	तिमाही/Quarterly
7	विभिन्न लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की गंभीर अनियमितताओं का सार - परिचालनगत जोखिम संबंधी Gist of serious irregularities in various audit reports – operational risk related	तिमाही Quarterly

बैंक की स्थापित नीतियों एवं प्रक्रियाओं की पर्याप्तता के स्वतंत्र मूल्यांकन एवं अनुपालन हेतु निरंतर निगरानी के अंग के रूप में पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति लेखापरीक्षा कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र एवं आवधिकता सुनिश्चित करती है। निरीक्षण विभाग आंतरिक कार्य का विकास एवं पर्यवेक्षण करता है।

In order to provide independent assessment of adequacy of and compliance with, bank's established policies and procedures adequate internal audit coverage is in place as a part of ongoing monitoring. The Audit committee of the Board ensures the scope and frequency of the audit programme. The Inspection department develops and oversees the internal function.

सभी वित्तीय विभागों/कारोबार इकाइयों को सूचित किया गया है कि वे आरएमडी को नई गतिविधियों, नई पहलों, उत्पादों एवं परिचालनगत परिवर्तनों के बारे में पूरी तरह अवगत कराएँ ताकि किसी भी आरंभिक स्थिति में सभी संबंधित जोखिमों की पहचान की जा सके।

All financial departments/business units have been informed to keep the RMD fully informed of new developments, initiatives, products and operational changes to identify all associated risks at an early stage.

बैंक ने विभिन्न हानि इवेंट प्रकार एवं व्यवसाय श्रेणियों के अधीन (बासल-II के अनुसार) सुसंगत परिचालन जोखिम हानि ऑकड़ों के संग्रहण का कार्य प्रारंभ किया है ताकि परिचालनगत जोखिम के कारण पूंजी आवश्यकता का आकलन करने के लिए एक मॉडल का विकास किया जा सके।

The Bank has commenced collection of relevant operational risk loss data under different loss event types as also different business lines (as per Basel-II) to develop a model to estimate capital requirement on account of operational risk.

परिचालनगत जोखिम पूंजी निर्धारण के लिए बैंक ने बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण का उपयोग किया है, जिसकी परिकल्पना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "पूंजी पर्याप्तता एवं बाजार अनुशासन पर विवेकपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत—नए पूंजी पर्याप्तता ढांचे का कार्यान्वयन", विषय पर उनके पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 2007 में निहित है।

For operational risk capital assessment the Bank used Basic Indicator approach as envisaged by Reserve bank of India in their communication dated 27th April, 2007 on the subject "Prudential guidelines on capital adequacy and market discipline – Implementation of New Capital Adequacy Framework".

तालिका डीएफ -10

TABLE DF-10

बैंकिंग बहियों में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) Interest Rate Risk in the Banking Books (IRRBB)

गुणात्मक प्रकटीकरण/Qualitative disclosure:

बैंक ने अपनी आस्ति देयता प्रबंध नीति तैयार की है जो बैंकिंग की बहियों में ब्याज दर जोखिम से संबंधित मुद्दों का निपटान करती है। बैंक चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि और साथ ही एक वर्ष की अवधि के लिए जोखिम पर अर्जन (ईएआर) के प्रयोजन एवं आकलन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार ब्याज दर अस्थिरता के बारे में प्रत्येक माह विवरण तैयार करता है। बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन हेतु दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार परिशोधित अवधि का विवरण भी प्रत्येक महीने तैयार करता है और अवधि आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत ब्याज दर में 100 आधार अंकों के परिवर्तन के लिए ईक्विटी में परिवर्तन (यानी नेटवर्थ) का आकलन करता है। दोनों ही विवरणों की समीक्षा बैंक की निदेशक मंडल की आस्ति देयता प्रबंध समिति/जोखिम प्रबंध समिति द्वारा की जाती है।

Bank has in place Asset Liability Management policy that addresses issues related to Interest rate risk in Banking Book. Bank draws every month statement of Interest Rate sensitivity in accordance with the guidelines given by Reserve Bank of India for the purpose and estimates of Earnings at Risk (EaR) for the remaining period of the current financial year and as well as over one year horizon. Bank also draws every month statement of modified duration in accordance with the guidelines given for this purpose by Reserve bank of India and estimates change in the Equity (i.e. Net Worth) for 100bps change in the interest rate under Duration Based Approach. Both the statements are reviewed by Bank's Asset Liability Management Committee and Risk management Committee of the Board.

प्रमात्रात्मक प्रकटीकरण (31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार)

Quantitative disclosures : (As on 31st March, 2012)

(करोड़ ₹ में/₹ In Crore)

1)	100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए अर्जन में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	
1)	Estimated increase (decline) in earnings for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	₹ 2.63 करोड़/Cr.
2)	100 आधार अंक के निम्नगामी (ऊर्ध्वगामी) दर शॉक के लिए आर्थिक मूल्य में अनुमानित वृद्धि (ह्रास)	
	Estimated increase (decline) in economic value for Downward (upward) rate shock of 100 basis point	9.95% of Equity

UCO Bank

Form "B"

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700 001

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Ninth Annual General Meeting

Dated June 26th, 2012

Regd. folio No.
(if not Dematerialised)

DP ID No.
Client ID No.
(if Dematerialised)

I/We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Ninth Annual General Meeting** of the shareholders of UCO Bank, to be held on Tuesday the 26th June 2012 at 11.00 A.M. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata-700 027 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2012

Re. 1/-
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Name :

Signature of first named / sole Shareholder

Address :

Instructions for Signing the Proxy form:

- No instruments of proxy shall be valid unless,
 - In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
 - In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
 - In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of Thursday, the 21st June, 2012.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per **Form "B"** and is duly stamped.
- An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

UCO BANK

ELECTRONIC CLEARING SERVICES (ECS) – MANDATE FORM

Date :

M/S. Karvy Computershare Private Ltd
Plot No. 17 to 24, Vittalrao Nagar,
Madhapur,
Hyderabad – 500 081

Dear Sirs,

Re : ECS Mandate

With reference to above, I/We are pleased to exercise the option for Electronic Clearing Services (ECS) and furnish hereunder the particulars of bank account to receive payments through Electronic Clearing Services :

Folio Number										
Name of the Bank (Full Name)										
Name of the Branch										
Full address of the Bank										
9 digit code number appearing on the MICR Band of the cheque supplied by the Bank	<table border="1" style="width: 100%;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
Account Type (Savings/Current/Cash Credit)										
Account Number (as appearing on the cheque book)										

(Please attach a photo copy of a cheque of your bank duly cancelled for ensuring accuracy of the bank name, branch and code number.)

I/We hereby declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed because of incomplete or incorrect information, I/we would not hold the Company/Registrar responsible. I/we agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under the Scheme.

Folio No.	Name(s) of the Registered Holder	Signature of the First holder

यूको बैंक
प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

फार्म "बी"

परोक्षी फार्म
(शेयरधारक द्वारा भरे एवं हस्ताक्षरित किए जाने हेतु)
नवीं वार्षिक आम बैठक
दिनांक 26 जून, 2012

रजिस्ट्रीकृत फोलियो सं. (यदि अमूर्तकृत नहीं है)
डी. पी. पहचान सं. ग्राहक की पहचान सं. (यदि अमूर्तकृत है)

मैं/हम, _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____, जो यूको बैंक का/के शेयरधारक हूँ / हैं, एतद्वारा श्री/श्रीमती _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____, को या उनकी अनुपस्थिति में श्री/श्रीमती _____, निवासी _____, जिला _____, राज्य _____ को मंगलवार, दिनांक 26 जून, 2012 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027 में या उसके बदले किसी अन्य स्थान पर आयोजित की जानेवाली यूको बैंक के शेयरधारकों की नवीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से मतदान करने हेतु अपना परोक्षी नियुक्त करता/करती/हूँ / करते हैं।

वर्ष 2012 के _____ की _____ तारीख को हस्ताक्षर किए गए

1 /- ₹ का रसीदी टिकट

परोक्षी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

परोक्षी फार्म हस्ताक्षरित करने और जमा करने हेतु अनुदेश:

प्रथम नामित/एकमात्र शेयरधारक के हस्ताक्षर

- कोई परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जब तक वह:
 - किसी व्यक्ति शेयरधारक के मामले में उसके या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
 - संयुक्त धारक के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो;
 - किसी निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या उसके ऐसे अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं हो जिसे लिखित रूप में सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो।
- कोई परोक्षी लिखत किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित समझी जाएगी जो किसी कारण से अपना नाम लिखने में अक्षम है यदि उसका चिह्न उसपर अंकित किया जाता है तथा उसे किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, बीमा रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या यूको बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाता है।
- परोक्षी फार्म और
 - मुख्तारनामा या प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अधीन वह हस्ताक्षरित किया गया है, अथवा
 - ख) मुख्तारनामा या प्राधिकार की एक ऐसी प्रति जो किसी नोटरी पब्लिक या दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित हो, यूको बैंक, प्रधान कार्यालय, वित्त विभाग (शेयर अनुभाग) 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 के पास वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी गुरुवार, दिनांक 21 जून, 2012 के कार्य-समय की समाप्ति पर या उसके पहले जमा की जाए।
- कोई भी परोक्षी लिखत तब तक वैध नहीं होगी जबतक फार्म 'बी' के अनुसार और सम्यक रूप से स्टांपित न हो।
- बैंक के पास जमा की गई परोक्षी लिखत अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी।
- विकल्पतः दो अधिकारग्राहियों के पक्ष में प्रदान की गई परोक्षी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने परोक्षी लिखत निष्पादित की है वह उस वार्षिक आम बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हकदार नहीं होगा जिससे वह लिखत संबंधित है।
- कोई भी ऐसा व्यक्ति सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि या परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूको बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है।

यूको बैंक इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ईसीएस) -अधिदेश फार्म

दिनांक:

मे. कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि.
प्लॉट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर,
माधापुर,
हैदराबाद- 500081

प्रिय महोदय,

विषय : ईसीएस अधिदेश

उपर्युक्त के संदर्भ में मैं/हम सहर्ष इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) के विकल्प का प्रयोग करता हूँ /करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा के जरिए भुगतान प्राप्त करने के लिए बैंक खाते का विवरण नीचे प्रस्तुत कर रहा हूँ /कर रहे हैं :

फोलियो सं.	
बैंक का नाम (पूरा नाम)	
शाखा का नाम	
बैंक का पूरा पता	
बैंक द्वारा आपूरित चेक के एमआईसीआर पट्टी	
पर उल्लिखित 9 अंकों की कूट संख्या	
खाते का प्रकार(बचत/चालू /नकदी ऋण)	

खाता संख्या (चेक बुक पर यथाउल्लिखित)

(कृपया बैंक का नाम, शाखा एवं कूट संख्या की विशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विधिवत निरस्त किए गए अपने बैंक के चेक की एक जेरोक्स प्रति संलग्न करें)।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ /करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं। यदि अपूर्ण या असत्य सूचना के कारण लेनदेन में देर होती है तो मैं /हम कंपनी/ रजिस्ट्रार को उत्तरदायी नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी/ठहराएंगे। मैं/हम उक्त योजना के अधीन सहभागी के रूप में मुझसे/हमसे अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करने का करार करता/करती हूँ /करते हैं।

फोलियो सं.	रजिस्ट्रीकृत धारक का (के) नाम	प्रथम धारक के हस्ताक्षर

यूको बैंक / UCO Bank

प्रधान कार्यालय : 10, वि. त्रै. म. सरणी, कोलकाता - 700001

Head Office : 10, B. T. M. Sarani Kolkata - 700 001

उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip

(प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry)

दिनांक : मंगलवार, 26 जून 2012, पूर्वाह्न 11.00 बजे

स्थान : भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेल्वेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027

Date : Tuesday, 26th June, 2012 at 11.00 a.m.

Venue : Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700 027

मैं एतद्वारा बैंक की नवीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता हूँ।

I hereby record my presence at the Ninth Annual General Meeting of the Bank

शेयरधारक/परोक्षी/उपस्थित प्रतिनिधि का नाम Name of the Shareholder/ Proxy/Representative present	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी / ग्राहक पहचान संख्या Regd. Folio / DPID/Client ID No.	शेयरो की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

उपस्थिति पर्ची / Entry Pass

(प्रवेश करते समय जमा करें) / (To be surrendered at the time of entry)

सदस्य परोक्षी का नाम स्पष्ट अक्षरों में Name: (in BLOCK Letter) Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरो की संख्या Number of Shares	हस्ताक्षर Signature

दिनांक 26 जून 2012

Dated 26th June 2012

शेयरधारक/परोक्षी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

Signature of

Shareholder/Proxy/ Authorised Representative

शेयरधारकों/परोक्षी, प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभा-भवन में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें। प्रवेश पत्र वाले अंश को शेयरधारकों/परोक्षी/प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाएगा जिसे वे बैठक चलने तक अपने पास रखें। फिर भी आवश्यकता समझे जाने पर अतिरिक्त सत्यापन/जांच के उपरान्त प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में सभा-भवन के प्रवेशद्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

नोट : बैठक के समय कोई उपहार/उपहार कूपन नहीं दिए जाएंगे। कृपया संलग्न वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लाएं।

Note : No gift/gift coupons will be distributed at the meeting. Please bring your copy of the enclosed Annual Report.